विद्युत शक्ति संपन्न
भारत के हरित विकास का पोषक

31वीं वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

पी एफ सी
PFC

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

विज़न

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत सोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ–साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाए प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन है, अपने स्टेकधारकों हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा–सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी है।

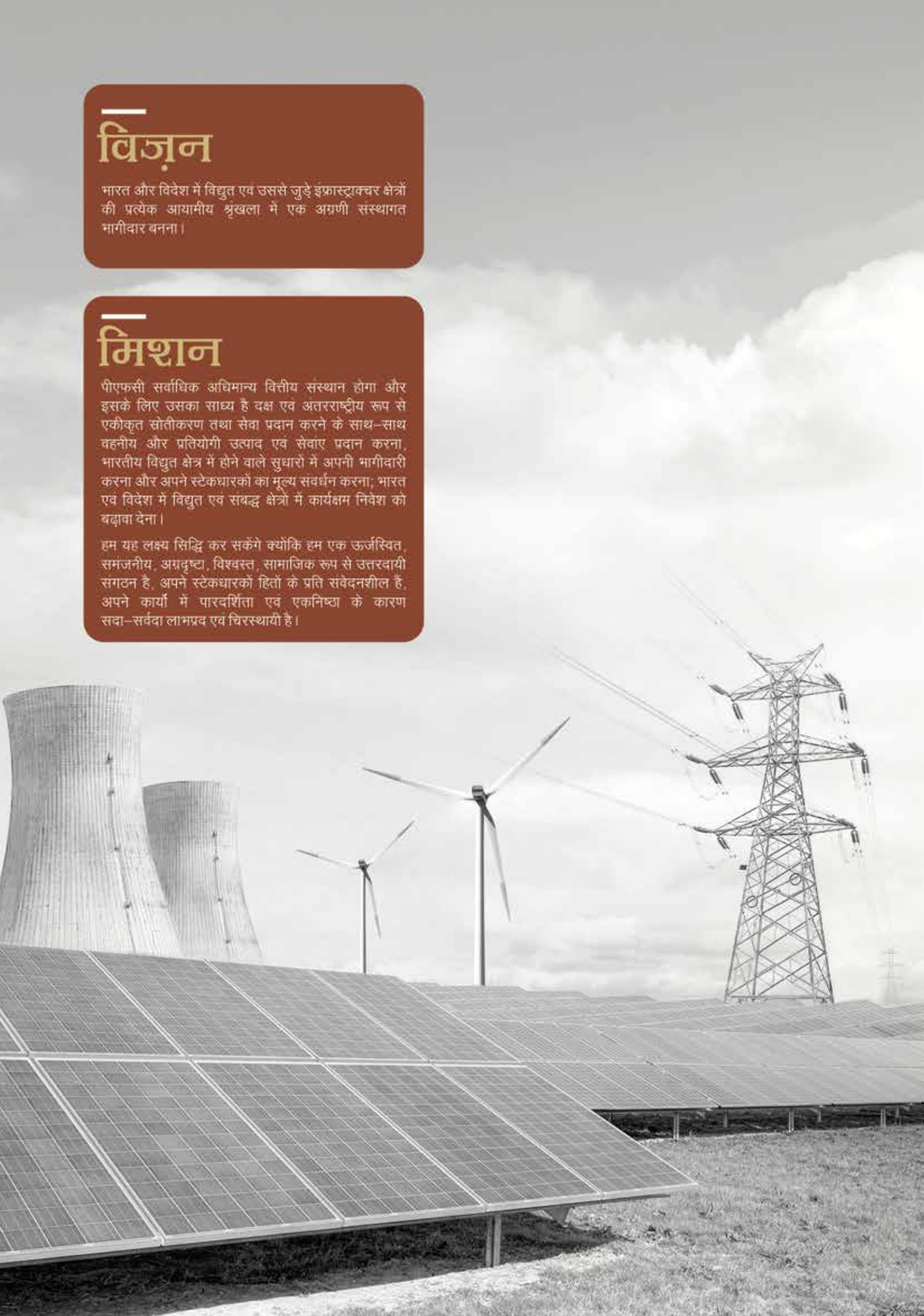

विषय–सूची

भाग 01 (निगमित परिदृश्य)

- संदर्भ सूचना 04
- कार्य–निष्पादन : एक झलक 05-07
- अध्यक्ष का वक्तव्य 08-13
- निदेशकगण का प्रोफाइल 14-15

भाग 02 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट)

- निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2016-17 18-49
- फॉर्म सं. एमजीटी-9 वार्षिक विवरणी का सारांश 50-63
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट 64-72
- फॉर्म सं. एओसी-2 73
- प्रबंधकीय विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट 74-82
- निगमित शासन पर रिपोर्ट 83-99
- निगमित शासन का प्रमाण-पत्र 100
- व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 101-113
- सचिवालयी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 114-119

भाग 03 (वित्तीय विवरणिका)

- एकल वित्तीय विवरणी पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट 122-128
- गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 129
- सी एंड एजी की टिप्पणियां 130
- तुलन–पत्र 131
- लाभ एवं हानि विवरणिका 132
- नकदी प्रवाह विवरणिका 133-197
- समेकित वित्तीय विवरणिका पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट 198-202
- समेकित वित्तीय विवरणिका पर सी एंड एजी की टिप्पणी 203
- समेकित तुलन–पत्र 204-205
- समेकित लाभ एवं हानि विवरणिका 206
- समेकित नकदी प्रवाह विवरणिका 207-276

भाग 01

निगमित परिदृश्य

- संदर्भ सूचना
- कार्य–निष्पादन : एक झलक
- अध्यक्ष का वक्तव्य
- निदेशकगण का प्रोफाइल

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि',
1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली : 110001 टेलीफोन नं. (91)(11) 23456000
वेबसाइट : **http://www.pfcindia.com**

सहायक कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्ववर्ती अकलतारा पावर लिमिटेड)
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रपावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड*
साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
फतेहगढ भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड*
विजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
सोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
गोवा तनमार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड*

सूचीबद्ध शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपोजिटरीज

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक

मैसर्स एम.के. अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
मैसर्स के.बी. चांदना एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पंजीकृत एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
''कार्वी सेलेनियम टॉवर बी''
प्लॉट नं. 31 एवं 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गाचीबोवली,
हैदराबाद–500 032, आंध्र प्रदेश, भारत
टेलीफोन :+91 40 67162222
फैक्स :+91 40 23420814
ई–मेल : **support@karvy.com**
वेबसाइट : **www.karvycomputershare.com**

बैंकर्स

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईडीबीआई बैंक

**पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, पीएफसी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी*

कार्य–निष्पादन : एक झलक

	विवरण	2012-13	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17
I	**संसाधन** (वर्ष के अंत में) (₹करोड़ में)					
	इक्विटी पूंजी	1320	1320	1320	1320	2640
	भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि	146	124	111	107	110
	संचित एवं अधिशेष	22734	26055	30899	34446	33830
	ऋण:					
(i)	विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोट्स को मिलाकर)	8424	8926	9731	10776	8444
(ii)	बॉण्ड्स	105334	126505	159393	171137	189743
(iii)	दीर्घावधि रूपया ऋण	17005	22470	14585	11000	2000
(iv)	अल्पावधि रूपया ऋण	8820	1314	4064	7572	2401
II	**वित्तीय प्रचालन**					
	(वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	संस्वीकृत ऋण एवं अनुदान	75147	60729	60784	65042	100603
	संवितरित ऋण एवं अनुदान	45151	47162	44691	46588	62798
	पीएफसी को ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	14929	18822	16284	25826	19592
	ऋणदाताओं को पीएफसी द्वारा पुनर्भुगतान	11304	22231	34188	52735	2112
III	**कार्यात्मक परिणाम**					
	(वर्ष के लिए) (₹ करोड़ में)					
	कुल आय	17273	21538	24907	27564	27019
	कुल व्यय	11306	13979	16529	18504	21909
	कर पूर्व लाभ	5967	7558	8378	9060	5110
	कर व्यय	1547	2141	2419	2947	2983
	कर पश्चात् लाभ	4420	5418	5959	6113	2126
IV	**कार्मिकों की संख्या**	427	446	450	467	499

संस्वीकृत ऋण एवं अनुदान

(₹ करोड़ में)

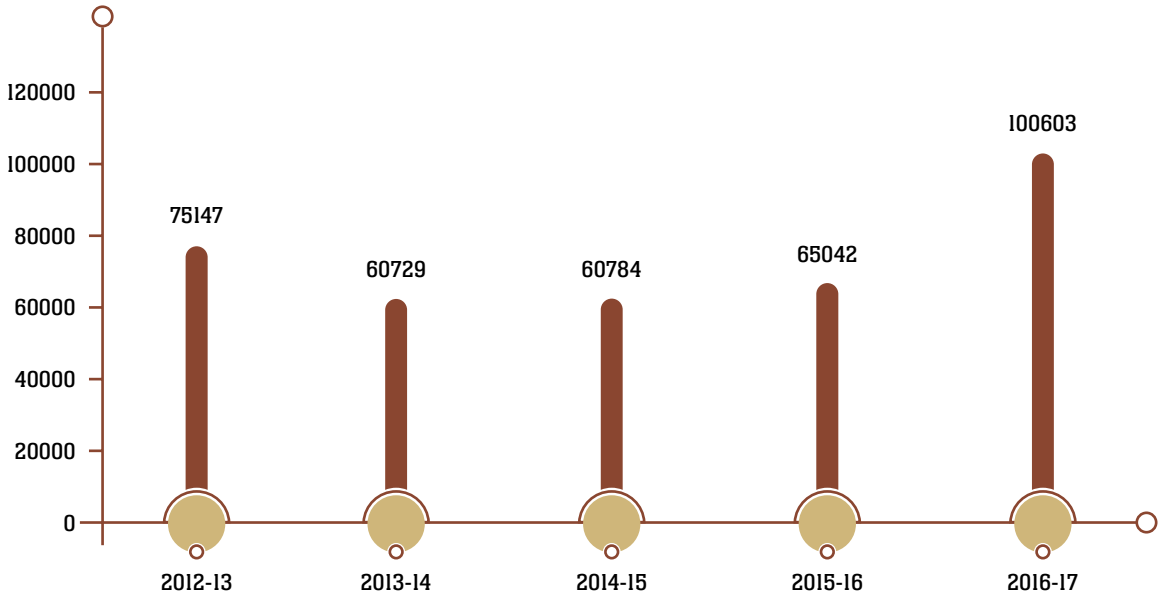

संवितरण

क्षेत्र–वार

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

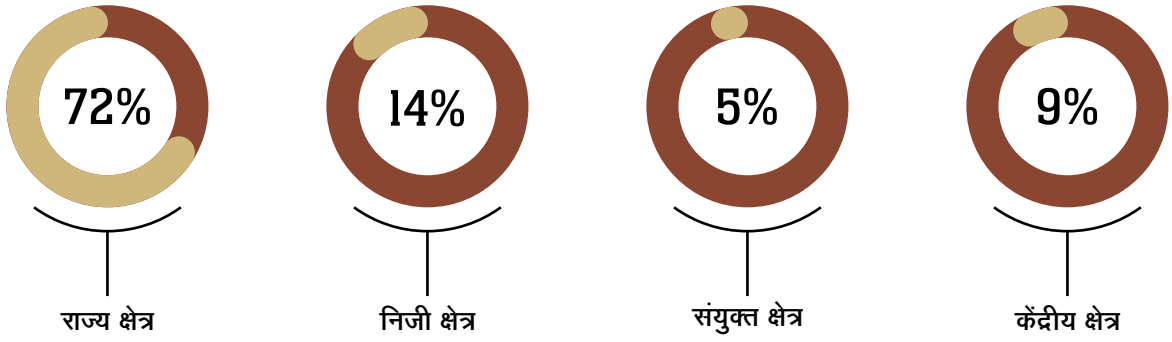

संवितरित किए गए ऋण और अनुदान

(₹ करोड़ में)

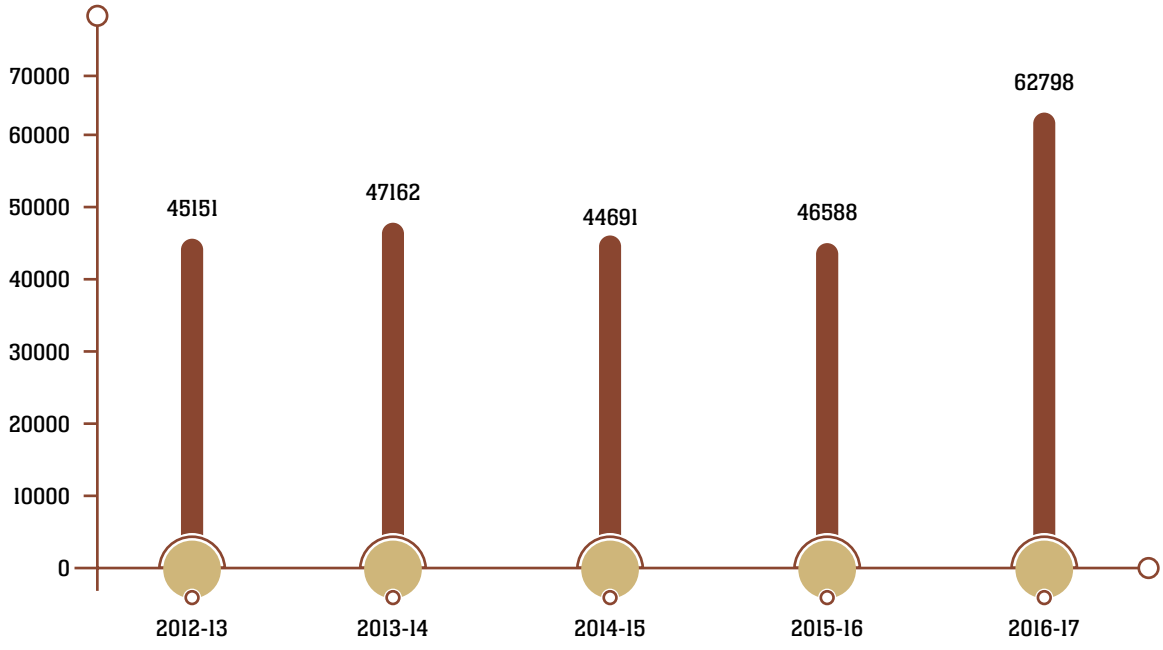

संचयी संवितरण

विषयवार

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

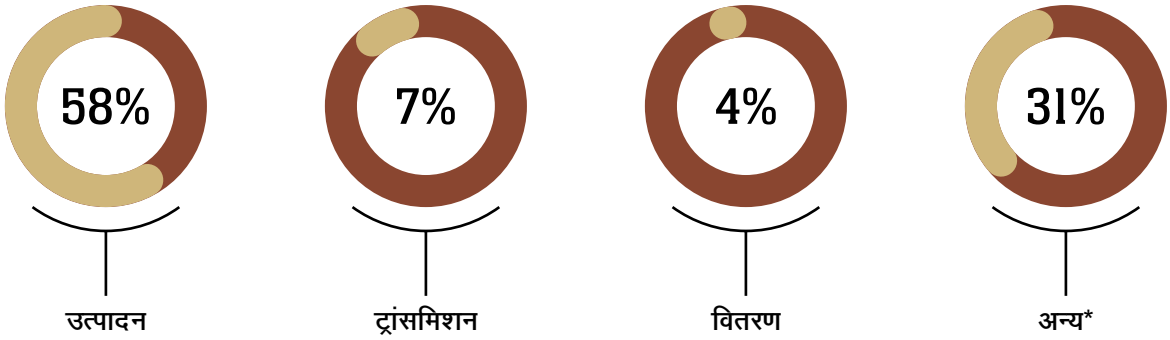

*परिवर्ती वित्त, एसटीएल, बीएलसी इत्यादि सहित

अध्यक्ष का वक्तव्य

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो,

आपकी कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तपोषक है और निवल मूल्य के आधार पर देश की सबसे बड़ी अवसंरचना वाली वित्तीय कंपनी है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा मार्च, 2017 में किए गए सर्वे के अनुसार, आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाभ के आधार पर देश के 320 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच 7वीं सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। मैं आप सभी के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की व्यापार संबंधी कुछ प्रमुख विशेषताओं को साझा करना चाहूँगा। पहली बार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, वार्षिक ऋण संस्वीकृतियों की राशि का आंकड़ा ₹1,00,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त किए गए ₹65,042 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 55% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹62,798 करोड़ का वार्षिक संवितरण किया गया, जो कि पिछले एक दशक में 35% की सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाता है। यूडीएवाई के अंतर्गत ₹28,400 करोड़ के समय-पूर्व-भुगतान के बावजूद भी ऋण परिसंपत्तियों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹66,800 करोड़ की धनराशि जुटाई, जो कि किसी वित्तीय वर्ष में अब तक की सर्वाधिक राशि है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी धनराशि महज 7.47% की स्पर्धी सीमांत लागत पर जुटाई गई जो कि रॉयटर्स की बेंचमार्क दर से भी कम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹2,126 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

> "आपकी कंपनी आरबीआई मानदंडों के कारण प्रभावित हुई इन ऋण परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करती है क्योंकि अगले कुछ वर्षों में ही उनके मानक परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है और वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से प्रावधानों को प्रत्यावर्तित करना शुरू कर दिया जाएगा।"

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी का लाभ और अन्य वित्तीय मानदंड विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के बजाय भूतलक्षी प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन संबंधी मानदंडों को अपनाने के फलस्वरूप बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 1 अप्रैल, 2015 से पहले संस्वीकृत किए गए उत्पादन परियोजनाओं संबंधी ऋणों के लिए पीएफसी विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन संबंधी मानदंडों का अनुपालन कर रहा था। तथापि, पुनर्गठन संबंधी मानदंडों के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के आरबीआई के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीएफसी ने 1 अप्रैल, 2015 से पहले संस्वीकृत किए गए उत्पादन परियोजनाओं के ऋणों के लिए आरबीआई मानदंडों का अनुपालन करने का निश्चय किया और तदनुसार, 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ आरबीआई मानदंडों को लागू किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹23,309 करोड़ के ऋण डाउनग्रेड होकर एनपीए में परिवर्तित हो गए और ₹35,995 करोड़ की राशि वाले ऋण डाउनग्रेड होकर पुनर्गठित परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार, कुल प्रभावित ऋणों की राशि ₹59,304 करोड़ है। ऐसी सभी परिसंपत्तियां, जिन्हें डाउनग्रेड किया गया था, वे उत्पादन परियोजनाएं हैं और वे सभी 100% सरकारी स्वामित्वाधीन कंपनियां हैं। इन सभी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100% वसूली दर प्रदर्शित की है और इनमें से किसी भी ऋणकर्ता के लेखों को इस वर्ष से पहले कभी एनपीए घोषित नहीं किया गया।

आपकी कंपनी आरबीआई मानदंडों के कारण प्रभावित हुई इन ऋण परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करती है क्योंकि अगले कुछ वर्षों में ही उनके मानक परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है और वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से प्रावधानों को प्रत्यावर्तित करना शुरू कर दिया जाएगा। डाउनग्रेड की गई परिसंपत्तियों में से लगभग 80% मान्यता प्राप्त एनपीए और 58% पुनर्गठित परिसंपत्तियों के क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपग्रेड होने की संभावना है। हम अपने शेयरधारकों को एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी कंपनी यह सुनिश्चित

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविन्द के कर-कमलों से वर्ष 2016-17 के लिए प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" ('क' क्षेत्र की श्रेणी में) प्राप्त करते हुए। यह पुरस्कार श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृहमंत्री और श्री किरेन रीजीजू, माननीय गृहराज्य मंत्री की उपस्थिति में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। पीएफसी द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया गया।

करने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि डाउनग्रेड की गई ये परिसंपत्तियां शीघ्र ही अपग्रेड कर दी जाएं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ₹23,309 करोड़ की एनपीए में से लगभग ₹11,000 करोड़ की राशि 15 जुलाई, 2017 तक पहले ही अपग्रेड की जा चुकी है।

उपर्युक्त पर विचार करने के पश्चात, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग यथावत बनाए रखी है (घरेलू स्तर पर 'एएए' की सर्वोच्च रेटिंग और सॉवरन रेटिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग)।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से उभरकर सामने आने वाले बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह वैश्विक परिदृश्य में एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से भारत में आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। इसके अतिरिक्त, बाह्य चालू खाता तथा राजकोषीय स्थिति में भी सुधार हुआ है और इससे मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ढांचे और कर्ज के रूप में जमा होने वाली राशि को घटाकर राजकोषीय स्थिति लगातार मजबूत हुई है और एक मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति (एंटी-इंफ्लेशनरी मॉनीटरी पॉलिसी) की सहायता से मैक्रोइकनॉमिक स्थिरता को मजबूती मिली है।

सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो आगे आने वाले समय में सुदृढ़ और सस्टेनेबल वृद्धि में सहायक होगी। विशेष रूप से, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू किया जाना कर संबंधी सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे एक सामान्य भारतीय बाजार निर्मित होगा। इससे कर संबंधी अनुपालन और शासन व्यवस्था में सुधार होगा तथा यह निवेश और वृद्धि को प्रेरित करेगा।

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रही। विश्व बैंक के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2017-18 में 7.6% और वर्ष 2018-19 में 7.8% की वृद्धि दर के साथ बढ़ने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने यह कहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को बीएए3 रेटिंग प्रदान की है कि सरकार द्वारा किए गए सुधार मध्यम अवधि के दौरान इसके समकक्षों की तुलना में देश को बेहतर निष्पादन करने में समर्थ बनाएंगे।

विद्युत क्षेत्र का सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, भारत बिजली के एक निवल आयातक से बिजली का एक निवल निर्यातक बन गया है और यह नेपाल, बंगलादेश और म्यांमार जैसे देशों को 6,444 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। बिजली का कुल उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,174 बिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2016-17 के दौरान 1,242 बिलियन यूनिट हो गया है, जो कुल मिलाकर 5.83% की वृद्धि को दर्शाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 99,210 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की गई। 31 मार्च, 2017 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता 3.26 गीगावाट थी। कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 44% थी।

कोयला लगातार सबसे अधिक एवं व्यापक रूप से उपलब्ध तथा प्रयोग किया जाने वाला ईंधन बना हुआ है। पिछले एक वर्ष के दौरान, कोयले की उपलब्धता में आशातीत सुधार हुआ है और सीआईएल द्वारा प्रचुर मात्रा में घरेलू स्तर पर कोयले का उत्पादन किया गया है। आयातित कोयले के प्रयोग को घटाने और ईंधन आपूर्ति के लिए प्रतीक्षारत पावर प्लांटों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने "भारत में पारदर्शी रूप से कोयला दोहन और आबंटन" की एक योजना अर्थात शक्ति का शुभारंभ किया है। योजना के अंतर्गत विद्युत यूनिटों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम आबंटन की परिकल्पना की गई है। क्रिसिल द्वारा किए गए एक अनुसंधान के अनुसार, अगले पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र को घरेलू नॉन कोकिंग कोयला की आपूर्ति 8-9% के सीएसीआर की दर से बढ़कर 2020-21 में 728 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

जल-विद्युत परियोजनाओं के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार एक सक्रिय जल-विद्युत नीति तैयार करने की योजना बना रही है, जिससे कि रुकी हुई जल-विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और पवन तथा सौर विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध 100 मेगावाट (मौजूदा 25 मेगावाट) तक की जल-विद्युत परियोजनाओं को भी लाभ प्रदान करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

मार्च, 2017 तक भारत की अंतरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता 75 गीगावाट है। बेहतर ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय ग्रिडों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार से तुलनात्मक रूप से कम दरों पर अधिशेष विद्युत उपलब्ध कराकर विद्युत की खरीद की लागत को कम करने की उम्मीद है और यह विद्युत उत्पादकों के लिए भी लाभप्रद सिद्ध होगा।

विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में वितरण एक जटिल परंतु महत्वपूर्ण कड़ी है। वितरण कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) शुरू की है, जिसका उद्देश्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की माली हालत में सुधार करना है। दिसंबर, 2016 तक ऋणों के अधिग्रहण और पुनर्गठन के फलस्वरूप ब्याज लाभ के रूप में वितरण कंपनियों की संचित बचत की गणना लगभग ₹12,000 करोड़ के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसी उम्मीद है कि यूडीएवाई योजना के कार्यान्वयन से वर्ष 2020-21 तक एसीएस-एआरआर का अंतर उल्लेखनीय रूप से घट जाएगा। समग्र रूप से, यह अंतर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 59 पैसा प्रति यूनिट से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसंबर, 2016) में लगभग 45 पैसा प्रति यूनिट हो गया है। इसके अतिरिक्त, ₹1.41 लाख करोड़ के कुल अनुमानित परिव्यय से आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई नामक दो वितरण योजनाएं भारत सरकार द्वारा क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस इरादे से शुरू की गई हैं कि देशभर में वितरण क्षेत्र की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। ये योजनाएं निश्चित ही वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगी।

अन्य व्यापारिक उपलब्धियां :

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) पीएफसी के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक सहायक कंपनी है और यह विद्युत क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है। पीएफसीसीएल ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 57 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं प्रदान की है। अब तक कंपनी द्वारा 104 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पीएफसीसीएल अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास से जुड़े कार्य भी करता है और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएफसीसीएल की कुल आय वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹73.55 करोड़ की तुलना में ₹120.67 करोड़ रही। पीएफसीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹37.06 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹57.85 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

2. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

पीएफसी जीईएल तथा पीएफसी के निदेशक मंडलों ने क्रमशः 18 जुलाई, 2016 और 9 अगस्त, 2016 को आयोजित उनकी संगत बैठकों में पीएफसी के साथ पीएफसी जीईएल के विलय के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। विलय की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। पीएफसी जीईएल की धारक कंपनी के साथ कंपनी के प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा पहले से संस्वीकृत की गई बहुत-सी चालू नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इसने ₹283.51 करोड़ की राशि संवितरित की है। 31 मार्च, 2017 तक कंपनी का ऋण पोर्टफोलियो ₹629.60 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रचालन से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में 67% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹38.71 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹64.79 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार, कंपनी के कर पश्चात लाभ (पीएटी) में भी 33% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹22.60 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹30.15 करोड़ हो गया है।

भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, पीएफसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा को वर्ष 2014-15 के लिए उत्कृष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतू 'स्कोप गोल्ड ट्रॉफी' प्रदान करते हुए। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनंत गीते, भारी उद्योग तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज तथा श्री बाबुल सुप्रियो, माननीय राज्य मंत्री भारी उद्योग तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज भी उपस्थित थे।

3. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड

पीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) का पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के साथ नियामक और अन्य अनुपालनों की शर्त के अध्यधीन विलय के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। विलय की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएफसीसीएएस की प्रचालन से प्राप्त होने वाली कुल आय ₹1.53 करोड़ थी, जबकि कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹1.06 करोड़ रहा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के लिए पीएफसी द्वारा सहायता

1. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

आपकी कंपनी को आईपीडीएस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹3,018 करोड़ राशि वाली परियोजनाएं संस्वीकृत की गई और समेकित रूप से ₹26,066 करोड़ राशि की परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। आपकी कंपनी ने आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,333 करोड़ की राशि संवितरित की है तथा समेकित रूप से ₹2,660 करोड़ की राशि संवितरित की।

आर–एपीडीआरपी (आईपीडीएस में विलय के बाद)

आपकी कंपनी ने भाग-क आईटी कार्यान्वयन के अंतर्गत 1,405 कस्बों, भाग-क (एससीएडीए) के अंतर्गत 72 कस्बों और आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत 1228 कस्बों के लिए समेकित रूप से ₹37,956 करोड़ की राशि वाली परियोजनाएं संस्वीकृत की। आपकी कंपनी ने आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संस्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1,581 करोड़ और समेकित रूप से ₹10,187 करोड़ की राशि संवितरित की।

प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ-साथ आईटी प्रणालियों की स्थापना और विभिन्न कस्बों में भाग-ख के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने से 1024 आर-एपीडीआरपी कस्बों (पोस्ट गो-लाइव रिपोर्टों के अनुसार) में एटी और सी हानियों में कमी पहले से ही दिखाई दे रही है। इस प्रकार, आपकी कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में अपना योगदान देती रहेगी।

2. **अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी)**

पीएफसी को लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली प्रत्येक अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों में ऐसी 15 यूएमपीपी की पहचान की गई है।

मार्च 2017 तक, यूएमपीपी के लिए आपकी कंपनी द्वारा 19 विशेष प्रयोजनीय कंपनियां (एसपीवी) स्थापित की गईं। उनमें से 14 एसपीवी (प्रचालनरत एसपीवी) की स्थापना इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यक आरंभिक स्थल जांच से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करने के लिए की गई। ये एसपीवी कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, पीएफसी द्वारा घरेलू कोयला आधारित यूएमपीपी (उड़ीसा, बिहार और देवघर यूएमपीपी) के मामले में पावर प्लांट और कोयला ब्लॉकों के लिए भूमि अधिग्रहण और आयातित कोयला आधारित यूएमपीपी (चेय्यूर यूएमपीपी) के मामले में पावर प्लांट/बंदरगाह के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कुछ एसपीवी (इंफ्रा एसपीवी) स्थापित किए गए। ये एसपीवी इन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करने वाले संबंधित खरीददार को हस्तांतरित किए जाएंगे।

3. **स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)**

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए भी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की है। मार्च 2017 तक, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के रूप में कुल 25 विशेष प्रयोजनीय कंपनियां (एसपीवी) स्थापित की गईं, जिनमें से दो की स्थापना पीएफसी द्वारा और अन्य 23 कंपनियों की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई। इन 25 एसपीवी में से बोकारो-कोडरमा मैथन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का परिसमापन दिसंबर, 2010 में किया गया और 31 मार्च, 2017 तक 17 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित की गईं। वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली चार नई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने इन परियोजनाओं के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के रूप में चार एसपीवी की स्थापना की और तदनुसार बोली प्रक्रिया प्रारंभ की।

निगमित सामाजिक दायित्व

पीएफसी की सीएसआर और सस्टेनेबल नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सस्टेनेबल विकास के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से जवाबदेह निगमित निकाय बन सके। वर्ष के दौरान, पीएफसी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का संचालन किया और विशेष रूप से सक्षम लोगों को सहायता प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टेंड अलोन कर पूर्व लाभ के 2% की दर से ₹166.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सीएसआर संबंधी कार्यकलापों के लिए ₹125.87 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

निगमित शासन व्यवस्था

आपकी कंपनी का निगमित शासन संबंधी सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सुशासन की अवधारण सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और सैद्धांतिक व्यापार प्रक्रियाओं, कानून के अक्षरशः अनुपालन, पर्याप्त प्रकटन, निगमित निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुपालन में निहित होता है, ताकि शेयरधारकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सूचीकरण करार और डीपीई के दिशा-निर्देशों में यथोल्लिखित निगमित शासन की आवश्यकताओं का अनुपालन करती आ रही है और इसने अपने निगमित शासन के सिद्धांतों को कंपनी के निगमित ढांचे, व्यापार संचालन और प्रकटन संबंधी प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाया है।

कार्यनीति

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए एक मिशन तैयार किया है और इसलिए सौर तथा गैर सौर ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को यह बहुत से प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। टैरिफ नीति में किए गए संशोधन में मार्च, 2022 तक सौर ऊर्जा से 8% नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधी बाध्यता और नई कोयला आधारित ताप-विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बाध्यता शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के बढ़े हुए फोकस की वजह से इस क्षेत्र में निवेश के लिए काफी आकर्षक अवसर पैदा हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग ₹6 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। आपकी कंपनी इस व्यापारिक अवसर की महत्वपूर्ण बाजार भागीदारी का लाभ उठाना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। रीइन्वेस्ट 2015 के दौरान, पीएफसी ने वर्ष 2015-19 के दौरान ₹15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें से कंपनी ने ₹9,954 करोड़ की राशि पहले ही संस्वीकृत कर दी है और 2,880 मेगावाट की कुल क्षमता वाली विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹6,260 करोड़ की राशि संवितरित की है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी व्यापार वृद्धि की गति तेज करने के लिए बाजार में उपलब्ध ऋणों के पुनर्वित्तीयन संबंधी अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। आपकी कंपनी निजी क्षेत्र की उन पारेषण परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है, जिनके लिए बोलियां लगाई जा रही हैं और साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा गठित संयुक्त उद्यमों (जेवी) की पारेषण परियोजनाओं को भी निधि उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक है।

सस्टेनेबल वृद्धि के लिए जिन क्षेत्रों में आपकी कंपनी संभावनाएं तलाश रही है, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा उपस्कर विनिर्माताओं, शेष उपस्कर, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, विद्युत क्षेत्र के लिए पश्चवर्ती संपर्क क्षेत्र, जैसे एलएनजी टर्मिनलों की संस्थापना, गैस पाइपिंग, कोयला खनन आदि के लिए निधियन शामिल हैं। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में विभिन्न इक्विटी निधियों की भी परिकल्पना कर रही है। आपकी कंपनी इन इक्विटी निधियों में भी निवेश के अवसर तलाश करेगी।

आपकी कंपनी भारत सरकार के ऐसे विभिन्न महत्वाकांक्षी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखेगी, जिनका उद्देश्य भारतीय विद्युत क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करना है। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार के इन विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप उभरकर सामने आने वाले निधि आधारित और शुल्क आधारित दोनों प्रकार के विभिन्न व्यावसायिक अवसरों का भी लाभ उठाएगी। अतः आपकी कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करती रहेगी।

स्वीकारोक्ति

मैं अपने शेयरधारकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखा है। मैं माननीय कोयला, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा लगातार दिए गए सहयोग और मार्ग-दर्शन के लिए अपनी ओर से और कंपनी की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं वस्तुतः कंपनी के निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनका आभारी हूँ।

मैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और केंद्र एवं राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों एवं एजेंसियों द्वारा हमें दिए गए निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हमारे भागीदारों द्वारा दिए गए निरंतर और अथक सहयोग की भी प्रशंसा करता हूँ।

अंत में, मैं कंपनी के सभी कार्मिकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनके निरंतर और अथक प्रयासों के बिना ये सब उपलब्धियां संभव नहीं थीं।

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं.: 00973413

निदेशकगण का प्रोफाइल

श्री राजीव शर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.: 00973413

57 वर्षीय राजीव शर्मा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। पीएफसी के सीएमडी के रूप में वे पीएफसी के प्रचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र में की जा रही प्रमुख पहलों अर्थात एकीकृत विद्युत विकास योजना, सभी के लिए 24X7 विद्युत, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना आदि के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्री शर्मा के पास जी. बी. पंत विश्वविद्यालय से बी.टेक (विद्युत) की डिग्री और आईआईटी रूड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा उनके पास एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यापार प्रशासन में भी मास्टर डिग्री है।

श्री शर्मा के पास विद्युत क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में 32 वर्ष से भी अधिक का कार्य अनुभव है। श्री शर्मा को विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्माण, सुधार कार्यक्रमों के शुभारंभ और क्रियान्वयन तथा परियोजना कार्यान्वयन आदि के क्षेत्र में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पावरग्रिड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने का 20 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्हें भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और पुनर्गठित - त्वरित विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के आर्किटेक्ट के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा, उन्हें विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन का भी 12 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें से विद्युत क्षेत्र की अग्रणी नवरत्न कंपनियों अर्थात पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) में बोर्ड स्तर पर कार्य करने का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव शामिल है।

श्री शर्मा ने पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार 01 अक्तूबर 2016 से ग्रहण किया है। श्री शर्मा पीएफसी ज्वाइन करने से पहले आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। उनके गतिशील नेतृत्व में श्री शर्मा ने आरईसी के वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन को बड़ी ऊंचाईयों तक पहुंचाया और पिछले पांच वर्ष में कंपनी के राजस्व और लाभ को दोगुना करने में अभूतपूर्व सहायता प्रदान की। वे बिजनेस टुडे द्वारा किसी पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के 'सर्वश्रेष्ठ सीईओ' के रूप में चुने गए।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में वे नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्श से जुड़े कार्यों में शामिल थे। विद्युत मंत्रालय में उप सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड की 2000 मेगावाट क्षमता वाली तालचर-कोलार एचवीडीसी बाइपोल और ताला ट्रांसमिशन सिस्टम (पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना) अनुमोदित की गईं। उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों अर्थात टीएचडीसी, नीपको, बीबीएमबी और एसजेवीएनएल के अलावा एपीडीआरपी, आरजीजीवीवाई का भी काम देखा है।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 32574 इक्विटी शेयर थे।

श्री डी. रवि

निदेशक (वाणिज्यिक)
डीआईएन सं. : 00038452

59 वर्षीय श्री डी. रवि व्यापार प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ बी.ई. (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) हैं। निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में वह पीएफसी के वाणिज्य विभाग के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

श्री डी. रवि ने पीएफसी में 1993 में अपनी सेवाएं प्रारंभ कीं। इससे पहले वे लगभग 13 वर्ष तक एनएचपीसी में कार्यरत थे। पीएफसी में इन्होंने सभी लोन प्रस्तावों तथा लोन दस्तावेजों के स्व मूल्यांकन का कार्य संभाला था। पीएफसी में उन्होंने उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के परियोजना मूल्यांकन संबंधी कार्य भी संभाला हुआ है। उन्होंने कॉर्पोरेशन के परियोजना प्रभाग के लिए आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। इसके अलावा, उन्होंने विद्युत मंत्रालय के साथ राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियों की एकीकृत रेटिंग के समन्वय संबंधी कार्य भी किए हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री डी. रवि के पास कंपनी के 2000 इक्विटी शेयर थे।

श्री चिन्मय गंगोपाध्याय

निदेशक (परियोजना)
डीआईएन सं. : 02271398

58 वर्षीय श्री चिन्मय गंगोपाध्याय को आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा एफएमएस, नई दिल्ली से एमबीए की डिग्री प्राप्त है। इनका विद्युत क्षेत्र में 36 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें एनटीपीएसी, पीएफसी (जिसमें पीएफसीसीएल) शामिल है जैसे सेवा संस्था सम्मिलित हैं। इनका पीएफसी के साथ 28 सालों से ज्यादा का अनुभव है तथा इन्होंने यूएमपीपी यूएमपीपी, आईटीपी तथा इक्विटी और वित्तीय उत्पादों तथा विद्युत क्षेत्र परामर्शक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड में बतौर सीईओ भी अपनी सेवा दी है।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, श्री चिन्मय गंगोपाध्याय के पास कंपनी के 21488 इक्विटी शेयर थे।

श्री नवीन भूषण गुप्ता

निदेशक (वित्त)

डीआईएन सं. : 00530741

57 वर्षीय श्री नवीन भूषण गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य हैं। इनका विद्युत क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है तथा इन्होंने एनटीपीएसी, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्हें फंड मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा, अकाउंट फाइनलाइजेशन, उधार नीतियों, संसाधन जुटाव आदि के क्षेत्रों का बहुत ही गहरा अनुभव रहा है। इन्होंने सितंबर, 2005 में पीएफसी में योगदान दिया है तथा पीएफसी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के पूर्व पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

श्री नवीन भूषण गुप्ता के पास कंपनी में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के समय आज की तारीख में 24584 इक्विटी शेयर थे।

डॉ. अरुण कुमार वर्मा

सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन सं. 02190047

58 वर्षीय डॉ. अरुण कुमार वर्मा 13 अक्तूबर, 2015 से पीएफसी में सरकारी नामिति निदेशक के पद पर हैं। वे गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह भौतिकी में मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं तथा एफआरआई एंड सी, देहरादून से इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडेमी (एआईजीएनएफए) के सहायक सदस्य हैं। उनके पास आदिवासी विकास नीति में डॉक्टरेट की डिग्री, भौतिकी और वानिकी में विज्ञान की परास्नातक डिग्री और आईआईएम बैंगलोर से लोक नीति एवं प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा तथा सिरेसस विश्वविद्यालय, यूएसए से मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर की डिग्री है।

इनके पास प्रशासनिक और प्रबंधन का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने विद्युत क्षेत्र में उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, के तौर पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में योगदान करने के पहले ये 29 जुलाई 2011 से 14 नवंबर 2014 तक गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के मेंबर सेक्रेटरी तथा विश्व बैंक निधियन इंटीग्रेटिड कोस्ट जोन मैनेजमेंट में बतौर परियोजना निदेशक रहे। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी रह चुके हैं।

2017 की स्थिति के अनुसार, डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री सीताराम पारीक

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन सं. : 00165036

65 वर्षीय श्री सीताराम पारीक के पास बी. कॉम, एफसीए, तथा डीआईएसए की डिग्री है। सन् 1975 से ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। ये मैसर्स शारदा एंड प्रतीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई के फाउंडर पार्टनर हैं तथा इनका कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षा, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं, सरकारी कंपनियां, बीमा और एनबीएफसी, गैर-लाभ वाले संस्थान इत्यादि में करीब 40 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है। इन्होंने कंपलाएंस ऑफ टैक्सेशन, अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, आयकर प्राधिकरण के समक्ष रिप्रेजेंटेशन, अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) तथा सेटलमेंट कमीशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संभाला।

ये मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं जो एमएआरडीए तथा रिलायंस एडीए ग्रुप, जो कि मुंबई का पहला मेट्रो रेल परियोजना का संयुक्त उद्यम है। फरवरी, 2017 में पीएफसी में इनकी बोर्ड में नियुक्ति हुई थी।

31 मार्च 2017 के अनुसार श्री सीताराम पारीक के पास कंपनी का शून्य शेयर था।

भाग 02

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

- निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2016-17
- फॉर्म सं. एमजीटी-9 वार्षिक विवरणी का सारांश
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट
- फॉर्म सं. एओसी-2
- प्रबंधकीय विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट
- निगमित शासन पर रिपोर्ट
- निगमित शासन का प्रमाण-पत्र
- व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- सचिवालयी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2016 –17

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर 31वीं रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, सचिवालय लेखापरीखक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

(क) लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
अधिशेष निधियों का अथशेष	8898.37	8871.98
वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ	2126.39	6113.48
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii क) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु आरक्षित निधि	(467.55)	(429.21)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित और अनुरक्षित निधि	(1803.78)	(2004.16)
डिबेंचर मोचन रिजर्व में हस्तांतरण	(298.02)	(316.27)
सामान्य संचित निधि में हस्तांतरण	0.00	(1101.00)
अंतरिम लाभांश	(1320.04)	(1755.66)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	0.00	(79.20)
अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	(268.73)	(356.74)
प्रस्तावित निगमित लाभांश कर	0.00	(16.12)
उपयोगिता के आधार पर डिबेंचर मोचन निधि से हस्तांतरण	36.40	0.00
वर्ष के दौरान किया गया समायोजन	0.03	0.03
आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्पेशल रिजर्व में अंतरण	0.00	(28.76)
अधिशेष राशि का इतिशेष	6903.07	8898.37

(ख) लैडिंग ऑपरेशन (आर–एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
संस्वीकृति	100603	65042
संवितरण	62798	46588

(ग) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) प्रचालन (आर–एपीडीआरपी योजना सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	संचयी (मार्च 17 तक)
स्वीकृत परियोजना राशि		
क. आर-एपीडीआरपी	(922)*	37956
ख. आईपीडीएस	3018	26066
संवितरण		
क. आर-एपीडीआरपी	1581	10187
ख. आईपीडीएस	2333	2660

*नकारात्मक स्वीकृतियां ऋणों के रद्द होने को इंगित करती हैं।

2.0 वित्तीय निष्पादन

2.1 राजस्व

गत वित्त वर्ष 2015-16 में कमाए गए ₹27,564.31 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा हासिल की गई कुल आय ₹27,018.57 करोड़ है। गत वर्ष के ₹27,473.65 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष प्रचालन आय ₹26,716.23 करोड़ है।

2.2 व्यय

पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹18,503.65 करोड़ के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल व्यय ₹21,908.78 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बॉण्ड जारी करने में किए गए व्यय सहित वित्तीय प्रभार पिछले वर्ष 2015-16 में ₹16,507.25 करोड़ की तुलना में ₹16,459.27 करोड़ रहा। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में 89.21% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75.13% हो गया है। कार्मिक लाभ और अन्य प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का क्रमशः 0.52% तथा 0.31% रहा जो पिछले वर्ष 0.49% तथा 0.27% थे।

5X800 मेगावाट का कोयला आधरित यादादरी टीपीपी की स्थापना हेतु 'टीएसजीईएनसीओ' को ₹4009 करोड़ का सावधि ऋण जारी करने के लिए ऋण करार हस्ताक्षारित करते हुए। इस समारोह में श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी, श्री डी प्रभाकर राव, सीएमडी, 'टीएसजीईएनसीओ' तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

2.3 लाभ

आपकी कंपनी ने वित्तीय 2015-16 में ₹6113.48 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹2126.39 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

आपकी कंपनी आरबीआई पुनर्गठन संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के संदर्भ में आरबीआई के साथ पत्राचार कर रही थी। किए गए विभिन्न पत्राचार के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को आपकी कंपनी को आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने का निर्देश दिया है और राज्य क्षेत्र की कंपनियों को ऋणों के ऋणकर्तावार वर्गीकरण, जिन्हें आरबीआई की विहित सीमाओं के भीतर डी सी सी ओ (वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तारीख) का लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण एन पी ए के रूप में डाउनब्रेक किया जाता है, के लिए 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है।

आपकी कंपनी 1 अप्रैल, 2015 से स्वीकृत किए गए उत्पादन परियोजनाओं के नए ऋणों के संदर्भ में आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करती आ रही थी (1 अप्रैल, 2015 से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथानुमोदित पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू किया)। आरबीआई का दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के पत्र की प्राप्त होने के बाद आपकी कंपनी ने बकाया ऋणों (पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थित जल-विद्युत परियोजनाओं

को दिए गए ऋणों से इतर) के संबंध में आरबीआई पुनर्गठन संबंधी शर्तों का अनुपालन शुरू किया है। उत्पादन परियोजनाओं के ऐसे ऋणों, जो 31 मार्च, 2015 से पहले स्वीकृत किए गए थे और जिनका पुनर्गठन 1 अप्रैल, 2015 से किया गया है, के संदर्भ में परिणामी प्रावधान के साथ आरबीआई की शर्तों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण 31 मार्च, 2017 से किया गया है। आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने (विद्युत मंत्रालय द्वारा यथानुमोदित शर्तों को छोड़कर) के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव (पी बी टी में कमी) ₹3954.55 करोड़ के रूप में है।

आरबीआई की शर्तों के अनुरूप संरेखण के कारण ₹59,304.01 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को डाउनग्रेड कर दिया गया, जिसमें से ₹35994.70 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को पुनर्गठित के रूप में और ₹23309.30 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को एन पी ए के रूप में डाउनग्रेड किया गया। इसके फलस्वरूप, कंपनी का लाभ ₹3954.55 करोड़ के रूप में बुरी तरह प्रभावित हुआ।

₹59304.01 करोड़ की प्रभावित सभी ऋण परिसंपत्तियां राज्य सरकार अथवा केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू से संबंधित हैं और सभी उत्पादन परियोजनाओं के लिए दी गई। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के सभी ऋणकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100 प्रतिशत की वसूली दर से नियमित रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं अर्थात 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उनकी कोई देयताएं (₹4 करोड़ की राशि, जिसे 31 मार्च, 2017 के बाद समाशोधित किया गया, को छोड़कर) नहीं थी।

आरबीआई शर्तों के कारण प्रभावित हुए खातों के विवरण

(क) 4.25% के प्रावधान के साथ पुनर्गठित के रूप में डाउनग्रेड की गई ऋण परिसंपत्तियां

- प्रभावित सभी ऋण परिसंपत्तियां राज्य सरकार अथवा केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू से संबंधित हैं और सरकारी क्षेत्र के सभी ऋणकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100% की वसूली दर से नियमित रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं ।
- ₹35994.70 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को मानक से पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में डाउनग्रेड किया गया, जिसका लाभ पर ₹1403.79 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पुनर्गठित की गई परिसंपत्तियां नीचे दिए अनुसार हैं :
  - 58% अथवा ₹ 20,890 करोड़ : पहले से ही स्थापित हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी
  - 31% अथवा ₹ 11,165 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना के लिए अनुसूचित
  - 10% अथवा ₹ 3,670 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना के लिए अनुसूचित
  - 1% अथवा ₹ 270 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना के लिए अनुसूचित

(ख) 10% के प्रावधान के साथ एनपीए के रूप में डाउनग्रेड की गई ऋण परिसंपत्तियां

₹ 23,309.31 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किया गया, जिसका लाभ पर ₹ 2,550.76 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, एनपीए के रूप में घोषित की गई परिसंपत्तियां नीचे दिए अनुसार हैं :

- 79% अथवा ₹ 18504 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें से :
  - 68% अथवा ₹ 15,883 करोड़ : सी ओ डी पहले ही प्राप्त कर ली गई है
  - 2% अथवा ₹ 525 करोड़ : सी ओ डी प्राप्त की जानी है
  - 9% अथवा ₹ 2,096 करोड़ : सी ओ डी प्राप्त की जानी है
- 19% अथवा ₹ 4,494 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपग्रेड किया जाएगा,
- 1% अथवा ₹ 312 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपग्रेड किया जाएगा,

उपर्युक्त सभी परियोजनाओं राज्य सरकार की स्वामित्व वाली उत्पादन परियोजनाएं हैं और उनके पास एफ एस ए तथा पी पी ए उपलब्ध हैं और 100% वसूली के साथ नियमित रूप से ऋण का भुगतान भी कर रही हैं।

प्रबंधन को आरबीआई की शर्तों के कारण प्रभावित हुई ₹ 59,304.01 करोड़ की इन ऋण परिसंपत्तियों को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती है और उनके अगले कुछ वर्षों में भी मानक परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके अलावा, 79% एन पी ए के वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वत: ही अपग्रेड होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, पिछले रिकार्ड के अनुसार सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को कभी भी एन पी ए के रूप में घोषित नहीं किया गया है (सिक्किम पावर, जो कि अब मानक परिसंपत्ति है तथा रत्नागिरी, जो एनटीपीसी तथा गेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, को छोड़कर)।

यद्यपि आपकी कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 से निजी क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों के लिए भी आरबीआई की शर्तों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है, फिर भी निजी क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाओं के लिए कंसोर्टियम आधार पर निधियन के कारण बड़े पैमाने पर आरबीआई की शर्तों को लागू करने के बाद से अभी तक निजी क्षेत्र के किसी भी ऋण खाते को डाउनग्रेड नहीं किया है।

₹413.03 करोड़ की एक मानक परिसंपत्ति (आर के एम) से होने वाली आय के प्रत्यावर्तन और यू डी ए वाई से संबंधित भुगतान के कारण ₹ 225 करोड़ के अतिरिक्त कर बोझ के कारण वर्ष के दौरान लाभ भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए कि आय के इस प्रत्यावर्तन और आरबीआई की प्रावधानीकरण की नीति के अनुरूप अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किए बिना आपकी कंपनी का लाभ ₹6400 करोड़ रहा होता।

आरबीआई के प्रभाव के बिना परिसंपत्ति की गुणवत्ता

(i) वस्तुतः आरबीआई के प्रभाव के बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने वास्तविक रूप से अपनी एन पी ए को निम्नानुसार घटाया है :

- ₹ 920 करोड़ के 4 ऋण खातों को मानक के रूप में अपग्रेड किया गया
- ₹442 करोड़ की एक उत्पादन क्षेत्र की ऋण परिसंपत्ति को एन पी ए के रूप में डाउनग्रेड किया गया

(ii) इसके साथ ही वर्ष के लिए एन पी ए का अनुपात निम्नानुसार रहा :

	आरबीआई के प्रभाव के साथ	आरबीआई के प्रभाव के बिना
सकल एन पी ए	12.50%	3.01% (पिछले वर्ष में 3.15% की तुलना में सुधार)
निवल एन पी ए	10.55%	1.68% (पिछले वर्ष में 2.55 % की तुलना में सुधार)

(iii) जहां तक बकाया पुनर्गठित बही का संबंध है, तो आरबीआई की शर्तों के कारण प्रभावित एक परिसंपत्ति से इतर ₹19,445.92 करोड़ है।

- 26% अथवा ₹ 5,000 करोड़ की परिसंपत्तियों की स्थापना पहले ही कर ली गई है, ₹4,500 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्यावर्तित किया जाएगा और ₹ 500 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- इस पुनर्गठित बही की 70% या ₹ 13,500 करोड़ की परिसंपत्तियों की सी ओ डी वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित है।
- ₹ 19,445.92 करोड़ की ये पूरी पुनर्गठित बही निजी क्षेत्र से संबंधित है।

अन्य वित्तीय विशेषताएं

(i) क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद भी आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मजबूत व्यापारिक वृद्धि दर्ज की है, जो निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित की गई है :

- ऋण स्वीकृतियों में 55% की वृद्धि अर्थात यह ₹ 65,042 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,00,603 करोड़ हो गया है।
- संवितरण में 35% की वृद्धि अर्थात यह ₹ 46,588 करोड़ से बढ़कर ₹ 62,798 करोड़ हो गया है।
- वर्ष के दौरान ₹ 28,400 करोड़ के यू डी ए वाई से संबंधित भुगतानों के बावजूद भी संवितरण में वृद्धि के कारण एक सकारात्मक ऋण परिसंपत्ति वृद्धि देखी गई और ऋण परिसंपत्तियां 3% की वृद्धि के साथ ₹ 2,38,920 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,45,525 करोड़ हो गई हैं।

(ii) आरबीआई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना पीएफसी ने ब्याज विस्तार के स्तर को भी 3.00% के स्वास्थ्यकर स्तर पर बनाए रखा था और वर्ष के लिए एन आई एम का प्रतिशत 4.50% बना रहा।

संसाधनों का दोहन

(i) आपकी कंपनी ने 7.47% की आंशिक लागत पर वर्ष के दौरान ₹ 66,800 करोड़ की राशि जुटाई है।

(ii) आपकी कंपनी ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रमशः टियर-1 पूंजी के लिए 16.20% की तुलना में 19.28% तथा टियर-2 पूंजी के लिए 10% की तुलना में 15% के सहज स्तर पर बनाए रखा है।

(iii) आपकी कंपनी को 54 ईसी बॉण्ड जारी कर निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप निधियां जुटाने के लिए पीएफसी की लगात को घटानें में सहायता मिलगी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुरूप संरेखण के प्रभाव पर विचार किए बिना वित्तीय 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित कंपनी का वित्तीय निष्पादन उपर्युक्त के बारे में बेहतर समझ के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

2.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 2,640.08 करोड़ थी। इसमें ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसमें से भारत सरकार के पास 66.35% प्रदत्त शेयर पूंजी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में 1,32,00,40,704 बोनस इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

2.5 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹1,320.04 करोड़ के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹13.90 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,640.08 करोड़ के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹5 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि ₹1,320.04 करोड़ है जो कर पश्चात लाभ का 62.08% है तथा पिछले वर्ष लाभांश की राशि ₹1834.86 करोड़ थी जो कर पश्चात लाभ का 30.01% था।

आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुरूप संरेखण को ध्यान में रखते हुए कंपनी का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,126.39 करोड़ तक घट गया है। घटी हुई लाभप्रदता और ₹1588.77 करोड़ की राशि के रूप में पहले ही भुगतान कर दिए गए अंतरिम लाभांश (निगमित लाभांश कर सहित) को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आगामी लाभांश की घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं कर सका। तदनुसार इक्विटी शेयर पूंजी के 50% की दर से अंतरिम लाभांश को वर्ष के लिए कुल लाभांश के रूप में माना गया है।

3.0 प्रचालनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने राज्य, केंद्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों (निकायों) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1,00,603 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है। जिसमें ₹62,798 करोड़ की राशि उसी अवधि में संवितरित कर दी गई। इसके साथ 31 मार्च, 2017 को संचित रूप से मंजूर की गई कुल राशि ₹6,05,864 करोड़ हैं, तथा ₹4,55,355 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आईपीडीएस योजना के तहत ₹3,018 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी योजना के तहत ₹28 करोड़ संवितरित किए गए। इसमें आईपीडीएस योजना के तहत ₹2,333 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी योजना के तहत ₹1,581 करोड़ उसी अवधि में संवितरित कर दिए गए। इस तरह आईपीडीएस के अंतर्गत ₹26,066 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी के तहत ₹37,956 करोड़ का परियोजना लागत तथा आईपीडीएस के तहत ₹2,660 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी के तहत ₹10,187 करोड़ का संवितरण किया गया।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी, श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्यिक) एवं श्री सी. गंगोपाध्याय, निदेशक, (परियोजना), पीएफसी की उपस्थिति में श्री एस.पी. पिंमपलखुटे, निदेशक (वित्त), एमएस डीसी एल के साथ 3,000 करोड़ के लिए ऋण समझौता करते हुए।

3.1 वित्तीय सहायता (आर–एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

3.1.1 क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2016-17		मार्च, 2017 तक जुड़ने वाला	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	82263	45757	441113	327802
केंद्रीय क्षेत्र	4118	4659	44865	42068
निजी क्षेत्र	11462	7652	92266	61137
संयुक्त क्षेत्र	2760	4730	27620	24348
जोड़	**100603**	**62798**	**605864**	**455355**

3.1.2 विषय–वार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2016–17		मार्च 2017 तक संचयी	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
ताप-विद्युत उत्पादन	25884	21451	288662	223530
जल-विद्युत उत्पादन	8156	1327	53271	34058
पवन एवं सौर, बायोगैस और बायोमास	7021	2471	12298	6302
ताप-विद्युत केंद्रों और जल विद्युत - परियोजनाओं का नवीनीकरण एव आधुनिकीकरण	733	518	13656	10247
पारेषण	16666	3605	63542	32013
संवितरण	5697	1580	32399	18069
अल्पावधि ऋण	10638	8754	59381	56916
मध्यावधि ऋण	15749	14149	15962	14362
परिवर्ती वित्त	-	325	45532	42357
बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट	800	736	3704	2645
अन्य*	9259	7882	17457	14856
जोड़	**100603**	**62798**	**605864**	**455355**

*अन्य में, नियामक परिसंपत्तियों का निधियन, क्रेताओं की ऋण सीमा, उपस्कर विनिर्माण ऋण, ईंधन संसाधन विकास, बॉण्डों के मोचन (रिडेम्पशन) के लिए ऋण, कंप्यूटराईजेशन, परियोजना समाधान, पीएक्सआई के जरिए विद्युत क्रय, प्राप्त होने वाली धनराशियों के सापेक्ष ऋण, अध्ययन, बिल में छूट, अध्ययन, पूर्व -निवेश निधि, विकेंद्रीकृत प्रबंध, तकनीकी सहायता परियोजना आदि शामिल हैं।

3.2 आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

योजना	2016–17		मार्च 2017 तक संचयी	
	स्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण*	स्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण*
आर–एपीडीआरपी				
भाग क (आईटी)	(28)#	604	5382	3397
भाग क (स्काडा)	0	51	1556	512
भाग ख	(894)	926	31018	6278
जोड़	**(922)**	**1581**	**37956**	**10187**
आईपीडीएस				
आईपीडीएस	**3018**	**2333**	**26066**	**2660**

*उपर्युकत के अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी की फीस के रूप में/विभिन्न समर्थकारी कार्यकलापों के लिए ₹47 करोड़ की राशि जारी की गई, इसके अलावा आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत पीएफसी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति सहित भाग-ग के अंतर्गत ₹101 करोड़ की राशि जारी की गई और पीएफआरपी - 2015 के अंतर्गत जम्मू और कष्मीर राज्य की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा ₹304.70 करोड़ की राशि का सीधे संवितरण किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी के शुल्क के रूप में/समर्थकारी कार्यकलापों के लिए समेकित रूप से ₹77 करोड़ की राशि और आर - एपीडीआरपी के भाग-ग के अंतर्गत ₹364 करोड़ की राशि जारी की गई है।
#आर-एपीडीआरपी (भाग क - आईटी) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना लागत ही निवल लागत है (वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत राशि ₹28 करोड़ और रद्द की गई राशि ₹55.35 करोड़ है)।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत एमओपी के साथ स्वीकृत एमओयू लक्ष्य और वर्ष के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	एमओयू के मानदंड	वित्त वर्ष		समेकित	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	भाग-क पूर्ण-कार्यान्वयन शुरू (कस्बे)	171	134	1393	1356
2	आईपीडीएस के अंतर्गत कस्बों में कार्य सौंपा गया (कस्बे)	361	1203	361	1203
3	नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) (फीडर) के जरिए ऊर्जा की निगरानी	17374	17521	24248	24395
4	भाग - ख कार्यों का पूर्ण होना (कस्बे)	358	358	783	783
5	स्काडा नियंत्रण केंद्रों की स्थापना (कस्बे)	6	7	51	52
6	स्काडा प्रणाली का पूर्ण होना (कस्बे)	18	18	18	18

4.0 वसूली

आपकी कंपनी अपने मूलधन, ब्याज आदि की बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रुपए सावधि ऋणों के अंतर्गत मूलधन, ब्याज आदि, बिल डिस्काउंटिंग, कार्यशील पूंजी, लीज फाइनेंस, विदेशी मुद्रा ऋणों, उपस्कर वित्त घोषणा एवं गारंटी फीस की फ्रइस वर्ष वसूल की जाने वाली ₹47,657.03 करोड़ की राशि में से वास्तविक रूप से ₹46,076.16 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो 96.68% (पिछले वर्ष 94.50%) की समग्र वसूली दर है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के गैर-निष्पादन ऋण परिसंपत्तियों में ₹3,898.23 करोड़ की वृद्धि हुई है। कंपनी ने वर्ष 2016-17 तक अपने वार्षिक लेखाओं में ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए ₹5356.25 करोड़ की कुल राशि का प्रावधान किया है। एनपीए के लिए प्रावधान करने के पश्चात निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर ₹25,345.96 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है जो 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों का 10.55% है।

उपर्युक्त के अलावा कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को मानक परिसंपत्तियों तथा बकाया मानक परिसंपत्तियों के लिए क्रमशः ₹557.84 करोड़ तथा ₹2,356.23 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे बफर प्रावधान उपलब्ध कराकर पीएफसी का तुलन-पत्र सुदृढ़ होगा और आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य शेयरधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

शोलायर पावर हाऊस–I के नवीनीकरण आधुनिकीकरण और ऑपरेटिंग तथा 2X800 मेगावाट कोयला आधारित 'यूवीपीयूआर टीपीएस' की स्थापना के लिए टेनजेडको को ₹ 5474 करोड़ तथा विद्युत पारेषण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए टेनट्रांसको को ₹ 3654 करोड़ के लिए ऋण करार करते हुए।

5.0 पुनर्गठित ऋण

वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2015–16
पुनर्गठित मानक ऋण	कर्जदारों की संख्या	11	5
	बकाया राशि	36,445.60	14192.68
पुनर्गठित उप मानक ऋण	कर्जदारों की संख्या	-	-
	बकाया राशि	-	-
पुनर्गठित संदेहास्पद ऋण	कर्जदारों की संख्या	-	-
	बकाया राशि	-	-
जोड़	**कर्जदारों की संख्या**	11	5
	बकाया राशि	**36445.60**	**14192.68**

2 ऋणकर्ताओं के बीच में ₹735.67 करोड़ का पुनर्गठन किया गया है।

6.0 ऋण

6.1 जमा

आपकी कंपनी एक गैर जमाकर्ता एनबीएफसी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इसने कोई भी सार्वजनिक राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6.2 घरेलू बाजार से ऋण

घरेलू बाजार से मुख्य ऋण निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1.	वाणिज्यिक कागजात	28,673.91
2.	बॉण्ड्स- निजी स्थान (टैक्स योग्य)	36,115.00
3.	आवधिक ऋण	2,000.00
	जोड़	**66788.91**

इसके अलावा, निजी प्लेसमेंट के द्वारा भारत सरकार का पूर्णत: सेवा बॉण्ड जारी करके ₹5000 करोड़ अर्जित किए गए।

6.3 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने बाह्य वाणिज्यिक ऋण के जरिए कोई निधि नहीं जुटाई है ।

6.4 नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं

अपने दिन प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए आपकी कंपनी ने निधि आधारित संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए आपकी कंपनी ने विवेकपूर्ण रणनीतियों का अनुपालन जारी रखा। किसी भी वित्तीय तरलता को हैज करने के लिए या उस कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालिक निधियन हेतु विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ 31 मार्च, 2017 को ₹12,960 करोड़ तक की बड़ी क्रेडिट लाइनें बनाए रखी गई, जिसके लिए सदुपयोग की सीमाओं के मद में कोई प्रतिबद्धता प्रभार लागू नहीं होता है।

7.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय का विवरण

7.1 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी आमेलन

चूंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई विनिर्माणकारी सुविधा नहीं हैं इसलिए ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी तथा श्री संतानु बासु, सीएमडी, डब्लूबीपीडीसीएल, पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में सागार्दिघी टीपीएस के चरण-प्प के अंतर्गत (1x660 मेगावाट) यूनिट-5 के निर्माण के लिए डब्लूबीपीडीसीएल के लिए ₹2,703.88 करोड़ के सावाधि ऋण हेतु 'ऋण करार' आदान-प्रदान करते हुए।

7.2 विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय

₹254.01 करोड़ की विदेशी विनिमय व्यय ऋण सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य प्रभारों तथा प्रशिक्षण खर्चों हेतु किया गया।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी विनिमय उपार्जन शून्य था।

8.0 क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के घरेलू कार्यक्रम के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया गया, जो निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	सीआरआईएसआईएल	स्थायी आउटलुक के साथ सीआरआईएसआईएल एएए	सीआरआईएसआईएल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	सीएआरई	सीएआरई एएए	सीएआरई ए1+

अंतरराष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–/ स्थायी
2.	स्टैडर्ड एंड पुअर (एस एंड पी)	बीबीबी–/ स्थायी
3.	मूडीज़	बीएए3/ सकारात्मक

9.0 जोखिम प्रबंधन

9.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और निदेशक वित्त की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की गई है। एएलसीओ तरलता और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है और एएलसीओ की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा (वित्त) में परिसंपत्ति प्राप्ति और कर्ज संबंधी सेवा बाध्यताओं के दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। ऐसा विश्लेषण आगामी 10 वर्षों के लिए वार्षिक बकेट में हर माह किया जाता है और इसका प्रयोग समय, मात्रा और ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता, नई परिसंपत्तियों का सृजन और समयावधि अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक) के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं के मिश्रण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है जहां एक ओर तरलता जोखिम की निगरानी तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी अंतराल विवरण के विश्लेषण, ब्याज दर के परिवर्तन पर जोखिम से अर्जन (ईएआर) के मूल्यांकन और निर्धारित तथा फ्लोटिंग ब्याज दरों के मिश्रण से परिसंपत्तियों और देयताओं का सृजन कर किया जा रहा है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता प्रोफाईल नीचे दिया गया

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षित तुलन–पत्र पर आधारित परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न							
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद	जोड़
अग्रिम (रुपए ऋण परिसंपत्तियां)	32652	18241	20830	19371	18911	135260	**245265**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	5	0	0	0	0	255	**260**
निवेश (निवल प्रावधान)	1326	0	0	0	0	2265	**3591**
विदेशी मुद्रा देयताएं	1187	19	1641	2810	1836	951	**8444**
ऋण (रुपए देयताएं)	26980	31907	26444	25562	22591	60931	**194415**

9.2 विदेश मुद्रा जोखिम प्रबंध

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति बनाई है। कंपनी ने मुद्रा वायदा, विकल्प, मुख्य विनिमय (स्वाप), ब्याज दर स्वाप और वायदा दर करारों जैसे विभिन्न लिखितों के माध्यम से मुद्रा विनिमय के लिए विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए कई संव्यवहार किए हैं।

31 मार्च, 2017 को कुल विदेशी मुद्रा देयताएं 895 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 43,668 मिलियन जापानी येन और 17 मिलियन यूरो की हैं। समग्र आधार पर मुद्रा विनिमय दर जोखिम को संव्यवहार लिखतों के माध्यम से और विदेशी मुद्रा में ऋण देकर क्रमशः 24% की सीमा तक सुरक्षित किया गया है।

9.3 उद्यमव्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन प्रभावशाली ढंग से की जाती है इसके लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने विभिन्न जोखिमों की निगरानी करने, विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और पद्धतियों की जांच करने और प्रचालनों के दौरान होने वाले जोखिमों के नियंत्रण के उपाय करने के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। इसकी सुविधा के लिए कंपनी ने एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) बनाई है।

कंपनी ने ऐसे 21 जोखिमों (8 मात्रा निर्धारणीय जोखिम और 13 मात्रा अनिर्धारणीय जोखिम) का अभिनिर्धारण किया है जिससे कंपनी की लाभप्रदता/कारोबार प्रभावित हो सकता है। आईआरएम नीति को कार्यान्वित करने के लिए तथा पहचान किए गए जोखिमों की मॉनीटरिंग/रिपोर्टिंग के लिए जोखिम प्रबंध अनुपालन समिति का गठन किया गया।

10.0 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

10.1 यूएमपीपी

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। ऐसी सोलह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन्हें मध्य प्रदेश (सासन), गुजरात (मुंद्रा), आंध्र प्रदेश (कृष्णापट्टनम), झारखंड (तिलैया), छत्तीसगढ़ (सर्गुजा), कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंगे), तमिलनाडु (चेय्यूर), उड़ीसा (सुंदरगढ़), बिहार (बांका), उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी और दो यूएमपीपी तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड (देवघर) में यूएमपीपी के रूप में स्थापित किया जाना है।

यूएमपीपी एक सुविधा प्रदाता के रूप में विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर इन यूएमपीपी के विकास हेतु भारत सरकार की एक पहल है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) इस पहल का एक तकनीकी भागीदार है। 31 मार्च, 2017 तक आपकी कंपनी द्वारा 19 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है, जिसमें से 14 एसपीवी का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आरंभिक स्थल निरीक्षण संबंधी आवश्यक कार्य के लिए किया गया। इन एसपीवी को कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित किया जाएगा। पीएफसी के द्वारा दो पांच अतिरिक्त एसपीवी (इंफ्रा एसपीवी) घरेलू कोयला आधारित यूएमपीपी (उड़ीसा, बिहार, देवघर तथा तिलैया यूएमपीपी) के मामले में पावर प्लांट तथा जमीन के होल्ड करने के लिए तथा चेय्यूर यूएमपीपी के लिए जमीन के लिए तथा उड़ीसा यूएमपीपी के कोल ब्लॉक के लिए स्थापित किया गया है। इन परियोजनाओं से विद्युत के खरीददारों को इन एसपीवी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा

नीचे दर्शाए अनुसार इन 19 (उन्नीस) एसपीवी में से 4 (चार) सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	दि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	22 अप्रैल 2007
2	सासन पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2007
3	कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	29 जनवरी 2008
4	झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड*	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2009

*रिलायंस पावर लिमिटेड/झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) ने 28 अप्रैल, 2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) का बर्खास्तगी नोटिस जारी किया है। खरीददारों ने बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया है जिसके बाद जेआईपीएल को पीएफसी के द्वारा पुनर्बोली के लिए स्वीकार किया जाएगा।

10.2 आईटीपी

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु भी टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता का विकास और आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब-स्टेशनों, यदि कोई हैं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने और बोली प्रक्रिया संचालित आदि करने के लिए आरंभिक कार्य पूर्ण होने पर ऐसी परियोजनाओं के विकास के पश्चात संभावित निवेशकों की तलाश करना है।

मार्च, 2017 तक स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए अब तक 25 (पच्चीस) विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है। इसमें से 2 पीएफसी द्वारा और अन्य 23 (तेईस) पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन 25 एसपीवी में से बोकारो-कोडर्मा मैथोन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का दिसंबर, 2010 में परिसमापन कर दिया गया तथा 17 (सत्रह) एसपीवी 31 मार्च 2017 तक सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा शामिल की जाने वाली चार नई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने इन परियोजनाओं तथा शुरूआती बोली प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार एसपीवी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसपीवी	स्थापना की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	जैसलमेर, राजस्थान के फतेहगढ़ में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	फतेहगढ़- भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.12.2016	बोली प्रक्रिया होने वाली है।
2.	i) गोवा को अतिरिक्त 400 केवी फीड ii) राजगढ़ (तमनार) पूल में उत्पादन परियोजना पूल से पावर इवैक्युएशन के लिए अतिरिक्त प्रणाली	गोवा-तमनार ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.01.2017	बोली प्रक्रिया होने वाली है।
3.	शांगटांग करचम एचईपी से 450 मेगावाट एचपीपीसीएल तक दीर्घावधि पहुंच एलटीए) तथा कनेक्टिविटी	शांगटांग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.01.2017	बोली प्रक्रिया होने वाली है।
4.	i) लैंको विदर्भ थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड (एलवीटीपीपीएल) के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली ii) मध्य प्रदेश के छत्तरपुर क्षेत्र में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.01.2017	आरएफक्यू इनपुट सीईए से प्रतीक्षित है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पांच एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए गए :

क्र. सं.	एसपीवी	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1.	उड़ीसा जेनरेशन फेज -II ट्रांसमिशन लिमिटेड	स्टरलाईट ग्रिड 3 लिमिटेड	08.04.2016
2.	वरोरा-कुर्नुल ट्रांसमिशन लिमिटेड	एसेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	06.07.2016
3.	गुड़गांव-पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड	स्टरलाईट ग्रिड 4 लिमिटेड	14.07.2016
4.	मेदनीपुर-जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28.03.2017
5.	कोहिमा-मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2017

उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना- XXXIII'' (बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तथा ''उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XXXV'' (एसपीवी-मोहिंदरगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड) नामक योजनाओं को टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के जरिए डी नोटिफाई कर दिया गया है। इन दो एसपीवी के परिसमापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

11.0 एकीकृत विद्युत विकास योजना (पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर– एपीडीआरपी) को आईटी में आमेलित करने के बाद)

शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 में ''एकीकृत विद्युत विकास योजना'' (आईपीडीएस) नामक एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्कों तथा उप पारेषण का सुदृढ़ीकरण;

(ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग;

(iii) आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे ले जाकर 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी की नई योजना शुरू की गई तथा आईपीडीएस योजना में आमेलित कर दिया गया है।

उपर्युक्त घटकों (i) और (ii) के लिए ₹32612 करोड़ का अनुमानित परिव्यय रखा गया है, जिसमें कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹25354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है।

सीसीईए द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹44,011 करोड़ की आर-एपीडीआरपी योजना लागत को आईपीडीएस की नई योजना के लिए आगे ले जाया जाएगा, जो घटकों (i) और (ii) के लिए यथानिर्धारित परिव्यय के अलावा होगा।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईपीडीएस कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी योजना का इसमें विलय किए जाने के बाद) के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी होने के नाते वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है :

आईपीडीएस

- वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आपकी कंपनी ने आईपीडीएस के अंतर्गत ₹3,018 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है तथा संचित रूप से ₹26,066 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
- आपकी कंपनी ने आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कस्बों के लिए लाभार्थी बिजली कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,333 करोड़ की राशि स्वीकृत भी कर दी है तथा ₹2,660 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी तथा श्रीमती राधिका झा, पूर्व कार्यपालक निदेशक (आईपीडीएस), पीएफसी माननीय केंद्रीय विधि तथा न्याय राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी से पीएफसी द्वारा विकसित 'ऊर्जा ऐप' के लिए 'वन ग्लोब आवार्ड फार एक्सीलेंस इन इनेबलिंग ए मोबाइल इकॉनमी' प्रतिष्ठित अवॉर्ड प्राप्त करते हुए।

आर–एपीडीआरपी

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक संचित रूप से सभी पात्र 1405 कस्बों के लिए भाग - क (आईटी) योजनाओं, भाग - क (स्काडा) योजनाओं और 1228 कस्बों के लिए भाग - ख योजनाओं को स्वीकृत किया है तथा ₹37,956 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने ₹1581 करोड़ की राशि संवितरित भी की है तथा आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्य क्षेत्र की बिजली कंपनियों को संचित रूप से ₹10187 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है।

कार्यान्वयन की प्रगति

आईपीडीएस

आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति 55 कंपनियों में कर दी गई है और 53 कंपनियों में टीपीए पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

₹22,483 करोड़ मूल्य के जारी किए गए एनआईटी में से स्वीकृत किए गए कुल 538 सर्किलों में से 223 सर्किलों में ₹13,809 करोड़ मूल्य की परियोजनाएं पहले ही सौंप दी गई हैं और उपर्युक्त सर्किलों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने काउंटरपार्ट ऋण के रूप में ₹2,233 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है तथा वर्ष के दौरान आईपीडीएस के अंतर्गत ₹57 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है।

नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं के संवर्ती मूल्यांकन और नमूना आधार पर जांच के लिए तृतीय पक्षकार की संवर्ती मूल्यांकन एजेंसी (टीपीएसीईए) की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

आर–एपीडीआरपी

अब तक किए गए उपायों से 21 राज्यों में से संचित रूप से 20 राज्यों में डेटा केंद्र, 21 में से 19 केंद्रों में आपदा रिकवरी केंद्र तथा 46 में से 40 कस्टमर केयर केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा 28 राज्यों के 1356 शहरों को गो-लाइव घोषित कर दिया गया है तथा 49 शहरों में गो-लाइव की प्रक्रिया जारी है अर्थात जम्मू कश्मीर (15) तमिलनाड (8), पुद्दूचेरी (4), ओडिशा (12), अरूणाचल प्रदेश (4), मिजोरम (3) तथा नागालैंड (3) ऐसे 1356 गो-लाइव कस्बों में सभी व्यापार प्रक्रिया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल प्रचालनरत हैं और प्रणाली की सहायता से ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आर-एपीडीआरपी के भाग 'ख' के अंतर्गत ₹457 करोड़ की राशि और काउंटरपार्ट ऋण के रूप में समेकित रूप से ₹1,877 करोड़ की राशि संवितरित की है। वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसमें सुधार करने तथा एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को 15% या उससे नीचे लाने के लिए भाग-ख के अंतर्गत समेकित रूप से 1227 कस्बों में कार्यान्वयन का कार्य शुरू कर दिया गया है और समेकित रूप से 783 कस्बों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

स्वीकृत किए गए कुल 72 स्काडा नियंत्रण केंद्रों में से समेकित रूप से 52 स्काडा नियंत्रण केंद्रों की स्थापना कर ली गई है और 72 स्काडा कस्बों में से 18 में कार्य पूरा हो चुका है।

प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ-साथ विभिन्न कस्बों में भाग-ख परियोजनाओं के पूरा होने और आईटी प्रणालियों की स्थापना के कारण 1024 आर-एपीडीआरपी कस्बों कार्यान्वयन के पश्चात वाली रिपोर्टों के अनुसार) में एटी एंड सी हानियों में कमी पहले ही दिखाई दे रही है। इस प्रकार, आपकी कंपनी वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार की दिशा में अपना योगदान देती रहेगी।

अन्य विकास कार्य :

- 10 वितरण कंपनियों का अध्ययन किया गया, जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान एटी एंड सी हानियों में कमी हुई थी। समिति ने एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए इन कंपनियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वाणिज्यिक हस्तक्षेपों (उपायों) के बारे में जानकारी दी । जुलाई, 2016 में सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
- नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के एक अभिन्न भाग के रूप में शहरी वितरण फीडर निगरानी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। पीएफसी के साथ-साथ एनआईसी इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 28 राज्यों में 46 डिस्कॉमों का 11 केवी फीडर डाटा प्राप्त हो गया है और उसे एनपीपी पर एकीकृत किया जा चुका है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार एनपीपी पर डिस्कॉमों द्वारा 24395 फीडरों का लेन-देन डाटा अपलोड किया जा चुका है और 28878 फीडरों का मास्टर डाटा ऑनबोर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा, 6752 अतिरिक्त फीडरों से डाटा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध होने की संभावना है।
- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी की वेब आधारित परियोजना निगरानी के लिए घरेलू स्तर पर एक प्रणाली विकसित की गई है। वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) नियमित अंतराल पर परियोजनाओं के अधिनिर्णय संबंधी विवरण, क्रियान्वयन के विवरण के साथ-साथ उनकी वित्तीय प्रगति के विवरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड कर रही हैं। विद्युत मंत्रालय/पीएफसी इस प्रणाली के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी ऑनलाइन कर रहे हैं।
- आर -एपीडीआरपी कस्बों के लिए एसएआईडीआई/एसएआईएफआई रिपोर्टों के रूप में विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा डाटा संकलित किया जा रहा है। कार्यान्वयन के बाद वाली रिपोर्टों (डी1 से डी7) के आधार पर एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए उत्तरवर्ती आवश्यक प्रशासनिक उपाय करने के लिए विद्युत कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- कार्यान्वयन शुरू होने के पश्चात मानदंडों के लिए वेब विश्लेषण सुविधा के साथ आईटीडीएस पोर्टल को सुदृढ़ किया गया : अब इसमें 7 गो-लाइव मानदंड शामिल हैं : अर्थात एटी एंड सी हानियों को कम करना, उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए कनेक्शन देना, उच्च हानि वाले फीडर और विद्युत विश्वसनीयता सूचकांक (एसएआईएफ/एसएआईडीआई), फीडर मीटर संचार तथा ई-भुगतान रिपोर्ट के साथ-साथ उनका ग्राफीय वेब विश्लेषण।
- पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय की ओर से पीएफसी की नीति के अनुसार पूरी तरह से संविदा आधार पर शहरी विद्युत अभियंता (यूवीए) के रूप में आईपीडीएस परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। आज की स्थिति के अनुसार पीएफसी ने ऐसे 42 यूवीए नियुक्त किए हैं। पीएफसी ने इन यूवीए को आईपीडीएस परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डिस्कॉमों में तैनात किया है।
- पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय की ओर से शहरी क्षेत्रों में वितरण परियोजनाओं की निगरानी, शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र से उपभोक्ताओं के बेहतर संपर्क आदि के लिए 'ऊर्जा' नामक एक मोबाइल ऐप (अर्बन ज्योति अभियान) का विकास किया है। इस ऐप में विभिन्न बिजली कंपनियों में दैनिक आधार पर आउटेज की अनुसूचियां भी उपलब्ध हैं। www.urjaindia.co.in. नामक वेबसाईट पर 'ऊर्जा' ऐप का वेब संस्करण भी उपलब्ध है। इस ऐप को तृतीय ई-लेट पीएसयू समिट में बेहतर उपभोक्ता संपर्क के लिए 'संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के सर्वाधिक कुशल इस्तेमाल' हेतु पुरस्कार के रूप में पहला लॉरेल पुरस्कार दिया गया। आपकी कंपनी को भी 6वें वार्षिक एकल वैश्विक फोरम में ऊर्जा ऐप के लिए ''मोबाईल अर्थव्यवस्था को समर्थ बनाने में उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।
- एनटीपीसी के विद्युत प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) में आयोजित ''वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता में सुधार के लिए उपाय'' विषय पर पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ आईपीडीएस के अंतर्गत बिजली कंपनियों के कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण फिर से शुरू किया गया।

12.0 सुधार और पुनर्गठन की दिशा में पहल

विद्युत कंपनियों का श्रेणीकरण

निधिकरण के उद्देश्य से आपकी कंपनी राज्य की विद्युत कंपनियों, अपने प्रधान ऋणकर्ताओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का श्रेणीकरण (द्विवार्षिक) इनके प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन जिसमें नियामक वातावरण लेखापरीक्षा आदि शामिल है, सहित पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के (एसईबी/एकीकृत प्रचालन सहित कंपनियां भी शामिल हैं), पीएफसी की मानक श्रेणीकरण नीति में विद्युत मंत्रालयों की एकीकृत रेटिंग ए+, ए, बी और सी श्रेणियों को अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह श्रेणीकरण पीएफसी को ऋण सीमाओं का विनिर्धारण करने और राज्य विद्युत कंपनियों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा व ऋण की कीमत निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। 03 अगस्त 2017 की स्थिति के अनुसार 106 विद्युत कंपनियों की श्रेणियां बनाई गई जिनमें से 4 को ''ए++'' 31 को ''ए+'' श्रेणी में रखा गया, 35 को ''ए'' श्रेणी में 23 को ''बी'' श्रेणी में और 13 को ''सी'' श्रेणी में रखा गया।

राज्य विद्युत संस्थाओं की तिमाही और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने राज्य विद्युत कंपनियों के मौजूदा निष्पादन की तिमाही रिपोर्ट को वितरण क्षेत्रों पर फोकस करने तथा इस रिपोर्ट को और भी सूचनापरक और आकर्षक बनाने के लिए प्रकाशित करने की पहल की है। संशोधित तिमाही रिपोर्ट के सूचना/फॉर्मेट को सीएआरई तथा आईसीआर से परामर्श करने तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श करने के बाद विकसित किया गया।

नए तिमाही रिपोर्ट के लिए डेटा 40 वितरण कंपनिया, जो वार्षिक एकीकृत रेटिंग अभ्यास के अंदर आती हैं, से एकत्र किया गया है।

जुलाई-सितंबर 2015 के साथ–साथ अप्रैल- जून 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आंकड़ों के साथ संशोधित रिपोर्ट का पहला संस्करण विद्युत मंत्रालय द्वारा जून, 2016 में प्रकाशित किया गया। 2016-17 की चौथी तिमाही का अद्यतन संस्करण अपने पूरे रिपोर्ट के साथ जून 2017 में सौंपा गया।

पीएफसी राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (एसपीयू) के निष्पादन पर वार्षिक आधार पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए राज्य क्षेत्र की 100 विद्युत कंपनियों को शामिल करते हुए उनके निष्पादन पर रिपोर्ट का 13वां संस्करण जुलाई, 2016 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए 14वां संस्करण के रिपोर्ट का अभी संकलन किया जा रहा है। यह रिपोर्ट प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंडों पर राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन का एक व्यापक अध्ययन है। रिपोर्ट में प्रमुख निष्पादन मानदंड अर्थात लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली (रुपए प्रति किलोवाट) के बीच अंतर, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी, प्राप्त होने वाली राशियों, देय राशियों, क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), एटी एंड सी हानियों का प्रतिशत (%) आदि और कंपनी, राज्य, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में खपत के पैटर्न का विश्लेषण शामिल हैं ।

13.0 नीतिगत पहलें

आपकी कंपनी अपनी उधार एवं प्रचालन नीतियों/दिशा-निर्देशों/उत्पादों को बाजार की अपेक्षाओं और निगम के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए इनकी सतत समीक्षा और संशोधन करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसी ने अपनी नीतियों/दिशा-निर्देशों/उत्पादों को अल्पावधि और ऋणकर्ता की दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाने के प्रयोजन से ऋण के पुनर्वित्तपोषण और निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने के संदर्भ में समीक्षा की है।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण और अल्पकालिक ऋण के संदर्भ में उनके स्थायित्व और उन्हें बाजार के अनुकूल बनाने के लिए ब्याज दरों तथा वित्तीय दरों/मूल्यों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया।

बाजार में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बावजूद भी आपकी कंपनी अपने व्यापार विकास और लाभप्रदता के लक्ष्यों को संतुलित बनाए रखने में सफल रही ।

14.0 नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्वच्छ विकास प्रक्रिया

विद्युत अवसंरचना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्थायी आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। भारतीय विद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके फलस्वरूप उद्योग जगत का दृष्टिकोण पुनः परिभाषित हो रहा है। स्थायी आर्थिक विकास से भारत में विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ने 'सभी के लिए बिजली' जैसी पहलों पर जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड संबंधी विद्युत उत्पादन क्षमता के क्षेत्र में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह जहां एक ओर सरकार की स्थायी विकास की सूची का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान के एक अभिन्न अंग के रूप में भी उभरकर सामने आया है और ऊर्जा अभिगम के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र बन गया है। यह महसूस किया गया है कि आनेवाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में नवीरकणीय ऊर्जा क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदार भूमिका अदा करनी होगी और इसे ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करना होगा।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन मुख्यतया सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने के लिए त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढांचे में देखने को मिले हैं। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का निष्चय किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन शामिल है।

भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिए जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक अवसर पैदा हुए हैं।

उपर्युक्त के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसी ने जल विद्युत उत्पादन के लिए ₹8,156 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और ₹1,327 करोड़ की राशि संवितरित की है। इसके अतिरिक्त पीएफसी ने पवन, सौर, बायो गैस और बायोमास क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹7,021 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और इसी अवधि के दौरान ₹2,471 करोड़ की राशि संवितरित की है।

आध्र प्रदेश राज्य में गरीब बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतू एपी एस एस डी सी को ₹ 5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अमरावति में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू की उपस्थिति में पीएफसी तथा एपीएसएसडीसी के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

15.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी एक गैर–वित्तीय बैंकिंग कंपनी होने के नाते वित्त–पोषण कंपनियों के कारोबार में लगी हुई है और इस प्रकार इसके ऋण प्रचालन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए निवेश के विवरण निम्नानुसार हैं :

- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), जो पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, में पीएफसी ने ₹124 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश किया हैं । इनमें से ₹99 करोड़ की शेयर अनुप्रयोग धनराशि आबंटन के लिए लंबित है। आबंटन के लिए लंबित अनुप्रयोग धनराशि पीएफसी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 25.04.2016 को पूरी तरह से आबंटित की गई।
- वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के आधारभूत मूल्य पर ओएफएस मार्ग के जरिए एनएचपीसी के 26,05,42,051 इक्विटी शेयरों में निवेश किया है। शेयरों को ₹21.78 प्रति शेयर के हिसाब से सब्सक्राइब किया गया है, कुल निवेश का मूल्य ₹567.50 करोड़ है, जिसमें सभी सांविधिक और अन्य व्यय शामिल हैं।

श्री माहेश्वरम जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के एक ऋणदाता होने के नाते, जिसे संदेहास्पद ऋण संपत्ति के रूप में श्रेणीकृत किया गया है, कंपनी ने इक्विटी शेयर के प्लेज लिए गए। इसलिए 6,57,46,779 इक्विटी शेयर जिसमें प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर शामिल हैं, प्रमोटरों द्वारा प्लेज किए गए तथा कंपनी को 01 जून, 2016 को हस्तांतरित किए गए। ये इक्विटी शेयर ₹1 के मूल्य वाले शेयर के रूप में जाने गए।

इसके अलावा ₹66.10 करोड़ की सीमा के भीतर पहले दिए गए उप ऋणों के प्राथमिक प्रत्यावर्तन पर 01 जून, 2016 को आपकी कंपनी को प्रत्येक ₹10 के 6,61,00,000 के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए हैं। ₹66.10 करोड़ की राशि वाले इन शेयरों के मूल्य में कमी के लिए आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एक प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड जीसीईएल)नामक अन्य ऋणकर्ता के मामले में आपकी कंपनी ने अनुमोदित रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) पैकेज के अंतर्गत इसके ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तत किया है और दिनांक 23 फरवरी, 2017 को प्रत्येक ₹10 के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए गए हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान की गणना ₹81.95 करोड़ के रूप में की गई है। कंपनी ने आरबीआई के एसडीआर मानदंडों के अनुसार चार कैलेंडर तिमाहियों में प्रावधान को वितरित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹20.49 करोड़ के निवेश के मूल्य में कमी के लिए एक प्रावधान किया गया है। ₹61.46 करोड़ के निवेश के मूल्य में बकाया कमी के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधान किया जाएगा।

16.0 सहायक कंपनियां

परामर्श सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कंसोर्टियम लैंडिंग, इक्विटी वित्त–पोषण आदि के क्षेत्रों में अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा आज की तारीख तक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियों की स्थापना है :

(i) पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(ii) पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
(iii) पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड
(iv) पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के निदेशक मंडल ने पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) का पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के साथ विलय करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। यह परिकल्पना की गई है कि पीएफसीसीएएस का प्रचालन क्षेत्र (ऋण सिंडिकेशन, डिबेंचर ट्रस्टी, रणनीतिक/वित्तीय परामर्श सेवाएं) पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के प्रचालन क्षेत्र (सुधार संबंधी परामर्श सेवाएं), टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया परामर्श सेवाएं, संचार सेवाएं आदि) के पूरक के रूप में हो सकता है और इस प्रकार पीएफसीसीएल तथा पीएफसीसीएएस के आपस में विलय से दोनों के बीच सहस्ताक्रिया स्थापित होगी।

इसके अलावा पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल) और पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडलों ने क्रमशः अपनी दिनांक 18 जुलाई, 2016 और 09 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई संगत बैठकों में पीएफसी जीईएल के पीएफसी के साथ विलय के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।

विलय की प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आपकी कंपनी को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए एक 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए कंपनी को निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) के जरिए निम्नलिखित सहायक कंपनियों की स्थापना की है।

i) छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतारा पावर लिमिटेड)
ii) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
iii) कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
iv) कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
v) उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
vi) साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
vii) घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
viii) तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
ix) देवघर मेगा पावर लिमिटेड
x) चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
xi) उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड
xii) देवघर इंफ्रा लिमिटेड
xiii) बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
xiv) बिहार मेगा पावर लिमिटेड
xv) झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
xvi) बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
xvii) टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
xviii) मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
xix) दक्षिण-केंद्रीय पूर्वी दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
xx) फतेहगढ़-भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड*
xxi) बिजावर्-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
xxii) शौंगटांग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
xxiii) गोवा-तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड*

**पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी*

16.1 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

आपकी कंपनी अपनी सलाहकारी सेवा समूह (सीएसजी) के माध्यम से ही विद्युत क्षेत्र को अक्तूबर 1999 से ही परामर्शी सहायता उपलब्ध करा रही है। सीएजी कंपनी के अनुभव को बल प्रदान करके, इस समूह द्वारा दी गई सेवाओं की प्रशंसा करके तथा विद्युत क्षेत्र को सुधारने में ऐसी सेवाओं की क्षमता को पहचानकर आपकी कंपनी ने इन सेवाओं को विशेष समर्पित व्यवसाय उद्यम के तहत आयोजित करने का फैसला लिया है। विद्युत क्षेत्र को व्यावसायिक परामर्श सहायता प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए ऐसी सेवाओं की क्षमता को मान्यता देने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने 25 मार्च, 2008 को आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लि. (पीएफसीसीएल) का गठन किया, जिससे कि इसे अपने कार्यकलापों में अपेक्षित स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान किया जा सके। पीएफसीसीएल को विद्युत क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने, संगठित करने और संचालित करने का अधिदेश दिया गया और वर्तमान में यह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास से संबंधित कार्य भी कर रही है। पीएफसीसीएल को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु ''बोली प्रक्रिया समन्वयक'' (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तावित सेवाएं मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से है:-

- विद्युत अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सुधार, पुनर्गठन और नियामक पहलू जैसे मुद्दों पर सलाहकारी सेवाएं।
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न अनुभागों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया
- परियोजना गठन/योजना/विकास/विशेष अध्ययन, कार्यान्वयन निगरानी, दक्षता सुधार परियोजनाएं
- मानव संसाधन प्रबंधन योजना
- संगठन निष्पादन सुधार योजनाओं की तैयारी
- विद्युत क्षेत्र हेतु समझौते से संबंधित सेवाए
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन लामबंदी, लेखा प्रणाली आदि
- कोयला ब्लॉक विकास
- नवीकरणीय तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा परियोजना विकास
- वितरण प्रणाली सुधार योजना के लिए सलाहकारी सेवाएं
- आईपीडीएस तथा डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप
- स्मार्ट ग्रिड के लिए कार्यान्वयक एजेंसी की पूरी परियोजना रिपोर्ट तथा चयन
- विद्युत की खरीद के लिए डीईईपी पोर्टल के तहत बोली प्रक्रिया

अब तक, पीएफसीसीएल द्वारा 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फैल 57 क्लाइंट तक कंसल्टेंसी सर्विस पहुंचाई है। अब तक पूरे किए गए कुल असाइंमेंटों की संख्या 104 है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसीसीएल की प्रचालनगत आय ₹120.67 करोड़ थी जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह ₹73.55 करोड़ रही तथा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसीसीएल द्वारा कमाया गया निवल लाभ ₹57.85 करोड़ रहा जोकि पिछले वित्त वर्ष में ₹37.06 करोड़ था।

16.2 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल) 30 मार्च, 2011 को एक पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी के रूप में हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारंपरिक) ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु वित्त–पोषण करने एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। 31 मार्च, 2017 को पीएफसी जीईएल लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹1200 करोड़ रूपए है और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹300 करोड़ जिसमें ₹10 मूल्य के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा ₹10 मूल्य के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर शामिल हैं।

पीएफसीजीईएल और पीएफसी के बोर्ड निदेशकों ने पीएफसी में पीएफसीजीईएल के विलय को अपनी बैठकों जो क्रमशः 18 जुलाई, 2016 तथा 9 अगस्त, 2016 को आयोजित हुई थी, में अनुमोदन दिया।

पीएफसी जीईएल ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी वृद्धि जारी रखी है। वित वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व में 67% की वृद्धि हुई जो ₹38.71 करोड़ से बढ़कर ₹64.79 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2016-17 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 31% की वृद्धि के साथ ₹32.95 करोड़ से बढ़कर ₹43.14 करोड़ हो गई है तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) 33% की वृद्धि के साथ ₹22.60 करोड़ से बढ़कर ₹30.15 करोड़ हो गई है।

धारक कंपनी के साथ कंपनी के प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा पहले से स्वीकृत की गई विभिन्न जारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी ने ₹283.51 करोड़ की राशि संवितरित की है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का ऋण पोर्टफोलियो ₹629.60 करोड़ था।

पीएफसी जीईएल ने वित्त वर्ष 2016-17 दौरान पीएफसी जीईएल ने 'स्वच्छ भारत कोष' में ₹53.85 लाख का योगदान किया है।

16.3 पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड

पीएफसी कैपीटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 18 जुलाई, 2011 को स्थापना की गई ताकि सिंडिकेशन सेवाओं सहित वित्तीय सलाहकार सेवाओं की क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹1 करोड़ है तथा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹0.10 करोड़ है।

वर्ष के दौरान पीएफसी सीएएस की प्रचालन से कुल आय ₹1.53 करोड़ है जबकि कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹1.06 करोड़ है।

इसके अलावा, पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) के निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुरूप नियामक और अन्य अनुपालनों के अध्यधीन पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के साथ पीएफसी सीएएस के विलय के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।

16.4 पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड

पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी), आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी व्यापारिक प्रस्तावों के अभाव में कोई भी कारोबार करने में सफल नहीं रही है, जबकि पीएफसी द्वारा इसका अधिग्रहण भी कर लिया गया था और तदनुसार विद्युत मंत्रालय से इस कंपनी को समाप्त करने और कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटवाने के लिए अनुमोदन मांगा गया है, जो अभी तक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

17.0 संयुक्त उद्यम, एसोसिएट कंपनियां और अन्य प्रमुख निवेश (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

17.1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल) को 10 दिसंबर, 2009 को स्थापित किया गया। ईईएसएल को भारत और विदेश दोनों में ही एनर्जी एफिशिएंसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कंपनी द्वारा 25% की समान इक्विटी सहभागिता के साथ पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया गया। यह उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के प्रमुख कार्यान्वयन स्तंभों में से एक है। 31 मार्च, 2016 को आपकी कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से ईईएसएल की पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरपूंजी में 9,90,00,000 का सब्सक्राइब किया है तथा इसका आबंटन 25 अप्रैल, 2016 को किया गया। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी 31.71% थी। ईईएसएल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹51.86 करोड़ पिछले वर्ष ₹37.08 करोड़ का कर पश्चात लाभ रिपोर्ट किया है।

17.2 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) को पावर ग्रिड एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ाया गया। आपकी कंपनी ने ₹12 हजार करोड़ का निवेश किया है जो पीटीसी की कुल इक्विटी का 4.05% है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग सामाधान उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरूआत की है, जिसका प्राथमिक फोकस देश में वाणिज्यिक रूप से अधिक सक्रिय विद्युत बाजार का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पीटीसी ने 42.32 बीयू कंपनियाँ ट्रेडिंग वाल्यूम के साथ अपना नेतृत्व का स्थान बरकरार रखा है। पीटीसी ने वर्ष के दौरान ₹290.87 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज कराया है।

17.3 पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) भारत का पहला संस्थागत रूप में संवर्धित पावर एक्सचेंज है जो भारतीय विद्युत बाजार का कायाकल्प करने के लिए नवाचारी और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल विद्युत के कारोबार के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है और विद्युत कारोबार तथा पारेषण स्वीकृति से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ-साथ यह पारदर्शी, तटस्थ और दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल बहुत से उत्पाद जैसे डे अहेड, डे अहेड कंटिंजेंसी, एनीडे, इंट्राडे और साप्ताहिक संविदा आदि प्रस्तावित करता है। पीएक्सआईएल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। पीएफसी ने इस एक्सचेंज में ₹3.22 करोड़ 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पीएक्सआईएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 6.64%) का इक्विटी निवेश किया है। पीएक्सआईएल के निवल मूल्य में ह्रास के कारण पीएफसी ने अपनी खाता बही में निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के रूप में ₹3.22 करोड़ की पूरी निवेश राशि का प्रावधान किया है।

17.4 श्री माहेश्वर जल–विद्युत निगम लिमिटेड

जून, 2016 में पीएफसी ने श्री माहेश्वर जल–विद्युत निगम लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के ऋणदाताओं में से एक ऋणदाता होने के नाते समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 30 नवंबर, 2006 के बंधक विलेख और दिनांक 29 सितंबर, 2006 के अधीनस्थ ऋण करार के अनुसार एसएमएचपीसीएल के प्रमोटरों द्वारा बंधक रखे गए शेयरों को पीएफसी के पक्ष में तलब करते हुए और उप कर्ज वाले ऋण को आंशिक रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करते हुए अपने कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन किया है। बंधक रखे गए शेयरों को तलब करने और उप कर्ज के परिवर्तन के फलस्वरूप एसएमएचपीसीएल में पीएफसी की शेयरधारिता ₹10 के प्रत्येक शेयर के रूप में 13,18,46,779 इक्विटी शेयर रह गई है, जो एसएमएचपीसीएल की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 23.32% के समतुल्य है।

17.5 नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

पावर एक्सचेंज के माध्यम से अल्पकालिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 के दौरान पीएफसी ने एनटीपीसी, एनएचपीसी और टीसीएस के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) को बढ़ावा दिया था। पीएफसी ने इक्विटी अंशदान के लिए एनपीईएक्स में ₹2.19 करोड़ (31 मार्च, 2016 तक प्रदत्त इक्विटी का 16.66% होने के नाते) का योगदान दिया है। एनटीपीसी और एनएचपीसी संयुक्त उद्यम कंपनी से अलग होने का इरादा व्यक्त कर चुके हैं तथा मार्च, 2014 में एनपीईएक्स के प्रोमोटर समूह (जीओपी) की अनुशंसाओं के आधार पर एनपीईएक्स के निदेशक मंडल ने एनपीईएक्स को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। एनपीईएक्स को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और परिसमापक ने अधिशेष राशियों का इसके प्रमोटरों को वितरण कर दिया है। तदनुसार, पीएफसी को 21 जुलाई, 2016 को एनपीईएक्स के परिसमापन फलस्वरूप ₹1.21 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इस कंपनी को दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 26 मई, 2017 को जारी किए गए आदेश के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 से भंग कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएफसी की खाताबही में निवेश पर हानि के रूप में ₹0.98 करोड़ की बकाया निवेश राशि बट्टे खाते में डाली गई है।

श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत) तथा श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी क्रमशः भारत सरकार तथा पीएफसी के लिए कार्य-निष्पादन आधारित एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए। इस अवसर पर सुश्री शालिनी प्रसाद, अवर सचिव, एमओपी, डा. अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, एमओपी तथा एमओपी और पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

18.0 भारत सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2004-05 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1993-94 से आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' मिली है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की कंपनी की रेटिंग अभी प्रतीक्षित है।

19.0 राष्ट्रपति के निदेश

कंपनी को तथा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

20.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की नीति का लक्ष्य यह तय करना है कि कंपनी समाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित कंपनी हो तथा वह समाज के लोगों के जीवन जीने के तरीके को उन्नत करता हो। इसका मुख्य फोकस समाज के विद्युत और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है जिससे परियोजना का विकास सतत रूप से हो सके।

सीएसआर कार्यकलापों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत स्टैंड अलोन निवल कर पूर्व लाभ के कम-से- कम 2% के बराबर धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित की जाती है।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीति का पूरी ईमानदारी और जोश के साथ कार्यान्वयन किया है। सीएसआर से जुड़ी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए पीएफसी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति गठित की है।

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में बहुत से कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया है और अन्यथा सक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 के नियम 2 (च) (ii) के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली और इसकी धारा 135 का अनुसरण करने वाली अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार औसत स्टैंड अलोन कर पूर्व लाभ के 2% की शर्त के आधार पर ₹166.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है।

कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 अनुसरण में सीएसआर रिपोर्ट एतद्द्वारा संलग्न है।

'स्वच्छ भारत कोष' के अंतर्गत श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी ₹56.43 करोड़ का रेमिटेंस टोकन श्री अशोक लवासा, वित्त सचिव तथा सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय तथा स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) के अध्यक्ष को प्रदान करते हुए। श्री विवेक जोशी, प्रशासक, एसबीके तथा निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी पीएफसी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

21.0 मानव संसाधन शुरूआत

विकास और प्रशिक्षण

निगमित लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान घरेलू स्तर पर कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा गया। अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ भारतीय लेखांकन मानकों, वित्तीय मॉडलिंग और क्रेडिट विश्लेषण, निजी इक्विटी, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के प्रबंधन, शीघ्र चेतावनी संकेत और तनावग्रस्त खातों के पुनर्गठन, प्रवेश कार्यक्रम, पदोन्नत्ति के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सीडीए नियमावली और संपत्ति विवरणी भरने आदि जैसे जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा अपने कार्मिकों के लिए घरेलू स्तर पर ऐसे 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर और बाह्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के लिए पीएफसी के कार्मिकों को प्रायोजित कर कुल मिलाकर 1947 मानव कार्य दिवस का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

मनोरंजन संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी जिमनेशियम, पुस्तकालय, टेबल टेनिस आदि जैसी सुविधाओं तथा विभिन्न खेल-कूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यकलापों में कार्मिकों की भागीदारी के माध्यम से अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रगति मैदान में आयोजित सीएसआर मेले में उपस्थित श्री अनंत जी. गीते, माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज्

विद्युत खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में आपकी कंपनी पीएससीबी के सदस्य संगठनों के कार्मिकों के लिए हर वर्ष इंटर सीपीएसयू खेल-कूद प्रतिस्पर्धा का आयोजन करती आ रही है। पीएफसी ने पीएससीबी के तत्वावधान में 16वें इंटर-सीपीएसयू क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पीएफसी के कार्मिकों ने पीएससीबी के सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित की गई विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज आदि में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इन खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के फलस्वरूप कार्मिकों में बेहतर टीम भावना पैदा हुई और उनकी फिटनेस में सुधार हुआ।

पीएफसी के कार्मिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा दिल्ली-एनसीआर स्तर पर आयोजित विभिन्न इंटर-पीएसयू प्रतियोगिताओं जैसे कि वाद-विवाद, कविता वाचन, श्रुतलेखन और हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में भी हर वर्ष भाग लेते हैं। पीएफसी नराकास के तत्वावधान में इंटर पीएसयू प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। कार्मिक पीएफसी की तिमाही गृहस्तापत्रिका अर्थात ''ऊर्जा-दीप्ति'' के प्रकाशन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लेखन, फोटोग्राफी आदि जैसी रचनात्मक विधाओं में भी अपना हाथ आजमाते हैं। पत्रिका के लिए चयनित प्रविष्टियों (लेख/कविताएं) के लिए भी कार्मिकों को नगद प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिया जाता है, जिससे कि उन्हें राजभाषा के संवर्धन और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में प्रायः भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पीएफसी ने अपने कार्मिकों की स्वास्थ्यकर जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए 20 दिन तक एक घंटे के योग सत्र का भी आयोजन किया है। अपने कार्मिकों के लिए वर्ष के दौरान ''तनाव प्रबंधन और टीम भावना का निर्माण'' विषय पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले एक वर्ष के दौरान, विभिन्न विशिष्ट अवसरों के आयोजन के लिए कंपनी में भाषण, वाद-विवाद, चित्राभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यकलापों का आयोजन किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधन के कौशल विकास को उन्नत करने पर बहुत जोर देती है। यह कॉर्पोरेट जगत में अपनाई जाने वाली मौजूदा सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करती हैं। यह अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

कंपनी के भीतर औद्योगिक संबंध कार्मिकों के साथ बहुत ही सौहार्द्रपूर्ण रहे और सामंजस्य बना रहा। इसके फलस्वरूप कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक भी व्यक्ति कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान कार्य दिवस हानि दर की गणना 0.21% के रूप में की गई।

23 जनवरी, 2017 को श्री पीयूष गोयल, माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, ऊर्जा, कोयला, एनआरई (आईसी) 'इंटलेक्ट 2017' में पी एफ सी स्टॉल का उद्घाटन करते हुए।

कल्याणकारी उपाय

आपकी कंपनी उत्तम प्रबंधन पद्धतियों का पालन करती है। कंपनी के कार्मिक उच्च प्रबंधन तक पहुंच बनाकर कंपनी के प्रबंधन और प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं।

कार्यबल की प्रतिबद्धता, कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावशाली पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित होती है जिसमें विस्तृत बीमा, चिकित्सकीय सुविधाएं और अन्य सुख-सुविधाएं शामिल हैं, जो बदले में एक स्वस्थ कार्यबल का सृजन करती हैं।

कंपनी की सेवाओं में एससी/एसटी/ओबीसी/भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

समूह	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिकों की संख्या	एससी	एससी %	एसटी	एसटी %	ओबीसी	ओबीसी %
क	388	67	17.27%	20	5.16%	68	17.53%
ख	92	15	16.30%	8	8.70%	12	13.04%
ग	17	3	17.65%	1	5.88%	3	17.65%
घ	2	0	0.00%	0	0.00%	1	33.33%
जोड़	**499**	**85**	**17.03%**	**29**	**5.81%**	**84**	**16.83%**

पीएफसी अपने सामाजिक दायित्व के अंग के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में अपेक्षित आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं जैसा सीधी भर्ती तथा प्रमोशन में लागू होता है। आरक्षण के माामले को देखने के लिए एक संपर्क अधिकारी को अलग से नियुक्त किया गया है।

महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी में महिलाएं महत्वपूर्ण तथा संकटपूर्ण क्षेत्रों दोनों में हैं। महिलाओं ने उंचे स्तर के पदों पर भी प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को किसी विषय पर उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है महिला कार्मिक कुल कार्यबल के 20.04% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

समूह	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिकों की संख्या	महिला कार्मिकों की संख्या	पूरे कार्मिकों का प्रतिशत
क	388	63	16.23%
ख	92	34	36.96%
ग	17	3	17.65%
घ	2	0	0.00%
जोड़	**499**	**100**	**20.04%**

पीएफसी अपने समाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में महिला कार्मिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सारे दिशानिर्देश सही मायने में लागू हों। महिला कार्मिकों के यौन शोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य स्थल पर महिला कार्मिकों का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

22.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, यह पुष्टि की जाती है कि:-

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया गया है।

(घ) वार्षिक लेखे एक अनवरत (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए गए हैं।

(ड.) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

(च) कंपनी ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

23.0 सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैसर्स के. बी. चंद्रा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की कॉपी यहां पर अनुबंध में संलग्न है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सचिवालयी लेखापरीक्षक के अवलोकन और उन अवलोकनों के संबंध में प्रबंधन के उत्तर की प्रतिलिपि इसके अनुबंध में संलग्न है।

24.0 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई भी उनके जानकारी नहीं आई है जिसपर कोई टिप्पणी दी जा सके या जिस पर सांविधिक लेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट की जाए। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के रिपोर्ट इस अनुबंध के साथ संलग्न हैं।

25.0 वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स ए. आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता को तिमाही आधार पर प्रमाणित करता है।

इसके अलावा, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट एंड मैसर्स के वी चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और कंपनी में आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे। नियम पुस्तकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड स्थापित किए गए हैं।

26.0 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत मेहनताने के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक की तुलना में मध्यम स्तर के कार्मिकों के मेहनताने के अनुपात का प्रकटन करना और निदेशकों की रिपोर्ट में समय-समय पर यथा विहित सीमा से अधिक मेहनताना प्राप्त करने वाले कार्मिकों के विवरण देना आवश्यक है।

तथापि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। अतः इसके विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं।

27.0 डिबेंचर न्यासी

कंपनी द्वारा विभिन्न सीरीज के बॉण्डों के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर न्यासियों के विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

28.0 दावा न की गई राशि का मोचन (रिडेम्पशन) और स्थिति

बॉण्ड

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बॉण्डों की दावा न की गई /बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) ₹13.78 करोड़ थी। इसके अलावा ₹0.56 करोड़ की राशि (मूलधन और ब्याज) दावेदारों के द्वारा सक्सेशन प्रमाण पत्र नहीं पेश करने के कारण दावा न की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित बॉण्ड की दावा न की गई/बकाया राशि ₹4.30 करोड़ थी।

इक्विटी

31 मार्च, 2017 को लाभांश (इक्विटी) की दावा न की गई राशि तथा (एफपीओ) को लौटाने के लिए शेष राशि तथा प्राप्त किया गया आवेदन धन क्रमशः ₹1.47 करोड़ तथा ₹0.038 करोड़ था।₹28,56,105 की राशि 'कंपनी के दावा न की गई और चुकाई न गई डिविडेंड के तहत इन्वेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीई) को 31 मार्च 2017 को ट्रांसफर कर दी गई। इसमें से ₹19,53,354 की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईईपीएफ में जमा की गई तथा 31 मार्च, 2017 के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹9,02,751 की बकाया राशि दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को आईईपीएफ में जमा की गई। निवेशकों के विवरण (जिनका रिफंड देय है), पीएफसी की और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

29.0 कार्मिक स्टॉक चयन योजना (ईएसओपी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने वेतन संशोधन पर अपने निर्देशों के जरिए भी केंद्रीय क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) तैयार करें और ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के 10% से 25% का भुगतान करें। डीपीई के इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपके कंपनी के निदेशक मंडल ने 'पीएफसी ईएसओपी 2010' शीर्षक के अंतर्गत एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना तैयार की थी। शेयरधारकों ने भी 21 सितंबर 2010 को आयोजित 24वीं आम बैठक में कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना को अनुमोदित कर दिया था। तत्पश्चात निदेशक मंडल ने ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को पीआरपी की 25% राशि का भुगतान करने के लिए निदेशित किया था। तथापि डीपीई द्वारा 30 जुलाई 12 में बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह पीआरपी आधारित स्टॉक विकल्प योजना ऐच्छिक बना दिया गया। ईएसओपी से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाईट www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी में उपर्युक्त का कार्यान्वयन लागू नियमों/विनियमों/लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अनुसार किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा अब तक 'पीएफसी - ईएसओपी 2010' के अंतर्गत स्वीकृति अथवा लागू करने के लिए कोई विकल्प लंबित नहीं हैं। इसके अलावा वर्ष

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी कार्मिकों को शपथ दिलाते हुए।

2016-17 के दौरान किसी भी कार्मिक को/उसके द्वारा कोई भी विकल्प स्वीकृत/लागू नहीं किया गया।

30.0 सतर्कता

वर्ष 2016-17 के दौरान सतर्कता यूनिट ने निवारक सतर्कता पर जोर देते हुए प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया। इस संदर्भ में सतर्कता यूनिट ने विभिन्न यूनिटों का आवधिक व आकस्मिक निरीक्षण करके प्रणाली को सरल बनाने के कारगर दिशा-निर्देश जारी किए जिनका उद्देश्य दिन-प्रतिदिन में कार्यो में मौजूदा खामियों को दूर करके पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और इससे दुरूपयोग की संभावना भी कम हो जाती है। सभी शेयरधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक प्रभावी टूल के रूप में किया गया और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। सतर्कता यूनिट ने कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित प्रचालन मैनुअलों की भी समीक्षा की। इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सीवीसी के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में कॉर्पोरेशन में संवेदनशील पदों की नए सिरे से पहचान की गई और संबंधित अधिकारियों का रोटेशन किया गया। सीवीआई के साथ परामर्श से दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय और मुंबई और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संदर्भ में वर्ष 2016 के लिए आम सहमति से कार्मिकों की सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। विहित आवधिक सांख्यिकीय रिपोर्टें सीवीसी, सीबीआई और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गईं।

इस प्रकार सतर्कता यूनिट ने अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से व्यवस्थित सुधारों के लिए काम किया और इस प्रकार पूरे संगठन की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दिया।

31.0 राजभाषा

आपकी कंपनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए इसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के लिए 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 'राजभाषा शील्ड' तृतीय पुरस्कार भी प्राप्त किया था।

प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकों का आयोजन किया गया। यूनिट स्तर पर भी विभागीय हिंदी बैठकों का आयोजन किया गया। वित्तीय आयोजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, हृदय रोग, अहिंसा, भारत का संविधान आदि जैसे विभिन्न विषयों पर हिंदी में कई संगोष्ठियों और/अथवा वार्ताओं का आयोजन किया गया, जिनमें पीएफसी के विभिन्न कार्मिकों ने भाग लिया। 21 जून 2016 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने योग के महत्व और लाभों पर प्रकाश डालते हुए कार्मिकों को हिंदी में संबोधित किया।

कंपनी में हिंदीमय वातावरण निर्मित करने के लिए हिंदी दिवस और हिंदी माह का आयोजन किया गया था। हिंदी माह के दौरान अन्य कार्यकलापों के अलावा बहुत-सी प्रतियोगिताओं जैसे वर्तनी शोधन, 'तस्वीर क्या कहती है', 'बूंद-बूंद से सागर' बनता' और 'भानुमति का पिटारा' का आयोजन किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) के तत्वावधान में एक परिचर्चा का आयोन किया गया जिसमें विभिन्न संगठनों के कार्मिकों

ने भाग लिया। कंपनी के कार्मिकों के चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि उनके दिन-प्रतिदिन हिंदी में होने वाले कार्यालयी कार्य की दक्षता में वृद्धि हो। कॉर्पोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाशी रूप में प्रकाशित की गई।

32.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकार के कार्यकलापों के बारे में नागरिकों को सूचना देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करत है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके तथा हमारे प्रजातंत्र को सही मायने में लोगों के लिए बनाना है। अधिनियम के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि बेहतर ढंग से सूचना प्राप्त नागरिक सुशासन के लिखतों पर आवश्यक सतर्कता रख सकता है और सरकार को अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह अधिनियम सरकार के कार्यकलापों के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।

पीएफसी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपकी कंपनी ने एक वेब आधारित आरटीआई कार्य प्रवाह प्रणाली और आरबीआई से संबंधित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए एक व्यापक तंत्र लागू किया है।

कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत कार्यालय में सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ), एक अपीलीय प्राधिकारी के अलावा एक पारदर्शिता अधिकारी नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी 120 आवेदनों के संबंध में विधिवत कार्रवाई की गई और लोगों को अपेक्षित जानकारी दी गई। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन में सभी आवश्यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अपलोड की गई। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट ऑन लाइन भरने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वमेव प्रकटन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में शामिल प्रकटन के प्रावधानों के अनुपालन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-आई आर के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

I. धारा 4 के तहत अधिक उत्पादों का स्वमेव प्रकटन;

II. धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटन के डिजीटल प्रकाशन हेतु दिशा-निर्देश;

III. प्रकटन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु धारा 4(1) के निश्चित उपभागों के लिए दिशा-निर्देश निश्चित;

IV. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वमेव प्रकटन (सक्रिय प्रकटन) हेतु अनुपालन तंत्र

पूर्वकथित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आवश्यक सूचना जारी कर दी है।

33.0 शिकायत निवारण

कंपनी में अपने कार्मिकों, ग्राहकों और व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणालियां मौजूद हैं। ये प्रणालियां विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और लोगों को आसानी से उपलब्ध हैं। निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी को जबावदेह बनाया गया है। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुकर बनाने के उद्देश्य से यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

34.0 नियामकों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे महत्वपूर्ण और जरूरी आदेशों के विवरण, जिनसे भविष्य में कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो सकता है

किसी भी नियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

35.0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से प्राप्तियों का विवरण

वर्ष 2016-17 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की गई प्राप्तियों का विवरण तथा वित्त वर्ष 2017-18 के लक्ष्य जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दर्शाया गया है, निम्निलिखित हैं:

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2016–17 (₹)	वित्त वर्ष 2016–17 का लक्ष्य (₹)
I	कुल वार्षिक प्राप्ति (मूल्य में)	16,07,50,983	17,68,00,000
II	एमएसई से प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)	5,45,53,083	3,54,00,000
III	कुल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई को प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य'	-	-

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2016–17 (₹)	वित्त वर्ष 2016–17 का लक्ष्य (₹)
IV	कुल प्राप्तियों में से एमएसई की प्राप्तियों का प्रतिशत (एमसी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)	34%	20%
V	कुल प्राप्तियों में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई की प्राप्तियों का प्रतिशत*	-	-
VI	एमएसई हेतु रेहड़ी विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रत्येक साल 5 रेहड़ी कार्यक्रम	प्रत्येक साल 5 रेहड़ी कार्यक्रम
VII	हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई प्राप्ति प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	http://www.pfcindia.com/Home/VS/125	

* एससी/ एसटी उद्यमियों के प्रावधान को टेंडर दस्तावेज में लाया गया। हालांकि बोली प्रक्रिया में कोई भी एससी/एसटी वेंडर ने प्रतिभागिता नहीं की।

36.0 सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना, सेबी (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीए के दिशा-निर्देश आदि के विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में निम्नानुसार दिए गए हैं :

विवरण	अनुबंध
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुरूप प्रभाव पर विचार किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित कंपनी का वित्तीय निष्पादन	क
डिबेंचर न्यासी का विवरण	ख
वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-9)	ग
सीएसआर कार्यकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट	घ
संबंधित पार्टी(एओसी-2) से कंपनी के द्वारा संविदा/आयोजन के विवरण का प्रकटन	ङ
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	च
निगमित शासन पर रिपोर्ट	छ
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	ज
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	झ

37.0 स्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निगमित कार्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ-साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों, एजेंसियों आदि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों/बहुराष्ट्रीय एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपका निदेशक मंडल उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

कंपनी भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

हम कंपनी का चहुंमुखी कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी भी तहेदिल से प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. : 00973413

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2017

अनुबंध –क बोर्ड की रिपोर्ट

आरबीआई के दिनांक 11.04. 2017 के पत्र को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुरूप प्रभाव पर विचार किए बिना वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित कंपनी का वित्तीय निष्पादन :

		स्टैंडअलोन		समेकित	
	यूनिट	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16
प्रचालन से राजस्व	(₹करोड़)	27,244	27,474	27,817	27,780
प्रचालनगत लाभ (पीबीटी अन्य आपवादिक मदों के आय को छोड़कर)	(₹करोड़)	8,759	8,970	8,894	9,062
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	(₹करोड़)	9,061	9,061	9,215	9,167
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	(₹करोड़)	5,937	6,113	6,046	6,184
निवल एनपीए/ऋण परिसंपत्ति	%	1.80	2.55	1.80	2.55
निवल एनपीए/ऋण परिसंपत्ति (आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग को छोड़कर)	%	1.84	2.60	1.84	2.60
बकाया ऋण/कुल ऋण परिसंपत्ति (एनपीए के मामले में बकाया को छोड़कर)	%	0.25	0.82	0.25	0.82
लाभांश#	(₹करोड़)	1,320	1,834.86	1,320	1,834.86
निवल मूल्य	(₹करोड़)	40,280	35,766	40,655	36,028

₹1,320 करोड़ की राशि अंतरिम लाभांश के रूप में भुगतान की गई है, तथापि आयकर अधिनियम के प्रावधानों सहित सांविधिक कानूनों और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभ को ध्यान में रखते हुए अंतिम लाभांश घोषित करने की स्वीकृति नहीं दी गई।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीयन सं. : 01411 एन
की ओर से

हस्ता/–
सीए एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
पार्टनर
सदस्यता सं.: 014956

दिनांक : 28 जुलाई, 2017

स्थान : नई दिल्ली

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीयन सं.: 00862एन
की ओर से

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
पार्टनर
सदस्यता सं.: 087354

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

विभिन्न श्रेणी के बॉण्डों के लिए आपकी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड शृंखला
1.	**विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड)** द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुंबई–400 051	9.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला (2017)-XIII 8.21% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला (2017)-XVII 7.87% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला (2017)-XVIII जीरो कूपन बॉण्ड शृंखला - (2022) XIX 8.19% पीएफसी सहायक टीयर II- डेब्ट बॉण्ड शृंखला 105 8.01% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 107-ए 8.46% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 107-बी 9.81% सुरक्षित टैक्स योग्य बॉण्ड शृंखला 109 9.65% पीएफसी सहायक टीयर II- डेब्ट बॉण्ड शृंखला 111 9.70% टैक्स योग्य सुरक्षित बॉण्ड शृंखला 112ए 9.70% टैक्स योग्य सुरक्षित बॉण्ड शृंखला 112बी 9.70% टैक्स योग्य सुरक्षित बॉण्ड शृंखला 112सी 9.69% टैक्स योग्य सुरक्षित बॉण्ड शृंखला 113 9.70% पीएफसी सहायक टीयर II- डेब्ट बॉण्ड शृंखला 114 7.19% 10 वर्षीय टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 12-13 TR -I 1 7.69% 10 वर्षीय टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 2012-13 TR-I -1 7.36% 15 वर्षीय टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 2012-13 TR-I -2 7.86% 15 वर्षीय टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 2012-13 TR-I -2 6.88% TR-2 टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 12-13 7.38% TR-2 टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 12-13 7.04% TR-2 टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 12-13 7.54% TR-2 टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 12-13 8.18% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 Iए 8.43% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 Iबी 8.54% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 2ए 8.79% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 2बी 8.67% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 3ए 8.92% टैक्स रहित बॉण्ड शृंखला 13-14 3बी
2.	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिस लिमिटेड,** **विश्वस्त भवन, प्रथम तल,** 218 प्रतापगंज पेठ सतारा -415002	7.6% करयोग्य बॉण्ड शृंखला - XXV 8.85% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - XXVIII 9.96% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला XXXV 9.28% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - XLसी 9.68% बॉण्ड शृंखला XLV II-सी 10.55% टीएएक्सयू बॉण्ड (XLVIII-सी)-2018 10.85% टीएएक्सयू बॉण्ड- XLIX-बी 11.00% टीएएक्सयू बॉण्ड- LI - सी 11.25% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - LII-सी 8.60% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 57बी 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 61 8.70% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 62ए 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 62बी 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 63 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 63 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 64 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला - 64

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड शृंखला
3.	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिस लि.** 10, राकेश दीप बिल्डिंग, युसुफ सराय, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, गुलमोहर एंक्लेव, नई दिल्ली - 110 049	8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 65 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 65 8.65% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 66-ए 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 66 -बी 8.85% पीएफसी इंफ्रास्ट्रचर बॉण्ड शृंखला - 66 -सी 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 68-बी 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 70 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 71 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 71 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 71 8.97% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 72-ए 8.99% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 72-बी 9.18% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 73 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 74 9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 75 -सी 9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 76 -ए 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 76-बी 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 77-बी 9.44% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला - 78-बी 7.51% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड शृंखला-79-ए 7.75% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड शृंखला-79-बी 8.09% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड शृंखला-80-ए 8.16% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड शृंखला-80-बी 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला-82-सी 9.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला-85-सी 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला-85-डी 9.42% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला-87-डी 9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड शृंखला-88-सी अवसंरचना बॉण्ड (2011-12) - ट्रेंच I-शृंखला -I अवसंरचना बॉण्ड (2011-12) - ट्रेंच I-शृंखला -II अवसंरचना बॉण्ड (2011-12) - ट्रेंच I-शृंखला -III अवसंरचना बॉण्ड (2011-12) - ट्रेंच I-शृंखला -IV 8.43% श्रृंखला I प्राइवेट प्लेंसमेंट इंफ्रा 8.43% श्रृंखला II इंफ्रा प्राइवेट प्लेंसमेंट 8.72% श्रृंखला III इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेंसमेंट 8.72% श्रृंखला IV इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेंसमेंट
4.	**कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड** **(पूर्ववर्ती ''जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड'')** ''जीडीए हाउस'', प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (दायें), 95, पॉड रोड, पुणे - 411 038	दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड (2010-2011) - ट्रेंच I शृंखला - I दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड (2010-2011) - ट्रेंच I शृंखला - II दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड (2010-2011) - ट्रेंच I शृंखला - III दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड (2010-2011) - ट्रेंच I शृंखला - IV 8.20% कर मुक्त बॉण्ड वित्तीय वर्ष 2011-12 का पब्लिक इश्यू 8.30% कर मुक्त बॉण्ड वित्तीय वर्ष 2011-12 का पब्लिक इश्यू 7.21% कर मुक्त बॉण्ड शृंखला- 94-क 7.38% कर मुक्त बॉण्ड शृंखला- 94-ख 7.22% कर मुक्त बॉण्ड शृंखला- 95-क 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड शृंखला-95-बी 9.52% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 89-ए 9.61% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 90-ए 9.41% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 90-बी बॉण्ड शृंखला- 91-ए बॉण्ड शृंखला- 91-बी 9.01% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 92-ए 9.27% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 92-बी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड शृंखला
		9.29% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 92-सी पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 93-बी 8.72% करयोग्य बॉण्ड शृंखला- 98-II (2018) 8.72% करयोग्य बॉण्ड शृंखला- 98-III (2019) 8.77% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 99-ए 8.82% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 99-बी 8.86% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 100-ए 8.84% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 100-बी 8.95% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 101-ए 9.00% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 101-बी 8.90% पीएफसी बॉण्ड शृंखला-102 ए (i) 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला-102ए(ii) 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड शृंखला-102ए(III) 8.87% पीएफसी बॉण्ड शृंखला-102-बी 8.94% पीएफसी बॉण्ड शृंखला-103 9.11% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 115-I 9.15% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 115-II 9.20% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 115-III 9.32% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 117-ए 9.37% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 117-बी 9.30% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 118-ए 9.39% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 118-बी-I 9.39% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 118-बी-II 9.39% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 118-बी-III 9.32% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 119-बी 8.98% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 120-ए 8.98% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 120-बी 8.90% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 121-ए 8.96% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 121-बी 8.76% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 122 8.50% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 123-ए 8.65% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 123-बी 8.66% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 123-सी 8.52% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 124-ए 8.55% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 124-बी 8.48% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 124-सी 8.65% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 125 8.65% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 126 8.36% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 127 8.20% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 128 8.29% पीएफसी बॉण्ड शृंखला- 129-ए 8.29% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 129-बी 8.40% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 130-ए 8.42% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 130-बी 8.39% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 130-सी 8.34% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 131-ए 8.38% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 131-बी 8.41% पीएफसी बॉण्ड शृंखला 131-सी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड शृंखला
5.	**माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसिस प्राइवेट लि.** **602, हॉलमार्क** बिजनेस प्लाजा, संत ध्यानेश्वर मार्ग, अपोजिट गुरू नानक हॉस्पिटल बांद्रा (पूर्व) ,मुंबई-400051 दूरभाष : 022-67167082 फैक्स : 022-67167077	8.03% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 132-ए 8.09% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 132-बी 8.00% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 133-ए 8.00% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 133-बी 8.35% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 134-ए 8.39% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 134-बी 8.40% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 135-ए 8.50% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 135-बी 7.16% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 136 8.53% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 137 8.45% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 138 8.12% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 139-ए 8.12% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 139-बी 8.17% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 139-सी 8.28% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 140-ए 8.36% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 140-बी 8.46% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 141-सी 8.40% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 141-बी 7.88% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 142-ए 8.00% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 142-ए 8.12% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 143 7.98% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 144 7.85% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 145 8.05% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 146 8.03% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 147 7.95% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 148 8.04% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 149 7.50% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 150-ए 7.63% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 150-बी 7.47% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 151-ए 7.56% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 151-बी 7.55% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 152 7.40% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 153 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 154 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 155 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 156-भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 157 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 158-भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 159 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 160-भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 161 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 162 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 163 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 164-भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड- शृंखला 165 7.11% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस I ए 17.10.2015 7.36% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस I बी 17.10.2015 7.27% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस 2 ए 17.10.2015 7.52% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस 2 बी 17.10.2015 7.35% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस 3 ए 17.10.2015 7.60% पीएफसी करमुक्त बॉण्डस 3 बी 17.10.2015

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1)
और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुक्रम में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i)	सीआईएन	L65910DL1986GOI024862
ii)	पंजीकरण की तिथि	16 जुलाई 1986
iii)	कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	पब्लिक कंपनी/सरकारी कंपनी, एनबीएफसी, शेयरों द्वारा लिमिटेड, कंपनी जिनके पास शेयर पूंजी है।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	**पंजीकृत कार्यालय** 'ऊर्जानिधि' 1, बाराखंबा लेन कनॉट प्लेस नई दिल्ली - 110001 **कंपनी सचिव** श्री मनोहर बलवानी दूरभाष:+91 11 23456020 फैक्स: +91 11 23456786 ई-मेल : investorsgrievance@pfcindia.com
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	हां
vii)	रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	**कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड** **संप्रेषण पता** कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट ''कार्वी सेलेनियम टावर ''ख'', प्लॉट नं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, गाचिवोवली, हैदराबाद-500 032, आंध्र प्रदेश, भारत दूरभाष : +91 40 67162222, फैक्स : +91 40 23420814 ई-मेल: support@karvy.com, वेबसाईट : www.karvycomputershare.com

II. कंपनी के मुख्य व्यापारिक कार्यकलाप

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल% टर्नओवर नाम तथा विवरण
1	ऋण पर ब्याज तथा अन्य सेवाओं से आय	64990 (अन्य वित्तीय सेवाएं कार्यकलाप लेकिन बीमा तथा पेंशन वित्तीयन कार्यकलापों को छोड़कर)	100

III. धारित, सहयोगी तथा सहायक कंपनियों का विवरण

क्र. सं	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित/ सहयोगी/सहायक	धारित शेयर का %	प्रयुक्त खंड
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	U74140DL2008GOI175858	सहायक कंपनी	100	कंपनी अधिनियम 2013 का खंड 2(87)
2	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	U65923DL2011GOI216796	सहायक कंपनी	100	
3	पीएफसी कैपिटल एडवायजर सर्विसिस् लिमिटेड	U74140DL2011GOI222484	सहायक कंपनी	100	
4	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर प्राइवेट लिमिटेड	U65100DL2008PTC175845	सहायक कंपनी	100	
5	*छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतारा पावर लिमिटेड)*	U40102DL2006GOI146111	सहायक कंपनी	100	
6	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146109	सहायक कंपनी	100	

क्र. सं	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित/ सहयोगी/सहायक	धारित शेयर का %	प्रयुक्त खंड
7	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146953	सहायक कंपनी	100	
8	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	U40102DL2007GOI157615	सहायक कंपनी	100	
9	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI152423	सहायक कंपनी	100	
10	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U40108DL2008GOI178409	सहायक कंपनी	100	
11	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U45207DL2008GOI178456	सहायक कंपनी	100	
12	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	U40200DL2009GOI189476	सहायक कंपनी	100	
13	देवधर मेगा पावर लिमिटेड	U40300DL2012GOI234839	सहायक कंपनी	100	
14	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2014GOI263819	सहायक कंपनी	100	
15	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	U93000DL2014GOI263902	सहायक कंपनी	100	
16	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2015GOI282164	सहायक कंपनी	100	
17	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282192	सहायक कंपनी	100	
18	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282653	सहायक कंपनी	100	
19	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	U40300DL2015GOI288311	सहायक कंपनी	100	
20	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	U74999DL2013GOI257470	सहायक कंपनी	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्णतः सहायक कंपनी	
21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	U74999DL2013GOI257471	सहायक कंपनी		
22	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40106DL2014GOI274558	सहायक कंपनी		
23	साउथ-सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40109DL2015GOI276863	सहायक कंपनी		
24	फतेहगढ भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2016GOI309971	सहायक कंपनी		
25	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310540	सहायक कंपनी		
26	सोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310556	सहायक कंपनी		
27	गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	U40106DL2017GOI310611	सहायक कंपनी		
28	एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसिस लिमिटेड	U40200DL2009PLC196789	जेवी	31.71	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (6)
29	श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U40101MP1993PLC007667	सहयोगी कंपनी	23.32	

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी–वार शेयर धारिता

शेयरधारक की श्रेणी			वर्ष की शुरूआत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % अंतर
			डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	पूरे शेयर का %	
(क)	**प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप**										
(I)	**भारतीय**										
	क)	व्यक्ति रूप में/ एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ख)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (एस)	894924366	0	894924366	67.80	1751631394	0	1751631394	66.35	1.45
	ग)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	घ)	बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ड़)	कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		उप जोड़ (क) (1):–	**894924366**	**0**	**894924366**	**67.80**	**1751631394**	**0**	**1751631394**	**66.35**	**1.45**

शेयरधारक की श्रेणी			वर्ष की शुरूआत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % अंतर
			डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	पूरे शेयर का %	
(2)	विदेश										
	क)	एनआरआई- व्यक्ति रूप में	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ख)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ग)	संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	घ)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ड)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप–जोड़ (क) (2):			0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)			894924366	0	894924366	67.80	1751631394	0	1751631394	66.35	1.45
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता											
1.	संस्थान										
	क)	मयुचुअल फंड/यूटीअई	19790150	0	19790150	1.50	84148928	0	84148928	3.19	1.69
	ख)	बैंक/वित्तीय संस्थान	39198732	0	39198732	2.97	34431411	0	34431411	1.30	1.67
	ग)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	घ)	उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ड)	बीमा कंपनिया	128979672	0	128979672	9.77	215729156	0	215729156	8.17	1.60
	च)	वित्तीय संस्थान	176100368	0	176100368	13.34	409564159	0	409564159	15.51	2.17
	छ)	विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ज)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	झ)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1):–			364068922	0	364068922	27.58	743873654	0	743873654	28.18	-0.60
2.	गैर:–संस्थागत										
	क)	निगमित निकाय	18411601	0	18411601	1.39	39131118	0	39131118	1.48	0.09
	ख)	निजी									
	i)	ऐसे शेयरधारक, जिनके पास एक लाख रूपए तक की सामान्य पूंजी है	33900166	16888	33917054	2.57	70837116	54978	70892094	2.69	0.12
	ii)	निजी के रूप में ऐसे शेयरधारक, जिनके पास एक लाख रूपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी है	4193186	0	4193186	0.32	20740808	0	20740808	0.79	0.47
	ग)	अन्य									
		समाशोधन सदस्य	504699	0	504699	0.04	5726464	0	5726464	0.22	0.18
		विदेशी नागरिक	800	0	800	0.00	1000	0	1000	0.00	0.00
		अनिवासी भारतीय	1490147	0	1490147	0.11	2053189	0	2053189	0.08	0.04
		एनआरआई गैर रिपैट्रिएशन	0	0	0	0.00	1612409	0	1612409	0.06	0.06
		न्यास	2529929	0	2529929	0.19	4419278	0	4419278	0.17	0.02
	घ)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2):–			61030528	16888	61047416	4.62	144521382	54978	144576360	5.48	-0.85
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)			425099450	16888	425116338	32.20	888395036	54978	888450014	33.65	-1.45
योग (क +ख)			1320023816	16888	1320040704	100.00	2640026430	54978	2640081408	100.00	0.00

शेयरधारक की श्रेणी			वर्ष की शुरूआत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % अंतर
			डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	वास्तविक जोड़	जोड़	पूरे शेयर का %	
	ग.	जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर									
	(1)	प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	(2)	सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल योग (क + ख + ग)			1320023816	16888	1320040704	100.00	2640026430	54978	2640081408	100.00	

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. स.	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं			वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग का %अंतर
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %	कुल शेयरों के प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %	कुल शेयरों के प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	894924366	67.80	शून्य	1751631394	66.35	शून्य	1.45

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. स			वर्ष की शुरूआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %
1.	**भारत के राष्ट्रपति**					
	वर्ष की शुरूआत में – अधिशेष		894924366	67.80	894924366	67.80
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	894924366	33.90	1789848732	67.80
	20.01.2017	बिक्री (ओएफएस के लिए ईटीएफ को सौंपा गया)	31297873	1.19	1758550859	66.61
	10.02.2017	ओएफएस के बाद ईटीएफ खाते से शेष को वापस सौंपा गया	3729532	0.14	1762280391	66.75
	17.03.2017	बिक्री (ओएफएस के लिए ईटीएफ को सौंपा गया)	12285358	0.47	1749995033	66.29
	24.03.2017	ओएफएस के बाद ईटीएफ खाते से शेष को वापस सौंपा गया	1636361	0.06	1751631394	66.35
	वर्ष के अंत में – इतिशेष				1751631394	66.35

(iv) **शीर्ष के दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर) का शेयरधारिता पैटर्न:**

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		119830788	9.08	119830788	9.08
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	119830788	4.54	239661576	9.08
	23.09.2016	बिक्री	200000	0.01	239461576	9.07
	30.09.2016	बिक्री	1464477	0.06	237997099	9.01
	07.10.2016	बिक्री	4000172	0.15	233996927	8.86
	14.10.2016	बिक्री	929428	0.04	233067499	8.83
	21.10.2016	बिक्री	3563187	0.13	229504312	8.69
	03.02.2017	बिक्री	2041096	0.08	227463216	8.62
	10.02.2017	बिक्री	2445000	0.09	225018216	8.52
	17.02.2017	बिक्री	2718435	0.10	222299781	8.42
	24.02.2017	बिक्री	3805393	0.14	218494388	8.28
	03.03.2017	बिक्री	5549672	0.21	212944716	8.07
	10.03.2017	बिक्री	5648579	0.21	207296137	7.85
	17.03.2017	बिक्री	3091701	0.12	204204436	7.73
	24.03.2017	बिक्री	5645000	0.21	198559436	7.52
	31.03.2017	बिक्री	1428048	0.05	197131388	7.47
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				197131388	7.47
2	**भारतीय जीवन बीमा निगम पी एंड जीएस फंड**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष			1.39	18291098	1.39
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	18291098	0.69	36582196	1.39
	23.09.2016	बिक्री	200000	0.01	36382196	1.38
	30.09.2016	बिक्री	402500	0.02	35979696	1.36
	07.10.2016	बिक्री	1435803	0.05	34543893	1.31
	14.10.2016	बिक्री	896564	0.03	33647329	1.27
	21.10.2016	बिक्री	682541	0.03	32964788	1.25
	03.02.2017	बिक्री	969734	0.04	31995054	1.21
	10.02.2017	बिक्री	882111	0.03	31112943	1.18
	17.02.2017	बिक्री	864670	0.03	30248273	1.15
	24.02.2017	बिक्री	2240000	0.08	28008273	1.06
	03.03.2017	बिक्री	1293907	0.05	26714366	1.01
	10.03.2017	बिक्री	850084	0.03	25864282	0.98
	17.03.2017	बिक्री	1490220	0.06	24374062	0.92
	24.03.2017	बिक्री	2587603	0.10	21786459	0.83
	31.03.2017	बिक्री	1255017	0.05	20531442	0.78
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				20531442	0.78
3	**मोरगन स्टेनले एशिया (सिंगापुर) पीटीई.**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		15734713	1.19	15734713	1.19
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	08.04.2016	बिक्री	605288	0.05	15129425	1.15
	15.04.2016	खरीद	68594	0.01	15198019	1.15
	22.04.2016	बिक्री	70000	0.01	15128019	1.15
	29.04.2016	बिक्री	58000	0.00	15070019	1.14

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	06.05.2016	बिक्री	1303838	0.10	13766181	1.04
	13.05.2016	बिक्री	167883	0.01	13598298	1.03
	20.05.2016	खरीद	241440	0.02	13839738	1.05
	27.05.2016	बिक्री	579235	0.04	13260503	1.00
	03.06.2016	बिक्री	99565	0.01	13160938	1.00
	10.06.2016	खरीद	13315	0.00	13174253	1.00
	17.06.2016	बिक्री	66000	0.00	13108253	0.99
	24.06.2016	खरीद	374854	0.03	13483107	1.02
	30.06.2016	बिक्री	36967	0.00	13446140	1.02
	08.07.2016	खरीद	201000	0.02	13647140	1.03
	15.07.2016	बिक्री	6000	0.00	13641140	1.03
	22.07.2016	बिक्री	106793	0.01	13534347	1.03
	29.07.2016	बिक्री	15000	0.00	13519347	1.02
	05.08.2016	बिक्री	434426	0.03	13084921	0.99
	19.08.2016	बिक्री	699167	0.05	12385754	0.94
	26.08.2016	बिक्री	3441190	0.26	8944564	0.68
	02.09.2016	बिक्री	2170919	0.16	6773645	0.51
	09.09.2016	बिक्री	3680686	0.28	3092959	0.23
	16.09.2016	बोनस आबंटन	6373971	0.24	9466930	0.36
	23.09.2016	बिक्री	476453	0.02	8990477	0.34
	07.10.2016	बिक्री	596206	0.02	8394271	0.32
	14.10.2016	बिक्री	1262924	0.05	7131347	0.27
	21.10.2016	बिक्री	460475	0.02	6670872	0.25
	28.10.2016	बिक्री	18000	0.00	6652872	0.25
	04.11.2016	खरीद	16834	0.00	6669706	0.25
	11.11.2016	बिक्री	204000	0.01	6465706	0.24
	18.11.2016	बिक्री	959655	0.04	5506051	0.21
	25.11.2016	बिक्री	317938	0.01	5188113	0.20
	02.12.2016	बिक्री	1209843	0.05	3978270	0.15
	09.12.2016	बिक्री	630082	0.02	3348188	0.13
	16.12.2016	बिक्री	225759	0.01	3122429	0.12
	23.12.2016	बिक्री	1356803	0.05	1765626	0.07
	30.12.2016	खरीद	60000	0.00	1825626	0.07
	06.01.2017	बिक्री	2539	0.00	1823087	0.07
	13.01.2017	बिक्री	4779	0.00	1818308	0.07
	20.01.2017	बिक्री	95346	0.00	1722962	0.07
	03.02.2017	बिक्री	11340	0.00	1711622	0.06
	10.02.2017	बिक्री	57473	0.00	1654149	0.06
	17.02.2017	बिक्री	149724	0.01	1504425	0.06
	10.03.2017	बिक्री	646415	0.02	858010	0.03
	24.03.2017	बिक्री	10371	0.00	847639	0.03
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				847639	0.03
4	**स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन (मॉरीशस) लिमिटेड**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		10961745	0.83	10961745	0.83
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	08.04.2016	खरीद	152561	0.01	11114306	0.84
	15.04.2016	खरीद	146480	0.01	11260786	0.85

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	22.04.2016	खरीद	306058	0.02	11566844	0.88
	29.04.2016	बिक्री	126815	0.01	11440029	0.87
	06.05.2016	खरीद	9312	0.00	11449341	0.87
	13.05.2016	खरीद	22000	0.00	11471341	0.87
	20.05.2016	खरीद	167702	0.01	11639043	0.88
	27.05.2016	बिक्री	51155	0.00	11587888	0.88
	03.06.2016	खरीद	136343	0.01	11724231	0.89
	10.06.2016	खरीद	9882	0.00	11734113	0.89
	17.06.2016	बिक्री	4919	0.00	11729194	0.89
	24.06.2016	खरीद	130844	0.01	11860038	0.90
	30.06.2016	बिक्री	2000	0.00	11858038	0.90
	01.07.2016	बिक्री	686000	0.05	11172038	0.85
	08.07.2016	खरीद	106282	0.01	11278320	0.85
	15.07.2016	खरीद	12000	0.00	11290320	0.86
	22.07.2016	बिक्री	1349079	0.10	9941241	0.75
	29.07.2016	बिक्री	321000	0.02	9620241	0.73
	05.08.2016	बिक्री	855000	0.06	8765241	0.66
	12.08.2016	बिक्री	6724423	0.51	2040818	0.15
	19.08.2016	बिक्री	336372	0.03	1704446	0.13
	26.08.2016	बिक्री	732021	0.06	972425	0.07
	02.09.2016	खरीद	544840	0.04	1517265	0.11
	09.09.2016	खरीद	392414	0.03	1909679	0.14
	16.09.2016	बोनस आबंटन	673858	0.03	2583537	0.10
	23.09.2016	खरीद	518039	0.02	3101576	0.12
	30.09.2016	खरीद	215098	0.01	3316674	0.13
	07.10.2016	खरीद	104525	0.00	3421199	0.13
	14.10.2016	खरीद	330806	0.01	3752005	0.14
	28.10.2016	बिक्री	24000	0.00	3728005	0.14
	04.11.2016	खरीद	20237	0.00	3748242	0.14
	11.11.2016	बिक्री	11996	0.00	3736246	0.14
	18.11.2016	बिक्री	22946	0.00	3713300	0.14
	25.11.2016	बिक्री	749243	0.03	2964057	0.11
	02.12.2016	खरीद	6000	0.00	2970057	0.11
	09.12.2016	खरीद	474931	0.02	3444988	0.13
	16.12.2016	बिक्री	12000	0.00	3432988	0.13
	23.12.2016	बिक्री	294000	0.01	3138988	0.12
	30.12.2016	बिक्री	180000	0.01	2958988	0.11
	06.01.2017	बिक्री	35651	0.00	2923337	0.11
	13.01.2017	बिक्री	176526	0.01	2746811	0.10
	20.01.2017	बिक्री	2772	0.00	2744039	0.10
	27.01.2017	खरीद	60939	0.00	2804978	0.11
	03.02.2017	खरीद	929873	0.04	3734851	0.14
	10.02.2017	बिक्री	94863	0.00	3639988	0.14
	17.02.2017	बिक्री	57402	0.00	3582586	0.14
	24.02.2017	खरीद	5034	0.00	3587620	0.14
	03.03.2017	खरीद	18385	0.00	3606005	0.14
	10.03.2017	खरीद	30055	0.00	3636060	0.14

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	17.03.2017	बिक्री	280600	0.01	3355460	0.13
	24.03.2017	बिक्री	1100730	0.04	2254730	0.09
	31.03.2017	खरीद	40782	0.00	2295512	0.09
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				2295512	0.09
5	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड–ए/सी एचडीएफसी एमआईडी–केप्पोपोर**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		6700000	0.51	6700000	0.51
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	6700000	0.25	13400000	0.51
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				13400000	0.51
6	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		6309199	0.48	6309199	0.48
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	6309199	0.24	12618398	0.48
	07.10.2016	बिक्री	124901	0.00	12493497	0.47
	28.10.2016	बिक्री	1387202	0.05	11106295	0.42
	25.11.2016	बिक्री	1115489	0.04	9990806	0.38
	02.12.2016	बिक्री	2193085	0.08	7797721	0.30
	16.12.2016	बिक्री	332741	0.01	7464980	0.28
	23.12.2016	बिक्री	402051	0.02	7062929	0.27
	13.01.2017	बिक्री	805596	0.03	6257333	0.24
	20.01.2017	बिक्री	1180000	0.04	5077333	0.19
	27.01.2017	बिक्री	1170492	0.04	3906841	0.15
	03.02.2017	बिक्री	890000	0.03	3016841	0.11
	10.02.2017	बिक्री	645000	0.02	2371841	0.09
	17.02.2017	बिक्री	180000	0.01	2191841	0.08
	24.02.2017	बिक्री	355000	0.01	1836841	0.07
	03.03.2017	बिक्री	760000	0.03	1076841	0.04
	10.03.2017	बिक्री	635000	0.02	441841	0.02
	17.03.2017	बिक्री	441841	0.02	0	0.00
	24.03.2017	खरीद	200000	0.01	200000	0.01
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				200000	0.01
7	**पंजाब नेशनल बैंक**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		5743158	0.44	5743158	0.44
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	16.09.2016	बोनस आबंटन	5743158	0.22	11486316	0.44
	02.12.2016	बिक्री	866100	0.03	10620216	0.40
	16.12.2016	बिक्री	40675	0.00	10579541	0.40
	13.01.2017	बिक्री	1646052	0.06	8933489	0.34
	20.01.2017	बिक्री	3074044	0.12	5859445	0.22
	27.01.2017	बिक्री	1495394	0.06	4364051	0.17
	03.02.2017	बिक्री	908504	0.03	3455547	0.13
	10.02.2017	बिक्री	350000	0.01	3105547	0.12
	17.02.2017	खरीद	260000	0.01	3365547	0.13
	24.02.2017	बिक्री	1080000	0.04	2285547	0.09
	03.03.2017	बिक्री	546819	0.02	1738728	0.07
	10.03.2017	बिक्री	115607	0.00	1623121	0.06
	17.03.2017	बिक्री	51595	0.00	1571526	0.06

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	24.03.2017	बिक्री	603062	0.02	968464	0.04
	31.03.2017	खरीद	209638	0.01	1178102	0.04
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				1178102	0.04
8	**एचडीएफसी स्टेण्र्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		5639121	0.43	5639121	0.43
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	08.04.2016	बिक्री	75000	0.01	5564121	0.42
	15.04.2016	बिक्री	120000	0.01	5444121	0.41
	06.05.2016	खरीद	268185	0.02	5712306	0.43
	13.05.2016	खरीद	1678	0.00	5713984	0.43
	27.05.2016	बिक्री	312377	0.02	5401607	0.41
	03.06.2016	बिक्री	14474	0.00	5387133	0.41
	17.06.2016	बिक्री	450000	0.03	4937133	0.37
	24.06.2016	बिक्री	1878203	0.14	3058930	0.23
	30.06.2016	बिक्री	445000	0.03	2613930	0.20
	15.07.2016	बिक्री	18678	0.00	2595252	0.20
	29.07.2016	बिक्री	100000	0.01	2495252	0.19
	12.08.2016	बिक्री	400000	0.03	2095252	0.16
	19.08.2016	बिक्री	250000	0.02	1845252	0.14
	26.08.2016	बिक्री	50000	0.00	1795252	0.14
	09.09.2016	बिक्री	79286	0.01	1715966	0.13
	16.09.2016	बोनस आबंटन	1767374	0.07	3483340	0.13
	04.11.2016	बिक्री	31153	0.00	3452187	0.13
	18.11.2016	बिक्री	20255	0.00	3431932	0.13
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				3431932	0.13
9	**मोरगन स्टेनले मॉरीशस कंपनी लिमिटेड**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		5380595	0.41	5380595	0.41
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	08.04.2016	खरीद	511889	0.04	5892484	0.45
	15.04.2016	बिक्री	254965	0.02	5637519	0.43
	22.04.2016	खरीद	59522	0.00	5697041	0.43
	29.04.2016	खरीद	1036835	0.08	6733876	0.51
	06.05.2016	खरीद	378000	0.03	7111876	0.54
	13.05.2016	खरीद	70000	0.01	7181876	0.54
	20.05.2016	खरीद	200199	0.02	7382075	0.56
	27.05.2016	खरीद	89793	0.01	7471868	0.57
	03.06.2016	खरीद	121570	0.01	7593438	0.58
	10.06.2016	बिक्री	39122	0.00	7554316	0.57
	17.06.2016	खरीद	110689	0.01	7665005	0.58
	24.06.2016	खरीद	589303	0.04	8254308	0.63
	30.06.2016	खरीद	475339	0.04	8729647	0.66
	01.07.2016	खरीद	308000	0.02	9037647	0.68
	08.07.2016	खरीद	7389213	0.56	16426860	1.24
	15.07.2016	बिक्री	641487	0.05	15785373	1.20
	22.07.2016	बिक्री	17622	0.00	15767751	1.19
	29.07.2016	खरीद	89927	0.01	15857678	1.20
	05.08.2016	खरीद	418030	0.03	16275708	1.23

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	12.08.2016	खरीद	163315	0.01	16439023	1.25
	19.08.2016	खरीद	772042	0.06	17211065	1.30
	26.08.2016	खरीद	135710	0.01	17346775	1.31
	02.09.2016	बिक्री	979467	0.07	16367308	1.24
	09.09.2016	खरीद	647539	0.05	17014847	1.29
	16.09.2016	बोनस आबंटन	15304082	0.58	32318929	1.22
	23.09.2016	खरीद	2778662	0.11	35097591	1.33
	30.09.2016	खरीद	4589783	0.17	39687374	1.50
	07.10.2016	बिक्री	524013	0.02	39163361	1.48
	14.10.2016	खरीद	264330	0.01	39427691	1.49
	21.10.2016	खरीद	733270	0.03	40160961	1.52
	28.10.2016	खरीद	615177	0.02	40776138	1.54
	04.11.2016	खरीद	1963009	0.07	42739147	1.62
	11.11.2016	खरीद	525245	0.02	43264392	1.64
	18.11.2016	खरीद	1655574	0.06	44919966	1.70
	25.11.2016	खरीद	223042	0.01	45143008	1.71
	02.12.2016	खरीद	11697649	0.44	56840657	2.15
	09.12.2016	बिक्री	749357	0.03	56091300	2.12
	16.12.2016	खरीद	66063	0.00	56157363	2.13
	23.12.2016	बिक्री	531298	0.02	55626065	2.11
	30.12.2016	बिक्री	887601	0.03	54738464	2.07
	06.01.2017	खरीद	95584	0.00	54834048	2.08
	13.01.2017	बिक्री	2410807	0.09	52423241	1.99
	20.01.2017	खरीद	4588	0.00	52427829	1.99
	27.01.2017	खरीद	483202	0.02	52911031	2.00
	03.02.2017	खरीद	1848243	0.07	54759274	2.07
	10.02.2017	खरीद	1098441	0.04	55857715	2.12
	17.02.2017	बिक्री	50085	0.00	55807630	2.11
	24.02.2017	बिक्री	762461	0.03	55045169	2.08
	03.03.2017	खरीद	2464214	0.09	57509383	2.18
	10.03.2017	खरीद	2141318	0.08	59650701	2.26
	17.03.2017	खरीद	3073226	0.12	62723927	2.38
	24.03.2017	खरीद	6061400	0.23	68785327	2.61
	31.03.2017	खरीद	909026	0.03	69694353	2.64
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				69694353	2.64
10	**वानजार्ड एम्परिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, एसईआरआईई**					
	वर्ष की शुरूआत में - अधिशेष		5143602	0.39	5143602	0.39
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	08.04.2016	खरीद	11032	0.00	5154634	0.39
	22.04.2016	खरीद	15720	0.00	5170354	0.39
	10.06.2016	खरीद	13616	0.00	5183970	0.39
	24.06.2016	खरीद	46464	0.00	5230434	0.40
	22.07.2016	खरीद	9504	0.00	5239938	0.40
	29.07.2016	खरीद	30132	0.00	5270070	0.40
	05.08.2016	खरीद	25026	0.00	5295096	0.40
	12.08.2016	खरीद	25515	0.00	5320611	0.40
	19.08.2016	खरीद	36288	0.00	5356899	0.41

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान बढ़ता हुआ शेयरहोल्डिंग	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	09.09.2016	खरीद	34410	0.00	5391309	0.41
	16.09.2016	बोनस आबंटन	5356899	0.20	10748208	0.41
	07.10.2016	खरीद	36704	0.00	10784912	0.41
	14.10.2016	खरीद	25234	0.00	10810146	0.41
	21.10.2016	खरीद	86025	0.00	10896171	0.41
	28.10.2016	खरीद	34410	0.00	10930581	0.41
	11.11.2016	खरीद	74555	0.00	11005136	0.42
	25.11.2016	खरीद	90613	0.00	11095749	0.42
	02.12.2016	खरीद	51615	0.00	11147364	0.42
	06.01.2017	खरीद	26856	0.00	11174220	0.42
	13.01.2017	खरीद	57069	0.00	11231289	0.43
	20.01.2017	खरीद	26856	0.00	11258145	0.43
	03.02.2017	खरीद	80568	0.00	11338713	0.43
	17.02.2017	खरीद	22380	0.00	11361093	0.43
	24.03.2017	खरीद	49230	0.00	11410323	0.43
	31.03.2017	खरीद	48136	0.00	11458459	0.43
	वर्ष के अंत में-इतिशेष				11458459	0.43

कृपया नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने वर्तमान इक्विटी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों का वितरण किया है।

(अ) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के शेयरों की संख्या	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**राजीव शर्मा**				
	वर्ष के प्रारंभ में	16287	0.00	16287	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी *	16287	0.00	32574	0.00
	वर्ष के अंत में			32574	0.00
2.	**आर. नागराजन**				
	वर्ष के प्रारंभ में	26869	0.00	26869	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी *	26869	0.00	53738	0.00
	वर्ष के अंत मे			53738	0.00
3.	**डी. रवि**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1000	0.00	1000	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी *	1000	0.00	2000	0.00
	वर्ष के अंत में				
4.	**सी. गंगोपाध्याय**				
	वर्ष के प्रारंभ में	10744	0.00	10744	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी *	10744	0.00	21488	0.00
	वर्ष के प्रारंभ में			21488	0.00
5.	**अरूण कुमार वर्मा**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के प्रारंभ में			शून्य	0.00

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के शेयरों की संख्या	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6.	**सीताराम पारीक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत मे				
7.	**मनोहर बलवानी**				
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत मे			शून्य	0.00

***वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने वर्तमान इक्विटी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों का वितरण किया है।**

V. कर्जदारी

बकाया/संचित, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(₹ करोड़ में)

		जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में कर्जदारी					
i)	मूलधन		10,775.58	-	20,611.28
ii)	देय परंतु अप्रदत्त ब्याज	0.00	0.00	-	0.00
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	430.40	33.07	-	463.47
	जोड़ (i+ii+iii)	**10,266.10**	**10,808.65**	**-**	**21,074.75**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन					
	वृद्धि	786.39	0.00	-	786.39
	कमी	(859)	(2,112.01)	-	(2971.01)
	एक्सचेंज हानि	-	(219.68)		(219.68)
	निवल परिवर्तन	**(72.61)**	**(2,331.69)**	**-**	**(2404.3)**
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी					
i)	मूलधन		8,443.89	-	18202.79
ii)	देय परंतु अप्रदत्त ब्याज	0.00	0.00	-	0.00
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	434.59	31.69	-	466.27
	जोड़ (i+ii+iii)	**10193.49**	**8,475.57**	**-**	**18669.06**

*टिप्पणी

1 वार्षिक लेखाओं की क्लोजिंग के लिए संगत परिवर्तन दर निम्नलिखित हैं:

	31.03.2016	31.03.2017
यूएस डॉलर /रुपया	66.77	64.85
जेपीवाई / रुपया	0.5964	0.580025
यूरो / रुपया	75.78	69.2925

2 मूलधन (ऋण देयता) के मामले में वृद्धि ''वर्ष के दौरान उधार'' को तथा कमी ''वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान'' को इंगित करता है।

3 ब्याज भुगतान के मामले में, जो दर प्रेषण के लिए लागू है, वह ब्याज खर्च की बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसलिए लेखाओं के लिए कोई परिवर्तन वृद्धि/कमी नहीं होता है। इसलिए ब्याज में परिवर्तन को 'वृद्धि' के रूप में दिखाया गया है।

4 उपर्युक्त वर्णित, परिवर्तन हानि समन्वय के लिए ''कर नियमों'' के अनुसार परिकलित होता है (अगर हानि, ऋणमुक्ति के अनुसार जैसा कि एएस-11 में दिया गया है, लिया जाता है तो ऋण देयता का अथशेष और इतिशेष में मिलान नहीं हो सकता है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना :–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रबंधक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		एम. के. गोयल	राजीव शर्मा (01 अक्तूबर 2017 से)	ए. के. अग्रवाल	सी. गंगोपाध्याय (01 जनवरी 2017 से)	डी. रवि	आर. नागराजन	
1.	**सकल वेतन**							
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	73,10,892	15,65,362	67,40,918	7,61,673	40,92,535	52,19,374	2,56,90,754
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3,72,624	2,80,577	8,97,513	1,24,783	1,64,360	1,68,577	20,08,434
(ग)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	0	0
3.	स्वेट इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0
4.	कमीशन	0	0	0	0	0	0	0
	- लाभ के % रूप में	0	0	0	0	0	0	0
	- अन्य	0	0	0	0	0	0	0
5.	अन्य (पीएफ में कंपनी का अंशदान और गैर कर योग्य परिलब्धियां)	9,86,901	8,73,195	5,19,091	1,80,923	6,71,024	6,45,470	32,31,134
	जोड़ (क)	**86,70,417**	**27,19,134**	**81,57,522**	**10,67,379**	**49,27,919**	**60,33,421**	**3,15,75,792**
	अधिनियम के अनुसार सीमा *							

** पीएफसी के एक सरकारी कंपनी होने के नाते सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके मेहनताने का निर्धारण कंपनी के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।*

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना :–

(₹ करोड़ में)

क.सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	**विजय मोहन कौल**	**योगश चंद्र गर्ग**	**सीताराम पारीक**	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	195975	341700	100504	638179
	कमीशन	0	0	0	0
	अन्य	15774	61900	0	77674
	जोड़ (1)	**211749**	**403600**	**100504**	**715853**
2.	**अन्य गैर कार्यपालक निदेशक#**	**अरूण कुमार वर्मा**			
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0			
	कमीशन	0			
	अन्य	0			
	जोड़ (2)	0			
	जोड़ (ख)=(1+2)				**715853**
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना (क+ख)				**3,22,91,645**
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा*				

 # सरकारी नामिती कंपनी से किसी भी मेहनताने अथवा सिटिंग शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

** स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा निर्धारित सीमाओं के भीतर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दर अर्थात ₹ 20,000 से अर्थात निदेशक मंडल और निदेशकों की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 1,00,000 सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया ।*

ग. प्रबंधक निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों से इतर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक मनोहर बलवानी, सीएस
1.	सकल वेतन	
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	26,93,233
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	2,46,686
(ग)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0
2.	स्टॉक विकल्प	0
3.	स्वेट इक्विटी	0
4.	कमीशन	0
	- लाभ के % रूप में	0
	- अन्य	0
5.	अन्य (पीएफ में कंपनी का अंशदान और गैर कर योग्य परिलब्धियां)	5,20,875
	जोड़	**34,60,794**

VII. अपराध की शास्ति/सजा/कंपांउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/सजा/कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट	अगर कोई अपील की गई हो
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य				
सजा					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य				
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग. डिफाल्ट वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य				
सजा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–घ

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में,

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा	पीएफसी की निगमित समाजिक जिम्मेदारी और स्थायित्व नीति (सीएसआर एंड एसपी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। कंपनी अधिनियम 2013 की अधिसूचना के पश्चात आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति की सीएसआर और एसडी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के साथ 14 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन से समीक्षा की गई। तत्पश्चात डीपीई के नए दिशा-निर्देशों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचनाओं के आधार पर 27 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति की फिर से समीक्षा की गई और इसका सीएसआर एवं स्थायित्व नीति के नाम से पुनः नामकरण किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत स्टैंड-अलोन निवल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के कम-से-कम 2% के समतुल्य राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आवंटित की जाती है। पीएफसी ने अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण निरंतरता आदि के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया था और साथ ही दिव्यांग लोगों की सहायता भी की थी। पीएफसी की सीएसआर नीति और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण निम्नलिखित लिंक: http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSRPolicy_26082016.pdf पर उपलब्ध है
2	सीएसआर समिति का स्वरूप	पीएफसी में सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के लिए दिशा-निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु एक सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समिति का स्वरूप निम्नानुसार है: 1. श्री सीताराम पारीक (स्वतंत्र निदेशक) - अध्यक्ष 2. श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्यिक) - सदस्य 3. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजना) - सदस्य
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पीएफसी का औसत निवल लाभ	₹8,307.28 करोड़
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का 2 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 2(च) (ii) के अनुरूप अधिनियम की धारा 135 के अनुपालन में और उसके तहत आनेवाली कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार औसत स्टैंड-अलोन पीबीटी के 2% के आधार पर ₹166.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था।
5	**वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण**	
क.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि;	₹268.31 करोड़ (यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹166.15 करोड़ तथा पिछले वर्ष के ₹102.16 करोड़ इस वर्ष में ले लिए गए)
ख.	खर्च न की गई राशि, यदि कोई है;	₹100.20 करोड़
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग एवं उसके विवरण नीचे दिए गए हैं।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹168.11 करोड़ रुपए इन मदों में खर्च किए गए :-

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों (एईसी) का मॉडल एईसी के रूप में उन्नयन	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	6.60	2.83	4.86	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	कारगिल कस्बे और जिला मुख्यालय (जम्मू और कश्मीर) में स्ट्रीट लाइटिंग / हाई मास्ट लाइटिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	जम्मू और कश्मीर	3.80	1.67	3.72	
3	सोलर पावर एलईडी लाइटों का इस्तेमाल कर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के प्रावधान के लिए वाड्डेपल्ली मंडल के राजोली गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई गई पूरी कॉलोनी को गोद लेना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	तेलंगाना	3.54	0.91	2.64	
4	मेघालय, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्कूलों (102 स्कूल) को सोलर पीवी के माध्यम से स्वच्छ लाइटिंग सुविधा और आईसीटी सेवाएं प्रदान करना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	अखिल भारतीय स्तर पर	3.29	0.22	2.89	
5	मध्य प्रदेश राज्य के अशोक नगर जिले के चंदेरी कस्बे के चुनिंदा वार्डों में जल वितरण पाइप लाइन की व्यवस्था करना	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	मध्य प्रदेश	3.66	1.83	1.83	
6	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 1000 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	3.85	0.19	3.85	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
7	माइक्रो सोलर पीवी पावर प्लांटों की संस्थापना कर स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत प्रावधान के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	अखिल भारतीय स्तर पर	7.54	0.61	6.11	
8	उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के दौरान नष्ट हुई अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए राहत और बचाव कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता	अन्य	उत्तराखंड	3.00	1.02	1.02	
9	झारखंड के बोकारो जिले के गांवों में सड़कों के लिए सोलर लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	झारखंड	1.05	0.51	0.77	
10	उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 किलोवाट की कुल एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	उड़ीसा	2.03	0.69	1.82	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
11	4230 अन्यथा सक्षम लोगों (पी डब्ल्यू डी) के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	0.98	0.69	0.98	
12	900 महिला सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	1.93	1.59	1.59	
13	मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्त्ताओं (3675) के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की व्यवस्था से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	मध्य प्रदेश	5.45	0.54	5.45	
14	अरूणाचल प्रदेश के गांव में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति संस्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	अरूणाचल प्रदेश	5.34	1.28	3.95	
15	अनुसूचित जातियों के युवा वर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (4750 लोगों के लिए)	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	4.75	2.51	3.51	
16	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 1500 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	4.13	0.37	4.06	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
17	राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के गांवों में 3000 शौचालयों के निर्माण और जागरूकता सृजन के द्वारा स्थाई रूप से साफ - सफाई को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	अखिल भारतीय स्तर पर	7.16	0.27	6.70	
18	बिहार के पिछड़े जिलों में 25000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	बिहार	9.00	5.11	5.11	
19	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 1425 लोगों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	5.06	0.72	3.56	
20	अरूणाचल प्रदेश के जिलों में 8589 ग्रामीण परिवारों को एलईडी आधारित सोलर गृह प्रकाश प्रणाली (एसएचएस) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	अरूणाचल प्रदेश	15.12	5.42	5.42	
21	1200 अन्यथा सक्षम लोगों (पी डब्ल्यू डी) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	1.26	1.08	1.08	
22	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण (8100 शौचालय)	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	आंध्र प्रदेश	209.62	46.63	166.06	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
23	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण (1100 शौचालय)	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	राजस्थान	25.97	4.14	14.68	
24	उत्तर प्रदेश के फूलपुर में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	उत्तर प्रदेश	1.09	0.75	0.86	
25	उत्तर प्रदेश के भदोही में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	उत्तर प्रदेश	1.09	0.75	0.86	
26	उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल	उत्तर प्रदेश	1.28	0.64	0.64	
27	समाज के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 2000 लोगों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	7.89	4.35	4.35	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
28	समाज के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 3000 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	9.30	3.67	3.67	
29	समाज के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 2500 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए परियोजना हेतु पीएफसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	15.00	10.45	10.45	
30	झारखंड के गिरीडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में 544 एलईडी आधारित सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की संस्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	झारखंड	1.19	0.94	0.94	
31	समाज के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 900 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना हेतु पीएफसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर पर	2.20	1.87	1.87	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
32	उत्तर प्रदेश के बस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.28	0.64	0.64	
33	भारत में खेलकूदों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एन एस डी एफ) में योगदान	खेलकूद	अखिल भारतीय स्तर पर	0.10	0.10	0.10	
34	100 श्रवण बाधित बच्चों के लिए कोचलियर इंप्लांट के फिटमेंट के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	अखिल भारतीय स्तर पर	6.30	4.72	4.72	
35	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.13	0.90	0.90	
36	पीएफसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत ''स्वच्छ भारत कोष'' में वित्तीय अंशदान	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	अखिल भारतीय स्तर पर	54.82	54.82	54.82	
37	उत्तर प्रदेश के भदोही (सतं रविदास नगर) में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता - चरण-।।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / अपशिष्ट प्रबंधन / ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.09	0.11	0.11	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/ संस्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में) *	खर्च की गई राशि :प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
38	हिंदुस्तान प्रीफैब लि. के माध्यम से शिलाँग में 4 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	साफ - सफाई / पेय जल / स्वास्थ्य देखरेख	मेघालय	0.43	0.31	0.31	
39	प्रभाव मूल्यांकन, प्रशिक्षण और वेतन एवं भत्तों आदि जैसे अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय	प्रशासनिक उपरिव्यय	लागू नहीं	2.26	2.26	2.26	
					कुल	168.11	

*इसमें पिछले वर्षों से आगे जारी रखे गए कार्यकलापों पर किया गया व्यय शामिल है।

6.	यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में विफल हुई है, तो कंपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि को खर्च न करने के कारण बताएगी।	बहुस्तरीय परियोजनाएं होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम के रूप में राशि संवितरित की गई, परंतु खर्च नहीं की गई आदि। डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन - लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी।
7.	सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व विवरण (बयान) की सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।	पीएफसी की सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

^ डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन - लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी।

नोट : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए ₹125.87 करोड़ (प्रशासनिक उपरिव्यय को शामिल करते हुए) की राशि संवितरित की गई और ₹3.93 करोड़ की राशि लौटाई गई।

हस्ता/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00973413

हस्ता/-
(सीताराम पारीक)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन सं. 00165036

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध 'ङ'

फॉर्म संख्या एओसी–2

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) और कंपनी अधिनियम की
धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं, जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा वाले लेन-देन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटन के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन–देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	श्री महेश्वर हाइडिल पावर कॉर्पोरेशन लि. (एस एम एच पी सी एल), एसोशिएट कंपनी
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों का स्वरूप	बड़े कर्ज, उप कर्ज और जीरो कूपन बॉण्ड (जेड सी बी) का पुनर्अनुसूचियन
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि	ऋणों और जेड सी बी के ऐसे पुनर्अनुसूचिन से संबंधित विशिष्ट अवधि / समय-सीमाओं और अन्य निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना है और तत्पश्चात अनुमोदन कराया जाना है।
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	₹325 करोड़ के बड़े ऋण, ₹308.9 करोड़ के उप ऋण और ₹103.87 करोड़ के जेड सी बी के पुनर्अनुसूचियन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन
(ड.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों को करने का औचित्य	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार परियोजना का पुनरूद्धार
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	9 अगस्त, 2016
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	-
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख	लागू नहीं
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन देनों के विवरण**	**शून्य**
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	-
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों का स्वरूप	-
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि	-
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	-
(ड.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें), यदि कोई है	-
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	-

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00973413

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 अगस्त, 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–च

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) के प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी के निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

(क) औद्योगिक ढांचा और विकास

हाल ही के वर्षों में भारत में आर्थिक विकास के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई, सरकार द्वारा किए गए स्थायी प्रयासों के लिए आभार। सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा, सरकार भारत में व्यापार की सहूलियत के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की दिशा में भी बहुत उत्सुक है।

किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों की प्रगति के साथ स्थायी विकास के लिए अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि और विकास नितांत महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षेत्र अवसरंचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और कल्याण को प्रभावित करता है। अतः आज की आवश्यकता को देखते हुए यहां एक दक्ष, विश्वसनीय और वित्तीय रूप से स्वस्थ विद्युत क्षेत्र का विकास है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उज्ज्वल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह आधारभूत सिद्धातों पर काम कर रही है। इनमें सुलभ (अभिगम्य विद्युत), सस्ती (कम लागत पर सस्ती विद्युत), स्वच्छ (स्वच्छ विद्युत), सुनियोजित (सुनियोजित अवसंरचना; भारत की भविष्य की तैयारी), सुनिश्चित (सभी के लिए सुनिश्चित विद्युत) और सुरक्षित (पादरर्शी शासन व्यवस्था के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का सशक्तीकरण और उनके भविष्य को सुरक्षित करना) शामिल हैं। अभी हाल ही में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

(क) **सभी के लिए 24x7 विद्युत :** भारत सरकार का उद्देश्य देश में सभी परिवारों को समान रूप से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन दस्तावेजों/ योजनाओं में सभी जुड़े हुए और न जुड़े हुए उपभोक्ताओं के लिए '24x7 विद्युत' की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक ऊर्जा, विभिन्न उत्पादन स्रोतों से विद्युत की पर्याप्तता, अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली, अंतरा-राज्य पारेषण प्रणाली तथा 24ग7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है।

(ख) **उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर आल** : यह पहल देश में ऊर्जा कुशलता के संदेश के प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में है। उजाला योजना के अंतर्गत 23 करोड़ से अधिक एलईडी वितरित किए जा चुके हैं और इससे दोहरो उद्देश्य पूरे हुए हैं - एक ओर इससे ₹12400 करोड़ के बिजली के बिल की बचत हुई है, वहीं दूसरी ओर वार्षिक रूप से लगभग 2.5 करोड़ टन से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटा है।

(ग) **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंश योजना (उदय) :** उदय योजना एक व्यापक योजना है, जिसके अंतर्गत देश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालनात्मक कायाकल्प की परिकल्पना की गई है। ₹2.32 लाख करोड़ के उदय बॉण्ड जारी किए जाने के कारण डिस्कॉम के लिए लगभग ₹12000 करोड़ की बचत होने से वितरण क्षेत्र में प्रगति देखी गई है। इस बचत के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को वहनीय लागत पर विद्युत उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इन सुधारों के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा 'विद्युत प्राप्त करने की सहूलियत' के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग में सुधार किया है और यह वर्ष 2015 में 99 की तुलना में वर्ष 2017 में 26 हो गई है।

(घ) **एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) – (आर–एपीडीआरपी योजना का इसमें विलय किए जाने के बाद)** : शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित घटकों के साथ दिनांक 3 दिसंबर, 2014 को ''एकीकृत विद्युत विकास योजना'' (आईपीडीएस) अधिसूचित की :

(i) शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण;

(ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग;

(iii) वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना और आर - एपीडीआरपी एक अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे बढ़ाकर 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना में आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।

(ड) मोबाइल ऐप के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता : सरकार अपनी ओर से किए जा रहे सभी प्रयासों में 'उपभोक्ता को राजा मानते हुए' पारदर्शिता और जबावदेही के सर्वोच्च मानकों के साथ प्रचालन कर रही है। विभिन्न विभागों और योजनाओं की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और प्रगति का जायजा लेने के लिए विभिन्न ऐप शुरू करना इसके भाग के रूप में शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऐप में शहरी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई पी डी एस) की प्रगति पर नजर रखने के लिए 'ऊर्जा', पारेषण परियोजनाओं की निगरानी के लिए 'तरंग' और बिजली कटने की सूचना के लिए 'ऊर्जा मित्र' जैसे ऐप शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण कड़ियां अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण शामिल हैं और जैसा कहा गया है कि किसी व्यवस्था की एक कड़ी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, यह तथ्य विद्युत मूल्य शृंखला के लिए भी सही है। भविष्य में स्थायी रूप से प्रगति का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्येक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ तारतम्य स्थापित कर बराबर गति से चलने की आवश्यकता है। इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, उपलब्धियां और मुद्दे निम्नानुसार हैं :

उत्पादन

स्थापित क्षमता

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता 326849 मेगावाट थी। इसमें ताप विद्युत क्षेत्र का वर्चस्व बना हुआ है और इसकी हिस्सेदारी 67 प्रतिशत (218330 मेगावाट), जल विद्युत क्षेत्र 14 प्रतिशत (44448 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 18 प्रतिशत (57260 मेगावाट) और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 6780 मेगावाट है। संस्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 103967 मेगावाट (32 प्रतिशत), निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 142624 मेगावाट (44 प्रतिशत) और केंद्रीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 80257 मेगावाट (24 प्रतिशत) है।

क्षमता अभिवृद्धि

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 9914 मेगावाट रखा गया। तथापि, निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 14325 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके विवरण निम्नानुसार हैं :

(मेगावाट)

स्रोत	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	हिस्सेदारी (प्रतिशत)
ताप विद्युत क्षेत्र	3230.5	3802	4698	11730.5	81.89
जल विद्युत क्षेत्र	80	1490	24	1594	11.13
नाभिकीय विद्युत क्षेत्र	1000	-	-	1000	6.98
कुल	**4310.5**	**5292**	**4722**	**14324.5**	**100**
शेयर (प्रतिशत)	30.09	36.94	32.97	100	

(स्रोत : सीईए)

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012 से 2017) के लिए क्षमता अभिवृद्धि का अनुमान 88537 मेगावाट के रूप में लगाया गया, जिसमें क्रमश: केंद्रीय क्षेत्र से 26182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र से 15530 मेगावाट और निजी क्षेत्र से 46825 मेगावाट क्षमता शामिल है।

उपर्युक्त लक्ष्यों की तुलना में मार्च, 2017 तक प्राप्त की गई उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(मेगावाट)

स्रोत	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
ताप विद्युत क्षेत्र	15868.60	22201.35	53660.50	91730.45
जल विद्युत क्षेत्र	2584.02	2276.00	619.00	5479.02
नाभिकीय विद्युत क्षेत्र	2000	0.00	0.00	2000.00
कुल	**20452.62**	**24477.35**	**54279.50**	**99209.47**
उपलब्धि (प्रतिशत)	78.12	157.61	115.92	112.05

(स्रोत : सीईए)

पारेषण

पारेषण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला की एक अविभाज्य कड़ी है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और विद्युत की खपत के लिए पारेषण नेटवर्क का उल्लेखनीय रूप से विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक और सहायक है।

भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन असामान्य रूप से फैले हुए हैं और कुछ ही क्षेत्रों में ये सघन मात्रा में उपलब्ध हैं। जल विद्युत संसाधन हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में अवस्थित हैं। कोयला के आवश्यक भंडार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं जबकि लिग्नाइट तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है। इसके अलावा, गैस और सौर, पवन आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले पावर स्टेशनों की भी देश के विभिन्न भागों में स्थापना की गई।

विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा पैदा की जा रही विद्युत के पारेषण और उपभोक्ताओं को उसके वितरण के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान पारेषण लाइनों के एक सघन नेटवर्क का विकास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 23384 सर्किट किमी पारेषण लाइनों के विस्तार के लक्ष्य की तुलना में 26300 सर्किट किमी पारेषण लाइनों का विस्तार किया गया है, जो कि लक्ष्य की तुलना में 112.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समग्र पारेषण क्षमता में भी 81816 एमवीए की वृद्धि हुई है जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 45188 एमवीए के लक्ष्य की तुलना में 181.1 प्रतिशत है।

वितरण

विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण कार्य प्रचालन में वितरण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि यह ही उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है और यह उस प्रणाली का भाग है जो उत्पादन और पारेषण कंपनियों को भुगतान करने के लिए राजस्व सृजित करता है। अत: विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता काफी हद तक वितरण क्षेत्र पर निर्भर करती है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत विद्युत एक समवर्ती विषय है और ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। भारत सरकार वितरण क्षेत्र के सुधार के लिए बहुत-सी केंद्रीय क्षेत्र की/केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

एकीकृत रूप से तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने, आईटी सक्षम ऊर्जा संगणना/लेखांकन प्रणाली स्थापित करने तथा संग्रहण दक्षता में सुधार करने के लिए 'एकीकृत विद्युत विकास योजना' (आईपीडीएस) का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को आमेलित कर दिया गया है। आईपीडीएस कार्यक्रम के लिए ₹32612 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में ₹25354 करोड़ की राशि शामिल है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण,शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/ फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना और आर - एपीडीआरपी एक अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे बढ़ाकर 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना में आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नामक एक अन्य योजना भी शुरू की गई है : (क) कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग - अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और समेकन; और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग। पूर्ववर्ती 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई में आमेलित कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई कार्यक्रम के लिए ₹44033 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में ₹33453 करोड़ की राशि शामिल है।

वितरण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित किए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और आर - एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई (अब डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) (ब्याज सब्सिडी योजना) का गठन किया है। पात्रता के लिए पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से जुड़ी और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े मानदंडों को हासिल करने की प्रगति पर निर्भर है।

भारत सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से एक संधिकालिक वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से सहायता प्रदान कर उनकी अल्पकालिक देयताओं के पुनर्गठन द्वारा राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कायाकल्प का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके वित्तीय पुनर्गठन हेतु एक योजना अधिसूचित की थी।

(ख) अवसर और जोखिम

अवसर

आपकी कंपनी भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में एक रणनीतिक भूमिका अदा करती है। पीएफसी भारत सरकार, राज्य सरकारों और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों, विद्युत क्षेत्र के अन्य माध्यस्थों और निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों के विकास तथा कार्यान्वयन और ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों के लिए मिलकर कार्य करता है। इसके अलावा, यह विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों में भी शामिल है, जिसमें यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/इसमें आमेलित आर-एपीडीआरपी जैसे कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा आईटीपी योजना के लिए अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से एक बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करना पूर्ण रूप से उल्लेखनीय है।

पीएफसी उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय), पारेषण और वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ-साथ संबंधित नवीकरणीय और आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को परियोजना की परिकल्पना से लेकर स्थापना के बाद वाले चरण तक विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और संबंधित परामर्श तथा अन्य सेवाएं प्रदान करता है। पीएफसी विभिन्न प्रकार की निधि आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें दीर्घावधि परियोजना वित्त–पोषण, अल्पावधि ऋण, क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट, ऋण की अंडरराइटिंग और ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए योजनाओं के साथ-साथ भुगतान में चूक के लिए गारंटियो, क्रेडिट बढ़ाने के लिए गारंटियों और लैटर ऑफ कंफर्ट सहित गैर निधि आधारित सहायता शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बहुत-सी शुल्क आधारित तकनीकी, सलाहकार और परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करती है।

निधियों के प्राथमिक स्रोतों में इक्विटी पूंजी, आंतरिक संसाधन और घरेलू तथा विदेशी ऋण शामिल हैं।

पीएफसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। यह एक गैर जमा राशि लेने वाली व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत है और जुलाई, 2010 में इसे एक आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। आपकी कंपनी का एनबीएफसी और आईएफसी के रूप में वर्गीकरण इसे भारत में विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध वित्त-पोषण के अवसरों का प्रभावी ढंग से पूंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। हमें विश्वास है कि आईएफसी के रूप में इसका वर्गीकरण लागत प्रतिस्पर्धी आधार पर (रुपए मूल्य वर्ग के अवसंरचना बॉण्ड, जो बॉण्ड धारकों को एक निश्चित कर लाभ प्रदान करते हैं, को शामिल करते हुए) निधियां जुटाने में कंपनी की सक्षमता को बढ़ाता है और अलग-अलग निकायों, कॉर्पोरेशनों और समूहों को ऐसी अन्य एनबीएफसी, जो आईएफसी के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, की तुलना में ऋण एक्सपोजर बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

जोखिम

पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में उत्साहजनक वृद्धि लक्ष्यों के बावजूद भी भारतीय विद्युत क्षेत्र देश की अत्यधिक बढ़ रही मांग की तुलना में आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि करने और उसे बनाए रखने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। विद्युत क्षेत्र के समक्ष कुछ मौजूदा चुनौतियां इस प्रकार हैं:

(क) **ईंधन सुरक्षा को लेकर चिंताएं :** ताप विद्युत क्षमता अभिवृद्धि इस उद्योग के समक्ष ईंधन की उपलब्धता को लेकर बढ़ रही चिंताओं से प्रभावित होती है। गैस की अनुपलब्धता के कारण 20,000 मेगावाट से अधिक की महत्वपूर्ण गैस आधारित क्षमता बेकार पड़ी है।

(ख) **राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति :** कई वर्षों से जनाधार पर आधारित टैरिफ योजनाओं, एटी और सी हानियों के लगातार बढ़ने और प्रचालनात्मक अदक्षताओं के फलस्वरूप राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(ग) **राज्यों द्वारा विद्युत की कम खरीद :** सीमित मात्रा में ईंधन की उपलब्धता, राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की कमजोर माली हालत और उच्च एटी एंड सी हानियों के कारण विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ने से राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों के मांग संबंधी पूर्वानुमान घटेंगे।

(घ) कोयला ब्लॉकों को रद्द किए जाने के बाद, सरकार ने एक **पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की शीघ्र ही ई-नीलामी** कर दी है, अतः कोयला की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यह स्थिति लगभग दो वर्ष पहले ठीक नहीं थी, तथापि कोयला की नीलामी से कुछ नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने कोयला के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर बोलियां लगाई हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कम वसूली से बचने के लिए अपने प्रचालनों में अत्यधिक दक्षता दर्शाना आवश्यक हो गया है। यह परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवहार्यता जोखिम है।

(ड़) **भारतीय विद्युत क्षेत्र से संबद्ध अन्य जोखिम :** ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत से ही भारत की तेजी से अस्थिर विद्युत मांग के साथ-साथ आर्थिक उदारीकरण की दिशा में इसके सामान्य रूझान के परिणामस्वरूप भारत में आईपीपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी निवेशकों के बीच रूचि बढ़ी है। जहां एक ओर दर्जनों परियोजनाएं अनुमोदित की गईं और विदेशी तथा भारतीय निजी क्षेत्र ने 1992 से 2004 के बीच कई ऐसे पावर प्लांटों की संस्थापना की, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं भुगतान संबंधी विचारणीय समस्याओं के चलते रोक दी गई हैं। विद्युत क्षेत्र में मौजूदा कई घटकों से आईपीपी का वित्तीय समापन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन घटकों में निम्नलिखित, परंतु इतने ही नहीं, कारण शामिल हैं:

- राज्य के विद्युत निकायों के बीच क्रेडिट विश्वसनीयता का अभाव।
- अत्यधिक क्रॉस सब्सिडी
- अपर्याप्त ऑफ-टेक और भुगतान गारंटी व्यवस्थाएं
- अपर्याप्त ईंधन आपूर्ति और परिवहन करार

तथापि विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार कई पहलें शुरू कर रही हैं, जिससे कि विद्युत क्षेत्र की गाड़ी पटरी पर लाई जा सके। इन पहलों के फलस्वरूप उल्लेखनीय क्षमता अभिवृद्धि की गई है और कोयला परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं: वर्ष 2019 तक सभी के लिए 24x7 विद्युत, ''दीप'' (दक्ष विद्युत मूल्य की खोज) का शुभारंभ, उदय, शक्ति, आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी को आमेलित करने के बाद), डीडीयूजीजेवाई आदि। इन सभी पहलों से विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प होने की उम्मीद है।

(ग) खंड–वार अथवा उत्पाद–वार निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के पास ऐसा कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

(घ) दृष्टिकोण

भारतीय विद्युत क्षेत्र में पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है और नीतिगत उपायों तथा निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई प्रतिभागिता के फलस्वरूप पिछड़े बाजार के बजाय एक विकासशील बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। यद्यपि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सी चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें भारत को दूर करना आवश्यक है जिससे कि विकासशील बाजार के बजाय एक परिपक्व बाजार के रूप में स्थापित हो सके। इसी बीच क्या कुछ हासिल किया जा सकता है और वर्तमान में हमारे पास क्या है, इसके अंतर में बहुत सी संभावनाएं और वृद्धि के अपार अवसरों को शामिल नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था में आशातीत वृद्धि, विद्युत की खपत बढ़ने की अपार संभावनाओं और शहरीकरण के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि के मजबूत अवसर उपलब्ध हैं। भारत ने क्षमता निर्माण के क्षेत्र में और क्षमता अभिवृद्धि के लिए अवसरों की तलाश की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय कंपनियों ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक रूचि प्रदर्शित की है और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्युत की खरीद के परिदृश्य में अभी हाल ही में किए गए बदलावों से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

इसके अलावा निवेश की दिशा विद्युत वितरण शृंखला के सभी घटकों अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण की ओर करनी होगी। यह भारत को लंबे समय से उपेक्षित पारेषण और वितरण जैसे क्षेत्रों में मौजूदा कमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। वित्त–पोषण को भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के अगले स्तर पर लाने की आवश्यकता है, जहां वित्तीय संस्थान इस क्षेत्र के लिए इक्विटी प्रदान करें और महज ऋण नहीं। इस क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के विद्युत निकायों से जुड़े जोखिमों को भी हल करने की आवश्यकता है, जो आईपीपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसका कुछ हद तक समाधान राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन और सुरक्षा तथा भुगतान तंत्र की व्यवस्थाओं में सुधार से अवश्य हुआ है। परंतु इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ सावधानी जैसा एक शब्द अवश्य जोड़े जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी संगठन की दक्षता सुधार प्रक्रिया के लिए केंद्र और राज्य मशीनरी की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। ऋण बाजार का मूल्यांकन करने में कुछ उत्पादन कंपनियों की सीमित सफलता को छोड़कर पारेषण और वितरण कंपनियां खुले बाजार सफलतापूर्वक धन जुटाने में सफल नहीं हुई हैं। राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां भी कोई महत्वपूर्ण आंतरिक संसाधनों के अभाव में नजदीकी समस्या झेल रहे हैं। मर्चेंट पावर प्लांटों की उत्कृष्ट वाणिज्यिक संभावनाओं और सामर्थ्य के बावजूद भी इक्विटी बाजार निधियां जुटाने के लिए एक बेहतर स्रोत बना हुआ है। किसी भी मामले में भारतीय इक्विटी और विशेष रूप से ऋण बाजार

अत्यधिक संकीर्ण है और इसमें अपेक्षित गंभीरता मौजूद नहीं है और इन बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम भी नहीं प्रतीत होता है। बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी वित्त–पोषण संस्थान होने के नाते विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण के लिए अपार संभावनाएं हैं। अभी हाल ही में आपकी कंपनी अपने सुदीर्घ अनुभव और विशेषज्ञता के कारण विद्युत क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने में सफल रही।

आईपीडीएस, सभी के लिए 24x7 विद्युत, जल विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिए जाने और यूएमपीपी जैसी भारत सरकार की पहलों के शुरू किए जाने के फलस्वरूप और अधिक व्यापार अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, भारत सरकार की कई पहलें अभी चल रही हैं, जिनके चलते विद्युत क्षेत्र में निधियों की मांग बढ़ने से व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होने की संभावना है।

(ड.) जोखिम और चिंताए

विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण में आपकी कंपनी के समक्ष निम्नलिखित जोखिम और चिंताएं मौजूद हैं:

(क) **दिवालियापन और ऋणशोधन क्षमता संहिता, 2016 में परिकल्पित जोखिम:** यद्यपि दिवालियापन और ऋणशोधन क्षमता संहिता, 2016 समग्र रूप से ऋणदाताओं के लिए एक लाभकारी विधान है क्योंकि इसका उद्देश्य कंपनियों और निर्मित देयता वाले निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्ति विशेष के लिए दिवालियापन के समाधान से जुड़े कानूनों को सुदृढ़ करना और उनमें संशोधन करना है जो समय - समय पर किए गए विभिन्न अधिनियमों में निहित हैं, साथ ही इसका उद्देश्य उन्हें एक एकल विधान के रूप में तैयार करना है। तथापि किसी भी ऋणदाता के लिए तो जोखिम इस बात से भी उत्पन्न हो सकता है कि यहां तक कि 1 लाख रुपए लेने वाला कोई प्रचालनात्मक क्रेडिटर भी दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर सकता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में ऋणदाता का ब्याज दिवालियापन और ऋणशोधन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार भलीभांति सुरक्षित होता है।

(ख) **यूएमपीपी के लिए कोयला से जुड़े जोखिम:** घरेलू कोयले पर आधारित यूएमपीपी के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्तायुक्त कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जाता है। इस प्रकार, घरेलू कोयला पर आधारित यूएमपीपी के लिए कोयले की उपलब्धता को लेकर कोई जोखिम नहीं है। आयातित कोयला पर आधारित यूएमपीपी के लिए जोखिम पूरी तरह से चुनिंदा विकासकर्ता द्वारा ही पैदा किया जा सकता है।

(ग) **प्रमोटरों की इक्विटी और आंतरिक संचयन:** ज्यादातर परियोजनाओं के विकासकर्ता इक्विटी पर अधिकतम लाभ अर्जित करने और आवश्यक कर्ज प्राप्त करने में सक्षम होने के उद्देश्य से परियोजना की कुल लागत में से कुछ राशि का निवेश प्रमोटर की इक्विटी के रूप में करते हैं। कई विकासकर्ता नई परियोजनाओं में इक्विटी का निवेश करने के लिए आंतरिक संचयन पर अधिक विश्वास करते हैं।

(घ) **पूंजी बाजार के माध्यम से निधियां जुटाना:** अभी हाल ही में देखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की कंपनियां अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशकों के साथ आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) सार्वजनिक प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई (एफपीओ)/निजी नियोजन के माध्यम से बाजार से निधियां जुटाती रही हैं। पिछले 2-3 वर्षों में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लगभग सभी आईपीओ/एफपीओ को निवेशकों से आशातीत रूझान प्राप्त हुए हैं अथवा ये स्टॉक बाजारों में बेहतर निष्पादन करते रहे हैं। कई विद्युत कंपनियों से आने वाले वर्षों में अपने आईपीओ लॉन्च करने की उम्मीद है।

(ङ) **ब्याज दरों में अस्थिरता:** कंपनी का व्यवसाय प्राथमिक रूप से इसके ऋण प्रचालन से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर करता है। ब्याज दरों में अस्थिरता कंपनी के ऋण प्रचालन को प्रभावित करती है और इसके फलस्वरूप कंपनी को ब्याज से होने वाली निवल आय निवल ब्याज मार्जिन घट सकते हैं तथा यह कंपनी की परिसंपत्तियों से मिलने वाले रिटर्न और लाभप्रदता को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

(च) **निधियों की लागत:** विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण उद्योग के तेजी से प्रतिस्पर्धी होने के साथ इसकी वृद्धि निधियों की प्रभावी लागत को निम्नतर स्तर पर बनाए रखने योग्यता पर निर्भर करती है। ऐसा न कर पाने पर कंपनी के व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर एक बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा में बने रहने की योग्यता और क्षमता समय पूंजी अधिगम, निधियां जुटाने से जुड़ी लागतों और भविष्य में निधियों की प्रभावी लागत को कम स्तर पर बनाए रखने की योग्यता पर निर्भर करती है, जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बराबर अथवा कम होना चाहिए।

(छ) **विधान में परिवर्तन:** पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। यह एक गैर जमा राशि लेने वाली व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत है और जुलाई, 2010 में इसे एक आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गयां। इसके परिणामस्वरूप बहुत से विधान जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देश, आरबीआई अधिनियम और दिशानिर्देश, कर संबंधी विनियम आदि पीएफसी के लागू होते हैं। इन विधानों में परिवर्तन से हमारी कंपनी के प्रचालनात्मक परिणाम बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।

(ज) कंपनी का उत्पादन पोर्टफोलियो 70% से अधिक है और यह कंपनी का मुख्य व्यवसाय है। उल्लेखनीय क्षमता अभिवृद्धि के कारण कई नई परियोजनाएं उत्पादन शुरू नहीं कर पा रही हैं और इसके फलस्वरूप क्रेडिट वृद्धि में उल्लेखनीय कमी हो रही है। साथ ही कंपनी के लिए ऋण मुहैया कराने के भी अवसर घट रहे हैं।

(झ) उदय पीएफसी के लिए एक नई चुनौती है, जिसके तहत डिस्कॉम द्वारा बड़ी धनराशि के भुगतान की परिकल्पना की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि पीएफसी को भारी मात्रा में परिसंपत्तियों/आय की हानि होना। इसके अलावा उदय के अनुसार संधिकालिक निधियों की अनुमति नहीं है, जिसके फलस्वरूप निधियन के अवसर न मिलने की संभावना है। इसके अलावा उदय के अंतर्गत डिस्कॉम के कायाकल्प का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव होगा, जिससे दीर्घावधि में पीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा।

(च) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए सुदृढ़ प्रणाली लागू की और उसे बनाए रखा, जो विभिन्न लेन-देनों की समय पर और परिशुद्धता के साथ रिपोर्टिंग, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक कानूनों, विनियमों तथा कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। लेखांकन के लिए शक्तियों का उपयुक्त ढंग से प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि समान रूप से उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने कि सभी प्रकार की जांच और निगरानी तंत्र भलीभांति काम कर रहे हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां यथावत हैं, के प्रयोजन से कंपनी के अपने आंतरिक लेखा विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर सनदी लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से और सघन रूप से आंतरिक लेखापरीक्षाएं संचालित की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति आवधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखती है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स ए.आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तिमाही आधार पर अधिप्रमाणन किया है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से मार्गदर्शी नोट के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार यह प्रमाणित करते हुए अपनी एक रिपोर्ट भी दी है कि कंपनी ने सभी वास्तविक संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है, और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उस समय ठीक ढंग से कार्य कर रही थी।

पीएफसी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सुदृढ़ और स्वतंत्र है तथा यह सतत् आधार पर कार्य करती है, जिसमें प्रचालन का संपूर्ण क्षेत्र और सेवाएं शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से डिजाइन की गई है कि वित्तीय विवरण और अन्य डाटा तैयार करने तथा परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए वित्तीय तथा अन्य रिकॉर्ड विश्वसनीय बने रहें। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रबंधन द्वारा पूरक समीक्षा की जाती है और नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का प्रलेखन किया जाता है। कंपनी में विश्वसनीय आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायक है।

पीएफसी एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी हैं। इन सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक होने की संभावनाएं कम हो जाती है और ये सभी शेयरधारकों का विश्वास हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

(छ) प्रचालनात्मक निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा हासिल की गई कुल आय वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹27564.31 करोड़ की तुलना में ₹27018.57 करोड़ रही। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹6113.48 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹2126.39 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

आपकी कंपनी आरबीआई पुनर्गठन संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के संदर्भ में आरबीआई के साथ पत्राचार कर रही थी। किए गए विभिन्न पत्राचार के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को आपकी कंपनी को आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने का निर्देश दिया है और राज्य क्षेत्र की कंपनियों को ऋणों के ऋणकर्तावार वर्गीकरण, जिन्हें आरबीआई की विहित सीमाओं के भीतर डीसीसीओ (वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तारीख) का लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किया जाता है, के लिए 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है।

आपकी कंपनी 1 अप्रैल, 2015 से स्वीकृत किए गए उत्पादन परियोजनाओं के नए ऋणों के संदर्भ में आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करती आ रही थी (1 अप्रैल, 2015 से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथानुमोदित पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू किया)। आरबीआई का दिनांक 11 अप्रैल, 2017 का पत्र प्राप्त होने के बाद आपकी कंपनी ने बकाया ऋणों (पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋणों से इतर) के संबंध में आरबीआई पुनर्गठन संबंधी शर्तों का अनुपालन शुरू किया है। उत्पादन परियोजनाओं के ऐसे ऋणों, जो 31 मार्च, 2015 से पहले स्वीकृत किए गए थे और जिनका पुनर्गठन 1 अप्रैल, 2015 से किया गया है, के संदर्भ में परिणामी प्रावधान के साथ आरबीआई की शर्तों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण 31 मार्च, 2017 से किया गया है। आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने (विद्युत मंत्रालय द्वारा यथानुमोदित शर्तों को छोड़कर) के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव (पीबीटी में कमी) ₹3954.55 करोड़ के रूप में है।

आरबीआई की शर्तों के अनुरूप संरेखण के कारण ₹59,304.01 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को डाउनग्रेड कर दिया गया, जिसमें से ₹35994.70 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को पुनर्गठित के रूप में और ₹23309.30 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किया गया। इसके फलस्वरूप, कंपनी का लाभ ₹3954.55 करोड़ के रूप में बुरी तरह प्रभावित हुआ।

₹59304.01 करोड़ की प्रभावित सभी ऋण परिसंपत्तियां राज्य सरकार अथवा केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू से संबंधित हैं और सभी उत्पादन परियोजनाओं के लिए दी गई। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के सभी ऋणकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100 प्रतिशत की वसूली दर से नियमित रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं अर्थात 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उनकी कोई देयताएं (₹4 करोड़ की राशि को छोड़कर, जिसे 31 मार्च, 2017 के बाद समाशोधित किया गया,) नहीं थी।

आरबीआई मानदंडों के कारण प्रभावित हुए लेखों का विवरण

(क) 4.25% के प्रावधान के साथ पुनर्गठित के रूप में डाउनग्रेड की गई ऋण परिसंपत्तियां

- सभी प्रभावित ऋण परिसंपत्तियां राज्य सरकार अथवा केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू से संबंधित हैं और सरकारी क्षेत्र के सभी ऋणकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100% की वसूली दर से नियमित रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं ।
- ₹35994.70 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को मानक से पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में डाउनग्रेड किया गया, जिसका लाभ पर ₹1403.79 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पुनर्गठित की गई परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं :
  - 58% अथवा ₹20890 करोड़ : पहले से ही स्थापित हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी
  - 31% अथवा ₹11165 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना के लिए अनुसूचित
  - 10% अथवा ₹3670 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना के लिए अनुसूचित
  - 1% अथवा ₹270 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना के लिए अनुसूचित

(ख) 10% के प्रावधान के साथ एनपीए के रूप में डाउनग्रेड की गई ऋण परिसंपत्तियां

₹23309.31 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किया गया, जिसका लाभ पर ₹2550.76 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, एनपीए के रूप में घोषित की गई परिसंपत्तियां नीचे दिए अनुसार हैं :

- 79% अथवा ₹18504 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें से :
  - 68% अथवा ₹15883 करोड़ : सीओडी पहले ही प्राप्त कर ली गई है
  - 2% अथवा ₹525 करोड़ : सीओडी प्राप्त की जानी है
  - 9% अथवा ₹2096 करोड़ : सीओडी प्राप्त की जानी है
- 19% अथवा ₹4494 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपग्रेड किया जाएगा,
- 1% अथवा ₹312 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपग्रेड किया जाएगा,

उपर्युक्त सभी परियोजनाएं राज्य सरकार की स्वामित्व वाली उत्पादन परियोजनाएं हैं और उनके पास एफएसए तथा पीपीए उपलब्ध हैं और 100% वसूली के साथ नियमित रूप से ऋण का भुगतान भी कर रही हैं।

प्रबंधन को आरबीआई मानदण्डों के कारण प्रभावित हुई ₹59304.01 करोड़ की इन ऋण परिसंपत्तियों को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती है और उनके अगले कुछ वर्षों में भी मानक परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके अलावा, 80% एनपीए के वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वत: ही अपग्रेड होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं को कभी भी एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया गया है (सिक्किम पावर, जो कि अब मानक परिसंपत्ति है तथा रत्नागिरी, जो एनटीपीसी तथा गेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों के संयुक्त उद्यम को छोड़कर)।

यद्यपि आपकी कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 से निजी क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों के लिए भी आरबीआई मानदण्डों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है, फिर भी निजी क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाओं के लिए कंसोर्शियम आधार पर निधियन के कारण बड़े पैमाने पर आरबीआई मानदण्डों को लागू करने के बाद से अभी तक निजी क्षेत्र के किसी भी ऋण खाते को डाउनग्रेड नहीं किया है।

₹413.03 करोड़ की एक मानक परिसंपत्ति (आर के एम) से होने वाली आय के प्रत्यावर्तन और उदय से संबंधित भुगतान के कारण ₹225 करोड़ के अतिरिक्त कर बोझ के कारण वर्ष के दौरान लाभ भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए कि आय के इस प्रत्यावर्तन और आरबीआई की प्रावधानीकरण की नीति के अनुरूप अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किए बिना आपकी कंपनी का लाभ ₹6400 करोड़ रहा होता।

आरबीआई के प्रभाव के बिना परिसंपत्ति की गुणवत्ता

(i) वस्तुत: आरबीआई के प्रभाव के बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने वास्तविक रूप से अपनी एनपीए को निम्नानुसार घटाया है:

- ₹920 करोड़ के 4 ऋण लेखों को मानक के रूप में अपग्रेड किया गया
- ₹442 करोड़ की उत्पादन क्षेत्र की ऋण परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किया गया

(ii) इसके साथ ही वर्ष के लिए एनपीए का अनुपात निम्नानुसार रहा :

	आरबीआई के प्रभाव के साथ	आरबीआई के प्रभाव के बिना
सकल एनपीए	12.50%	3.01% (पिछले वर्ष में 3.15 % की तुलना में सुधार)
निवल एनपीए	10.55%	1.68% (पिछले वर्ष में 2.55 % की तुलना में सुधार)

(iii) जहां तक बकाया पुनर्गठित बही का संबंध है, तो आरबीआई मानदण्डों के कारण प्रभावित परिसंपत्ति से इतर वह ₹19445.92 करोड़ है।

- 26% अथवा ₹5000 करोड़ की परिसंपत्तियों की स्थापना पहले ही कर ली गई है, ₹4500 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्यावर्तित किया जाएगा और ₹500 करोड़ की परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- इस पुनर्गठित बही की 70% या ₹13500 करोड़ की परिसंपत्तियों की सीओडी वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित है।
- ₹19445.92 करोड़ यह सभी पुनर्गठित बही निजी क्षेत्र से संबंधित है।

अन्य वित्तीय विशेषताएं

(i) क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद भी आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मजबूत व्यापारिक वृद्धि दर्ज की है, जो निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित की गई है :

- ऋण संस्वीकृतियों में 55% की वृद्धि अर्थात यह ₹65042 करोड़ से बढ़कर ₹100603 करोड़ हो गया है।
- संवितरण में 35% की वृद्धि अर्थात यह ₹46588 करोड़ से बढ़कर ₹62798 करोड़ हो गया है।
- वर्ष के दौरान ₹28400 करोड़ के उदय से संबंधित भुगतानों के बावजूद भी संवितरण में वृद्धि के कारण एक सकारात्मक ऋण परिसंपत्ति वृद्धि देखी गई और ऋण परिसंपत्तियां 3% की वृद्धि के साथ ₹238920 करोड़ से बढ़कर ₹245525 करोड़ हो गई हैं।

(ii) आरबीआई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना पीएफसी ने ब्याज विस्तार के स्तर को भी 3% के स्वस्थ स्तर पर बनाए रखा और वर्ष के लिए एन आई एम का प्रतिशत 4.50% बना रहा।

संसाधनों को दोहन

(i) आपकी कंपनी ने 7.47% की आंशिक लागत पर वर्ष के दौरान ₹66800 करोड़ की राशि जुटाई है।

(ii) आपकी कंपनी ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रमशः टियर-I पूंजी के लिए 16.20% की तुलना में 19.28% तथा टियर-2 पूंजी के लिए 1%% की तुलना में 15% के सहज स्तर पर बनाए रखा है।

(iii) आपकी कंपनी को 54 ईसी बॉण्ड जारी कर निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप निधियां जुटाने के लिए पीएफसी की लगात को घटानें में सहायता मिलेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी मानदण्डों के अनुरूप संरेखण के प्रभाव पर विचार किए बिना वित्तीय 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित कंपनी का वित्तीय निष्पादन उपर्युक्त के बारे में बेहतर समझ के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण प्रदान करने संबंधी सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य प्रभारों और व्यापार व्यय के मद में ₹254.01 करोड़ का एकीकृत विदेशी विनिमय का बहिर्गमन किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी मुद्रा में अर्जन शून्य है।

(ज) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

आपकी कंपनी अपने कार्मिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन और सबसे मूल्यवान परिसंपत्तियों के रूप में मानती है और इसका उद्देश्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं को अपने व्यापार लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करना है। आपकी कंपनी अपने सर्वाधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध कार्मिकों की टीम पर गर्व करती है। इसके कार्मिक कंपनी की वृद्धि और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य और प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान देते हैं। कंपनी प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के माध्यम से अपने कार्मिकों की क्षमता निर्माण और उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी अपने कार्मिकों के कौशल अंतराल की पहचान करने, उनकी क्षमताओं को समझने और निखारने तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण में परिवर्तन के लिए कार्मिकों को तैयार करने के साथ-साथ संगठनात्मक चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस दिशा में कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली लागू की है। जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक भी कार्य-दिवस का नुकसान नहीं हुआ। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की नामावली में 449 कार्मिक शामिल थे।

(झ) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी और स्थायी विकास (सीएसआर और एसडी)

सीएसआर गतिविधियां हमारे प्रचालन का एक आधार स्तंभ है और पीएफसी अपनी वृद्धि के सिद्धांत के भाग के रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व और बाध्यताओं को निर्वहन करता है। आपकी कंपनी का यह प्रयास रहा है कि वह एक जबावदेह निगमित नागरिक के रूप में कार्य करे, जो बड़े पैमाने पर समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का कार्यान्वयन किया और अन्यथा सक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य किया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 2 (च) (ii) के अनुरूप अधिनियम की धारा 135 का अनुपालन करने वाली और इसके दायरे में आने वाली कंपनी से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंड अलोन कर पूर्व लाभ के 2% के आधार पर ₹166.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया।

(ण) नवीकरणीय ऊर्जा

विद्युत अवसंरचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्थायी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । भारतीय विद्युत क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तनों के दौर से गुज़र रहा है जिससे उद्योग परिदृश्य पुनः परिभाषित हो रहा है। स्थायी अर्थिक विकास से भारत में विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के 'सभी के लिए विद्युत' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान के एक अभिन्न अंग और ऊर्जा अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आते हुए यह सरकार के स्थायी विकास की कार्यसूची के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है । यह स्वीकार किया गया है कि आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक गंभीर भूमिका अदा करनी होगी और यह ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में होगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में विस्तार करने के प्रयोजन से त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढांचे में अभूतपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं जिससे कि सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाया जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 60 गीगावाट की पवन विद्युत, 100 गीगावाट की सौर विद्युत, 10 गीगावाट की बायोमास विद्युत और लघु जल विद्युत स्रोतों से 5 गीगावाट विद्युत का योगदान शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने से इस क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक अवसर पैदा हुए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसी ने जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹8156 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और ₹1327 करोड़ की धनराशि संवितरित की हैं। इसके अलावा, पीएफसी ने पवन, सौर, बगास और बायो मास क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹7021 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और इसी अवधि के दौरान ₹2471 करोड़ की राशि संवितरित की है।

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण'' भाग में दिए गए कुछ बयान/विवरण दूरदर्शी प्रकृति के हो सकते हैं और उन्हें लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक बताया गया है। आर्थिक स्थितियों, सराकरी नीतियों और अन्य सहायक घटकों के आधार पर उनसे संबद्ध जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों से काफी अलग हो सकते हैं। पाठकों को सचेत किया जाता है कि वे भविष्य के लिए पूर्वपरिकल्पित इन विवरणों पर अनावश्यक विश्वास न करें।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–छ

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंपनी में विभिन्न शेयरधारकों के सर्वश्रेष्ठ हित में निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित है। निगमित शासन की अनिवार्यता के अंतर्गत कॉर्पोरेशन में विभिन्न शेयरधारकों जैसे प्रबंधन, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, वित्तपोषक, सरकार और बड़े पैमाने पर समाज के हितों का संतुलन शामिल होता है। चूंकि इसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनके माध्यम से कॉर्पोरेशन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और समाज, नियामक तथा बाजार वातावरण के संदर्भ में उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है। अतः इसमें व्यावहारिक रूप से प्रबंधन का हर पहलू शामिल होता है, जिसमें कार्य योजना से लेकर आंतरिक नियंत्रण, निष्पादन का मापन और निगमित प्रकटन भी शामिल होता है।

आपकी कंपनी का निगमित शासन सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सुशासन का मूल सिद्धांत इसके शेयरधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, सैद्धांतिक व्यापार प्रक्रियाओं के सर्वोच्च मानकों के अनुपालन, सही मायने में और अक्षरशः कानून के अनुपालन, पर्याप्त प्रकटन, निगमित निष्पक्षता, सामाजिक रूप से प्रतिक्रियाशील होने और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है। साथ ही निगमित शासन के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन संबंधी एक व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी संलग्न है।

1. निगमित शासन संहिता पर कंपनी के सिद्धांत (दर्शन) का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का निगमित शासन संबंधी दर्शन दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये निम्नानुसार हैं :

i) अनापेक्षित प्रतिबंधों के बिना स्थायी विकास के लिए उद्यम को आगे बढ़ाने हेतु प्रबंधन के पास पर्याप्त कार्यपालक स्वतंत्रता होनी चाहिए; और

ii) प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का प्रयोग नियामक परिवेश और प्रभावी जवाबदेही के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।

आपकी कंपनी का निगमित ढांचा, व्यापार संचालन और प्रकटन की पद्धतियों को इसके निगमित शासन सिद्धांत के अनुसार संरेखित किया गया है।

आपकी कंपनी प्रकटन संबंधी सिद्धांतों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की आवश्यकताओं का भी मार्गदर्शी बल के रूप में पृष्ठांकन करती है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी को नेतृत्व, वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रक्रिया और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। निदेशक मंडल अपनी शक्तियां स्वयं निर्धारित करता है और कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंधन कंपनी अधिनियम में निर्धारित ढांचे, कंपनी के संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 और कंपनी की आंतरिक संहिताओं/प्रक्रियाओं आदि के अनुसार करता है।

यह निगमित नीतियों, संपूर्ण निष्पादन, लेखांकन और रिपोर्टिंग संबंधी मानकों और प्रबंधन, निगमित शासन और नियामक अनुपालनों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करती है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में विविध अनुभव और विशेषज्ञता वाले ख्यातिलब्ध लोग शामिल हैं।

गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 66.35% की शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के पास है और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा, कंपनी के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में छह निदेशक हैं, जिसमें चार पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और एक गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। हमारे सभी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल इस रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

i) कार्यकाल पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री विजय मोहन कौल, स्वतंत्र निदेशक 24 जून, 2016 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

ii) कार्यकाल पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री वाई सी गर्ग, स्वतंत्र निदेशक 22 अगस्त, 2016 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

iii) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की आयु पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री एम के गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 अक्तूबर, 2016 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

iv) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री राजीव शर्मा ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2016 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

v) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की आयु पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री ए.के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजना) 1 जनवरी, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।

vi) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री चिन्मय गंगोपाध्याय ने दिनांक 1 जनवरी, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (परियोजना) का प्रभार ग्रहण किया।

vii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री सीताराम पारीक ने दिनांक 6 फरवरी, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त न होने और कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक के अभाव में कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं था। कंपनी ने नियोक्ता प्राधिकारी होने के नाते विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए पहले ही अनुरोध किया है जिससे कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम बन सके।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार था :

पूर्णकालिक निदेशक		
i)	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
ii)	श्री आर नागराजन*	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
iii)	श्री डी. रवि	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
iv)	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना) एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
v)	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
vi)	श्री सीताराम पारीक	स्वतंत्र निदेशक

*अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की आयु पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) 1 जनवरी, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री नवीन भूषण गुप्ता ने दिनांक 18 अगस्त, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) का प्रभार ग्रहण किया।

बोर्ड की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उनकी अनुसूची पर्याप्त समय रहते तैयार कर ली जाती है। पीएफसी का निदेशक मंडल नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। निदेशक मंडल की बैठकों में एक ढांचागत कार्य सूची पर चर्चा की जाती है और निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा के लिए कार्यसूची में कोई भी विषयवस्तु शामिल करने की सिफारिश हेतु स्वतंत्र है। स्पष्टीकरण नोट सहित विस्तृत कार्यसूची और सभी प्रमुख मुद्दों पर आवश्यक कागजात अग्रिम तौर पर परिचालित किए जाते हैं, जिससे कि निदेशक मंडल को पूरी तरह से सूचित और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सुकर बनाया जा सके। आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवालयी; मानकों-1 का अक्षरशः अनुपालन करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 14 बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी तारीखें निम्नानुसार हैं :

i) 16 मई, 2016, ii) 25 मई, 2016, iii) 14 जुलाई, 2016, iv) 9 अगस्त, 2016 v) 1 सितंबर, 2016 vi) 27 सितंबर, 2016 vii) 28 अक्तूबर, 2016, viii) 9 नवंबर, 2016, ix) 28 दिसंबर, 2016, x) 23 जनवरी, 2017 xi) 13 फरवरी, 2017 xii) 20 फरवरी, 2017 xiii) 24 मार्च, 2017 और (xiv) 31 मार्च, 2017

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 19 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, ऐसी अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें निदेशक हैं और अन्य समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता आदि के विवरण निम्नानुसार हैं :

नाम और पद नाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशक*	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता /सदस्यता**		19 अगस्त, 2016 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 अक्तूबर, 2016 से)	8	8	3	शून्य	शून्य	-
श्री एम. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30 सितंबर, 2016 तक)	6	6	-	-	-	उपस्थित
श्री आर. नागराजन निदेशक (वित्त)	14	14	8	शून्य	2	उपस्थित
श्री डी रवि निदेशक (वाणिज्यिक)	14	14	8	2	शून्य	उपस्थित
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय निदेशक (परियोजना) (1 जनवरी, 2017 से)	5	5	8	1	शून्य	-
श्री ए.के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजना) (31 दिसंबर, 2016 से)	9	9	-	-	-	उपस्थित
श्री अरुण कुमार वर्मा निदेशक (सरकारी नामिती)	14	14	1	शून्य	शून्य	अनुपस्थित
श्री सीताराम पारीक, स्वतंत्र निदेशक (6 फरवरी, 2017 से)	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	-
श्री विजय मोहन कौल, स्वतंत्र निदेशक (23 जून, 2016 तक)	2	2	-	-	-	-
श्री योगेश चन्द्र गर्ग स्वतंत्र निदेशक (21 अगस्त, 2016 तक)	4	4	-	-	-	उपस्थित

*निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 के तहत आने वाली कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक के रूप में नहीं हैं।

**लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति से इतर अन्य बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता नहीं है।

बोर्ड में शामिल निदेशकों में से कोई भी निदेशक ऐसी सभी कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी के कोई भी निदेशक एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iv के संदर्भ में और सीपीएसई के गैर सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 27 मई, 2016 को आयोजित की गई। अलग से आयोजित इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने एक घोषणा की कि वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लिया गया। इसके अलावा लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत निदेशक मंडल के प्रशिक्षण हेतु एक नीति बनाई गई है। इस नीति की प्रतिलिपि आपकी कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

कंपनी के कार्यकलापों पर विशेष फोकस के साथ त्वरित ढंग से विचार करने और निर्णय प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए निदेशक मंडल ने पृथक भूमिका, जवाबदेही और प्राधिकार के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

i. लेखापरीक्षा समिति
ii. नामांकन और मेहनताना समिति
iii. शेयरधारक संबंध तथा शेयरधारक/निवेशकों की शिकायत समिति
iv. जोखिम और प्रबंधन समिति
v. निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति
vi. निदेशकों की ऋण समिति
vii. प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति
viii. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति
ix. मानव संसाधन समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 23 जून, 2016 तक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप था, तथापि श्री विजय मोहन कौल, स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकाल समाप्त होने के कारण वे 24 जून, 2016 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे। इसके अलावा, श्री योगेश चंद गर्ग, स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकाल समाप्त होने के कारण वे 22 अगस्त, 2016 से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे।

इसके अलावा, श्री सीताराम पारीक, स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 10 फरवरी, 2017 से लेखापरीक्षा समिति में शामिल किया गया।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप निम्नलिखित था:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री सीताराम पारीक	अध्यक्ष
2.	श्री डी. रवि	सदस्य
3.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहे। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार में कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन आवश्यकताओं, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति ने अपनी सात (7) बैठकें आयोजित कीं। इनकी तारीखें निम्नानुसार थीं : i) 25 मई, 2016, ii) 14 जुलाई, 2016, iii) 9 अगस्त, 2016 iv) 9 नवंबर, 2016, v) 28 दिसंबर, 2016, vi) 23 जनवरी, 2017 और vii) 13 फरवरी,2017

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनके विवरण निम्नानुसार हैं;

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री विजय मोहन कौल (23 जून, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री डी. रवि (24 जून, 2016 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	6	6
श्री योगेश चंद्र गर्ग (21 अगस्त, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3	3
डा. ए के वर्मा, (28 अक्तूबर, 2016 से 9 फरवरी, 2017 तक)	निदेशक (सरकारी नामिती)	3	3
श्री ए.के. अग्रवाल, (31 दिसंबर, 2016 तक)	निदेशक (परियोजना)	5	5
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	निदेशक (परियोजना)	2	2
श्री सीताराम पारीक (10 फरवरी, 2017 से)	स्वतंत्र निदेशक	1	1

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक (परीक्षकों) के प्रतिनिधि को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वे समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकें।

3.2 नामांकन और मेहनताना समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है और ऐसा होने के नाते इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके मेहनताने का निर्धारण कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधानों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में एक मेहनताना समिति गठित की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 23 जून, 2016 तक कंपनी की नामांकन और मेहनताना समिति का स्वरूप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप था, तथापि श्री विजय मोहन कौल, स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकाल समाप्त होने के कारण वे 24 जून, 2016 से नामांकन और मेहनताना समिति के सदस्य नहीं रहे। इसके अलावा, श्री योगेश चंद गर्ग, स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकाल समाप्त होने के कारण वे 22 अगस्त, 2016 से नामांकन और मेहनताना समिति के अध्यक्ष नहीं रहे।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार नामांकन, मेहताना तथा मानव संसाधन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ अरुण कुमार वर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री डी. रवि	सदस्य
3.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

निदेशक (वित्त) को उक्त समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है।

नामांकन और मेहनताना समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और समय-समय पर यथासंशोधित डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नामांकन और मेहनताना समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तारीखों i) 14 जुलाई, 2016, ii) 23 जनवरी, 2017 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
डा. अरूण कुमार वर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)	2	2
श्री डी. रवि (24 जून, 2016 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	2	2
श्री योगश चंद्र गर्ग (21 अगस्त, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	निदेशक (परियोजना)	1	1

मेहनताना नीति

आपकी कंपनी केंद्रीय क्षेत्र का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ उनके संगत नियुक्ति आदेशों/वेतन निर्धारण आदेशों के माध्यम से ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के मेहनताने का निर्धारण करता है। कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताने का निर्धारण डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में निदेशकों का मेहनताना प्राप्त करने वाले सदस्यों के अलावा निदेशक मंडल के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रमोटरों अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई वास्तविक धन संबंधी संबंध अथवा लेन-देन नहीं है जो निदेशक मंडल की दृष्टि से निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

पीएफसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सकरार द्वारा किया जाता है।

पूर्णकालिक निदेशकों का मेहनताना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया मेहनताना उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार था।

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताने के विवरण नीचे दिए गए हैं :

निदेशक का नाम (₹)	वेतन (₹)	लाभ (₹)	बोनस / कमीशन एक्स–ग्रेसिया (₹)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प	जोड़
श्री राजीव शर्मा (1 अक्तूबर, 2016 से)	12,47,724	1,471,410	0	0	0	27,19,134
श्री एम.के. गोयल (30 सितंबर, 2016 तक)	49,84,958	13,91,455	0	22,94,004	0	86,70,417
श्री आर. नागराजन	30,03,521	14,33,174	0	15,96,726	0	60,33,421
श्री डी. रवि	25,28,342	13,92,057	0	10,07,520	0	49,27,919
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	6,34,728	4,32,651	0	0	0	10,67,379
श्री ए.के. अग्रवाल (31 दिसंबर, 2016 तक)	47,77,687	18,46,928	0	15,32,907	0	81,57,522

नोट :

1. निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों का भुगतान कंपनी की निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
2. निदेशकों की नियुक्ति और उनके मेहनताने के भुगतान संबंधी निर्णय कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। अतः निदेशकों के लिए नोटिस अवधि और उसके बदले पृथककरण शुल्क का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामिती निदेशकों का मेहनताना

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के कंपनी के साथ वास्तविक रूप से धन संबंधी कोई संबंध नहीं हैं और न ही वे कंपनी से कोई लेन–देन करते हैं। हालांकि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दरों से सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को निदेशक मंडल और समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹20,000 की सिटिंग फीस का भुगतान किया गया।

सरकारी नामिती कंपनी से किसी भी मेहताना या सिटिंग फीस के लिए पात्र नहीं हैं।

3.3 शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में अपने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए निदेशकों की एक शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारक संबंध तथा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ अरुण कुमार वर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री आर. नागराजन	सदस्य
3.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की तीन बैठकें क्रमशः (i) 16 मई, 2016 (ii) 9 अगस्त, 2016 और (iii) 09 नवंबर, 2016 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया उनके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री आर. नागराजन	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री विजय मोहन कौल (23 जून, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री योगेश चंद्र गर्ग (21 अगस्त, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
डॉ. अरूण कुमार वर्मा, (28 अक्तूबर, 2016 से)	निदेशक (सरकारी नामिती)	1	1
श्री ए.के. अग्रवाल, (31 दिसंबर, 2016 तक)	निदेशक (परियोजना)	3	3
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	निदेशक (परियोजना)	-	-

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना निम्नानुसार हैं :

विवरण	इक्विटी
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	1
वर्ष के दौरान प्राप्त	593
वर्ष के दौरान निपटाई गई	593
वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	1*

*न्यायालय में विचाराधीन है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति के विवरण

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने और बहुत से जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
2.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन (3) बैठकें क्रमशः (i) 04 जुलाई, 2016 (ii) 08 दिसंबर, 2016 तथा (iii) 30 जनवरी, 2017 को आयोजित की गईं।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री आर. नागराजन	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री योगेश चंद्र गर्ग (21 अगस्त, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री ए.के. अग्रवाल, (31 दिसंबर, 2016 तक)	निदेशक (परियोजना)	2	2
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	निदेशक (परियोजना)	1	1

3.5 निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति

सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्यकलापों को दिशा-निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर और एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री सीताराम पारीक	अध्यक्ष
2.	श्री डी. रवि	सदस्य
3.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति की छह (6) बैठकें क्रमशः (i) 5 जुलाई, 2016 (ii) 23 नवंबर, 2016 (iii) 01 दिसंबर, 2016 (iv) 20 दिसंबर, 2016, (v) 6 फरवरी, 2017 तथा (vi) 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री डी. रवि (24 जून, 2016 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	6	6
श्री योगेश चंद्र गर्ग (21 अगस्त, 2016 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री राजीव शर्मा (28 अक्तूबर, 2016 से 10 फरवरी, 2017 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री ए.के. अग्रवाल, (31 दिसंबर, 2016 तक)	निदेशक (परियोजना)	4	4
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (1 जनवरी, 2017 से)	निदेशक (परियोजना)	2	2
श्री सीताराम पारीक (10 फरवरी, 2017 से)	स्वतंत्र निदेशक	1	1

3.6 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 करोड़ की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए ₹500 करोड़ तक की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री अरुण कुमार वर्मा	सदस्य
3.	श्री आर. नागराजन	सदस्य
4.	श्री डी. रवि	सदस्य
5.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण समिति की छह (6) बैठकें क्रमशः (i) 13 मई, 2016 (ii) 4 जुलाई, 2016 (iii) 11 अगस्त, 2016 (iv) 06 फरवरी, 2017 (v) 20 फरवरी 2017 और (vi) 10 मार्च, 2017 को आयोजित की गईं।

3.7 प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति

प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में ₹4,000 करोड़ की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए ₹100 करोड़ तक की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री आर. नागराजन	सदस्य
3.	श्री डी. रवि	सदस्य
4.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति की सात (07) बैठकें क्रमशः (i) 18 जुलाई, 2016 (ii) 23 अगस्त, 2016 (iii) 23 सितंबर, 2016 (iv) 26 अक्तूबर, 2016 (v) 16 नवंबर, 2016 (vi) 19 दिसंबर, 2016 और (vii) 18 जनवरी, 2016 को आयोजित की गईं।

3.8 केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति

केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने के लिए निदेशकों की समिति का गठन केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों और उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश का अनुमोदन करने के लिए और अन्य संबंधित मामले जैसे इक्विटी वापस लेने/उनकी बिक्री करने के लिए निर्णय करने, आईपीओ के माध्यम से आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या निर्धारित करने, मामला दर मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में अलग निवेश सीमा आदि का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री आर. नागराजन	सदस्य
3.	श्री डी. रवि	सदस्य
4.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति की एक (1) बैठक 16 मई, 2016 को आयोजित की गईं।

3.9 मानव संसाधन समिति

मावन संसाधन समिति का गठन निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों पर निदेशक मंडल के विचारार्थ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस मानव संसाधन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
2.	श्री डी. रवि	सदस्य
3.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मानव संसाधन समिति की दो (2) बैठकें क्रमशः i) 5 अगस्त, 2016 और (ii) 10 मार्च, 2017 को आयोजित की गईं।

4. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
28वीं	26 सितंबर, 2014	शुक्रवार	प्रातः 10 बजे	मनेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली- 110010	✓ नए संगम अनुच्छेद को अपनाया जाना। ✓ निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/डिबेंचर आदि जारी करके निधियां जुटाने के लिए।
29वीं	24 सितंबर, 2015	गुरुवार	प्रातः 10 बजे	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड नई दिल्ली - 110003	✓ भारत अथवा विदेश में निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/डिबेंचर आदि जारी करके ₹60,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।
30 वीं	19 अगस्त, 2016	शुक्रवार	प्रातः 11 बजे	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, लोदी रोड नई दिल्ली-110003	✓ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अंतर्गत अनुमोदित मौजूदा ऋण सीमा में संशोधन ✓ भारत अथवा विदेश में निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/ डिबेंचर आदि जारी करके ₹55,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र के माध्यम से पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

इसके अलावा आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी के पास ऐसी कोई सहायक कंपनियां नहीं हैं, जिनका गठन भारत में किया गया हो और जिनका टर्नओवर अथवा निवल मूल्य (अर्थात प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियां) तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः समेकित टर्नओवर अथवा निवल मूल्य के 20% से अधिक हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची-ट भाग-ग (10) (ड़) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुक्रम में कंपनी ने ''वास्तविक सहायक कंपनी पर नीति'' तैयार की है और यह http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490186004628_Polciy on Material Subsidiary.pdf-path=Page पर उपलब्ध है।

6. प्रकटन

कंपनी ने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया है, जिसके कंपनी के हित के प्रतिकूल हाने की संभावना हो। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार कंपनी ने ''संबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीति'' तैयार की है और यह http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490186033556_Polciy on Related Party Transaction. pdf-path=Page पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई शास्ति अधिरोपित की गई है और न ही कोई प्रतिबंध लगाया गया है। तथापि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी को कंपनी के निदेशक

मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा का अनुपालन पूरा न करने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शास्ति संबंधी एक नोटिस प्राप्त हुआ।

सगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धार 177 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुक्रम में और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसरण में कंपनी को अन्य बातों के साथ - साथ कंपनी की आचार संहिता अथवा सिद्धांत नीति का उल्लंघन करने अथवा वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी, अनैतिक व्यवहार या अपनी वास्तविक चिंताओं अथवा शिकायतों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक 'सतर्कता तंत्र/विसिल ब्लोअर नीति' स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे सतर्कता तंत्र के अभिन्न भाग के रूप में पीएफसी ने एक विसिल ब्लोअर नीति लागू की है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने के लिए कभी मना नहीं किया गया है। यह नीति http://www.pfcindia.com/ Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf-path=Page पर उपलब्ध है ।

कंपनी की लेखाबही में ऐसा कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए न किया गया हो। इसके अलावा ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का और निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

आपकी कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की सभी अपेक्षाओं और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के लोक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों का व्यापक तौर पर अनुपालन किया है। गैर-जरूरी अपेक्षाओं को पूरा करने (और अनुपालन)/न अपनाने (अननुपालन) संबंधी सूचना अनुबंध-क में दी गई है।

कंपनी में जोखिम मूल्यांकन और उनको न्यूनतम करने अथवा उन्मूलन के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों का प्रबंधन एक उचित परिभाषित ढांचे के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और यथालागू सीमा तक कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

7. संचार के साधन

कंपनी संचार को संपूर्ण निगमित शासन ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है और इसलिए यह बड़े पैमाने पर जनता के साथ निरंतर, दक्ष और संगत संचार पर लगातार जोर दे रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आमसभा, समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटन कर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। कंपनी निवेशक सम्मेलन, कांफ्रेंस कॉल इत्यादि के माध्यम से इनकी सूचना अपने संस्थागत शेयरधारकों को भी देती है। जहां एक ओर कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे 'टाइम्स ऑफ इंडिया', हिंदुस्तान टाइम्स, 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी और हिंदी), 'नवभारत टाइम्स' (हिंदी), मिंट, 'जनसत्ता' (हिंदी), बिजनेस लाइन्स, दैनिक जागरण (हिंदी), इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किए जाते हैं वहीं दूसरी ओर इन्हें कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है, जिसमें अन्य जानकारी के साथ–साथ लेखापरीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल होती है। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को भी परिचालित की जाती है।

8. सीईओ/सीएफओ द्वारा अधिप्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अंतर्गत यथावश्यक सीईओ अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ता/- प्रमाण-पत्र 9 अगस्त, 2016, 9 नवंबर, 2016, 13 फरवरी, 2017 और 29 मई, 2017 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

9. लागू विधियों (कानूनों) का अनुपालन

कंपनी में सुदृढ़ अनुपालन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। निदेशक मंडल कंपनी के लिए सभी लागू विधियों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन संहिता और सिद्धांत एक ऐसी विस्तृत संहिता है जो आपकी कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए लागू है। यह कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और पारदर्शी प्रक्रिया के विस्तार के उद्देश्य, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुरूप है। इस आचार संहिता की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा नीचे दी गई है:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अंतर्गत और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा.निर्देशों के अनुसार यथावश्यक घोषणा

''निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार संचालन संहिता और सिद्धांत' के अनुपालन की पुष्टि की है''।

हस्ता/–

राजीव शर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन नं. 00973413

11. आंतरिक ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए ''आंतरिक लोगों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए पीएफसी की आचार संहिता, 2015'' तैयार की है। सभी पदनामित कार्मिक और संहिता में उल्लिखित अन्य संबद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे कंपनी में अपने कार्यकलापों के दौरान प्राप्त की गई ऐसी सभी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करेंगे और निजी लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तृतीय पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद अथवा इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना का दुरूपयोग नहीं करेंगे। इस आचार संहिता में कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन-देन करते समय अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तथा प्रकटन और अनुपालन के मामले में होने वाले परिणाम निर्धारित किए गए हैं। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उपर्युक्त संहिता अर्थात 'आंतरिक ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है।

उपर्युक्त आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप ट्रेडिंग विंडो को उस समय जब निदेशक मंडल को कोई मूल्य संवेदी सूचना प्रस्तुत की जाने वाली होती है, तब समय-समय पर बंद किया गया। अनुपालन अधिकारी ने सभी कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को ट्रेडिंग विंडो के बंद होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन-देन न करने और इसके लिए उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त समय रहते कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना अधिसूचित की।

12. शेयरधारकों की सूचना

1) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
20 सितंबर, 2017	प्रात: 11:00 बजे	तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

2) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018
पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर अंनकेक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा।
लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	अंनकेक्षित वित्तीय परिणाम 30 मई 2018 को या उसके पहले घोषित किया जाएगा।
एजीएम (अगले वर्ष)	सितंबर, 2018

3) खाताबही बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयरअंतरण बही दोनों दिनों को शामिल करते हुए 13 सितंबर, 2017 से 20 सितंबर, 2017 तक बंद रहेंगे।

4) लाभांश का भुगतान

कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 7 अप्रैल, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 5.00 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनिमय 43(क) के अनुक्रम में कंपनी ने एक ''लाभांश वितरण नीति'' तैयार की है और यह http:..www.pfcindia.com.Default.ViewFile.?id=1500569967022_ Dividend Distribution Policy of Power Finance Corporation Limited-Final Version.pdf&path=Page पर उपलब्ध है।

5) लाभांश का ऐतिहासिक विवरण

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़)	लाभांश दर	भुगतान की तारीख अंतरिम एवं अंतिम
2011-12	1320.00 (अंतरिम)	659.97	50	फरवरी 17, 2012 (अंतरिम)
	1320.00 (अंतिम)	132.00	10	अक्तूबर 3, 2012 (अंतिम)
	जोड़	791.97	60	.
2012-13	1320.00 (अंतरिम)	792.01	60	फरवरी 13, 2013 (अंतरिम)
	1320. 00 (अंतिम)	132.00	10	अक्तूबर 7, 2013 (अंतिम)
	जोड़	924.01	70	-
2013-14	1320.03 (अंतरिम)	1161.63	88	फरवरी 17, 2014 (अंतरिम)
	1320.04 (अंतिम)	26.40	2	अक्तूबर 10, 2014 (अंतिम)
	जोड़	1188.04	90	-
2014-15	1320.04 (अंतरिम)	1122.04	85	मार्च 13, 2015 (अंतरिम)
	1320.04 (अंतिम)	79.20	6	अक्तूबर 8, 2015 (अंतिम)
	जोड़	1201.24	91	-
2015-16	1320.04 (पहला अंतरिम)	1161.64	88	जनवरी 4, 2017
	1320.04 (दूसरा अंतिम)	594.02	45	फरवरी 24, 2017
	1320.04 (अंतिम)	79.20	6	सितंबर 1, 2016
	जोड़	1834.86	139	-

6) स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करना

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हैं :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) स्क्रिप कोड : पीएफसी ईक्यू	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)** स्क्रिप कोड : 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन) : आईएनई 134ई01011	

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान एनएसई और बीएसई को कर दिया गया है।

7) बाजार मूल्य डेटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		इतिशेष (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2016	183.80	183.70	164.00	163.90	179.35	179.40
मई, 2016	181.40	182.00	162.20	162.50	163.70	163.80
जून, 2016	171.65	170.90	156.50	156.75	169.40	169.30
जुलाई, 2016	224.40	224.00	171.50	171.55	218.05	218.65
अगस्त, 2016	246.45	246.25	112.20	112.25	123.70	123.40
सितंबर, 2016	127.65	129.30	112.30	112.40	120.30	119.95
अक्तूबर, 2016	130.40	130.45	120.20	120.25	124.50	124.60
नवंबर, 2016	135.60	135.60	103.15	103.30	134.20	134.20
दिसंबर, 2016	136.40	136.55	112.90	113.10	121.95	121.80
जनवरी, 2017	140.25	140.00	120.65	120.90	130.15	130.10
फरवरी, 2017	141.90	141.80	126.45	126.40	136.00	135.95
मार्च, 2107	148.40	148.30	129.95	130.20	145.90	145.90

8) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन

पीएफसी का शेयर मूल्य और निफ्टी

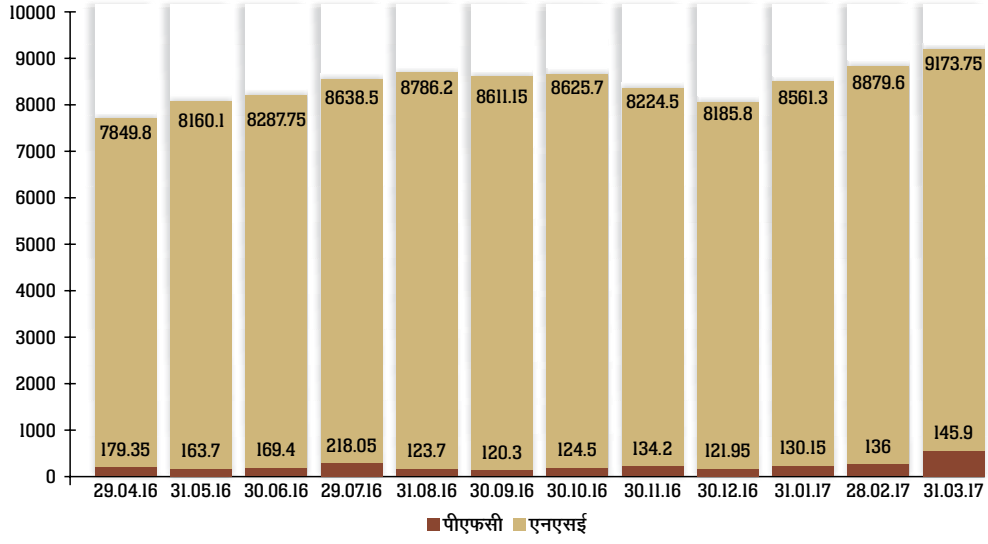

पीएफसी का शेयर मूल्य और बीएसई सूचकांक

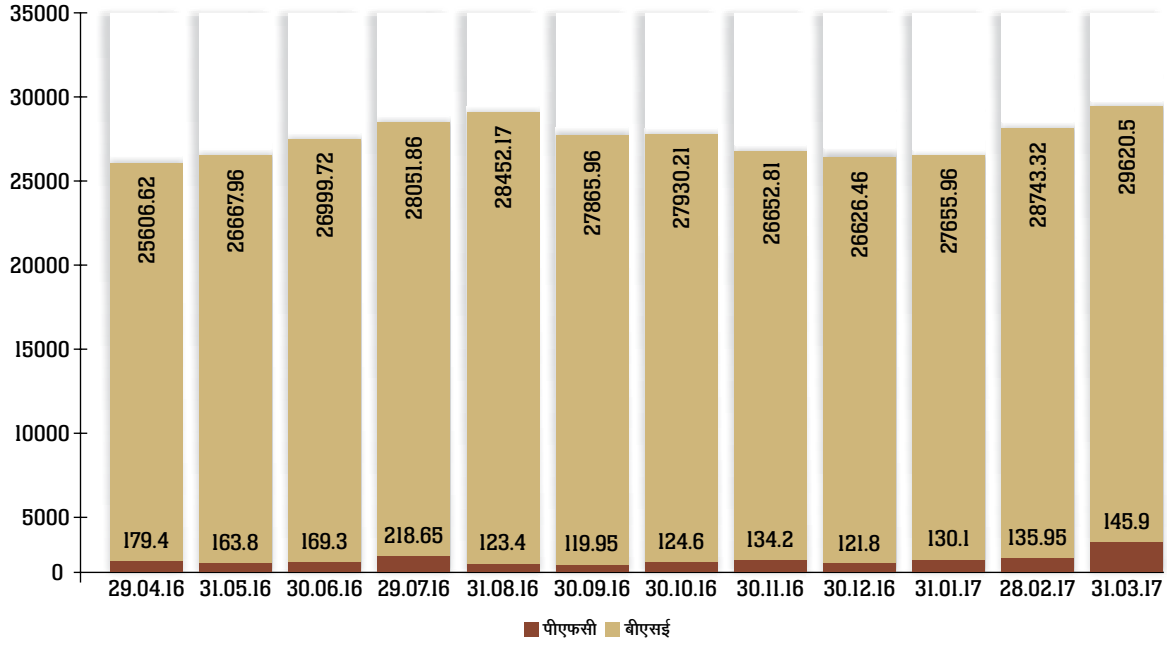

9) इक्विटी शेयरों के लिए पंजीयक और अंतरण एजेंट संप्रेषण हेतु पता

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
कार्वी सेलेनियम टॉवर ''बी''प्लॉट नम्बर 31 और 32
वित्तीय जिला - नानकरामगुडा, गच्छीवाउली,
हैदराबाद, 500032 आंध्र प्रदेश, भारत
दूरभाष : 91 40 67162222, फैक्स : 91 40 23420814
ईमेल : support@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

10) **शेयर अंतरण प्रणाली**

भौतिक खंड के अंतर्गत शेयरों का अंतरण हमारे पंजीयक और अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 7 के अनुक्रम में सूचीबद्ध निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के शेयर अंतरण सुविधा संबंधी सभी कार्यकलापों का रखरखाव या तो इनहाउस किया जाए अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किसी शेयर जारीकर्ता और अंतरणकर्ता एजेंट के पंजीयक द्वारा किया जाए। इसके अलावा सूचीबद्ध निकाय अर्धवार्षिक आधार पर उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए सूचीबद्ध निकाय के अनुपालन अधिकारी और शेयर अंतरण एजेंट, जहां कहीं भी लागू है, के प्राधिकृत प्रतिनिधि दोनों के द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया करेगा। शेयर अंतरण संबंधी औपचारिकताएं उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए अर्ध वार्षिक आधार पर एक प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (9) के अनुक्रम में सूचीबद्ध निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि शेयर अंतरण एजेंट और/या इनहाउस शेयर अंतरण सुविधा, जैसा भी मामला हो, व्यावसायिक कंपनी सचिव से अर्धवार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि सभी प्रमाण-पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण, विनिमय अथवा आमंत्रण / आबंटन धनराशि के पृष्ठांकन के लिए लॉजमेंट की तारीख से 30 दिन के भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (9) के अंतर्गत उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए एक प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और जारी की गई तथा सूचीबद्ध कुल पूंजी के मिलान हेतु शेयर पूंजी के पुनर्मिलान के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा भी लेखापरीक्षा की जाती है। शेयर पूंजी के पुनर्मिलान और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कुल जारी की गई/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ धारित डी-मटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है।

11) **डिमेट सस्पेंस खाते के विवरण**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डीमेट सस्पेंस खाते में शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरूआत अर्थात 1 अप्रैल, 2016 के प्रारंभ में सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	45	4971
सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	3	352
सस्पेंस खाते से जिन शेयरधारकों के शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	3	352
शेष	42	4619
1 सितंबर, 2016 को शेयरों का बोनस के रूप में आबंटन (1:1 के अनुपात में)	-	4619
शेष	42	9238
सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	1	272
सस्पेंस खाते से जिन शेयरधारकों के शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	1	272
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2017 को उच्चंत खाते में बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	41	8966

उपर्युक्त शेयरों के संदर्भ में वोट देने के अधिकारों को तब तक रद्द रखा जाएगा जब तक कि ऐसे शेयरों के वास्तविक अभिरक्षक उसके लिए दावा नहीं करते हैं।

12) **शेयरधारिता का वितरण**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

क्र. सं.	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरधारकों का %
1	1-5000	196730	85.21	293769060	1.11
2	5001-10000	20942	9.07	168360400	0.64
3	10001-20000	7713	3.34	115775860	0.44
4	20001-30000	1685	0.73	43177210	0.16
5	30001-40000	901	0.39	33015870	0.13
6	40001-50000	567	0.25	26818330	0.10
7	50001-100000	978	0.42	71493390	0.27
8	100001 और उससे अधिक	1358	0.59	25648403960	97.15
	योग	**230874**	**100**	**26400814080**	**100**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटन

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का%
भारत के राष्ट्रपति	1751631394	66.35
बीमा कंपनियां	215729156	8.17
विदेशी संस्थागत निवेशक	34414643	1.30
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	375149516	14.21
निवासी व्यक्ति विशेष	85733783	3.25
भारतीय वित्तीय संस्थान	28405981	1.08
निगमित निकाय	37942905	1.44
म्युचुअल फंड	84148928	3.19
एनबीएफसी	1188213	0.05
बैंक	6025430	0.23
न्यास	4419278	0.17
एचयूएफ	4437835	0.17
कार्मिक	1461284	0.06
अनिवासी भारतीय	3665598	0.14
समाशोधन सदस्य	5726464	0.22
विदेशी नागरिक	1000	0.00
जोड़	2640081408	100

13) शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार एनएसडीएल, सीडीएसएल के साथ धारित और भौतिक मोड में शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी की गई पूंजी का कुल %
एनएसडीएल	2609764293	98.85
सीडीएसएल	30262137	1.15
भौतिक	54978	0
जोड़	2640081408	100

14) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तनीय लिखित, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर उसका संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिर्वनीय लिखित जारी नहीं किए गए हैं।

15) कोमोडिटी मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय संबंधी जोखिम और हैजिंग संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की गई है। आपकी कंपनी करेंसी फॉरवर्ड, विकल्प, मूलधन स्वैप और अग्रवर्ती दर करारों जैसे लिखतों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को दूर करने और उसकी भरपाई के लिए हैजिंग संबंधी लेन-देन करती है।

16) पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय :

''ऊर्जानिधि'',
1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कंपनी सचिव
श्री मनोहर बलवानी,
दूरभाष : +91 1123456020, फैक्स : +91 1123456786
ईमेल : investorsgrievance@pfcindia.com

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुबंध क

गैर अपरिहार्य अपेक्षाएं

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के निगमित शासन भाग से संबंधित गैर अपरिहार्य अपेक्षाएं की स्थिति निम्नानुसार है:

1. **बोर्ड :**

   कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

2. **शेयरधारक के अधिकार :**

   निगमित शासन रिपोर्ट के ''साधन और संचार'' शीर्ष के अंतर्गत किए गए उल्लेखानुसार कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उन्हें अपलोड किया जाता है।

3. **लेखापरीक्षा अर्हताएं :**

   कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि अनअर्हता प्राप्त वित्तीय विवरणों से बचा जाए।

4. **अध्यक्ष और सीईओ के अलग पद:**

   पीएफसी के भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

5. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग:**

   कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और वे लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं।

निगमित शासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में,
सदस्य,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निगमित शासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के रूप में संबोधित किया जाएगा) के अध्याय-IV की अनुसूची-V के विनियम 17 -27, 46 (2) (ख) से (i) और पैरा ग, घ, ङ में यथाविहित और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जांच ऊपर दिए गए दिशानिर्देश में उल्लेखित किए अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई नई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपने दृष्टिकोण की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 के अध्याय- IV की अनुसूची-V के विनियम 17 -27, 46 (2) (ख) से (i) और पैरा ग, घ, ड. में यथाविहित निगमित शासन संबंधी शर्तों और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। बजाए:

(i) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.2 और 3.1.4 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ही कार्यपालक निदेशक हैं, तो निदेशक मंडल में कम-से-कम आधी संख्या में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्य की कुल संख्या के 50% के बराबर होनी चाहिए, तथापि कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 6 निदेशक शामिल हैं, जिनमें 4 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और 1 गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

(ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (10) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

(iii) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 18 (1) (ख) और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.1.1 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(iv) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 19 (1) (ख) और (ग) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार नामांकन और मेहनताना समिति के सभी निदेशक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे और उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(v) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 19 (2) और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार नामांकन और मेहनताना समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(vi) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (3) एवं (4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के सामूहिक रूप से कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे; कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोण और विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे; और कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का मूल्यांकन करेंगे, जो कि निदेशक मंडल के लिए अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से और उचित ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 27.05.2017 को अपनी बैठक आयोजित की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और सामूहिक रूप से निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन की समीक्षा के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र के अन्य पीएसयू और कुछ अग्रणी निजी कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया अपनाने और उसे लागू करने की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवन क्षमता के लिए कोई आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता अथवा कोई दक्षता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते अग्रवाल एस एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव,
हस्ता/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. 5774
सीपी सं.5910

दिनांक: 21 जुलाई, 2017
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध-छ

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग–क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65910DL1986GOI024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)
पंजीकृत पता	''ऊर्जानिधि'', 1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ईमेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2016-17
ऐसे क्षेत्र जिनमें कंपनी व्यापार कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	64990 (अन्य वित्तीय सेवाएं कार्यकलाप, जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियन कार्यकलाप शामिल नहीं हैं)
कंपनी के तीन महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्मित करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार)	(i) रुपया अवधि ऋण (आरटीएल) (ii) अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) (iii) क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट (बीएलसी)
ऐसे प्रमुख स्थानों की संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक कार्यकलाप किए जाते हैं : I. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या II. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	 शून्य 3
कंपनी द्वारा जिन बाजारों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग–ख : कंपनी के वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	₹2,640.08 करोड़
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालन से प्राप्त राजस्व)	₹26,716.23 करोड़
कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	₹2,126.39 करोड़
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च (%)	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 7.91% (₹168.11 करोड़)
ऐसे निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों की सूची जिनमें व्यय किया गया है	**अनुबंध-I**

भाग–ग : अन्य विवरण

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के बीआर संबंधी प्रयासों में प्रतिभागिता करती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों की संख्या दर्शाएं)	नहीं
क्या कोई अन्य संगठन/निकाय (अर्थात पूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जो कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रयासों में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसे संगठन/निकायों का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग–घ : व्यापारिक उत्तरदायित्व (बीआर) संबंधी सूचना

I. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

क) **बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण**

डीआईएन संख्या	00038452
नाम	श्री डी. रवि
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक)

ख) बीआर प्रमुख के विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री मनोहर बलवानी
3.	पदनाम	कंपनी सचिव
4.	दूरभाष संख्या	011- 23456749
5.	ईमेल आईडी	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/न में)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यापार हेतु आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (एनवीजी) के अंतर्गत व्यापारिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनके विवरण निम्नानुसार हैं :

पी 1- व्यापार संचालन सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

पी 2- व्यापार के अंतर्गत ऐसा माल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने संपूर्ण जीवनकाल के दौरान स्थायित्व प्रदान करने में योगदान दें।

पी 3- व्यापार में कार्मिकों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पी 4- व्यापार में सभी शेयरधारकों विशेष रूप से सुविधाविहीन, सुभेद्य और जो हाशिए पर हैं अर्थात जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

पी 5- व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पी 6- व्यापार में पर्यावरण की रक्षा और उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

पी 7- यदि आप जनता को प्रभावित करने वाले व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसके लिए एक नियामक नीति बनाई जानी चाहिए और यह कार्य जवाबदेह ढंग से किया जाना चाहिए।

पी 8- व्यापार में समाहारी वृद्धि और समान विकास किया जाना चाहिए।

पी 9- व्यापार में अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जवाबदेह ढंग से सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए और उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	प्रश्न	व्यापारसिद्धांत	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिक कल्याण	शेयरधारक सहभागिता	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोकनीति	सीएसआर	उपभोक्ता संबंध
		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास... के लिए कोई नीति/ नीतियां हैं?	हां	पीएफसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते यह सिद्धांत सीमित रूप से लागू करती है	हां	हां	यह नीति कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	हां	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है
2.	क्या नीति संबंधित शेयरधारकों के साथ परामर्श से तैयार की गई है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
4.	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां क्या इस पर एमडी / स्वामी / सीईओ / उपयुक्त मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
5.	क्या कंपनी में नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल की कोई विशेष समिति / निदेशक / अधिकारी नामित किया गया है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं	#	-	नीति आंतरिक दस्तावेज होने के नाते केवल कार्मिकों के लिए ही उपलब्ध है।	#	-	#	-	#	-

क्रम सं.	प्रश्न	व्यापारसिद्धांत	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिक कल्याण	शेयरधारक सहभागिता	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोकनीति	सीएसआर	उपभोक्ता संबंध
		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
7.	क्या नीति के बारे में सभी संगत आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों को औपचारिक सूचना दी गई है?	हां		हां	हां	-	हां	-	हां	-
8.	क्या कंपनी ने नीति / नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक अवसंरचना मौजूद है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
9.	क्या कंपनी ने नीति / नीतियों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य प्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन किया है?	हां	-	हां	हां	-	हां	-	हां	-

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक का उल्लेख इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में किया गया है।

(ख) **यदि किसी भी सिद्धांत के विरूद्ध क्र. सं. I में आपका उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों : (दो विकल्पों तक टिक करें)**

क्रम सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां यह अपने आपको नियम बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की स्थिति में पाती है।									
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय अथवा जनशक्ति संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4.	यह अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है									
5.	यह अगले I वर्ष के भीतर करने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

3. व्यापारिक उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित शासन व्यवस्था

वह अंतराल बताएं जिसमें निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियां अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। क्या यह मूल्यांकन 3 माह, 3.6 माह, वार्षिक और 1 वर्ष से अधिक अवधि पर किया जाता है।

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन किया गया है जो कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्यकलापों का मार्गदर्शन करती है और सीएसआर तथा स्थायी विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अलावा कंपनी के व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एक प्रकार्यात्मक निदेशक द्वारा किया जाता है और निदेशक मंडल भी वार्षिक आधार पर निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व की रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

क्या कंपनी व्यापारिक उत्तरदायित्व अथवा स्थायी विकास संबंधी कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसका प्रकाशन किस अंतराल पर किया जाता है?

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगे वार्षिक रिपोर्ट के रूप एक भाग के रूप में प्रकाशित की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल की जाएगी और यह कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

भाग–ङ : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या सिद्धांत, घूस और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है? हां/न क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य के लिए भी लागू है?**

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी वित्तीय संस्थान और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु निधि और गैर निधि आधारित सहायता प्रदान करता है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश को चैनलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक वाहन (साधन) के रूप में कार्य करता है। इसके ग्राहकों में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, विद्युत विभाग, निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों सहित), संयुक्त क्षेत्र की विद्युत कंपनियां आदि शामिल हैं। पीएफसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता (पीएफसी) का विकास किया है जिसका उद्देश्य कंपनी के ऋणकर्त्ताओं को इस बात का आश्वासन देना है कि कंपनी अपने व्यापारिक लेन-देनों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   पीएफसी बेहतर प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में निगमित शासन पर भी विचार करती है और अपनी सभी कार्रवाइयों में व्यावसायिक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता तथा एक कपटरोधी नीति तैयार की है।

   निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता एक ऐसी समेकित आचार संहिता है जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू है। यह कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कंपनी के विजन तथा मूल्यों के अनुसार है और इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और प्रक्रियागत पारदर्शिता बढ़ाना है।

   कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है जिससे कि कंपनी में किसी भी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा सके। इसका उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपते हुए और धोखाधड़ी तथा संभावित कपटपूर्ण व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराकर और संभावित कपटपूर्ण व्यवहार की जांच कर निरंतर कानूनी और सैद्धांतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस नीति के कार्यक्षेत्र का विस्तार कंपनी में धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और जांच के लिए किया गया है, जिसमें कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ–साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, संविदाकार, ऋणदाता, ऋणकर्ता, बाह्य एजेंसियां और/अथवा ऐसे कोई अन्य पक्षकार शामिल हैं जिनके कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने शेयरधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया?**

   वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को कपटरोधी नीति के अंतर्गत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

   वर्ष की शुरूआत में लंबित 1 शिकायत के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को इसके शेयरधारकों से 5124 शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिनमें से 31 मार्च, 2017 तक लगभग सभी शिकायतों (99.98%) का समाधान किया गया। शेष बची 1 शिकायत का अभी समाधान किया जाना है, क्योंकि वह न्यायालय में विचाराधीन है।

सिद्धांत 2

1. अपने ऐसे 3 उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची तैयार करें, जिनकी डिजाइन के कारण सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जोखिम और/अथवा अवसर उत्पन्न हुए हैं।

   पीएफसी के पास नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए सावधि ऋण, क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट और पट्टा वित्त–पोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जो स्थायी हैं और पर्यावरण की दृष्टि से बाध्यकर हैं। ऋण स्वीकृत करते समय पीएफसी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के साथ-साथ इस संबंध में अपनी कुछ शर्तें विहित करता है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रत्येक यूनिट के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) संबंधी निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक):**

   चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माता कंपनी नहीं है और यह केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अतः नीचे दिए गए प्रश्न सामान्यतः विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू होते हैं।

   i. संपूर्ण मूल्य शृंखला में गत वर्ष से स्रोत/उत्पादन/वितरण के दौरान प्राप्त की गई कमी?

      लागू नहीं।

   ii. पूर्ववर्ती वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग कम करने का लक्ष्य हासिल किया गया है?

      लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी में स्थायी स्रोत (परिवहन सहित) के बदले प्रक्रियाएं लागू की गई हैं ?**

   लागू नहीं।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों जिनमें कंपनी के कार्यस्थल के आसपास वाले समुदाय शामिल हैं, से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

   लागू नहीं।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट की रिसाइकलिंग का प्रतिशत (<5%, 5–10%,>10% के रूप में अलग अलग) क्या है? इसके विवरण 50 अथवा अधिक शब्दों में दें?**

   लागू नहीं।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पीएफसी में 499 कार्मिक हैं।

2. **कृपया अस्थायी रूप से, संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

   वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएफसी ने अस्थायी/संविदागत/आकस्मिक आधार पर 49 कार्मिकों को सेवा पर रखा।

3. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त महिला कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 100 स्थायी महिला कार्मिक हैं।

4. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त अन्यथा सक्षम कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 14 अन्यथा सक्षम कार्मिक हैं।

5. **क्या आपके यहां कोई ऐसा कोई कार्मिक एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता दी गई है?**

   पीएफसी में पीएफसी कार्मिक यूनियन, पीएफसी, एससी/एसटी/ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन और पीएफसी कार्यपालक एसोसिएशन हैं।

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कार्मिक इस मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशन के सदस्य हैं?**

   100% स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशनों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बाल श्रम, बलात श्रम, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या दर्शाएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम/बलात श्रम / अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	
2	यौन उत्पीड़न		
3	भेदभावपूर्ण नियोजन		

8. **आपके नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कार्मिकों को गत वर्ष में संरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?**

- स्थायी कार्मिक - 75%
- स्थायी महिला कार्मिक - 80%
- आकस्मिक/अस्थायी/संविदागत कार्मिक - शून्य
- अन्यथा सक्षम कार्मिक - 78%

सिद्धांत 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों का नेटवर्क तैयार किया है?**

   हां

2. **क्या उपर्युक्त में से कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्यधारा से परे (मार्जिनलाइज्ड) शेयरधारकों की पहचान की है?**

   आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (एससी/एसटी/ओबीसी/अन्यथा सक्षम/अल्पसंख्यक) कार्मिकों की पहचान अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के रूप में की गई है।

3. **क्या कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के लिए किसी विशेष पहल की शुरूआत की है?**

   भर्ती के लिए और विभिन्न स्तरों पर ऐसे लोगों (सभी आरक्षित श्रेणी के कार्मिक (एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग और अल्पसंख्यक) की कैरियर प्रोन्नति के लिए भारत सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ विभिन्न अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं की गईं। ऐसी श्रेणी के कार्मिकों के बच्चों के साथ–साथ अन्य बच्चों को प्राप्तांकों के प्रतिशत में विशेष छूट देते हुए प्रतिभा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के कल्याण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न चयन और पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के किसी व्यक्ति को नामित किया जाए।

सिद्धांत 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल कंपनी को ही शामिल किया जाता है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यम/पूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है?**

   पीएफसी के पास मानवाधिकारों से संबंधित कोई विशेष नीति नहीं है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया?**

   वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	शिकायतों की संख्या		
	इक्विटी शेयरधारक	बॉण्ड धारक	कपटरोधी नीति के अंतर्गत
शुरूआत में लंबित	1	0	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	593	4531	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई	593	4531	शून्य
वर्ष के अंत में निपटान हेतु लंबित	1	0	शून्य
निपटाई गई शिकायतों का%	99.83%	100%	शून्य

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी के लिए लागू होती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्य के लिए भी लागू होती है?**

   यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है और संपूर्ण रूप से कंपनी के लिए लागू है।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का समाधान करने के लिए कोई रणनीतियां तैयार की गई हैं/कोई प्रयास शुरू किए गए हैं? हां/न। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

   पीएफसी एक सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा घोषित वैश्विक समझौतों के 9 सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करता है, जिसमें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रमिक अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक समझौते के इन सिद्धांतों को कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल किया जाता है, इस प्रकार सहज ढंग से इनके कार्यान्वयन को सुकर बनाया जाता है।

   पीएफसी उचित आयोजना और निर्णय करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को वास्तविक रूप से कम करने के साथ–साथ पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। पीएफसी ऐसे कार्यकलापों का लगातार समर्थन करता है, जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हो तथा साथ ही यह तमाम विविधताओं के बावजूद जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक क्षमता की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है?**

चूंकि पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है और यह केवल वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराती है, अतः यह प्रश्न कंपनी के लिए लागू नहीं है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास व्यवस्था से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें। यदि हां, क्या पर्यावरणीय अनुपालन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है?**

उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है। हालांकि, आपकी कंपनी राज्य और निजी क्षेत्र में विशेष ब्याज दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा बचत संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई अन्य प्रयास शुरू किए हैं? हां/न। यदि हां, कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

जी हां। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएफसी द्वारा वित्तपोषित कुछ जारी स्वच्छ प्रौद्योगिकी/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

क्र. सं.	स्वच्छ प्रौद्योगिकी / ऊर्जा दक्ष परियोजना
1.	सोलर पावर एलईडी लाइटों का इस्तेमाल कर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के प्रावधान के लिए वाड्डेपल्ली मंडल के राजोली गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई गई पूरी कालोनी को गोद लेना
2.	मेघालय, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्कूलों (102 स्कूल) को सोलर पीवी के माध्यम से स्वच्छ लाइटिंग सुविधा और आईसीटी सेवाएं प्रदान करना
3.	माइक्रो सोलर पीवी पावर प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना
4	झारखंड के बोकारो जिला स्थित गांव की सड़कों में सोलर लाइटिंग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता
5	उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 किलोवाट की कुल एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता
6	मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्त्ताओं (3675) के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की व्यवस्था से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
7	अरूणाचल प्रदेश के गांव में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता
8	बिहार के पिछड़े जिलों में 25000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता
9	अरूणाचल प्रदेश के जिलों में 8589 ग्रामीण परिवारों को एलईडी आधारित सोलर गृह प्रकाश प्रणाली (एसएचएस) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
10	उत्तर प्रदेश के फूलपुर में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
11	उत्तर प्रदेश के भदोही में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
12	उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
13	झारखंड के गिरीडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में 544 एलईडी आधारित सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की संस्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

14	उत्तर प्रदेश के बस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
15	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
16	उत्तर प्रदेश के भदोही (सतं रविदास नगर) में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता - चरण-।।

उपर्युक्त के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफसी ने जल विद्युत उत्पादन के लिए ₹8156 करोड़ की राशि संस्वीकृत की और ₹1327 करोड़ की राशि संवितरित की। इसके अलावा, पीएफसी ने पवन, सौर, बगास और बायोमास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹7021 करोड़ की राशि संस्वीकृत की और इसी अवधि के दौरान ₹2471 करोड़ की राशि की संवितरित की।

6. **क्या रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्सर्जन/अपशिष्ट सृजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा यथाविहित सीमाओं के भीतर है?**

लागू नहीं।

7. **31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लंबित (अर्थात संतोषजनक ढंग से जिनका समाधान नहीं किया गया है) सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या।**

लागू नहीं।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे बड़े चैंबर अथवा एसोसिएशन का नाम बताएं, जिसके साथ कंपनी के व्यापारिक लेन–देन हैं।**

जी हां, पीएफसी निम्नलिखित एसोसिएशनों का सदस्य है :

1. एससीओपीई (स्कोप)
2. एफआईसीसीआई (फिक्की)
3. केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)
4. एएसएसओसीएचएएम (एसोचैम)
5. कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
6. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी)

2. **क्या आपने सार्वजनिक चीजों की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त एसोशिएशनों का समर्थन किया है?**

पीएफसी सार्वजनिक चीजों की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त एसोसिएशनों द्वारा चलाई गई पहलों का समर्थन करता है।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुक्रम में कंपनी ने कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं शुरू की हैं? यदि हां तो विवरण दें।**

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और स्थायी विकास नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से जवाबदेह निगमित निकाय बन सके।

सामाजिक रूप से जवाबदेह निगमित निकाय के रूप में पीएफसी निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा :

- ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनके इस्तेमाल को बढ़ाना, जो स्थायी रूप से समाज और पर्यावरण में सुधार के लिए योगदान देती हैं।
- ऐसी परियोजनाएं शुरू करना जो विभिन्न समुदायों को ऊर्जा, जल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
- ''अन्यथा सक्षम लोगों'' की सहायता के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कार्यकलाप शुरू करना।
- ऐसे मुद्दों को उठाना, जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में प्रमुखता के साथ शामिल हैं और देश के लिए चिंता का विषय हैं, जैसे सभी के लिए पेयजल की बचत, सभी के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और साफ-सफाई, शिक्षा आदि।

- शिक्षा, क्षमता निर्माण संबंधी उपायों, मुख्यधारा से परे लोगों और कम सुविधा प्राप्त/सुविधावंचित वर्गों/समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समावेषी वृद्धि और समान विकास में योगदान देना।

  पीएफसी की सीएसआर नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है :

- अपने सभी शेयरधारकों के हितों को स्वीकार करते हुए मितव्ययी ढंग से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी ढंग से अपने व्यापार के प्रचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर बेहतर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से पीएफसी के लिए बेहतर सामुदायिक छवि एवं सुभेक्षा विकसित करना और एक निगमित निकाय के रूप में पीएफसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निकाय की छवि को बरकरार रखना।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन आंतरिक दल/अपने स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचों/किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया।**

सीएसआर और एसडी नीति के अंतर्गत संचालित की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार/अर्द्धसरकारी/क्वासी गवर्नमेंट कार्यान्वयन एजेंसियों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया गया।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

कंपनी ₹5 करोड़ से अधिक राशि वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करेगा। शेष परियोजनाओं के लिए मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए जा रहे प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (स्वीकृति-वार) के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
1	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्थान (आईआईएसडब्ल्यूबीएम), कोलकाता के माध्यम से अरूणाचल प्रदेश के चुनिंदा जिलों/गांवों में 'एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों (एसएसएलएस) और सोलर घरेलू प्रकाश प्रणालियों (एसएचएलएस) का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया।	अरूणाचल प्रदेश के विभिन्न जिले

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि भारतीय रुपयों में और शुरू की गई परियोजनाओं के विवरण?**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने सौर ऊर्जा, साफ-सफाई और पर्यावरण आदि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विभिन्न कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया। संस्वीकृत की गई और संवितरित की गई राशि के संदर्भ में पीएफसी का योगदान निम्नानुसार है :

स्वरूप (प्रकृति)	संस्वीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित की गई राशि (₹ करोड़ में)
साफ - सफाई / अपशिष्ट प्रबंधन / पेय जल	60/63	65.21
कौशल विकास	43.93	28.59
सौर अनुप्रयोग	36.12	17.26
पर्यावरण / वृक्षारोपण	12.62	6.31
स्वास्थ्य क्षेत्र	8.57	6.14
अन्य (प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, प्रशासनिक उपरिव्यय, एनएसडीएफ, रेलवे आदि)	18.62	2.36
कुल	**180.49**	**125.87**

विभिन्न सीएसआर पहलों (सामुदायिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को शामिल करते हुए) के लिए पीएफसी ने वित्तीय 2016-17 के दौरान ₹125.87 करोड़ की राशि (प्रशासनिक उपरिव्यय सहित) संवितरित की और ₹3.93 करोड़ की राशि प्राप्त की।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं कि सामुदायिक विकास संबंधी प्रयास समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए गए हैं? कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

पीएफसी द्वारा संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार/अर्धसरकारी/क्वासी गवर्नमेंट कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामुदायिक लाभ अक्षरशः सुनिश्चित किया जाता है और पीएफसी द्वारा स्थल दौरों, दौरा रिपोर्टों आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है।

सिद्धांत 9

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों और बॉण्ड धारकों के अलावा उपभोक्ताओं की कितने प्रतिशत शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।**

31 मार्च 2017 की स्थिति की अनुसार कोई शिकायतें लंबित नहीं थीं।

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर और इसके अलावा स्थानीय विधियों के अनुसार यथावश्यक उत्पाद सूचना देती है?**

   लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी के विरुद्ध किसी शेयरधारक द्वारा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी बर्ताव के संबंध में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई मामला दायर किया गया है और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लंबित है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें।**

   लागू नहीं।

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि मुहिम चलाती है?**

   पीएफसी में उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त करने के लिए आवधिक रूप से विद्युत कंपनियों के साथ ढांचागत बैठकें आयोजित की जाती हैं और उपभोक्ताओं के कार्यालय/परियोजना स्थल पर पीएफसी के कार्यपालकों द्वारा आवधिक दौरे किए जाते हैं। मूल्यांकन, ऋण दस्तावेज तैयार करने और विभिन्न परियोजनाओं/ऋणों के लिए पीएफसी कार्यालय का दौरा करने वाले उपभोक्ताओं के साथ ऋणों के संवितरण के दौरान नियमित रूप से लिखित/दूरभाष पर बातचीत की जाती है।

   प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रत्येक शिकायत के लिए एक सुधारात्मक और संरक्षात्मक कार्य रिकॉर्ड (सीएपीआर) तैयार करना शुरू किया जाता है। संबंधित उपभोक्ता को शिकायत के समाधान और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के बारे में शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई की सूचना दी जाती है।

   उपभोक्ता फीडबैक फॉर्म भेजकर वर्ष में कम से एक बार उपभोक्ताओं के फीडबैक प्राप्त किए जाते हैं। पीएफसी के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर की संपूर्ण रेटिंग निर्धारित करने के लिए सभी फीडबैक फॉर्म का मिलान किया जाता है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुबंध–I

ऐसे कार्यकलापों की सूची, जिनमें व्यय किया गया है :

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम (₹168.11 करोड़ के विवरण)
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों (एईसी) का मॉडल एईसी के रूप में उन्नयन
2	कारगिल कस्बे और जिला मुख्यालय (जम्मू और कश्मीर) में स्ट्रीट लाइटिंग/हाई मास्ट लाइटिंग
3	सोलर पावर एलईडी लाइटों का इस्तेमाल कर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के प्रावधान के लिए वाड्डेपल्ली मंडल के राजोली गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई गई पूरी कॉलोनी को गोद लेना
4	मेघालय, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्कूलों (102 स्कूल) को सोलर पीवी के माध्यम से स्वच्छ लाइटिंग सुविधा और आईसीटी सेवाएं प्रदान करना
5	मध्य प्रदेश राज्य के अशोक नगर जिले के चंदेरी कस्बे के चुनिंदा वार्डों में जल वितरण पाइप लाइन की व्यवस्था करना
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 1000 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
7	माइक्रो सोलर पीवी पावर प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना
8	उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के दौरान नष्ट हुई अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए राहत और बचाव कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता
9	झारखंड के बोकारो जिले के गांवों में सड़कों के लिए सोलर लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता
10	उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 किलोवाट की कुल एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता
11	4230 अन्यथा सक्षम लोगों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता
12	900 महिला सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
13	मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्त्ताओं (3675) के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की व्यवस्था से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
14	अरूणाचल प्रदेश के गांव में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता
15	अनुसूचित जातियों के युवा वर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (4750 लोगों के लिए)
16	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1500 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
17	राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के गांवों में 3000 शौचालयों के निर्माण और जागरूकता सृजन के द्वारा स्थाई रूप से साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता
18	बिहार के पिछड़े जिलों में 25000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता
19	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 1425 लोगों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम
20	अरूणाचल प्रदेश के जिलों में 8589 ग्रामीण परिवारों को एलईडी आधारित सोलर गृह प्रकाश प्रणाली (एसएचएस) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
21	1200 अन्यथा सक्षम लोगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

22	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण (8100 शौचालय)
23	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण (1100 शौचालय)
24	उत्तर प्रदेश के फूलपुर में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
25	उत्तर प्रदेश के भदोही में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
26	उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
27	समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 2000 लोगों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना
28	समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 3000 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
29	समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 2500 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए परियोजना हेतु पीएफसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना
30	झारखंड के गिरीडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में 544 एलईडी आधारित सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की स्थापना और कमीशनिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता
31	समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के 900 लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना हेतु पीएफसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना
32	उत्तर प्रदेश के बस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
33	भारत में खेलकूदों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ) में योगदान
34	100 बहरे बच्चों के लिए कोचलियर इंप्लांट के फिटमेंट के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता
35	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
36	पीएफसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत ''स्वच्छ भारत कोष'' में वित्तीय अंशदान
37	उत्तर प्रदेश के भदोही (सतं रविदास नगर) में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता - चरण-।।
38	हिंदुस्तान प्रीफैब लि. के माध्यम से शिलाँग में 4 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण
39	प्रभाव मूल्यांकन, प्रशिक्षण और वेतन एवं भत्तों आदि जैसे अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुबंध –2

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई संबंधित नीतियों के वेबलिंक नीचे दिए गए हैं

नीति का नाम	वेब लिंक	
	अंग्रेजी	हिंदी
सीएसआर और स्थायित्व नीति	http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/cafinder/files/CSR/CSR_Policy_26082016.pdf	http://www.pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/cafinder/files/CSR/CSR_Policy_HND_26082016.pdf
फेयर प्रैक्टिस कोड	http://www.pfcindia.com.Home/VS/62	http://pfcindia.com.hnsite.Home/VS/62
व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता	http://www.pfcindia.com.Home/VS/63	http://pfcindia.com.hnsite.Home/VS/63
कपट रोधी नीति	http://www.pfcindia.com.Home/VS/65	http://pfcindia.com.hnsite.Home/VS/65
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.pfcindia.com.Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page	http://pfcindia.com.hnsite.Default/ViewFile/?id=1490268719103_wbpHND.pdf&path=Page
संबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीति	http://www.pfcindia.com.Default/ViewFile/?id=1490186033556_Policy on Related Party Transactions.pdf&path=Page	http://pfcindia.com.hnsite.Default/ViewFile/?id=1490267088709_PFC_Policy_Hindi.pdf&path=Page
वास्तविक सहायक कंपनी पर नीति	http://www.pfcindia.com.Default/ViewFile/?id=1490186004628_Policy on Material Subsidiary.pdf&path=Page	http://pfcindia.com.hnsite.Default/ViewFile/?id=1490266955530_material_subsideiry_HND.pdf&path=Page

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और उनके अभिगम की अनुमति केवल संगठन के कार्मिकों को है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध - I

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के अनुक्रम में तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के मेहनताने तथा नियुक्ति) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में}

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां से आगे पीएफसी/कंपनी कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित पद्धतियों के अनुपालन और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से संचालित की गई जिससे हमें निगमित संव्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उनपर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए उचित एवं तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

पीएफसी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फॉर्म और कंपनी द्वारा फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण सत्यापन के साथ-साथ सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है और साथ ही कंपनी में यहां एतद्द्वारा रिपोर्ट किए गए ढंग तथा शर्तों के अध्यधीन उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फार्मों और अन्य विवरणियों के साथ-साथ पीएफसी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियमों;

iii डिपोजीटरी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए विनियमों और उपनियमों;

iv विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों;

v भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश :-

(क) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (शेयरों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक स्टॉक क्रय योजना) दिशा-निर्देश, 1999;

(ड.) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 - कंपनी अधिनियम के संबंध में और ग्राहकों से संबंधित;

(छ) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम; और

(ज) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाई बैक) विनियम, 1998;

vi भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इसके तहत बनाए गए विनियमों;

(vii) धन की जमाखोरी की रोकथाम अधिनियम, 2002;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों से संबंधित अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक

(ii) सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों/अवलोकनों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :-

(i) प्रेक्षण 1 :

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) के परंतुक के संदर्भ में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹100 करोड़ या उससे अधिक की है; अथवा उसका टर्नओवर ₹300 करोड़ या उससे अधिक का है, को अपने निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला निदेशक अवश्य नियुक्त करनी होगी।

अभ्युक्ति: चूंकि पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है, अत: निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और मेहनताने का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।

(ii) प्रेक्षण 2:

सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के संदर्भ में) :

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर कार्यपालक निदेशकों के साथ-साथ कम से कम एक महिला निदेशक का अनुकूलतम मिश्रण होगा और निदेशक मंडल के कम-से-कम 50% निदेशकों में गैर कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे।
2. जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कोई गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, ऐसे मामले में निदेशक मंडल में कम-से-कम उसके एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और यदि कंपनी में कोई नियमित गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे मामले में **निदेशक मंडल के कम–से–कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे**।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम 149 (4) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में **निदेशक मंडल के कम–से–कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे** और केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी के किसी भी वर्ग के लिए स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकती है।

इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.2 के संदर्भ में **प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के संदर्भ में यदि कोई सीपीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है और जिसके निदेशक मंडल की अध्यक्षता किसी कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ऐसे मामले में **स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होगी।**

कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण अनुवर्ती गैर अनुपालन का उत्पन्न होना :

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों के अनुपालन; लेखापरीक्षा समिति की संरचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं), विनियम 2015 का 18 (1) (ख) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश के पैरा 4.1.1 और 4.1.2
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुपालन; नामांकन और क्षतिपूर्ति समिति की संरचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं), विनियम 2015 का विनियिम 19 (1) और (2) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश के पैरा 5.1

अभ्युक्ति : वर्तमान में प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% से अधिक है। इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तदनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम-से-कम 50% के समतुल्य होनी चाहिए, परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक है, जिनमें 4 पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिति निदेशक और 1 गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं), विनियम 2015 तथा निगमित शासन के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं वेतन समिति की संरचना एकमत नहीं हैं। कंपनी अपने निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।

(iii) प्रेक्षण 3:

भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (3) और (4) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम-से-कम एक ऐसी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे:

(क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा

(ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा

(ग) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय सीमाओं का मूल्यांकन, जो निदेशक मंडल के लिए अपने कर्त्तव्यों के प्रभावशाली ढंग से और औचित्यपूर्ण तरीके से निष्पादन के लिए आवश्यक हैं।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (10) के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

अभ्युक्ति : स्वतंत्र निदेशकों ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दिनांक 27.05.2016 को एक बैठक आयोजित की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र तथा अन्य अग्रणी प्राइवेट कंपनियों की तरह उनके कार्य को उजागर करने की सलाह दी गई। इसके अलावा उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) के अनुसार किया जाना चाहिए। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की मूल संख्या की तुलना में 50% से कम है। वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में केवल 1 स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावा कंपनी ने निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक और पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सभी निदेशकों को सूचित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और कार्य-सूची तथा कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम तौर पर भेजे गए और बैठक की तारीख से पहले कार्य-सूची के मदों पर और आगे कोई सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए एक तंत्र मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी करने के लिए कंपनी के कारोबार के आकार के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे उपर्युक्त संदर्भित विधियों के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(सीएस सचिन अग्रवाल)
भागीदार

एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 जुलाई, 2017

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि ''अनुबंध क'' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का एक अभिन्न रूप बनाता है।

''अनुबंध क''

सेवा में,
सदस्यगण
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयी रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया है, जो इन सचिवालयी रिकॉर्डों की विषयवस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य दर्शाए जाएं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखाबहियों की सत्यता और उपयुक्ता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रम आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल परीक्षण आधार पर इन प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थीं।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो इस बात का कोई आश्वासन है कि कंपनी भविष्य मे व्यवहार्य रहेगी और न ही यह उसकी दक्षता अथवा प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(सीएस सचिन अग्रवाल)
भागीदार

एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

स्थान: नई दिल्ली
तारीख : 24 जुलाई, 2017

सचिवालयी लेखापरीक्षकों के प्रेक्षणों (अवलोकनों) के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके स्पष्टीकरण

क्र. सं.	अवलोकन (प्रेक्षण)	स्पष्टीकरण
	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) के संदर्भ में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹100 करोड़ या उससे अधिक की है; अथवा उसका टर्नओवर ₹300 करोड़ या उससे अधिक का है, को अपने निदेशक मंडल में कम–से–कम एक महिला निदेशक अवश्य नियुक्त करनी होगी। ***अभ्युक्ति:*** *चूंकि पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है, अत: निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और मेहनताने का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।*	इसके अलावा सचिवालयी लेखापरीक्षक की उपलब्धियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के संदर्भ में पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और सूचीकरण करार का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
2.	सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के संदर्भ में:- 1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ-साथ कम-से-कम एक महिला निदेशक का अनुकूलतम मिश्रण होगा और निदेशक मंडल के कम-से-कम 50% निदेशकों में गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। 2. जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कोई गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, ऐसे मामले में निदेशक मंडल में कम-से-कम उसके एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और यदि कंपनी में कोई नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे मामले में **निदेशक मंडल के कम–से–कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।** इसके अलावा कंपनी अधिनियम 149 (4) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में **निदेशक मंडल के कम–से–कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे** और केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी के किसी भी वर्ग के लिए स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.2 के संदर्भ में **प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।** इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के संदर्भ में यदि कोई सीपीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है और जिसके निदेशक मंडल की अध्यक्षता किसी कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ऐसे मामले में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या **निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होगी।** <u>कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण अनुवर्ती गैर अनुपालन का उत्पन्न होना :</u> (क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों के अनुपालन; लेखापरीक्षा समिति की संरचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं), विनियम 2015 का 18 (1) (ख) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश के पैरा 4.1.1 और 4.1.2	इसके अलावा सचिवालयी लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के संदर्भ में निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे कि कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर), विनियम 2015 के यथालागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

क्र. सं.	अवलोकन (प्रेक्षण)	स्पष्टीकरण
	(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुपालन; नामांकन और क्षतिपूर्ति समिति की संरचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं), विनियम 2015 का विनियिम 19 (1) और (2) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश के पैरा 5.1 ***अभ्युक्ति:*** *वर्तमान में प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% से अधिक है। इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तदनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होनी चाहिए, परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक है, जिनमें 4 पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिति निदेशक और 1 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) , विनियम 2015 तथा निगमित शासन के डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं वेतन समिति की संरचना एकमत नहीं हैं। कंपनी अपने निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।*	
3	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 25 (3) और (4) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम-से-कम एक ऐसी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें गैर स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे : (क) गैर स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा (ग) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय सीमाओं का मूल्यांकन, जो निदेशक मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावशाली ढंग से और औचित्यपूर्ण तरीके से निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (10) के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्व ारा किया जाएगा। ***अभ्युक्ति*** *: स्वतंत्र निदेशकों ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दिनांक 27.05.2016 को बैठक आयोजित की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पावर सेक्टर तथा अन्य अग्रणी प्राइवेट कंपनियों की तरह उनके कार्य को उजागर करने की सलाह दी गई । इसके अलावा उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।*	इसके अलावा सचिवालयी लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा 27.05.2016 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन पर विचार किया गया तथा यह भी नोट किया गया कि कंपनी की कानूनी मान्यता के अनुसार यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 के मूल्यांकन प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत सरकारी कंपनियों को उन्हीं प्रावधानों से छूट प्राप्त नहीं है। तदुपरांत, उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, श्री वी एम कौल को 23.06.2016 से स्वतंत्र निदेशक के पद से हटा दिया गया। इसके अलावा श्री वाई सी गर्ग ने 21.08.2016 को एकमात्र स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। श्री सीताराम पारीक ने 06.02.2017 से पीएफसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है जो वर्तमान में पीएफसी के एकमात्र स्वतंत्र निदेशक हैं। एक बार यदि पर्याप्त संख्या में पीएफसी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होती है तो आगे की कार्यवाही इसके तदुपरांत ली जाएगी।

भाग 03

वित्तीय विवरणिका

- एकल वित्तीय विवरणी पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट
- गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
- सी एंड एजी की टिप्पणियां
- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि विवरणिका
- नकदी प्रवाह विवरणिका
- समेकित वित्तीय विवरणिका पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट
- समेकित वित्तीय विवरणिका पर सी एंड एजी की टिप्पणी
- समेकित तुलन–पत्र
- समेकित लाभ एवं हानि विवरणिका
- समेकित नकदी प्रवाह विवरणिका

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन पत्रक और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और उसके रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों। पि

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी और संबद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए परिस्थितियों के अनुसार लेखा-परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा-परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी एकल लेखा-परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

हमारी राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को कंपनी की स्थिति और उसके लाभ तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

महत्तवपूर्ण विचारणीय विषय

हम वित्तीय विवरणों के अंतर्गत टिप्पणियों में निम्नांकित विषयों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं :

(क) भाग-ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 15 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी पुनर्संरचना के बारे में विद्युत मंत्रालय के मानदंड के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) मानदंड के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य क्षेत्र के ऋणों के संदर्भ में ₹ 3427.18 करोड़ का अधिक प्रावधान किया गया और ₹ 527.37 करोड़ की आय परिवर्तित की गई।

(ख) भाग-ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 19, यह टिप्पणी एक पुनर्संरचित ऋण आस्ति के मामले में, प्राप्त न की जा सकी ₹ 413.03 करोड़ की आय के व्युत्क्रमण से संबंधित है, जिसे ऋणकर्ता द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से अंतरिम स्टे प्राप्त करने को देखते हुए 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

(ग) भाग-ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 5 (ङ), यह टिप्पणी डेरिवेटिव अनुबंधों के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन के कारण वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई ₹ 178.15 करोड़ की आय से संबंधित है।

हमारी राय उपर्युक्त मामलों में संशोधित (माडिफाइड) नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट:

(1) अधिनियम की धारा 143(5) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों, इस बारे में की गई कार्रवाई और **अनुलग्नक–'क'** में दिए गए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव, पर हमने विचार किया है,

(2) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश-2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में **अनुलग्नक 'ख'** के अंतर्गत एक वक्तव्य दिया है।

(3) अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा-परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्रक, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है;

घ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम संख्या 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

ङ.) 31 मार्च, 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2017 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में **अनुलग्नक–'ग'** में एक पृथक रिपोर्ट संलग्न है।

(छ) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में लंबित अदालती मामलों के बारे में अपनी वित्तीय स्थिति के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरणों में अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत भाग-'ग' की टिप्पणी संख्या 2 (ख), 2(ग) और टिप्पणी संख्या 3 देखें;

ii) तुलन पत्रक की तारीख तक डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसके लिए प्रयोज्य कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान अपेक्षित हो;

iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

iv) कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि में निर्दिष्ट बैंक नोटों में कोई होल्डिंग या डीलिंग नहीं की। कृपया मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी भाग-'ग' 36 देखें।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

हस्ता/–

सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

हस्ता/–

सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

एकल कंपनी वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र सं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास उसकी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख हैं? यदि नहीं, तो उन फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि क्षेत्रों का वर्णन करें, जिनके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	हां, कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के संदर्भ में क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख हैं।
2	कृपया बताएं क्या उधारी/ऋणों/ब्याज आदि माफ करने/बट्टे खाते डालने के कुछ मामले हैं, यदि हां, तो उनके कारण बताएं और तत्संबंधी धनराशि का उल्लेख करें।	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरानः (क) विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक : 20 नवंबर, 2015 के अनुरूप, ब्याज पर ब्याज से संबंधित ₹ 12.57 करोड़ और दंड ब्याज से संबंधित ₹ 3.56 करोड़ उन राज्यों के संदर्भ में माफ किए गए, जिन्होंने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। (ख) ऋणकर्ता के अनुरोध और अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा के अनुसार 1 ऋणकर्ता के संदर्भ में ₹0.27 करोड़ प्रतिबद्धता शुल्क माफ किया गया। (ग) ऋणकर्ता के अनुरोध और अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा के अनुसार 2 ऋणकर्ताओं के संदर्भ में ₹ 3.56 करोड़ अतिरिक्त ब्याज माफ किया गया।
3	क्या तृतीय पक्ष के पास रखी गई माल सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदानों का समुचित रिकॉर्ड रखा गया है?	लागू नहीं
4	सभी पुनर्संरचित, पुनः समय निर्धारित या पुनः मोलभाव किए गए ऋणों के लिए प्रावधान की अपेक्षा के संदर्भ में, क्या ऐसे ऋणों के प्रति उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का समय-समय पर मूल्यांकन करने की कोई प्रणाली है और वर्ष के दौरान इस बारे में समुचित प्रावधान किए गए? इस संदर्भ में किसी प्रकार की खामियों के बारे में उपयुक्त टिप्पणी करें।	कंपनी ने रिजर्व बैंक के पुनर्संरचना मानदंड अपनाए हैं, जिनमें प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार आय का वर्गीकरण और स्वीकरण किया जाता है। रिजर्व बैंक ने 11.04.2017 को कंपनी को इस बात से छूट प्रदान की कि वह राज्य क्षेत्र की विद्युत संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋणों का ऋणकर्ता-वार वर्गीकरण करने से छूट प्रदान की, जो रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमाओं के भीतर डीसीसीओ (वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख) का अनुपालन न कर पाने के कारण एनपीए (गैर-निष्पादक परिसंपत्ति) में डाउनग्रेड हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचित मानक परिसंपत्तियों के मामले में, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। जहां तक ट्रांसमिशन और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र की या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र की परियोजनाओं, जिन्हें भारतीय रिर्जव बैंक ने 31.03.2017 तक पुनर्संरचना मानदंड से छूट प्रदान की है, के लिए परियोजना ऋण का सवाल है, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार तत्संबंधी प्रावधानों में कोई कमी नहीं है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

एकल कंपनी वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–'ख'

(''अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं'' के बारे में इसी तरीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 2 में उल्लिखित अनुसार)

1. (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है, जिनमें स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाए गए हैं।

   (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवृत्ति कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान प्रबंधन को कोई ऐसी महत्वपूर्ण खामी नज़र नहीं आयी, जिसके लिए कोई समायोजन आवश्यक हो।

   (ग) कंपनी के पास उसके नाम से पंजीकृत सभी अचल परिसंत्तियों के स्वामित्व विलेख मौजूद हैं।

2. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तदनुरूप इसकी कोई माल सूची नहीं है अतः कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश-2016 कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. हमें दिए गए स्पष्टीकरण लेखा-बहियों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण न तो लिया है और न ही उन्हें दिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश-2016 के खंड 3 (iii) (ए) (बी) और (सी) कंपनी पर लागू नहीं होते।

4. कंपनी ने कोई ऐसा ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारंटियां और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अधीन कवर किए जाने योग्य हों।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संबद्ध प्रावधान और कंपनी (जमा राशि स्वीकरण) नियम 2014 के प्रावधानों के अर्थ में कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत कोई लागत रिकार्ड रखने की अनुशंसा नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश-2016 के खंड 3(iv) कंपनी पर लागू नहीं होते।

7. कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्डों की परीक्षा के आधार पर, सांविधिक बकाया के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) कंपनी यथोचित प्राधिकरणों को अविवादास्पद सांविधिक बकाया जिसमें उस पर लागू भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा निधि, आयकर, सेवा कर और मूल्य संवर्ति कर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकायों को आमतौर पर नियमित रूप से जमा करती रही है और कंपनी के लेखों के अनुसार, उपर्युक्त बकाया के संबंध में देय ऐसी कोई विवादास्पद राशि नहीं है जो 31 मार्च, 2017 को 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया हो।

   (ख) किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी से मांग की गई/देय राशि के विवादास्पद होने की स्थिति में कंपनी ने उसे विरोधाधीन जमा कराया है, परंतु निम्नांकित मामले इसका अपवाद हैं:

कानून का नाम	देयों का स्वरूप	बकाया राशि (₹ में)	विरोधाधीन जमा करायी गई राशि (₹ में)	कुल विवादित राशि (₹ में)	अवधि जिससे राशि संबद्ध है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994 का चेप्टर 5	सेवा कर और दंडराशि	80,65,660/-	5,90,170/-	86,55,830/-	01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2015	सीईएसटीएटी, दिल्ली
		16,91,418/-	शून्य	16,91,418/-	01 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2016	आयुक्त, सीई और एसटी, एलटीयू, नई दिल्ली

8. कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, सरकार से लिए गए ऋणों या डिबेंचर धारकों की बकाया राशि चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

9. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऋण विलेखों और सावधि ऋणों से जुटाई गई राशि का उपयोग आमतौर पर उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिए वह जुटाई गई थी।

10. हमारी पूर्ण जानकारी और लेखा-परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की कोई सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

11. सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

12. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः निधि नियम, 2014 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

13. संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां कहीं लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं। लेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरे वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए हैं।

14. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

15. कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेन–देन नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत कवर होते हों।

16. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

एकल वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–'ग'

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट।

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यापार के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और निवारण, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा-परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा-परीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'गाइडेंस नोट' (''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार की है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा-परीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और उन्हें बनाए रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में ऐसे नियंत्रण संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में ऐसी निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी विद्यमान महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन तैयार करना और उसकी प्रचालनगत सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा-परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को कारगर ढंग से प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016'' की अपेक्षा अनुसार, उक्त निर्देश के चेप्टर-2 में निर्दिष्ट मामले कुछ सीमा तक कॉर्पोरेशन पर लागू होते हैं तथा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगी हुई है तथा उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.02.1998 को पूर्व में जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 14.00004 के बदले में दिनांक 28.07.2010 का प्रमाणपत्र संख्या बी-14.00004 है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी परिसंपत्ति/आय पैटर्न के संदर्भ में 31.03.2017 को ऐसे पंजीकरण जारी रखने की पात्र है।
2. कंपनी, ढांचागत वित्तीय कंपनी के बारे में स्वयं की निवल निधि संबंधी वे सभी अपेक्षाएं पूरी करती है, जो मास्टर डायरेक्शन-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-व्यवस्थागत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश-2016, में वर्णित हैं।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, जमा राशियों से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने पब्लिक से जमा राशि स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।
4. कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान कोई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
5. 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन ने लेखांकन मानकों, आय स्वीकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के बारे में उन विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन किया है, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-व्यवस्थागत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश-2016, में वर्णित हैं।
6. आरबीआई मास्टर सर्कुलर नंबर आरबीआई/2015-16/28-डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 055/03.10.119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनी होने के नाते पीएफसी को एनबीएस-7 रिजर्व बैंक में जमा कराने से छूट प्राप्त है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6)बी के अधीन भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय ब्यौरों के बारे में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के आधार पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29 मई, 2017 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए पूरा किया गया।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के औपचारिक दस्तावेज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी करना अपेक्षित हो।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक और उनकी ओर से।

हस्ता/–

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–तृतीय,नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 अगस्त, 2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र

(₹करोड़ में)

विवरण			टिप्पणी भाग	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
क	**इक्विटी और देयताएं**						
	(I)	**शेयरधारकों की निधि**					
		(i) शेयर पूंजी	क-1	2,640.08		1,320.04	
		(ii) आरक्षित एवं अधिशेष	क-2	33,830.13	36,470.21	34,445.99	35,766.03
	(2)	**गैर–वर्तमान देयताएं**					
		(i) दीर्घावधि ऋण	क-3				
		प्रतिभूत		20,106.17		19,869.75	
		अप्रतिभूत		154,735.19	174,841.36	152,679.95	172,549.70
		(ii) स्थगित कर देयताएं (निवल)	ग-29		250.51		302.06
		(iii) अन्य दीर्घावधि देयताएं	क-4		6,142.58		548.75
		(iv) दीर्घावधि प्रावधान	क-5		2,544.96		1,229.28
	(3)	**वर्तमान देयताएं**					
		(i) अल्पावधि ऋण	क-3				
		प्रतिभूत		2,400.79		0.00	
		अप्रतिभूत		0.00		7,571.57	
		(ii) अन्य अ देयताएं					
		क दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	क-3				
		प्रतिभूत		3.70		1,916.91	
		अप्रतिभूत		25,342.19		18,446.26	
		ख अन्य अल्पावधि देयताएं	क-4	8,420.17		7,500.77	
		(iii) अल्पावधि प्रावधान	क-5	1,927.11	38,093.96	805.44	36,240.95
		कुल			**258,343.58**		**246,636.77**
ख	**परिसंपत्तियां**						
	(I)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**					
		(i) अचल परिसंपत्तियां	क-6				
		क मूर्त परिसंपत्तियां		106.51		105.13	
		घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		44.63	61.88	42.57	62.56
		ख अमूर्त परिसंपत्तियां		8.95		8.77	
		घटाएं : संचित परिशोधन		8.26	0.69	7.42	1.35
		ग विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां			0.00		0.16
		(ii) गैर-वर्तमान निवेश	क-7				
		व्यापार		465.60		466.73	
		अन्य		1,800.00	2,265.60	1,800.00	2,266.73
		(iii) दीर्घावधि ऋण	क-8				
		प्रतिभूत		138,306.30		134,642.08	
		अप्रतिभूत		62,026.71	200,333.01	65,394.00	200,036.08
		(iv) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	क-9		5,450.62		314.98
	(2)	वर्तमान परिसंपत्तियां					
		(i) वर्तमान निवेश	क-10	1,325.53		410.74	
		(ii) नकदी एवं बैंक शेष	क-11	3,573.15		78.45	
		(iii) अल्पावधि ऋण	क-8				
		प्रतिभूत		1,490.49		1,092.51	
		अप्रतिभूत		4,468.71		2,711.45	
		(iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
		क दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-8				
		प्रतिभूत		28,635.13		12,191.12	
		अप्रतिभूत		5,241.68		21,431.03	
		ख अन्य	क-9	5,497.09	50,231.78	6,039.61	43,954.91
		कुल			**258,343.58**		**246,636.77**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — भाग ख
अन्य लेखा टिप्पणियां — भाग ग
भाग क से भाग ग के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरणिका

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	ब्याज	क-12	26,270.08		27,079.44	
	अन्य प्रचालन सेवाएं	क-12	129.81		118.38	
	अन्य वित्तीय सेवाएं	क-12	316.34	26,716.23	275.83	27,473.65
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	क-13		302.34		90.66
III.	**कुल आय (I + II)**			**27,018.57**		**27,564.31**
IV.	व्यय					
	वित्त लागत	क-14		16,432.69		16,473.81
	बॉण्ड इश्यू व्यय	क-15		26.58		33.44
	कार्मिक लाभ व्यय	क-16		114.97		90.37
	प्रावधान	ग-16		5101.08		1,609.32
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	ग-21		(7.51)		96.26
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	क-6		5.56		6.17
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	ग-22(क)		166.15		145.79
	अन्य व्यय	क-17		67.79		50.62
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	क-18		1.47		(2.13)
	कुल व्यय			**21,908.78**		**18,503.65**
V.	**विशिष्ट और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ (III- IV)**			**5,109.79**		**9,060.66**
VI.	विशिष्ट मदें			0.00		0.00
VII.	**असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (V- VI)**			**5,109.79**		**9,060.66**
VIII.	असाधारण मदें			0.00		0.00
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**			**5,109.79**		**9,060.66**
X.	**कर व्यय**					
	1) **वर्तमान कर**					
	चालू वर्ष		3,074.39		2,822.26	
	पिछले वर्ष		(0.09)	3,074.30	12.11	2,834.37
	(2) आस्थगित कर देयता (+)/परिसंपत्ति (-)			(90.**90**)		112.81
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX- X)**			**2,126.39**		**6,113.48**
XII.	**₹10/. प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय**	**क.32**				
	बुनियादी (₹)			8.05		23.16
	तनुकृत (₹)			8.05		23.16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — भाग ख
अन्य लेखा टिप्पणियां — भाग ग

भाग क 1 से 20, भाग ख और भाग ग के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को	
I.	**प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:–**					
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**5,109.79**		**9,060.66**	
	जोड़ें : निम्नांकित के लिए समायोजन–					
	अचल परिसंपत्तियों की बिकी पर हानि (निवल)		0.16		0.14	
	निवेश की बिकी पर लाभ	क-13	(0.50)		(0.49)	
	मूल्यह्रास/परिशोधन (पूर्व अवधि मूल्यह्रास सहित)	क-6	5.78		6.17	
	जीरो कूपन ऋणों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन		99.49		(11.55)	
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि		221.48		306.16	
	डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	क-14	(178.15)		0.00	
	निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान		(7.51)		96.26	
	प्रावधान		5101.08		1609.32	
	लाभांश/निवेश पर ब्याज	क-13	(290.41)		(70.66)	
	सीएसआर व्यय		166.15		145.79	
	ब्याज सब्सिडी निधि		2.22		(3.88)	
	आय कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान		0.69		0.00	
	अधिशेष देयताएं पश्चलिखित	क-13	(0.12)		(0.30)	
	सेवा निवृत्ति लाभों/अन्य कल्याण व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान		18.59		20.84	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ		**10,248.74**		**11,158.46**	
	बढ़ोतरी/कमी					
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)		(6,939.35)		(21,220.77)	
	अन्य परिसंपत्तियां		(4,572.82)		(774.44)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	क-2(ग)(v)	92.18		(359.18)	
	देयताएं और प्रावधान		6,324.91		878.88	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		**5,153.66**		**(10,317.05)**	
	असाधारण मदें		0.00		0.00	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी अंतर प्रवाह/बाह्य प्रवाह		**5,153.66**		**(10,317.05)**	
	अदा किया गया आय कर		(3,302.04)		(3,059.54)	
	रिफंड किया गया आय कर		68.61		37.62	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**1,920.23**		**(13,338.97)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन		0.09		0.14	
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	क-6	(4.51)		(4.57)	
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि)/कमी	क-6	(0.02)		(0.16)	
	सहायक कंपनियों में निवेश		0.00		(0.20)	
	निवेश पर लाभांश/ब्याज		260.08		70.66	
	अन्य निवेशों की खरीद/बिक्री		(564.55)		(1921.72)	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी			**(308.91)**		**(1855.85)**
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)		18,570.20		11,711.11	
	दीर्घावधि ऋणों की उगाही (निवल)		(9,000.00)		(3585.00)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)		(2,559.98)		732.75	
	कमर्शियल पेपर (निवल)		(5,350.00)		3195.00	

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को	
	नियतकालिक जमा राशियों के प्रति ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)		115.59		357.03	
	अदावी ऋण (निवल)		(3.32)		(0.13)	
	अदावी लाभांश (निवल)		(0.29)		0.40	
	पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान		(79.20)		(79.20)	
	चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान		0.00		(1,755.66)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान		(217.64)		(372.86)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**1,475.36**		**10,203.44**
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल बढ़ोतरी/कमी			**3,086.68**		**(4,991.38)**
	जोड़ें : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य			28.06		5,019.44
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य			**3,114.74**		**28.06**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यों का ब्यौरा		**A-II**				
i)	चालू खाते में शेष					
	भारतीय रिजर्व बैंक		0.02		0.05	
	अनुसूचित बैंकों में		42.84	42.86	28.01	28.06
ii)	हस्तगत चेक			0.00		0.00
iii)	डाक प्राधिकारियों के साथ अग्रदाय			0.00		0.00
iv)	अनुसूचित बैंकों में नियतकालिक जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)			3071.88		0.00
	उप–जोड़ (I)			**3,114.74**		**28.06**
वर्ष के अंत में निर्धारित रोकड़ और बैंक शेष का ब्यौरा		**A-II**				
i)	बॉण्डों, लाभांश आदि पर ब्याज भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष			458.41		6.41
ii)	आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी					
	अनुसूचित बैंकों में चालू खाते में शेष			0.00		13.01
iii)	बैंकों में नियतकालिक जमा राशि - डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)			0.00		30.97
	उप–जोड़ (2)			**458.41**		**50.39**
	वर्ष के अंत में कुल नकदी और बैंक शेष (1+2)			**3,573.15**		**78.45**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

टिप्पणी – भाग क–I

शेयर पूंजी

(₹करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
क	**अधिकृत:**		
	₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 10,00,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)	10,000.00	2,000.00
	कुल	10,000.00	2,000.00
ख	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :**		
	₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर (पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर)	1,320.04	1,320.04
	जोड़ें : ₹10/- मूल्य के पूर्ण चुकता 1,32,00,40,704 इक्विटी शेयर* (पिछले वर्ष शून्य)	1,320.04	0.00
	कुल	2,640.08	1,320.04

*(भाग ग-अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 31 देखें)

टिप्पणियां :–

1 वर्ष के दौरान कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए और कोई शेयर वापस नहीं खरीदा।

2 कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसमें प्रति शेयर मूल्य ₹10/- है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

3 वर्ष के दौरान विमोचन योग्य अधिमानी शेयरों की संख्या 31.03.2017 को-शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)

4 वर्ष के दौरान ईएसओपी स्कीम के अंतर्गत कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया।

5 समाधान किए गए बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
प्रारंभिक शेष	1,320,040,704	1,320,040,704
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,320,040,704	शून्य
अंतिम शेष	2,640,081,408	1,320,040,704

6. कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के बारे में जानकारी:-

शेयर धारकों के नाम		31.03.2017	31.03.2016
भारत के राष्ट्रपति (भाग–ग अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी 30 देखें)	शेयर धारण प्रतिशत	66.35	67.80
	धारित शेयरों की संख्या	1,751,631,394	894,924,366
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	8.65	9.08
	धारित शेयरों की संख्या	228,252,101	119,830,788

7. वर्ष के दौरान भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 3,82,17,388 इक्विटी शेयरों का विनिवेश करते हुए ये शेयर सीपीएसई ईटीएफ में अंतरित किए गए।

8. तुलन पत्रक की तारीख से तत्काल पिछले 5 वर्ष की अवधि में बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए गए पूर्ण चुकता शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी संबंधी जानकारी:

विवरण	जारी किए गए शेयरों की संख्या	जारी करने का वर्ष
₹10/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर का राइट्स इश्यू, जो वर्तमान इक्विटी शेयरों 1:1 के अनुपात में जारी किए गए।	1,320,040,704	2016&17

टिप्पणी – भाग क–2
आरक्षित एवं अधिशेष

(₹करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
(क)	**प्रतिभूत प्रीमियम खाता**				
	प्रारंभिक शेष	4,096.58		4,096.37	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	0.00		0.21	
	घटाएं : बोनस निर्गम के लिए उपयोग (भाग-ग अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 31 देखें)	1,320.04	2,776.54	0.00	4096.58
(ख)	**डिबेंचर मोचन आरक्षित** **(भाग–ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 4(क) देखें)**				
	प्रारंभिक शेष	1,172.55		856.28	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	298.02		316.27	
	घटाएं : उपयोग के कारण अधिशेष को अंतरित	36.40	1,434.17	0.00	1,172.55
(ग)	**अन्य**				
(i)	**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii ए) (सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	2,547.14		2,117.93	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	467.55	3,014.69	429.21	2,547.14
(ii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित**		**599.85**		**599.85**
(iii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1997-98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	12,506.91		10,540.21	
	जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	1,803.78		2,004.16	
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	0.00		28.76	
	घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित	0.00	14,310.69	66.22	12,506.91
(iv)	**सामान्य आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	5,364.33		4,197.11	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	0.00		1,101.00	
	जोड़ें : लाभ - डेरिव्हेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन भाग-ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 5 (ई) देखें	74.35		0.00	
	जोड़ें : विशेष आरक्षित से अंतरित	0.00	5,438.68	66.22	5,364.33
(v)	**विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (भाग–ग–अन्य लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 5 (सी)देखें)**				
	प्रारंभिक शेष	(739.74)		(380.56)	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	92.18	(647.56)	(359.18)	(739.74)
(घ)	**अधिशेष**				
	प्रारंभिक शेष	8,898.37		8,871.98	
	जोड़ें : वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	2126.39		6113.48	
	घटाएं : आरक्षित को अंतरित				
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii ए) (सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित में अंतरित	467.55		429.21	
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित को अंतरित	1803.78		2004.16	
	डिबेंचर विमोचन आरक्षित	298.02		316.27	
	सामान्य आरक्षित	0.00		1101.00	
	घटाएं: लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर				
	अंतरिम लाभांश	1320.04		1755.66	
	(भाग ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 33(क) देखें)	0.00		79.20	
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	268.73		356.74	
	अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	0.00		16.12	
	प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर				
	वर्ष के दौरान समायोजन	36.40		0.00	
	जोड़ें : उपयोग पर डिबेंचर विमोचन आरक्षित से अंतरित जोड़ें : चालू वर्ष के दौरान समायोजन	0.03		0.03	
	घटाएं : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष आरक्षित से अंतरण	0.00	6,903.07	28.76	8,898.37
	कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**33,830.13**		**34,445.99**

टिप्पणी –भाग क–3

ऋण

(₹करोड़ में)

विवरण				31.03.2017 को		कुल	31.03.2016 को		कुल
				वर्तमान	गैर–वर्तमान		वर्तमान	गैर–वर्तमान	
क.	**दीर्घावधि ऋण**								
	I.	**प्रतिभूत**							
			बॉण्ड						
			इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (देखें, टिप्पणी संख्या 1)	3.70	281.06	284.76	316.91	44.64	361.55
			कर मुक्त बॉण्ड (देखें, टिप्पणी संख्या 2)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	12,275.11	12,275.11
			अन्य बॉण्ड (देखें, टिप्पणी संख्या 3)	0.00	7,550.00	7,550.00	1,600.00	7,550.00	9,150.00
			उप जोड़ (I)	**3.70**	**20,106.17**	**20,109.87**	**1,916.91**	**19,869.75**	**21,786.66**
	II.	**अप्रतिभूत**							
		क)	बॉण्ड						
			अन्य बॉण्ड / डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या 4 और 5)	24,155.40	1,41,678.10	1,65,833.50	15,868.00	1,29,682.64	1,45,550.64
			सबोर्डिनेटिड बॉण्ड (देखें, टिप्पणी संख्या 6)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
			विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या 7)	1167.30	0.00	1,167.30	0.00	1,201.86	1,201.86
				25,322.70	**1,45,478.10**	**1,70,800.80**	**15,868.00**	**1,34,684.50**	**1,50,552.50**
		ख)	**विदेशी मुद्रा ऋण**						
			विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या 8)	19.49	184.74	204.23	20.68	217.19	237.87
			बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या 9)	0.00	7,072.35	7,072.35	2,057.58	7,278.26	9,335.84
				19.49	**7,257.09**	**7,276.58**	**2,078.26**	**7,495.45**	**9,573.71**
		ग))	**रुपया सावधि ऋण**						
			रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 10)	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	10,500.00	11,000.00
				0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**500.00**	**10,500.00**	**11,000.00**
			उप जोड़ (II)	**25,342.19**	**1,54,735.19**	**1,80,077.38**	**18,446.26**	**1,52,679.95**	**1,71,126.21**
ख.	**अल्पावधि ऋण**								
	I.	**प्रतिभूत**							
			रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (टिप्पणी संख्या 10 देखें)	2400.79	0.00	2400.79	0.00	0.00	0.00
			उप जोड़ (I)	**2,400.79**	**0.00**	**2,400.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II.	**अप्रतिभूत**							
			वाणिज्यिक पेपर	0.00	0.00	0.00	5,286.37	0.00	5,286.37
			बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	2,285.20
			उप जोड़ (II)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,571.57**	**0.00**	**7,571.57**
			कुल (क) +(ख)	**27,746.68**	**1,74,841.36**	**2,02,588.04**	**27,934.74**	**1,72,549.70**	**2,00,484.44**

टिप्पणियां :–

I. 31.03.2017 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्योरा	प्रतिभूति का प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86-ए शृंखला	30 मार्च 2012	8.43%	7.39	30 मार्च 2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित	100%
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86-बी शृंखला	30 मार्च 2012	8.43%	15.48	30 मार्च 2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) शृंखला-1	21 नवंबर 2011	8.50%	21.85	21 नवंबर 2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) शृंखला-2	21 नवंबर 2011	8.50%	36.34	21 नवंबर 2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य		
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) शृंखला-1	31 मार्च 2011	8.30%	49.95	31 mkpZ 2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31-03-2017 को कंपनी ds 3090.80 करोड़ रुपए के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित।	100%
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) शृंखला-2	31 मार्च 2011	8.30%	109.11	31 मार्च 2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड शृंखला 3 (2011-12)	21 नवंबर 2011	8.75%	3.23	22 uवंबर 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की rारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की rkjh[k ls 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड शृंखला 4 (2011-12)	21 नवंबर 2011	8.75%	8.83	22 नवंबर 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड शृंखला 3 (2010-11)	31 मार्च 2011	8.50%	6.13	01 vप्रैल 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2017 को कंपनी के 3090.80 करोड़ रुपए के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित।	100%
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड शृंखला 4 (2010-11)	31 मार्च 2011	8.50%	22.75	01 अप्रैल 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86-सी शृंखला	30 मार्च 2012	8.72%	0.95	31 मार्च 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित	100%
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86-डी शृंखला	30 मार्च 2012	8.72%	2.75	31 मार्च 2018	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
		कुल		284.76				

II. 31.03.2017 को बकाया कर–मुक्त बॉण्डों का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
13	कर-मुक्त बॉण्ड (2015-16)-शृंखला-3ए	17 अक्तूबर, 2015	7.35%	213.57	17 अक्तूबर,2035	कंपनी के कुल बही बॉण्डों (उन बॉण्डों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
14	कर-मुक्त बॉण्ड (2015-16)-शृंखला-3बी	17 अक्तूबर,2015	7.60%	155.48	17 अक्तूबर,2035		
15	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14)-शृंखला-3ए	16 नवंबर,2013	8.67%	1,067.38	16 नवंबर,2033	कंपनी के कुल बही बॉण्डों (उन बॉण्डों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
16	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14)-शृंखला-3 बी	16 नवंबर, 2013	8.92%	861.96	16 नवंबर,2033		
17	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-2ए	17 अक्तूबर,2015	7.27%	131.33	17 अक्तूबर,2030	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
18	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-2बी	17 अक्तूबर,2015	7.52%	45.18	17 अक्तूबर,2030		
19	कर-मुक्त बॉण्ड 2013-14 शृंखला-2ए	16 नवंबर,2013	8.54%	932.70	16 नवंबर, 2028	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
20	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14) शृंखला-2बी	16 नवंबर,2013	8.79%	353.32	16 नवंबर, 2028		
21	कर-मुक्त बॉण्ड 107बी	30 अगस्त,2013	8.46%	1,011.10	30 अगस्त, 2028	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
22	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-II	28 मार्च,2013	7.04%	6.06	28 मार्च, 2028	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
23	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-II	28 मार्च,2013	7.54%	63.15	28 मार्च, 2028		
24	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- I-शृंखला-II	4 जनवरी,2013	7.36%	150.14	4 tuojIए 2028	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
25	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- I- शृंखला-II	4 जनवरी,2013	7.86%	206.86	4 जनवरी,2028		
26	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 95बी	29 नवंबर,2012	7.38%	100.00	29 नवंबर,2027	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/बॉण्ड परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित सुरक्षित, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
27	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 94बी	29 नवंबर,2012	7.38%	25.00	22 नवंबर,2027		
28	कर-मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांचे- I-शृंखला-II	1 फरवरी,2012	8.30%	1,280.58	1 फरवरी,2027	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
29	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-80बी	25 नवंबर,2011	8.16%	209.34	25 नवंबर,2026	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में जारी इन्फ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
30	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-79बी	15 अक्तूबर,2011	7.75%	217.99	15 अक्तूबर,2026		
31	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-1ए	17 अक्तूबर,2015	7.11%	75.09	17 अक्तूबर,2025	कंपनी के कुल बही बॉण्डों (उन बॉण्डों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
32	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-1बी	17 अक्तूबर,2015	7.36%	79.35	17 अक्तूबर,2025		
33	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 136	17 जुलाई,2015	7.16%	300.00	17 जुलाई,2025	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
34	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14) शृंखला-Iए	16 नवंबर,2013	8.18%	325.07	16 नवंबर,2023	कंपनी के कुल बही बॉण्डों (उन बॉण्डों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
35	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14) शृंखला-Iबी	16 नवंबर,2013	8.43%	335.47	16 नवंबर,2023		
36	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-107ए	30 अगस्त,2013	8.01%	113.00	30 अगस्त,2023	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
37	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-I	28 मार्च,2013	6.88%	50.14	28 मार्च,2023	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
38	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- II- शृंखला-I	28 मार्च,2013	7.38%	46.01	28 मार्च,2023		
39	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- I - शृंखला-I	4 जनवरी,2013	7.19%	185.90	4 जनवरी,2023	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
40	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- I - शृंखला-I	4 जनवरी,2013	7.69%	156.85	4 जनवरी,2023		
41	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 95 ए	29 नवंबर,2012	7.22%	30.00	29 नवंबर,2022	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/बॉण्ड परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित सुरक्षित, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
42	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 94 ए	29 नवंबर,2012	7.21%	255.00	22 नवंबर,2022		
43	कर-मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांचे- I - शृंखला-I	1 दिसंबर,2012	8.20%	2,752.55	1 फरवरी,2022	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
44	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 80ए	25 नवंबर,2011	8.09%	334.31	25 नवंबर,2021	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
45	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 79ए	15 अक्तूबर,2011	7.51%	205.23	15 अक्तूबर,2021		
		कुल		12,275.11			

III. 31.03.2017 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड (प्रतिभूत) का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
46	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112सी	31 जनवरी ,2014	9.70%	270.00	31 जनवरी,2021	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
47	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112बी	31 जनवरी,2014	9.70%	270.00	31 जनवरी,2020		
48	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 113	3 मार्च,2014	9.69%	2,240.00	3 मार्च,2019	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
49	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112ए	31 जनवरी,2014	9.70%	270.00	31 जनवरी,2019	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
50	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 109	7 अक्तूबर,2013	9.81%	4,500.00	7 अक्तूबर,2018	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
		कुल		7,550.00			

IV. 2022–XIX श्रृंखला के अंतर्गत ₹479.60 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹443.74 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को ₹750.00 करोड़ के अंकित मूल्य ₹270.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹306.26 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ विमोचन योग्य हैं।

V. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा निम्नवत है :–

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
1	श्रृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-30	192.70
2	श्रृंखला 66-सी	8.85%	15-जून-30	633.00
3	श्रृंखला 118-बी-III	9.39%	27-अगस्त-29	460.00
4	श्रृंखला 103	8.94%	25-मार्च-28	2,807.00
5	श्रृंखला 102-ए (III)	8.90%	18 मार्च-28	403.00
6	श्रृंखला 101-बी	9.00%	11-मार्च-28	1,370.00
7	श्रृंखला 155	7.23%	5 जनवरी-27	2,635.00
8	श्रृंखला 152	7.55%	25-सितंबर-26	4,000.00
9	श्रृंखला 151बी	7.56%	16-सितंबर-26	210.00
10	श्रृंखला 77-बी	9.45%	1-सितंबर-26	2,568.00
11	श्रृंखला 150-बी	7.63%	14-अगस्त-26	1,675.00
12	श्रृंखला 76 बी	9.46%	1 अगस्त-26	1,105.00
13	श्रृंखला 147	8.03%	2-मई-26	1,000.00
14	श्रृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-25	192.70
15	श्रृंखला 141-बी	8.40%	18-सितंबर-25	1,000.00
16	श्रृंखला 66-बी	8.75%	15-जून-25	1,532.00
17	श्रृंखला 65	8.70%	14-मई-25	1,337.50
18	श्रृंखला 130-सी	8.39%	19-अप्रैल-25	925.00
19	श्रृंखला 64-III	8.95%	30-मार्च-25	492.00
20	श्रृंखला 131-सी	8.41%	27-मार्च-25	5,000.00
21	श्रृंखला-63-III	8.90%	15-मार्च-25	184.00
22	श्रृंखला 128	8.20%	10-मार्च-25	1,600.00
23	श्रृंखला 62-बी	8.80%	15-जनवरी-25	1,172.60
24	श्रृंखला 126	8.65%	4-जनवरी-25	5,000.00
25	श्रृंखला 125	8.65%	28-दिसंबर-24	2,826.00
26	श्रृंखला 61	8.50%	15-दिसंबर-24	351.00
27	श्रृंखला 124-सी	8.48%	9-दिसंबर-24	1,000.00
28	श्रृंखला 120-ए	8.98%	8-अक्तूबर-24	961.00
29	श्रृंखला 120-बी	8.98%	8-अक्तूबर-24	950.00
30	श्रृंखला 118-बी -II	9.39%	27-अगस्त-24	460.00
31	श्रृंखला 117-बी	9.37%	19-अगस्त-24	855.00
32	श्रृंखला 57-सी	8.60%	7-अगस्त-24	866.50
33	श्रृंखला 85-डी	9.26%	15-अप्रैल-23	736.00
34	श्रृंखला 102-ए (II)	8.90%	18-मार्च-23	403.00
35	श्रृंखला 102-बी	8.87%	18-मार्च-23	70.00
36	श्रृंखला 100-बी	8.84%	4-मार्च-23	1,310.00

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
37	शृंखला 92-सी	9.29%	21-अगस्त-22	640.00
38	शृंखला 91-बी	9.39%	29-जून-22	2,695.20
39	शृंखला 88-सी	9.48%	15-अप्रैल-22	184.70
40	शृंखला 154	7.27%	22-दिसंबर-21	1,101.00
41	शृंखला 124-बी	8.55%	9-दिसंबर-21	1,200.00
42	शृंखला 123-सी	8.66%	27-नवंबर-21	200.00
43	शृंखला 153	7.40%	30-सितंबर-21	1,830.00
44	शृंखला 78-बी	9.44%	23-सितंबर-21	1,180.00
45	शृंखला 151-ए	7.47%	16-सितंबर-21	2,260.00
46	शृंखला 150-ए	7.50%	16-अगस्त-21	2,660.00
47	शृंखला 76-ए	9.36%	1-अगस्त-21	2,589.40
48	शृंखला 115-III	9.20%	7-जुलाई-21	700.00
49	शृंखला 75-सी	9.61%	29-जून-21	2,084.70
50	शृंखला 74	9.70%	9-जून-21	1,693.20
51	शृंखला 28	8.85%	31-मई-21	600.00
52	शृंखला 146	8.05%	27-अप्रैल-21	300.00
53	शृंखला 73	9.18%	15-अप्रैल-21	1,000.00
54	शृंखला 72-बी	8.99%	15-जनवरी-21	1,219.00
55	शृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-20	192.70
56	शृंखला 70	8.78%	15-नवंबर-20	1,549.00
57	शृंखला 141-ए	8.46%	18-सितंबर-20	1,000.00
58	शृंखला 163	7.50%	17-सितंबर-20	2,435.00
59	शृंखला 140-बी	8.36%	4-सितंबर-20	1,250.00
60	शृंखला 138	8.45%	10-अगस्त-20	1,000.00
61	शृंखला 137	8.53%	24-जुलाई-20	2,700.00
62	शृंखला 68-बी	8.70%	15-जुलाई-20	1,424.00
63	शृंखला 165	7.42%	26-जून-20	3,605.00
64	शृंखला 66-ए	8.65%	15-जून-20	500.00
65	शृंखला 149	8.04%	30-मई-20	100.00
66	शृंखला 159	7.05%	15-मई-20	2,551.00
67	शृंखला 65	8.70%	14-मई-20	1,337.50
68	शृंखला 131-बी	8.38%	27-अप्रैल-20	1,350.00
69	शृंखला 130-बी	8.42%	18-अप्रैल-20	200.00
70	शृंखला 85-सी	9.30%	15-अप्रैल-20	79.50
71	शृंखला 157	6.83%	15-अप्रैल-20	2,000.00
72	शृंखला 64-II	8.95%	30-मार्च-20	492.00
73	शृंखला 87-डी	9.42%	20-मार्च-20	650.80
74	शृंखला 63-II	8.90%	15-मार्च-20	184.00
75	शृंखला 100-ए	8.86%	4-मार्च-20	54.30
76	शृंखला 127	8.36%	26-फरवरी-20	4,440.00

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
77	श्रृंखला 99-बी	8.82%	20-फरवरी-20	733.00
78	श्रृंखला 62-ए	8.70%	15-जनवरी-20	845.40
79	श्रृंखला 61	8.50%	15-दिसंबर-19	351.00
80	श्रृंखला 124-ए	8.52%	9-दिसंबर-19	1,220.00
81	श्रृंखला 123-बी	8.65%	28-नवंबर-19	836.00
82	श्रृंखला 60-बी	1YINCMTBMK+179 बीपीएस (फ्लोटिंग दर)	20-नवंबर-19	925.00
83	श्रृंखला 122	8.76%	7-नवंबर-19	1,000.00
84	श्रृंखला 121-बी	8.96%	21-अक्तूबर-19	1,100.00
85	श्रृंखला 59-बी	8.80%	15-अक्तूबर-19	1,216.60
86	श्रृंखला 119-बी	9.32%	17-सितंबर-19	1,591.00
87	श्रृंखला 118-बी-I	9.39%	27-अगस्त-19	460.00
88	श्रृंखला 57-बी	8.60%	7-अगस्त-19	866.50
89	श्रृंखला 115-II	9.15%	7-जुलाई-19	100.00
90	श्रृंखला 135-बी	8.50%	29-जून-19	1,500.00
91	श्रृंखला 90-बी	9.41%	1-जून-19	391.00
92	श्रृंखला 148	7.95%	13-मई-19	1,915.00
93	श्रृंखला 145	7.85%	15-अप्रैल-19	2,928.00
94	श्रृंखला 143	8.12%	28-फरवरी-19	700.00
95	श्रृंखला 98-III	8.72%	8-फरवरी-19	324.00
96	श्रृंखला 82-सी	9.70%	15-दिसंबर-18	2,060.00
97	श्रृंखला 52-सी	11.25%	28-नवंबर-18	1,950.60
98	श्रृंखला 142-बी	8.00%	22-अक्तूबर-18	1,000.00
99	श्रृंखला 51-सी	11.00%	15-सितंबर-18	3,024.40
100	श्रृंखला 140-ए	8.28%	4-सितंबर-18	1,930.00
101	श्रृंखला 139-सी	8.17%	18-अगस्त-18	800.00
102	श्रृंखला 49-बी	10.85%	11-अगस्त-18	428.60
103	श्रृंखला 161	6.90%	16-जुलाई-18	1,850.00
104	श्रृंखला 162	6.90%	16-जुलाई-18	1,060.00
105	श्रृंखला 48-सी	10.55%	15-जुलाई-18	259.70
106	श्रृंखला 135-ए	8.40%	29-जून-18	1,210.00
107	श्रृंखला 130-ए	8.40%	19-जून-18	1,175.00
108	श्रृंखला 129-ए	8.29%	13-जून-18	980.00
109	श्रृंखला 129-बी	8.29%	13-जून-18	100.00
110	श्रृंखला 47-सी	9.68%	9-जून-18	780.70
111	श्रृंखला 134-बी	8.39%	28-मई-18	1,500.00
112	श्रृंखला 132-बी	8.09%	16-मई-18	200.00
113	श्रृंखला 131-ए	8.34%	27-अगस्त-18	100.00
114	श्रृंखला 132-ए	8.03%	9-अप्रैल-18	272.00
115	श्रृंखला 102-ए (i)	8.90%	18-मार्च-18	403.00

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
116	श्रृंखला 101-ए	8.95%	11-मार्च-18	3,201.00
117	श्रृंखला 99-ए	8.77%	20-फरवरी-18	2.00
118	श्रृंखला 98-II	8.72%	8-फरवरी-18	324.00
119	श्रृंखला 72-ए	8.97%	15-जनवरी-18	144.00
120	श्रृंखला 40-सी	9.28%	28-दिसंबर-17	650.00
121	श्रृंखला 123-ए	8.50%	28-नवंबर-17	1,075.00
122	श्रृंखला 18	7.87%	13-नवंबर-17	25.00
123	श्रृंखला 121-ए	8.90%	21-अक्तूबर-17	1,500.00
124	श्रृंखला 142-ए	7.88%	21-अक्तूबर-17	800.00
125	श्रृंखला 93-बी	8.91%	15-अक्तूबर-17	950.00
126	श्रृंखला 17	8.21%	3-अक्तूबर-17	25.00
127	श्रृंखला 118-ए	9.30%	27-अगस्त-17	2,160.00
128	श्रृंखला 92-ए	9.01%	21-अगस्त-17	50.00
129	श्रृंखला 92-बी	9.27%	21-अगस्त-17	1,930.00
130	श्रृंखला 117-ए	9.32%	19-अगस्त-17	1,311.00
131	श्रृंखला 115-I	9.11%	7-जुलाई-17	1,650.00
132	श्रृंखला 91-ए	9.40%	29-जून-17	107.50
133	श्रृंखला 90-ए	9.61%	1-जून-17	537.90
134	श्रृंखला 134-ए	8.35%	27-मई-17	1,500.00
135	श्रृंखला 13	9.60%	24-मई-17	65.00
136	श्रृंखला 139-बी	8.12%	22-मई-17	1,435.00
137	श्रृंखला 35	9.96%	18-मई-17	530.00
138	श्रृंखला 13	9.60%	16-मई-17	125.00
139	श्रृंखला 89-ए	9.52%	2-मई-17	165.00
140	श्रृंखला 133-बी	8.00%	24-अप्रैल-17	605.00
141	श्रृंखला 144	7.98%	21-अप्रैल-17	1,775.00
142	श्रृंखला 139-ए	8.12%	17-अप्रैल-17	565.00
143	श्रृंखला 133-ए	8.00%	3-अप्रैल-17	545.00
			कुल*	1,65,353.90

*31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹5.60 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹6.10 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लायज़ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट और ₹0.60 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹0.50 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लायज़ ग्रेच्युटी ट्रस्ट ने धारण किए हैं।

VI. 31.03.2017 को अप्रतिभूत गौण बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र स	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	मोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
1	सबोर्डिनेटिड टिअर-II बॉण्ड	9.70%	21-फरवरी-24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर-II बॉण्ड	9.65%	13-जनवरी 24	1,000.00
3	सबोर्डिनेटिड टिअर-II बॉण्ड	8.19%	14-जून 23	800.00
			कुल	3,800.00

VII. 6.61 प्रतिशत की दर पर ₹1,167.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1201.86 करोड़) मूल्य के विदेशी मुद्रा सीनियर नोट्स (यूएसपीपी), 05.09.2017 को विमोचन योग्य हैं।

VIII. विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2017 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.14	30-जून-35
2	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-34
3	केएफडब्ल्यू I	0-75%	1.31	30-जून-34
4	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-33
5	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-33
6	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-32
7	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-32
8	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-31
9	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-जून-31
10	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-30
11	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-30
12	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-29
13	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-29
14	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-28
15	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	0.27	15-अक्तूबर-28
16	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.03	30-जून-28
17	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-28
18	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	1.88	15-अप्रैल-28
19	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.03	31-दिसंबर-27
20	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-27
21	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	2.23	15-अक्तूबर-27
22	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.06	30-जून-27
23	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-27
24	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	2.36	15-अप्रैल-27
25	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.36	31-दिसंबर-26
26	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-26
27	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	2.59	15-अक्तूबर-26
28	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.36	30-जून-26
29	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-26
30	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	4.32	15-अप्रैल-26
31	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.43	31-दिसंबर-25
32	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-25
33	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	4.32	15-अक्तूबर-25
34	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.92	30-जून-25
35	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-25
36	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अप्रैल-25
37	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	2.52	31-दिसंबर-24
38	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-24
39	केएफडब्ल्यू I	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अक्तूबर-24
40	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.05	30-जून-24
41	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-24
42	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	4.64	15-अप्रैल-24

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
43	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.08	31-दिसंबर-23
44	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-23
45	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-23
46	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-23
47	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-23
48	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-23
49	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-22
50	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-22
51	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-22
52	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-22
53	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-22
54	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-22
55	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-21
56	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-21
57	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-21
58	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-21
59	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-21
60	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-21
61	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-20
62	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-20
63	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-20
64	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-20
65	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-20
66	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	4.64	15-अप्रैल-20
67	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-19
68	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-19
69	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-19
70	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-19
71	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-19
72	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-19
73	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-18
74	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-18
75	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-18
76	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-18
77	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-18
78	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-18
79	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-17
80	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-17
81	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-17
82	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-17
83	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-जून-17
84	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-17
			204.23	

नोट : एडीबी (नया ऋण) के मामले में रिसेट के समय एडीबी द्वारा परिवर्तित रेट प्रदान की जाती है।

IX. विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2017 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन-XVIII	6 एमजेपीवाई लाइबोर +0.75%	844.28	4-नवंबर-22
2	एसएलएन-XVIII	6 एमजेपीवाई लाइबोर+0.75%	844.29	8-नवंबर-21
3	एसएलएन- XVII-(III)	6 एमजेपीवाई लाइबोर+1.28%	972.75	24-सितंबर-21
4	एसएलएन- XVII-(II)	6 एमजेपीवाई लाइबोर+1.28%	972.75	26-मार्च-21
5	एसएलएन-XVIII	6 एमजेपीवाई लाइबोर+0.75%	844.28	6-नवंबर-20
6	एसएलएन- XVII-(i)	6 एमजेपीवाई लाइबोर+1.28%	972.75	28-सितंबर-20
7	एसएलएन-XVI	6 एमजेपीवाई लाइबोर +1.55%	1621.25	4-दिसंबर-19
		कुल	7,072.35	

X. 31.03.2017 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	आईसीआईसीआई बैंक	7.90%	1,500.00	30-अप्रैल-2018
2	जे एंड के बैंक	8.10%	500.00	30-अप्रैल-2018
		कुल	2,000.00	

XI. 31.03.2017 को एफडी (बैंकों से) के प्रति ऋणों की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7.25%	177.15	03 अप्रैल-2017
2	विजया बैंक	6.50%	1,800.00	03 अप्रैल-2017
3	जे एंड के बैंक	5.50%	100.00	03 अप्रैल-2017
4	इलाहाबाद बैंक	4.50%	323.64	03 अप्रैल-2017
		कुल	2,400.79	

टिप्पणी :– भाग–क–4

अन्य दीर्घावधि एवं वर्तमान देयताएं

(₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 12क(ii)-अन्य लेखा टिप्पणियां)	3.59	106.10	109.69	6.88	100.59	107.47
ब्याज अंतर-निधि-केएफडब्ल्यू (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 10-अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.00	63.88	63.88	0.00	60.71	60.71
प्राप्त अग्रिम/सहायक कंपनियों को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(ii)-अन्य लेखा टिप्पणियां)	193.38	249.04	442.42	185.05	198.78	383.83
आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
अन्य बॉण्ड (राशि देय–भारत सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड)* (भाग-ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 13 देखें)						
क) मूल धन.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ख) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
उप जोड़	235.18	5,419.02	5,654.20	204.93	360.08	565.01
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं						
बॉण्ड पर	7,226.02	288.23	7,514.25	6,841.49	188.50	7,029.99
ऋण पर	27.14	0.00	27.14	58.36	0.00	58.36
उप जोड़	7,253.16	288.23	7,541.39	6,899.85	188.50	7,088.35
अप्रदत्त/अदावी						
बॉण्ड	0.52	0.00	0.52	3.84	0.00	3.84
बॉण्डों पर ब्याज	14.17	0.00	14.17	8.33	0.00	8.33
लाभांश	1.43	0.00	1.43	1.72	0.00	1.72
उप जोड़	16.12	0.00	16.12	13.89	0.00	13.89
अन्य	915.71	435.33	1,351.04	382.10	0.17	382.27
उप जोड़	915.71	435.33	1,351.04	382.10	0.17	382.27
कुल	8,420.17	6,142.58	14,562.75	7,500.77	548.75	8,049.52

* 31.03.2017 को अन्य अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

बॉण्ड सीरीज	आबंटन की तारीख	कूपन रेट	विमोचन की तारीख	राशि (₹करोड़ में)
1. पीएफसी बॉण्ड सीरीज 164-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	22 -मार्च-17	7.75%	22 -मार्च-27	2,000.00
2. पीएफसी बॉण्ड सीरीज 160-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	20-फरवरी-2017	7.60%	20-फरवरी-27	1,465.00
3. पीएफसी बॉण्ड सीरीज 158-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	20-जनवरी-17	7.18%	20-जनवरी-27	1,335.00
4. पीएफसी बॉण्ड सीरीज 156-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	11-जनवरी-17	7.10%	11-जनवरी-27	200.00
कुल				5,000.00

टिप्पणी :– भाग–क–5

प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(₹करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
I.	**कार्मिक लाभ***						
	कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	0.17	1.46	**1.63**	0.21	1.29	**1.50**
	अवकाश नकदीकरण	1.78	28.90	**30.68**	2.37	24.52	**26.89**
	कार्मिक कल्याण व्यय (भाग-ग अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 20 (डी) देखें)	3.98	4.92	**8.90**	1.07	21.61	**22.68**
	ग्रेच्युटी/अधिवार्षिता निधि	1.28	0.00	**1.28**	0.20	0.00	**0.20**
	प्रस्तावित वेतन संशोधन	9.94	0.00	**9.94**	0.00	0.00	**0.00**
	बोनस/प्रोत्साहन	5.58	0.00	**5.58**	9.87	0.00	**9.87**
	उप जोड़	22.73	35.28	58.01	13.72	47.42	61.14
II.	**अन्य**						
	आयकर (निवल)	0.00	12.57	**12.57**	0.00	49.49	**49.49**
	सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग-ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 21 और (22)	100.20	0.00	**100.20**	102.16	0.00	**102.16**
	मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 16(क)(i)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	99.96	457.88	557.84	103.44	493.97	597.41
	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 16(क) (ii)-अन्य लेखा टिप्पणियां)	317.00	2,039.23	**2,356.23**	490.80	638.40	**1,129.20**
	अंतरिम लाभांश* (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 33(क) (ii)-अन्य लेखा टिप्पणियां)	1,320.04	0.00	**1,320.04**	0.00	0.00	**0.00**
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	0.00	0.00	**0.00**	79.20	0.00	**79.20**
	अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	67.18	0.00	**67.18**	0.00	0.00	**0.00**
	प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	0.00	0.00	**0.00**	16.12	0.00	**16.12**
	उप जोड़	1,904.38	2,509.68	4,414.06	791.72	1,181.86	1,973.58
	कुल योग	1,927.11	2,544.96	4,472.07	805.44	1,229.28	2,034.72

*देखें भाग-ग की टिप्पणी संख्या 21-अन्य लेखा टिप्पणियां

टिप्पणी :– भाग–क–6

अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास						निवल ब्लॉक	
		1.4.2016 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.3.2017 को अंतिम शेष	1.4.2016 को प्रारंभिक शेष	1.4.2016 से 31.3.2017 की अवधि के लिए	समायोजन	पूर्व अवधि समायोजन	बेची गई/ बहियों से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	31.3.2017 को अंतिम शेष	31.3.2017 को	31.03.2016 को
I.	**मूर्त परिसंपत्तियां* :**												
	स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
	भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
	भूमि (लीज होल्ड)**	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
	भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	9.69	0.74	0.00	0.00	0.00	10.43	14.49	15.23
	ईडीपी उपकरण	15.94	1.65	2.43	15.16	13.34	1.94	0.00	0.00	2.27	13.01	2.15	2.60
	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	15.08	2.68	0.55	17.21	12.59	1.78	0.00	0.20	0.49	14.08	3.13	2.49
	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.74	0.18	0.15	7.77	6.84	0.23	0.00	0.02	0.12	6.97	0.80	0.90
	वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	0.09
	कुल	105.13	4.51	3.13	106.51	42.57	4.72	0.00	0.22	2.88	44.63	61.88	62.56
	पिछले वर्ष	104.48	4.06	3.41	105.13	40.42	5.28	0.00	0.00	3.13	42.57	62.56	
II.	**अमूर्त परिसंपत्तियां*:**												
	खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन- 5 वर्ष)	8.77	0.18	0.00	8.95	7.42	0.84	0.00	0.00	0.00	8.26	0.69	1.35
	पिछले वर्ष	8.26	0.51	0.00	8.77	6.53	0.89	0.00	0.00	0.00	7.42	1.35	
III.	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.16	0.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	पिछले वर्ष	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	

*कृपया भाग-ग की टिप्पणी संख्या 24-'अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें।

**कृपया भाग-ग की टिप्पणी संख्या 26-'अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें।

टिप्पणी :–भाग–क–7

गैर वर्तमान निवेश

(₹करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
दीर्घावधि निवेश							
(क)	**व्यापार निवेश** (₹10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो						
I.	**इक्विटी निवेश (उद्धृत)**						
	लागत पर मूल्यांकित						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000		12.00	1,20,00,000		12.00
II.	**इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)**						
	–लागत पर मूल्यांकित (घटाएं मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, अस्थायी को छोड़कर)						
	नेशनल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (भाग–ग–अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 7 (क)(ग)(i) देखें)	0	0.00		21,87,015	2.19	
	घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		0.00	0.00		1.06	1.13
	नेशनल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	3.22		32,20,000	3.22	
	घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		3.22	0.00		3.22	0.00
	एनर्जी ऐफीसिऐंसी सर्विसेस लिमिटेड (भाग ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7 (क)(ग) (ii) देखें)	14,65,00,000		146.50	4,75,00,000		47.50
	सहायक कंपनियां (भाग ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 2.1 देखें)	10,09,50,000		100.95	10,09,50,000		100.95
III.	**प्रेफरेंश शेयर (अनुद्धृत)**						
	–लागत पर मूल्य						
	सहायक कंपनी के 10% संचयी पूर्ण परिवर्तनीय प्रेफरेंश शेयर (भाग ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7 (क)(क) (ii) देखें)	20,00,00,000		200.00	20,00,00,000		200.00
IV.	**अन्य (अनुद्धृत)**						
	केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटें	61,52,200		6.15	61,52,200		6.15
V.	इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन मनी लंबित आबंटन						
	एनर्जी ऐफीसिऐंसी सर्विसेस लिमिटेड	0		0.00	9,90,00,000		99.00
	उप जोड़			465.60			466.73
(ख)	अन्य निवेश – बॉण्ड (उद्धृत) (₹10,00,000/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता बॉण्ड–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)						
	देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैक के 8000 बॉण्ड	18,000		1,800.00	18,000		1,800.00
	उप जोड़			1,800.00			1,800.00
	कुल			2,265.60			2,266.73

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
समग्र उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	1,812.00	1,812.00
बाज़ार मूल्य***	1,912.08	1,876.80
समग्र अनुद्धृत निवेश		
बही मूल्य	453.60	355.73
मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	3.22	4.28
इक्विटी शेयर आबंटित होने तक लंबित सकल आवेदन राशि	**0.00**	**99.00**

* अनुद्धृत निवेश होने के कारण, बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

**31 मार्च, 2017 को एनएवी ₹10.24 प्रति शेयर (31 मार्च, 2016 को 10.24 प्रति शेयर)। एनएवी में उतार-चढ़ाव अस्थायी समझा गया है।

***देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैक के 8000 बॉण्ड एनएससी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए गए हैं, परंतु 31.03.2017 को एनएससी प्लेटफॉर्म पर उनका बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं था और 31.03.2017 बॉण्डों की ट्रेडिंग नहीं हुई। तदनुरूप बॉण्ड के अंकित मूल्य को उसका बाज़ार मूल्य समझा गया है।

टिप्पणी – भाग क–8

समेकित ऋण*

विवरण				31.03.2017 को						31.03.2016 को					
				वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल		वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल	
क	**दीर्घावधि ऋण**														
	I	**प्रतिभूति ऋण**													
		क)	**अच्छे समझे गए**												
			राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	18,719.04		91,769.20		**1,10,488.24**		8,882.51		1,10,318.91		1,19,201.42	
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	6,630.50		22,578.26		**29,208.76**		1,873.11		18,421.67		20,294.78	
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	5.03		0.00		**5.03**		20.58		5.14		25.72	
			क्रेता ऋण सुविधा	67.48		1,376.96		**1,444.44**		318.44		764.04		1,082.48	
			ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा''	8.62		185.70		**194.32**		7.89		196.20		204.09	
			उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	18.95	25,449.62	870.05	1,16,780.17	**889.00**	**1,42,229.79**	18.95	11,121.48	842.35	1,30,548.31	861.30	**1,41,669.79**
		ख)	**अन्य**												
			राज्य बिजली बोर्ड, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) -एनपीए	2,323.18		21,064.92		**23,388.10**		374.35		347.61		721.96	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	328.58	1,994.60	2,134.66	18,930.26	**2,463.24**	**20,924.86**	74.87	299.48	69.52	278.09	144.39	**577.57**
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल) -एनपीए	1,689.43		3,237.05		**4,926.48**		947.64		4,251.81		5,199.45	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	527.87	1,161.56	708.42	2,528.63	**1,236.29**	**3,690.19**	202.61	745.03	577.38	3,674.43	779.99	**4,419.46**
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल -एनपीए	58.70		134.48		**193.18**		35.90		201.79		237.69	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	29.35	29.35	67.24	67.24	**96.59**	**96.59**	10.77	25.13	60.54	141.25	71.31	**166.38**
			उप जोड़ (i)		**28,635.13**		**1,38,306.30**		**1,66,941.43**		**12,191.12**		**1,34,642.08**		**1,46,833.20**
	II.	अप्रतिभूत ऋण													
		क)	**अच्छे समझे गए**												
			राज्य बिजली बोर्ड, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)#	3,799.06		57,954.91		**61,753.97**		19,378.04		56,435.04		75,813.08	
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,127.87		3,413.96		**4,541.83**		1,836.77		7,705.09		9,541.86	
			राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	0.00		0.00		**0.00**		14.16		0.00		14.16	
			क्रेता ऋण सुविधा	72.35	4,999.28	70.17	61,439.04	142.52	66,438.32	202.06	21,431.03	99.07	64,239.20	301.13	85,670.23
		ख)	**अन्य**												
			राज्य बिजली बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) -एनपीए#	269.33		373.83		**643.16**		0.00		0.00		0.00	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	26.93	242.40	127.20	246.63	**154.13**	**489.03**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

विवरण				31.03.2017 को						31.03.2016 को					
				वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल		वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल	
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल) -एनपीए	369.85		828.95		**1,198.80**		41.56		1,064.35		1,105.91	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	369.85	0.00	828.95	0.00	**1,198.80**	**0.00**	41.56	0.00	329.14	735.21	370.70	**735.21**
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल -एनपीए	0.00		61.91		**61.91**		0.00		22.04		22.04	
			घटाएं आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.00	0.00	61.91	0.00	**61.91**	**0.00**	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	**0.00**
			उप जोड़ (II)		**5,241.68**		**61,685.67**		**66,927.35**		**21,431.03**		**64,974.41**		**86,405.44**
			कुल (I+II)		**33,876.81**		**1,99,991.97**		**2,33,868.78**		**33,622.15**		**1,99,616.49**		**2,33,238.64**
ख)	बॉण्ड														
		अप्रतिभूत बॉण्ड													
			राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड/डिबेंचर		0.00		311.60		**311.60**		0.00		390.15		**390.15**
			स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बॉण्ड/डिबेंचर ***		0.00		29.44		**29.44**		0.00		29.44		**29.44**
			जोड़ ख		**0.00**		**341.04**		**341.04**		**0.00**		**419.59**		**419.59**
ग.	अल्पावधि ऋण														
	I	प्रतिभूत ऋण-अच्छे समझे गए													
			राज्य बिजली बोर्डोंऔर राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		1,467.91		0.00		**1,467.91**		1,092.51		0.00		**1,092.51**
			स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		22.58		0.00		**22.58**		0.00		0.00		**0.00**
			उप जोड़ (I)		**1,490.49**		**0.00**		**1,490.49**		**1,092.51**		**0.00**		**1,092.51**
	II	अप्रतिभूत ऋण-अच्छे समझे गए													
			राज्य बिजली बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण:		3,806.69		0.00		**3,806.69**		2,180.07		0.00		**2,180.07**
			स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		516.73		0.00		**516.73**		369.00		0.00		**369.00**
			अन्य -एनपीए	290.58		0.00		**290.58**		231.97		0.00		231.97	
			घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	145.29	145.29	0.00	0.00	**145.29**	**145.29**	69.59	162.38	0.00	0.00	69.59	**162.38**
			उप जोड़ (II)		**4,468.71**		**0.00**		**4,468.71**		**2,711.45**		**0.00**		**2,711.45**
			कुल (I+II)		**5,959.20**		**0.00**		**5,959.20**		**3,803.96**		**0.00**		**3,803.96**
			कुल योग (क+ख+ग)		**39,836.01**		**2,00,333.01**		**2,40,169.02**		**37,426.11**		**2,00,036.08**		**2,37,462.19**

*(देखें, भाग ग की टिप्पणी 16 (क) - समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

**(देखें, भाग ग की टिप्पणी 11 (क) (i)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

संबंधी राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण राशि ₹23,353.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹37,095.20 करोड़)

***इश्यू किए जा रहे बॉण्ड

+ इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–9

अन्य परिसंपत्तियां

(₹करोड़ में)

विवरण				31.03.2017 को						31.03.2016 को					
				वर्तमान		गैर–वर्तमान		कुल		वर्तमान		गैर–वर्तमान		कुल	
क	ऋण और अग्रिम														
	I	ऋण (अच्छे समझे गए)'													
		क)	कार्मिकों को (प्रतिभूत)	2.25		11.94		**14.19**		2.33		14.33		**16.66**	
		ख)	कार्मिकों को (अप्रतिभूत)	9.76	12.01	48.22	60.16	**57.98**	**72.17**	8.48	10.81	46.68	61.01	**55.16**	**71.82**
	II	अग्रिम (अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)													
		निम्नांकित से नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम :													
		क)	सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(i)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां) घटाएं आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	262.04		133.72		**395.76**		195.58		118.19		**313.77**	
		ख)	कार्मिकों को'	0.82		0.01		**0.83**		0.84		0.01		**0.85**	
		ग)	पूर्व अदा किए गए व्यय घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1.95		0.00		1.95		2.96		0.00		2.96	
		घ)	अन्य	1,259.94		6.31		**1,266.25**		199.77		9.34		**209.11**	
		ङ)	अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0.00		228.00		**228.00**		0.00		107.18		**107.18**	
		च)	प्रतिभूत जमा राशि	0.42	1,525.17	0.38	368.42	**0.80**	**1,893.59**	3.22	402.37	0.38	235.10	**3.60**	**637.47**
ख	भारत सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड खाते पर वसूली योग्य राशि (अप्रतिभूत) अच्छे समझे गए (भाग-ग- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)														
		क)	मूलधन	0.00		5,000.00		**5,000.00**		0.00		0.00		**0.00**	
		ख)	ब्याज	38.21	38.21	0.00	5,000.00	**38.21**	**5,038.21**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
ग	अन्य परिसंपत्तियां														
	I	प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं													
		क)	ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज	3,723.25		0.00		**3,723.25**		4,807.00		0.00		**4,807.00**	
		ख)	अन्य प्रभार	0.00		0.00		**0.00**		11.92		0.00		**11.92**	
		ग)	कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	0.60		22.04		**22.64**		0.50		18.87		**19.37**	
		घ)	जमा राशियों पर ब्याज और प्रोत्साहन	30.33	3,754.18	0.00	22.04	**30.33**	**3,776.22**	28.92	4,848.34	0.00	18.87	**28.92**	**4,867.21**
	II	प्रोद्भूत एवं देय													
			ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय आय	167.52	167.52	0.00	0.00	**167.52**	**167.52**	777.93	777.93	0.00	0.00	**777.93**	**777.93**
घ	ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत-अन्य) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 16(ख)(i) देखें)														
			गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीएज)	16.40		0.00		**16.40**		1.17		0.00		**1.17**	
			घटाएं : आकस्मिक व्ययों के लिए प्रावधान	16.40	0.00	0.00	0.00	**16.40**	**0.00**	1.01	0.16	0.00	0.00	**1.01**	**0.16**
			कुल		**5,497.09**		**5,450.62**		**10,947.71**		**6,039.61**		**314.98**		**6,354.59**

*जोड़कर:

विवरण	31.03.2017 को शेष	31.03.2016 को शेष
निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण (केएमपीज) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(ख) देखें)	0.50	0.39

टिप्पणी – भाग क–10

समेकित चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
क	इक्विटी लिखत (उद्धृत) (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर पूर्ण चुकता) -निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित						
	पीजीसीआईएल (₹52/- प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	4,39,349	2.28		4,89,349	2.54	
	आरईसी लिमिटेड (₹105/- प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)*	95,904	0.50		47,952	0.50	
	कोल इंडिया लिमिटेड (लागत मूल्य ₹358.58/-)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
	एनएचपीसी लिमिटेड (लागत मूल्य ₹21.78 प्रति शेयर) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणिया की टिप्पणी संख्या 9(क) (i) देखें)	26,05,42,051	567.50		0	0.00	
	घटाएं : इक्विटी लिखत पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (उद्धृत)**		0.00	1,071.02		93.04	410.74
ख	इक्विटी लिखत (ऋणकर्ता कंपनियां) (अनुद्धृत) (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) पूर्ण प्रदत्त						
	श्री माहेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीए ऋणकर्ता) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9(ख)(i) देखें)	13,18,46,779	66.10		0	0.00	
	(भाग–ख समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, टिप्पणी का पैरा 5.2 के अनुसार (मूल्यांकित)		66.10	0.00		0.00	0.00
	घटाएं : इक्विटी लिखतों (अनुद्धृत) पर मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (भाग-ख-समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट का पैरा 6.2 के अनुसार मूल्यांकित)						
	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9(ख)(ii) देखें)	27,50,00,000	275.00		0	0.00	
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर कमी के लिए प्रावधान (अनुद्धृत)		20.49	254.51		0.00	0.00
	कुल			**1,325.53**			**410.74**

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
अनुद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	1,071.02	410.74
बाजार मूल्य	1,258.02	415.30
अनुद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	254.51	0.00
मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	(86.59)	93.04

*₹105/- प्रति शेयर की लागत पर खरीदे गए शेयर। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयरों के निर्गम के पश्चात, संशोधित लागत मूल्य ₹52.5 प्रति शेयर बैठता है।

**टिप्पणी भाग-ख-समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां पैरा -6.1 देखें। 31.3.2016 को प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–11

नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
क.	**नकदी और नकदी समतुल्य**					
	i)	निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
		भारतीय रिजर्व बैंक	0.02		0.05	
		अनुसूचित बैंकों में	42.84	42.86	28.01	28.06
	ii)	हस्तगत चैक		0.00		0.00
	iii)	डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय		0.00		0.00
	iv)	अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		3,071.88		0.00
		उप जोड़ (I)		3,114.74		28.06
ख.	**निर्धारित शेष**					
	i)	बॉण्डों पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।		458.41		6.41
	ii)	आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी				
		अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।		0.00		13.01
	iii)	बैंकों के साथ मियादी जमा-डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक)		0.00		30-97
		उप जोड़ (II)		**458.41**		**50.39**
		कुल (I+II)		**3,573.15**		**78.45**

टिप्पणी – भाग क–12

समेकित प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
क	**ब्याज**				
	ऋणों पर ब्याज	26,587.14		27,359.13	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए ऋणकर्ताओं को छूट	316.65		297.42	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए सीओडी परवर्ती छूट	22.39	26,248.10	2.56	27,059.15
	पट्टा संबंधी आय		21.98		20-29
	उप जोड़ (क)		26,270.08		27,079.44
ख.	**अन्य प्रचालन आय**				
	अधिशेष निधियों से आय		117.71		97.60
	सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों से प्राप्त ब्याज		12.10		11.73
	ऋणकर्ताओं के बॉण्डों की बिक्री पर लाभ		0.00		9.05
	उप जोड़ (ख)		129.81		118.38
ग.	**अन्य वित्तीय सेवाएं**				
	ऋण पर पूर्वभुगतान प्रीमियम		201.77		170-46
	ऋण पर अग्रिम शुल्क		37.87		18.72
	प्रबंधन, एजेंसी गारंटी फीस		48.13		46.42
	ऋण पर प्रतिबद्धता शुल्क	5.44		5.07	
	ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क माफ किया गया	0.27	5.17	0.01	5.06
	भारत सरकार की योजनाओं के कारण शुल्क				
	नोडल एजेंसी शुल्क–आर–एपीडीआरपी भाग–सी के संदर्भ टिप्पणी सं. 12(बी) अन्य लेखा टिप्पणी	2.24		0-66	
	नोडल एजेंसी शुल्क–आईपीडीएस	21.16	23.40	34.51	35.17
	उप कुल (III)		316.34		275.83
	कुल (I+II+III)		26,716.23		27,473.65

टिप्पणी – भाग क–13

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर-वर्तमान निवेश पर लाभांश/ब्याज आय	203.02	32.22
चालू निवेश पर लाभांश आय	87.39	38.44
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	0.03
गैर-वर्तमान निवेश की बिक्री पर लाभ	0.00	0.05
चालू निवेश की बिक्री पर लाभ	0.50	0.44
आय कर रिफंड पर ब्याज	3.88	9.10
विविध आय	7.40	10.08
अत्यधिक देयताएं पश्च लिखित	0.12	0.30
कुल	302.34	90.66

टिप्पणी – भाग क–14

वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष		31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष	
I.	ब्याज				
	बॉण्डों पर	15,592.33		15,071.06	
	ऋणों पर	322.15		644.34	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	9.06		8.86	
	कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभार	389.72		277.43	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	(23.42)	16,289.84	1.65	16,003.34
II.	अन्य प्रभार				
	प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	0-65		0-67	
	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	2.17		2.13	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	0.01		37.82	
	बैंक/अन्य प्रभार	0.00		0.00	
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर अदा किया गया ब्याज	6.35	9.18	5.11	45.73
III.	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+/लाभ (-)		311.82		424.74
IV.	डेरीवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन- हानि (+)/लाभ (-) (देखें, भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां, टिप्पणी संख्या 6(ङ)		(178.15)		0.00
	कुल		16,432.69		16,473.81

टिप्पणी – भाग क–15

बॉण्ड निर्गम व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	0.00	11.51
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.65	4.20
अन्य निर्गम व्यय	14.04	11.23
स्टाम्प ड्यूटी फीस	7.89	6.50
कुल	26.58	33.44

टिप्पणी – भाग क–16

कार्मिक लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	83.41	65.30
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	10-29	8.19
कार्मिक कल्याण	15.66	12.23
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 11 (ख) -समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	5.61	4.65
कुल	114.97	90.37

टिप्पणी – भाग क–17

अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
कार्यालय किराया (भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां, टिप्पणी संख्या 11(ख) देखें)	0.50	0.50
विद्युत और जल प्रभार	1.50	1.56
बीमा	0.16	0.12
मरम्मत और अनुरक्षण	3.30	2.85
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.88	1.64
यात्रा एवं वाहन	10.04	8.15
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	2.25	1.87
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	2.02	3.51
विविध व्यय'	39.97	18.83
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	0.19	0.17
निवेश की बिक्री से हानि	0.98	0.00
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक'	0.60	0.77
सेवा कर	2.58	9.26
दरें और कर	1.41	0.88
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	0.41	0.51
कुल	67.79	50.62
नोट :		
1) विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं:		
विधि एवं फाईलिंग फीस	17.42	0.04
पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.07	0.04
विज्ञापन	5.28	5.52
सदस्यता और अंशदान	1.09	0.73
मनोरंजन	0.97	0.62
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	2.63	1.65
सुरक्षा व्यय	1.60	1.32
प्रशिक्षण	1.55	0.99
ईडीपी व्यय	3.01	2.37
व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	0.62	0.12
आयकर पर ब्याज	0.69	0.00
2) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.35	0.30
कर लेखा परीक्षण शुल्क	0.06	0.06
अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.19	0.38
व्यय की अदायगी	0.00	0.03

टिप्पणी –भाग क–18

समेकित पूर्व अवधि मदें (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
पूर्व अवधि व्यय :				
ब्याज और अन्य प्रभार	0.24		0.00	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय-अन्य	0.77		0.10	
मूल्यह्रास	0.22	1.23	0.00	0.10
पूर्व अवधि आय				
ब्याज आय	(0.20)		0.00	
अन्य आय	(0.04)	(0.24)	2.23	2.23
कुल		**1.47**		**(2.13)**

नोट– भाग–ख (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां)

1. (क) **वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के संबद्ध प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियामक मानदंडों/दिशा-निर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों और प्रचलित पद्धतियों के अनुसार प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किए गए हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), आय और व्यय की मात्राएं रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेक सम्मत और उचित हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2. आय/व्यय को मान्यता

2.1 आय और व्यय (नीचे वर्णित के सिवाय) की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

2.1.1 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों पर आय, की गणना उसकी प्राप्ति के वर्ष में की जाती है और ऐसी परिसंपत्ति के संदर्भ में मान्य, परंतु अप्राप्य आय का वयुत्क्रम कर दिया जाता है।

2.1.2 कार्बन क्रेडिट के अधीन आय की गणना उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष वह कंपनी को प्राप्त हुई हो।

2.1.3 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों पर लाभांश से आय की गणना रोकड़ आधार पर की जाती है। परंतु इसमें शर्त यह है कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में ऐसे लाभांश की घोषणा किए जाने के समय कॉर्पोरेट निकाय द्वारा शेयरों पर लाभांश से आय की गणना उपचय आधार पर की गई हो और भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मान्य हो गया हो।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान के कारण दी जाने वाली छूट की गणना, समूची देय राशि समय पर प्राप्त हो जाने के बाद की जाती है।

2.3 वाणिज्यिक पेपरों और जीरो कूपन (डीप डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित किया जाता है।

2.4 शेयरों के इश्यू (निर्गम) पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्डों और डिबेंचरों पर लाभांश से आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है। परंतु इसमें शर्त यह है कि इन विलेखों पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित हो और ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जा रही हो और तत्संबंधी कोई बकाया राशि न हो।

2.6 ऋणकर्ताओं के खातों में वसूलियां ऋण समझौते के अनुसार विनियोजित की जाती हैं।

2.7 ₹ 5000/- तक पूर्व अदा किए गए व्ययों को सामान्य लेखा-शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

3. मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

3.1 मूर्त परिसंपत्ति को परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर दर्शाया गया है, जबकि सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्ति को कम अंकित मूल्य अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया गया है।

3.2 मूर्त्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 सेल फोन, जिसके लिए कंपनी ने उपयोगी जीवन दो वर्ष निर्धारित किया है, को छोड़कर, मूर्त्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अनुसार, परिसम्पत्ति की मूल लागत में से समय समय पर अनुमानित उसके अवशेष मूल्य को घटाते हुए किया जाता है।

3.4 वर्ष के दौरान ₹ 5000/- तक की लागत वाली मूर्त परिसंपत्तियों का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

4 अमूर्त परिसंपत्तियां/परिशोधन

4.1 सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन कम करते हुए अर्जन लागत पर दर्शाया गया है और परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की 5 वर्ष की जीवन-अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया गया है।

5 निवेश

5.1 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, उद्धृत वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण श्रेणीवार निम्नतर लागत या बाज़ार मूल्य पर किया गया है।

5.2 गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियों के रूपांतरण के कारण किसी ऋणकर्ता कंपनी में धारित अनुद्धृत इक्विटी शेयर, वर्तमान निवेश समझे जाएंगे और ऐसे इक्विटी शेयर का मूल्य एक रुपया समझा जाएगा। इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में ह्रास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी के अंतर्गत धारित किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।

5.3 दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थाई को छोड़कर कमी के लिए प्रावधान किया गया है, परतु, मूल्य में वृद्धि होने या कमी का कारण विद्यमान न रहने पर, कमी को व्युत्तर्कमित कर दिया जाता है।

6. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

6.1 परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार

ऋण और अन्य क्रेडिट तथा पट्टा परिसंपत्तियां निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं, अर्थात् :

6.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अर्थ है, ऐसी परिसंपत्ति, जिसके संबंध में मूल धन या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है तथा जिसके बारे में किसी समस्या का प्रकटीकरण नहीं हुआ है या जिससे व्यापार संबंधी सामान्य से अधिक जोखिम नहीं है।

6.1.2 (i) निम्नांकित अनुसार बकाया रहने वाली परिसंपत्ति को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) समझा जाएगा और उसे अव-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में निम्नांकित अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

दिनांक को	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियां)	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति उप–वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
		अव–मानक	संदिग्ध	हानि
31 मार्च, 2017 को	4 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	14 महीने से अधिक गैर-निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	14 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादक परिसंपत्ति	(क) कंपनी द्वारा या विभागीय या बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा या कंपनी के निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई परिसंपत्ति और (ख) ऐसी परिसंपत्ति जों विभिन्न कारणों से वसूल न किए जाने के खतरे से गुजर रही हो, जैसे प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति उपलब्ध न होना या ऋणकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलती करना।
31 मार्च, 2018 और उसके बाद।	3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	12 महीने से अधिक गैर-निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	12 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादक परिसंपत्ति	

(ii) अवमानक परिसंपत्ति के रूप में योजना ऋणों का वर्गीकरण भी संरचनाबद्ध अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार किया जाता है।

(iii) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन की किस्त और/या अन्य प्रभार देय रहे हों, परंतु 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए भुगतान न किए गए हों, को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31.03.2018 से यदि कोई कोई पट्टा परिसंपत्ति 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

6.2 मानक ऋणों और गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीएज) के लिए प्रावधान।

6.2.1 ऋणों और अन्य क्रेडिट के लिए प्रावधान की आवश्यकता निम्नांकित अनुसार की होगी :

संख्या	विवरण	प्रावधान की दर
1.	मानक परिसंपत्ति (पुनर्गठित मानक ऋणों के लिए प्रावधान पैरा 6.3 में वर्णित अनुसार किया जाएगा)	0.35%
2.	अवमानक परिसंपत्ति	10%
3.	संदिग्ध परिसंपत्ति संदिग्ध परिसंपत्ति का सुरक्षित हिस्सा एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक, परंतु तीन वर्ष तक तीन वर्ष से अधिक संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होती, जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है।	 20% 30% 50% 100%
4.	हानि परिसंपत्ति, यदि बट्टे खाते न डाली गई हो।	100%

6.2.2 जहां तक रिजर्व बैंक के मानक परिसंपत्ति संबंधी प्रावधान का प्रश्न है, कंपनी द्वारा 31.03.2016 को 0.30 प्रतिशत से 31.03.2017 तक 0.35 प्रतिशत, और 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत बढ़ोतरी चरणबद्ध रूप में किए जाने का प्रावधान है।

6.2.3 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016'' के पैरा 13(2), यथा संशोधित के अनुसार किया गया है।

6.3 **पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान**

6.3.1 निम्नांकित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान सहित, रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा :

क) उत्पादन कंपनियों को 01.04.2015 से मंजूर किए गए नए परियोजना ऋण, जहां प्रावधान 5 प्रतिशत से किया जाएगा

ख) उपरोक्त (क) को छोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड के अनुसार पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत उत्पादन कंपनियों को सभी ऋणों के लिए प्रावधान (रिजर्व बैंक के अनुसार बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना होगा, अर्थात् 31.03.2015 से 2.75 प्रतिशत के प्रावधान से शुरू करते हुए उसे 31.03.2016 तक 3.5 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 4.25 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत) करना होगा।

6.3.2 ट्रांसमिशन और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में पन-बिजली परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के मामले में रिजर्व बैंक ने आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों के प्रयोग से कंपनी को 3 वर्ष अर्थात् 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है। तदनुरूप, जिन मामलों में ऐसी परियोजनाओं के लिए सुविधाएं आंशिक दृष्टि से सुरक्षित हैं, वहां पुनर्गठन और/या पुनः समय निर्धारण और/या ऋणों पर पुनः मोलभाव करते समय वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित प्रावधान के अतिरिक्त उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा तक प्रावधान करना होगा।

6.4 परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए संबंधी प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को मंजूर की गई सुविधाएं ऋणकर्तावार वर्गीकृत की जाएंगी, परंतु, सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग-अलग पहचान किए जाने योग्य हों और समान परियोजना पर लागू होते हों, को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के खाते के मामले में, यदि परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय खाताबंदी के समय वर्णित वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) (अथवा पुनर्गठित अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड में निर्दिष्ट स्वीकार्य समय सीमा के भीतर संशोधित डीसीसीओ) के भीतर प्रारंभ न हुआ हो, तो ऋणकर्तावार की बजाए परियोजनावार वर्गीकरण किया जाता है (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31.03.2022 तक प्रदत्त छूट के अनुसार)।

7 विदेशी मुद्रा लेन–देन :

7.1 लेखा मानक-11 के अनुसार निम्नलिखित लेन देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय; तथा

(ii) विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरूप ली गई तथा ऋण दी गई राशि।

7.2 लेखा मानक-11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमिय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :-

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेश में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

7.3 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में ऋण करार के अनुसार, विनिमय अंतर को ब्याज विभेदी निधि लेखा-केएफडब्ल्यू में अंतरित किया गया है।

7.4 लेखा मानक (एएस)-11 के पैराग्राफ 46ए के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

8. डेरिवेटिव लेन–देन

8.1 डेरिवेटिव लेन–देन में, तुलन-पत्रक की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प शामिल हैं।

8.2 इन डेरिवेटिव लेन–देन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है और न कि व्यापार या सट्टे के लिए।

8.3 लेखांकन मानक-11 के अनुसार जहां कहीं कंपनी ने कोई वायदा अनुबंध किया हो, अथवा कोई ऐसी लिखत, जो सार रूप में वायदा अनुबंधों, के मामले में वायदा दर और विनिमय दर के बीच लेन–देन की तारीख पर अंतर को अनुबंध की अवधि के लिए आय अथवा व्यय समझा जाएगा।

8.4 लेखा मानक 11 के अंतर्गत कवर न किए गए और आईसीएआई द्वारा डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए जारी किए गए लेखांकन नोट या लेखांकन टिप्पणी के अंतर्गत कवर किए गए डेरिवेटिव अनुबंध उचित मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं और उनके उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

9 भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन :

9.1 कंपनी भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋणों/अनुदानों/सब्सिडियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक चेनलाइजिंग/नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसे मद में राशि प्राप्त करती है और संबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।

9.1.1 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उन्हें तब तक चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान लाभार्थी को जारी नहीं कर दिया जाता।

9.1.2 भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न, शुल्क आदि खाते में होने वाली आय को संबद्ध कार्यक्रम/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

10. ब्याज सब्सिडी निधियां

10.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर रिफंड या समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

10.2 स्कीम में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया शेष को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

11. सहायक कंपनियों पर आय/प्राप्ति/व्यय

11.1 सहायक कंपनियों पर हुए व्यय को ''संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि'' खाते में डेबिट किया गया है।

11.2 श्रम दिवसों (कार्मिकों) के संबंध में व्यय, सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय, अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय, संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

11.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को कंपनी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

11.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर-कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

11.5 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपीज़) में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

12. कार्मिक कल्याण

12.1 भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन निधि और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदे

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे- चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

12.2 अन्य कार्मिक लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से निर्धारित की जाती है और लेखांकन मानक-15 के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

13. आयकर

13.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानक-22 के तहत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या परिसंपत्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलनपत्र में दी गयी तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

13.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाई और चलाई जा रही विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

14. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक-3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के अंतर्गत हस्तगत रोकड़, बैंकों में जमा डिमांड, डाक अधिकारियों के पास अग्रदाय और हस्तगत चेक/ड्राफ्ट/पे-आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधि बकाया राशियों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम हो), उच्च तरल निवेश, जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझती है।

टिप्पणी–ग

अन्य लेखा टिप्पणियां

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या होल्डिंग), बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

2. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

2.1 आकस्मिक देयताए

(क) गारंटी आदि

(₹ करोड़ में)

क्र.स	विवरण	31.03.2017 के अनुसार राशि	31.03.2016 के अनुसार राशि
(i)	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटियां	190.11	226.48
(ii)	कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	-	-
(iii)	स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' के द्वारा ऋण लेने वालों के बकाया भुगतान वायदे	1,640.56	403.07
	योग	1,830.67	629.55

(ख) आयकर मांगें :

आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए की गई कुल ₹40.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45.23 करोड़) की अतिरिक्त मांग का विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने भी कंपनी को कुल ₹ 165.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 121.04 करोड़) की राहत देने के अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

(ग) सेवा कर मांग

सेवा कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल ₹ 23.51 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की मांग की गई है/के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका प्रतिरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एंड एसटी) के उस आदेश के विरूद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दाखिल की है, जिसमें ₹ 1.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.11 करोड़) की सेवा कर की मांग निरस्त कर दी थी। सेवा कर विभाग की अपील का भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

2.2 अन्य प्रतिबद्धताएं :

पूंजी खाते के कारण निष्पादित की जाने वाली अनुबंध की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया, शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

3. आयकर विभाग द्वारा मांगी गई (अपील प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित राहत का निवल) और कंपनी द्वारा विरोध के अंतर्गत अदा की गई व प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	95.39$	78.50
2.	वर्ष के दौरान संवर्धन	23.90	17.65
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	(0.90)	(0.76)
4.	अंतिम शेष	118.39*	95.39$

* मूल्यांकन वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक से संबंधित

$ मूल्यांकन वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक से संबंधित

4. क. उन मामलों में जहां 11.02.2013 से पहले पब्लिक इश्यू हेतु प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिए गए थे, कंपनी बॉण्डों अथवा डिबेंचरों के लिए पब्लिक इश्यू (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6/2/2001 सी.एल.वीदिनांक 18.04.2002 के अनुसार) हेतु 50% की दर से और परवर्ती पब्लिक इश्यूज़ के लिए 25% (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार अपेक्षित) की दर से डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है।

ख. कंपनी अ-परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों की शृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के जरिए धन उगाहती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उधारी का ब्याज अदा करने में कोई चूक नहीं की है।

जहां तक रुपयों में मूल्य वाले अपरिवर्तनीय बॉण्डों का प्रश्न है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तारीख 31.03.2017 थी।

5. क. विदेशी मुद्रा व्यय और आय :

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	विदेशी मुद्रा में आय		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	255.47	250.90
(ii)	वित्तीय और अन्य प्रभार*	1.81	39.38
(iii)	यात्रा व्यय	-	0.30
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.29	0.26
(ख)	विदेशी मुद्रा में आय	-	-

* विदहोल्डिंग कर को छोड़कर

ख. विदेशी मुद्रा देयताएं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा या अन्यथा सुरक्षित नहीं की गई हैं :-

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियंस	₹ करोड़ में	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियंस	₹ करोड़ में
अमरीकी डॉलर	581	3,764.80	979	6,535.38
यूरो	16	108.03	17	129.28
जापानी येन*	43,668	2,532.85	57,102	3,405.56
कुल		6,405.68		10,070.22

*इसमें एक चरण के लिए किए गए (अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपए) 45 मिलियन ₹291.83 करोड़ (पिछले वर्ष अमरीकी डॉलर/जेपीजी चरण 105 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹701.09 करोड़ रुपए) के वायदा दर अनुबंध के ज़रिए आंशिक रूप से सुरक्षित जापानी येन ऋण देयता शामिल है।

ग. कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर उनकी अवधि पर विनिमय अंतर परिशोधित करती है। नतीजतन, 31.03.2017 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (एफसीएमआईटीडीए) के अंतर्गत परिशोधित न की गई डेबिट शेष राशि ₹647.56 करोड़ (पिछले वर्ष डेबिट शेष ₹739.74 करोड़) है।

घ. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताएं और परिसंपत्तियां आमतौर पर नीचे वर्णित अनुसार वर्ष के अंत में एफईडीएआई स्पॉट दर पर अंतरित की जाती है:

क्र सं	विनिमय दर	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	अमरीकी डॉलर/भारतीय मुद्रा	64.85	66.77
(ii)	जापानी येन/भारतीय मुद्रा	0.580025	0.5964
(iii)	यूरो/भारतीय मुद्रा	69.2925	75.78

ऋण समझौते में विशेष प्रावधान होने के मामले में, दर संबंधी ऋण समझौते में निर्धारित अनुसार ली गई है।

ङ. 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन संबंधी नीति में संशोधन किया ताकि उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन संबंधी गाइडेंस नोट' अनुरूप बनाया जा सके, जो 1.04.2016 से लागू हो गए थे। उक्त गाइडेंस नोट में यह अपेक्षा की गई है कि डेरिवेटिव अनुबंध उचित मूल्य पर हिसाब में लिए जायें अथवा संरक्षित (हेज) लेखांकन के अनुसार हिसाब में लिए जायें और तदनुरूप कंपनी ने उचित मूल्य पर लेखांकन का विकल्प चुना।

तदनुरूप, डेरिवेटिव अनुबंध एएस-11 में कवर नहीं किए गए, अपितु उन्हें गाइडेंस नोट के अंतर्गत कवर किया गया और उचित मूल्य पर मूल्यांकित करते हुए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ एवं हानि खाता में दर्शाय गया है। गाइडेंस नोट में उल्लिखित परिवर्तनकारी प्रावधानों के अनुसार, ₹ 74.35 करोड़ की राशि ₹ 39.35 करोड़ की आस्थगित कर देयता का निवल) आरक्षित निधि के प्रारंभिक शेष में समायोजित की गई है, जो 31.03.2016 तक प्रोद्भूत निवल राशि में ब्याज दर स्वैप्स (उतार-चढ़ाव) के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्राप्ति) के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। इसके बाद, ब्याज दर स्वैप्स पर अर्जित (निवल) उचित मूल्य लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया गया है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के कारण, वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में ₹178.15 करोड़ का इजाफा हुआ है।

6. लेखांकन मानक 18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण इस प्रकार है :–

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

विवरण	अवधि
श्री राजीव शर्मा, सीएमडी और सीईओ	01.10.2016 से
श्री एम. के. गोयल, सीएमडी और सीईओ	22.01.2015 से 30.09.2016 तक
श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	31.07.2009 से
श्री सी गंगोपाध्याय निदेशक (परियोजना)	01.01.2017 से
श्री ए के अग्रवाल, निदेशक (परियोजना)	13.07.2012 से 31.12.2016 तक
श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक)	16.11.2015 से
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव	01.04.2014 से

कंपनी में 11.04.2013 को कार्यभार ग्रहण किया, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 01.04.2014 से महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

ख) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन :

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का प्रबंधकीय पारिश्रमिक 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 3.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.36 करोड़) रहा। महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक को दिए गए ऋण और अग्रिम 31.03.2017 को ₹0.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.39 करोड़) के रहे।

7. (क) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में प्रोत्साहित कंपनियों सहित सहायक/संयुक्त उपक्रम के रूप में भारत में निगमित कंपनियों की शेयर पूंजी में निवेश नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	खरीदे गए शेयरों की संख्या	31.03.2017 को स्वामित्व का %	31.03.2017 को राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2016 को राशि (₹ करोड़ में)
(क)	सहायक कंपनियां [i]					
(i)	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)[ii]	09.04.2008	50,000	100%	0.05	0.05
(ii)(क)	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईल) (इक्विटी शेयर)[iii]	29.07.2011 08.12.2011 29.03.2012 21.03.2013 18.06.2013 07.10-2013	50,000 44,50,000 4,90,000 2,10,00,000 1,36,00,000 6,04,10,000	100%	100.00	100.00
(ii)(ख)	पीएफसीजीईल (अधिमानी शेयर)[iii]	21.03.2013 18.06.2013 07.10-2013	8,40,00,000 5,44,00,000 6,16,00,000	100%	200.00	200.00
(iii)	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)[ii]	01.09.2011	1,00,000	100%	0-10	0-10
(iv)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी)[iv]	15.04.2008 11.10-2011	15,000 35,000	100%	0.05	0.05
	उप योग (क)				300.20	300.20
(ख)	अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीज़)[iv] के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवीज) के रूप में प्रोत्साहित सहायक कंपनियां[v]					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05

क्रम संख्या	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	खरीदे गए शेयरों की संख्या	31.03.2017 को स्वामित्व का %	31.03.2017 को राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2016 को राशि (₹ करोड़ में)
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	50,000	100%	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	50,000	100%	0.05	0.05
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (टीएएमपीएल)[vi]	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	50,000	100%	0.05	0.05
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	24.03.2014	50,000	100%	0.05	0.05
(xi)	ओड़िशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	50,000	100%	0.05	0.05
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	25.08.2015	50,000	100%	0.05	0.05
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	26.08.2015	50,000	100%	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27.08.2015	50,000	100%	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	05.02.2016	50,000	100%	0.05	0.05
	उप–योग (ख)				0.75	0.75
(c)	संयुक्त उपक्रम कंपनियां(i)					
(i)	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल)[vii]	-	-	.	-	2.19
(ii)	एनर्जी एफिषिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	21.01.2010 26.03.2013 21.08.2015 25.04.2016	6,25,000 2,18,75,000 2,50,00,000 9,90,00,000	31.71%	146.50	47.50
	उप–योग (ग)				146.50	49.69
	योग[viii]**(क) + (ख) + (ग)**				447.45	350.64

[i]वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन मानक 27 संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार समेकित किया गया है।

[ii]संबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय किए जाने के बाद पीएफसीसीएएस का विलय पीएफसीसीएल में करने का कार्य प्रगति पर है।

[iii]बोर्ड ने 9 अगस्त, 2016 को अपनी बैठक में पीएफसीजीईएल का विलय पीएफसीएल में करने की सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

[iv]पीईसीएपी को स्वेच्छा से बंद करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

[v]सहायक कंपनियों को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार के आदेश के अधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था। इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक-21 के पैराग्राफ 11 के अनुसार बिना समेकित किए संलग्न किए गए हैं।

[vi]विद्युत मंत्रालय ने अपने 21 जून, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के तहत टीएएमपीएल के समापन के अनुमोदन के निर्णय की जानकारी दी है। संबद्ध प्रक्रियाएं जारी हैं।

[vii]नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल) (कंपनी का पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम) के निदेशक मंडल ने 28.10.2014 से कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन की योजना का अनुमोदन किया था। एनपीईएल का स्वैच्छिक परिसमापन 26.07.2016 को पूरा हो गया। कंपनी को जुलाई 2016 में एनपीईएल के परिसमापक से अंतिम निबटारे के रूप में ₹1.21 करोड़ प्राप्त हुए। तदनुरूप, वर्ष के दौरान ₹1.06 करोड़ का संचित प्रावधान व्युत्क्रमित किया गया और निवेश के निपटान पर हानि के रूप में ₹0.98 करोड़ मान्य समझे गए। तदनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एनपीईएल के वित्तीय ब्यौरों को समेकित नहीं किया गया है।

[viii]एनपीईएल को छोड़कर, वर्ष के दौरान निवेश की अधिकतम राशि उतनी ही है, जितना कि प्रत्येक संस्था के लिए वर्ष के अंत में निवेश के रूप में दर्शाई गई है, परंतु, एनपीईएल के मामले में वर्ष के दौरान निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान की अधिकतम सकल राशि ₹ 2.19 करोड़ रही।

(ख) 31.03.2017 को परिसंपत्तियां, देनदारियां, आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता में कंपनियों की हिस्सेदारी और इस समयावधि के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के संदर्भ में उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित आय तथा खर्च निम्नांकित अनुसार है।

(₹ करोड़ में)

क्र.स	विवरण	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		एनपीईएल#	ईईएसएल@	कुल	एनपीईएल	ईईएसएल	कुल
	स्वामित्व (%)	-	31.71		16.66	28.79	
क	परिसंपत्तियां						
	गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	लागू नही	336.90	336.90	0.01	180.87	180.88
	मौजूदा परिसंपत्तियां	लागू नही	510.19	510.19	1.22	253.66	254.88
	कुल	लागू नही	847.09	847.09	1.23	434.53	435.76
ख	देनदारियां						
	गैर मौजूदा देनदारियां	लागू नही	263.59	263.59	0.00	65.89	65.89
	मौजूदा देनदारियां	लागू नही	399.32	399.32	0.03	248.82	248.85
	कुल	लागू नही	662.91	662.91	0.03	314.71	314.74
ग	आकस्मिक देयताएं	लागू नही	11.74	11.74	0.00	-	0.00
घ	पूंजी प्रतिबद्धताएं	लागू नही	103.95	103.95	0.00	84.24	84.24
		31.03.2017 को समाप्त वर्ष			31.03.2016 को समाप्त वर्ष		
ङ	कुल आय	लागू नही	410.10	410.10	0.09	205.68	205.77
च	कुल खर्च	लागू नही	386.08	386.08	0.00	191.40	191.40

#लेखा टिप्पणियों के भाग ग-7(क) का फुटनोट (vii) देखें।

@गैर-लेखापरीक्षित अस्थायी वित्तीय ब्यौरों पर आधारित

8. क. ऋण और ऋणों के रूप में अग्रिम :

(i) संबद्ध सहायकों से वसूल की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2017* को	31.03.2016* को	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	11.10	9.99	11.10	10.14
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	138.93	89.04	138.93	132.11
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	4.95	4.35	4.95	4.35
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	113.60	96.85	113.60	96.85
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	89.07	82.13	89.07	82.13
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	7.12	6.41	7.12	6.58
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	6.08	5.46	6.11	5.72
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.36	9.26	9.36	9.26
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	10.69	8.70	10.69	8.70
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.11	0.24	0.36	0.43
पीएफसी कैपिटल एडवाजरी सर्विसिज लिमिटेड	0.03	0.19	0.20	0.23
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.04	0.02	0.04	0.02
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.20	0.16	0.22	0.16
बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.02	0.01	0.18	0.01
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	4.28	0.95	5.73	0.95
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.15	0.01	0.15	0.01
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.03	0.00	0.03	0.00
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.00	0.00	0.79	0.00
कुल	**395.76**	**313.77**	**398.63**	**357.65**

*यह राशि अग्रिमों के रूप में है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

(ii) बिजली दलालों और अन्य भुगतान योग्य राशि के रूप में सहायक कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्न अनुसार है:

(₹करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड(पीएफसीसीएल)	1.06	2.70	6.40	2.70
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	65.50	62.81	65.50	62.81
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	87.66	83.06	87.66	83.06
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	78.26	73.56	78.26	73.56
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	75.70	71.00	75.70	71.00
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	26.30	25.05	26.30	25.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	24.88	23.72	24.88	23.72
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	26.36	25.73	26.36	25.73
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	42.64	16.20	42.64	16.20
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.00	0.00	0.51	0.00
पीएफसी कैपिटल एडवाजरी सर्विसिज लिमिटेड	0.04	0.00	0.04	0.00
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	14.02	0.00	14.02	0.00
कुल	442.42	383.83	448.27	383.83

(iii) सहायक कंपनियों को ऋणों के रूप में, ऋणों एवं अग्रिमों, का ब्यौरा इस प्रकार है :

(₹करोड़ में)

प्रतिष्ठान/कंपनी का नाम	31.03.2017 को बकाया	31.03.2016 को बकाया	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	252.69	11.58	255.06	11.58

ख. 31.03.2017 को किसी संबंधित पक्ष देनदार का कंपनी में कोई इक्विटी निवेश नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

9. क. वर्ष के दौरान प्रमुख निवेश :

i) वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार द्वारा बिक्री प्रस्ताव के अधीन एनएचपीसी लिमि. के ₹10/-अंकित मूल्य के 26,05,42,051 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर खरीदे। ये शेयर दलाली और अन्य सांविधिक प्रभारों सहित ₹ 21.78 प्रति शेयर की दर से खरीदे गए और इस प्रकार कुल ₹567.50 करोड़ का निवेश किया गया।

ii) कंपनी ने 31.03.2016 को ईईएसएल के ₹ 10/- अंकित मूल्य के 9,90,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर खरीदे, जो 25.04.2016 को आबंटित किए गए।

ख. ऋण का इक्विटी में रूपांतरण:

i) ऐसे ऋणकर्ता, जिसे संदिग्ध ऋण परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, कंपनी इक्विटी शेयरों को रेहन रखती है। तदनुरूप, प्रोमोटरों द्वारा रेहन रखे गए ₹ 10/- मूल्य के 6,57,46,779 इक्विटी शेयर 01.06.2016 को कंपनी के नाम अंतरित किए गए। इन इक्विटी शेयरों को मूल्य ₹ 1/- समझा गया है।

इसके अतिरिक्त 01.06.2016 को पूर्व में दिए गए ₹ 66.10 करोड़ मूल्य के उप-ऋण के आंशिक रूपांतरण के रूप में ₹ 10/- मूल्य के 6,61,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए गए इन शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पूर्व में किए गए प्रावधान सहित कुल प्रावधान ₹ 46.27 करोड़ का हो गया है। 31.03.2017 को इन इक्विटी शेयरों का अग्रसारित मूल्य ₹ 1/- है।

31.03.2017 को कंपनी के पास ऋणकर्ता कंपनी की 23.32 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी थी।

ii) अन्य ऋणकर्ता के मामले में, कंपनी ने अनुमोदित स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग (एसडीआर) पैकेज के अंतर्गत अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया और 23.02.2017 को ₹ 10/- मूल्य के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए गए। 31.03.2017 को निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान ₹ 81.95 करोड़ आकलित किया गया। कंपनी ने रिजर्व बैंक के एसडीआर मानदंड के अनुसार इस प्रावधान को चार तिमाहियों में संवितरित करने का विकल्प अपनाया है। तदनुरूप चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में निवेश के मूल्य में कमी के लिए ₹ 20.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 31.03.2017 को कंपनी के पास ऋणकर्ता की 4.81 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी थी।

10. इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड (आईडीएफ)– केएफडब्ल्यू

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के मुताबिक आईडीएफ केवल ऋणकर्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाता है और इसका उपयोग ऋण के अंतर्गत विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम की भरपाई के लिए किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। आईडीएफ फंड में बकाया राशि को एक अलग कोष के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है- इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड- केएफडब्ल्यू और इसे देनदारी के रूप में दिखाया गया है। ₹12.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.48 करोड़) के विनिमय अंतर हस्तांतरण के बाद 31.03.2017 को ₹ 63.88 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 60.71 करोड़) की कुल राशि जमा हुई।

11. लेखांकन मानक एएस–19 के अंतर्गत विभिन्न लीजों (पट्टों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे किया गया है:

(क) 01.04.2001 के बाद वित्तीय लीज के तहत परिसंपत्ति

(i) लीज परिसंपत्तियों में सकल निवेश और तुलन-पत्र की तारीख को न्यूनतम प्राप्य मौजूदा मूल्य और अन-अर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भविष्य में वसूले जा सकने वाले न्यूनतम लीज भुगतान (सकल निवेश)	335.79	364.78
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान का वर्तमान मूल्य	194.32	204.09
अन-अर्जित वित्तीय आय	**141.47**	**160.69**
भविष्य में वसूले जा सकने वाले कुल न्यूनतम लीज भुगतानों (सकल निवेश) का परिपक्वता स्वरूप:		
एक वर्ष तक	27.11	27.11
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	107.10	107.54
पांच वर्ष के बाद	201.58	230.13
कुल	**335.79**	**364.78**
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष तक	8.62	7.89
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	43.17	39.52
पांच वर्ष के बाद	142.53	156.68
कुल	**194.32**	**204.09**

(ii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जेनरेटर (19.07.2004 को चालू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में 88.90 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर 88.85 करोड़ रुपए कर दी गई थी। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 0.89 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹1.33 करोड़) का रहा। लीज का किराया 15 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 19.07.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और पांच वर्ष द्वितीय समयावधि के हैं। द्वितीय समयावधि 19.07.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जेनरेटर (18.05.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में 98.44 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 3.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.94 करोड़) रहा। लीज का किराया 20 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 18.05.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अगले दस वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीय समयावधि 01.04.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iv) कंपनी नेवायु टर्बाइन जेनरेटर (09.06.2005 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹ 93.51 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 3.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.21 करोड़) रहा। 19 वर्ष 11 महीने की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 09.06.2005 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम 9 वर्ष 11 महीने द्वितीय समयावधि के हैं। द्वितीय अवधि 01.04.2015 से प्रभावी है।

(v) वायु टर्बाइन जेनरेटर (18.05.2011 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2008 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 228.94 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹327.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 355.30 करोड़) रहा। 25 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 01.01.2012 से शुरू इस समयावधि में 18 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम सात वर्ष द्वितीय समयावधि के हैं।

(ख) कंपनी के प्रचालन पट्टों में निम्नांकित शामिल हैं :-

कार्मिकों को कार्यालय और आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों की लीज का प्रबंध किया गया है। सेवा और शर्तों पर आपसी सहमति के आधार पर इनका नवीनीकरण और निरस्तीकरण किया जा सकता है। कार्मिकों के आवास के लिए की गई लीज किराये के रूप में ₹ 5.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.65 करोड़) का भुगतान होना है। कार्मिकों के आवासों एवं उनके हित में होने वाले व्यय के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग-क 16-कार्मिक लाभ व्यय'' के अंतर्गत आवासीय भवनों के किराए के रूप में और कार्यालय भवनों के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग-क 17 अन्य व्यय'' के अंतर्गत ₹ 0.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.50 करोड़) कार्यालय किराया भुगतान के रूप में दर्शाया गया है। इन लीज समझौतों के संदर्भ में भावी लीज भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम लीज किराया भुगतान	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष
एक वर्ष तक	3.69	3.00
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	1.02	1.05
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	4.71	4.05

12. भारत सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

(क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सब्सिडी (एजी एंड एसपी):

(i) कंपनी ने भारत सरकार के पत्र अ.शा.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार वास्तविक भुगतान कार्यक्रम, अधिस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर विचार किए बिना, निर्दिष्ट ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त और ऋणकर्ता को अंतरित की जाने वाली राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखे में रखी गई है। निर्दिष्ट दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित स्कीमों की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। परंतु, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर कि वे प्रत्येक ऋण/परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एंड एसपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31.03.2017 को क्रमशः ₹ 8.67 करोड़ और ₹ 93.56 करोड़ की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 7.80 करोड़ और ₹ 87.47 करोड़) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि अलग-अलग आधार पर नहीं बल्कि समग्र आधार पर परिकलित की गई है और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे परिशोधन अवधि में, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर के पुनर्निधारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। ब्याज सब्सिडी निधि में यदि कोई अधिकता/कमी होगी तो वह संबद्ध स्कीम के पूरी हो जाने पर समायोजित/प्रभारित कर दी जाएगी।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणकर्ताओं को अंतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	107.47	111.35
जोड़ें- अवधि के दौरान प्राप्ति	-	-
-अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	9.06	8.87
-परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण-ऋणकर्ताओं द्वारा वापसी	-	-
घटाएं : - ऋणकर्ताओं को अंतरित की गई/विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई ब्याज सब्सिडी	6.84	12.75
(क) 9वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	-	-
(ग) 10वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	**109.69**	**107.47**

(ख) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)

(i) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अधीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के प्रचालन एवं संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए ''नोडल एजेंसी'' है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जाती है ताकि उसका इस्तेमाल कंपनी को बिना किसी प्रकार के लाभ-हानि के साथ 'एक के बाद एक' (बैक टू बैक) व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थानों को ऋण देने के लिए किया जा सके। इस प्रकार संवितरित की गई राशि, लेकिन आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि, ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर ब्याज सहित भारत सरकार को अदा की जाएगी। विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
क आर-एपीडीआरपी के तहत भारत सरकार का ऋण (मूलधन)						
प्रारंभिक शेष	8,230.45	7,687.84	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,349.56	667.82	1349.56	667.82	-	-
-वसूली/धन वापसी/वर्ष के दौरान बदलाव	(357.78)	(125.21)	(1349.56)	(667.82)	-	-
अंतिम शेष (क)	9,222.23	8,230.45	-	-	-	-
ख. प्रोद्भूत ब्याज, लेकिन देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज)		-	लागू नही		-	-
ग. आर-एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज		-	लागू नही			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	2,136.83	2,563.89				
वर्ष के दौरान वृद्धि	852.49	650.36				
संचयी अधिस्थगित ब्याज से/में अंतरित	(19.24)	(986.16)				
प्रोद्भूत और देय ब्याज में अंतरित	(64.98)	(91.26)				
अंतिम शेष (I)	2,905.10	2,136.83				
(ii) जमा एवं देय						
प्रारंभिक शेष	142.05	3.68				
परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(19.25)	182.27				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होनेकी अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	(21.20)	(43.90)				
अंतिम शेष (ii)	101.60	142.05				
आर-एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज (ग) = (i + ii)	3,006.70	2,278.88				
घ. संचित अधिस्थगन ब्याज			लागू नही			
प्रारंभिक शेष	999.68	38.85				
परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(540-98)	994.90				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	28.78	(34.07)				
अंतिम शेष (घ)	487.48	999.68				
ङ संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज			लागू नही			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	7.26	0-15				

परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(18.93)	34.99				
प्रोद्भूत और देय में अंतरित (-)/ परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	13.77	(27.88)				
अंतिम शेष (i)	2.10	7.26				
(ii) प्रोदभूत एवं देय						
प्रारंभिक शेष	55.22	1.18				
परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(35.77)	71.92				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	4.88	(17.88)				
अंतिम शेष (ii)	24.33	55.22				
संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज (ई) = (i+ii)	26.43	62.48				
च. ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' और दंड ब्याज			लागू नही			
(i) ब्याज पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	4.63	0.05				
अवधि के दौरान वृद्धि	14.86	4.64				
वर्ष के दौरानवसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	(16.31)	(0.06)				
अंतिम शेष (i)	3.18	4.63				
(ii) ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	1.80	0.02				
परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(0-43)	1.80				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	0.01	(0.02)				
अंतिम शेष (ii)	1.38	1.80				
(iii) दंड ब्याज						
प्रारंभिक शेष	5.18	0.05				
अवधि के दौरान वृद्धि	7.65	5.21				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(11.03)	(0.08)				
अंतिम शेष (iii)	1.80	5.18				
ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज (च)=(i+ii+iii)	6.36	11.61				
अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	12,749.20	11,583.10				

(ii) आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना के लिए एक प्रतिशत की दर से तय की गई। यह शुल्क तीन अलग-अलग चरणों में लिया जाता है-0.40 प्रतिशत परियोजना की मंजूरी पर, 0.30 प्रतिशत निधि संवितरण पर और शेष 0.30 प्रतिशत मंजूर परियोजना के पूर्ण होने पर (भाग-क के लिए) और परियोजना क्षेत्रों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों की जांच (भाग-ख के लिए) पूरी होने पर। इसके अतिरिक्त आर-एपीडीआरपी के प्रचालन के लिए किया गया वास्तविक व्यय, पीएफसी कार्मिकों पर आबंटन योग्य व्यय सहित, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अदा किया जाने योग्य है। शुल्क और व्यय की अदायगी की संचयी राशि का दावा 850 करोड़ रुपए अथवा आर-एपीडीआरपी के भाग-क और ख के अंतर्गत संभावित परिव्यय का 1.7 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2015 के पत्र के जरिए अनुमोदित और दिनांक 20.05.2015 के पत्र के जरिए जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना से कंपनी अपना दावा पीएफसी कार्मिकों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च को छोड़कर केवल वास्तविक व्यय तक सीमित रखेगी।

31.03.2016 को नोडल एजेंसी शुल्क की कुल राशि और पीएफसी द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य खर्च की अदायगी की कुल धनराशि इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	निम्नांकित अवधि तक संचयी	
			31.03.2017	31-03-2016
नोडल एजेंसी शुल्क [(i)]	2.24	0.66	130.31	128.07
व्यय की अदायगी	22.74	22.99	150.41	127.67
कुल	24.98	23.65	280.72	255.74

[(i)]सेवा कर को छोड़कर।

(ग) समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)

विद्युत मंत्रालय ने (i) शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने, (ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांस फॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग करने और (iii) वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 03.12.2015 को आईपीडीएस कार्यक्रम शुरू किया और आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित व्यय को आईपीडीएस में विलय किया।

आईपीडीएस के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने से संबंधित हैं, जिनमें सोलर पैनलों का प्रावधान, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना शामिल है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत कंपनी को इस कार्यक्रम के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निर्दिष्ट किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका आईपीडीएस कार्यक्रम में वर्णित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार के अनुदान का वितरण शामिल है, जो आईपीडीएस दिशा-निर्देशों में वर्णित विभिन्न शर्तों के तहत वापस लिया जा सकता है/समय पूर्व बंद किया जा सकता है।

कंपनी नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत अथवा अवार्ड लागत, इनमें जो भी कम हो, का 0.5 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्र होगी, जिसका दावा/प्रोदभवन निम्नांकित अनुसार होगा :-

i) प्रथम किश्त : आईपीडीएस के अंतर्गत निगरानी समिति द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के वित्तीय वर्ष के दौरान नोडल एजेंसी शुल्क का 40 प्रतिशत।

ii) दूसरी क़िस्त : अनुमोदित परियोजनाओं का ठेका दिए जाने पर नोडल एजेंसी शुल्क का 30 प्रतिशत।

iii) तीसरी क़िस्त : दूसरी किश्त का दावा करने के एक वर्ष बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 20 प्रतिशत।

iv) चौथी क़िस्त : निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 10 प्रतिशत।

ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(₹करोड़ में)

विवरण	पात्र विद्युत संस्थाओं को दी जाने वाली भारत सरकार की अनुदान राशि		आईपीडीएस अनुदान		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	358.70	-	-	50.00	-	0.01
वर्ष के दौरान संवर्धन	2,202.31	358.70	2,202.31	308.70	-	2.14
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	-	-	(2,202.31)	358.70	-	(2.15)
अंतिम शेष	2,561.01	358.70	-	-	-	-

13 **भारत सरकार के पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड**

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की भारत सरकार की वित्त–पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान असुरक्षित, विमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्डों के जरिए कुल ₹ 5,000 करोड़ उगाहे। यह राशि सम-मूल्य पर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ₹ 10,00,000 अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में उगाही गई। वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इन बॉण्डों पर भारत सरकार द्वारा पूरा ब्याज दिया जाएगा। तदनुरूप ऐसे बॉण्डों की राशि ब्याज सहित कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य दर्शायी गई है।

14 **क. संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :**

1) कंपनी ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत (प्रूडेंशियल) मानदंड का अनुपालन किया, जो रिजर्व बैंक के ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016'' निम्नांकित विशिष्ट निर्देशों के साथ समय-समय पर संशोधित:

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 03.10.2016 के पत्र के अनुरूप परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड :

i) 31.03.2017 को बकाया ऋण परिसंपत्तियों (पट्टा परिसंपत्ति को छोड़कर) और 4 महीने अथवा अधिक समय से अतिदेय ऋणों को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) रूप में वर्गीकृत किया गया हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण 5 महीने या अधिक समय के लिए अतिदेय होने के प्रचलित मानदंड पर आधारित है,

ii) 31.03.2017 को अधिकतम 14 महीने लेकिन 16 महीने से अधिक नहीं, की अवधि के एनपीए अवमानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण एनपीए संबंधी प्रचलित मानदंड पर आधारित है, और

iii) 31.03.2017 को अधिकतम 14 महीने लेकिन 16 महीने से अधिक की अवधि के एनपीए संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण एनपीए संबंधी प्रचलित मानदंड पर आधारित है।

2. पुनर्गठन मानदंड :

i) रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के पत्र के अनुरूप ट्रांसमिशन और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालय क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पन-विद्युत परियोजनाओं को भी 31.03.2017 तक विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड के अनुसार नियमित किया गया है। तदनुरूप 01.04.2017 से इन ऋणों के भविष्य में किसी भी पुनर्गठन के लिए रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने दिनांक 11.06.2014 के अपने पत्र के तहत निर्देश दिया था कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों को नए परियोजना ऋणों के लिए, 5 प्रतिशत का प्रावधान अपेक्षित होगा, तथा सभी उत्पादन कंपनियों के मामले में 31.03.2015 को ऐसे सभी बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधान 2.75 प्रतिशत से प्रारंभ होगा और यह बढ़ कर 31.03.2018 को 5 प्रतिशत हो जाएगा।

ii) जहां तक रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंडों से भिन्न) के कार्यान्वयन की बात है, विभिन्न प्रकार के पत्राचार के आदान प्रदान के आधार पर, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11.04.2017 के पत्र में निर्देश दिया कि सरकारी क्षेत्र के खाते के मामले में, यदि वित्तीय समापन के समय वर्णित डीसीसीओ (अथवा पुनर्गठित अग्रिमों के लिए रिजर्व बैंक के मानदंड में निर्दिष्ट अनुसार स्वीकार्य सीमा के भीतर संशोधित डीसीसीओ अवधि में) के भीतर परियोजना ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, तो वर्गीकरण 31.03.2022 तक परियोजन-वार की बजाए ऋणकर्तावार किया जाएगा।

2) क) कंपनी 01.04.2015 से नए उत्पादन ऋणों की मंजूरी के मामले में रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड लागू कर रही है (01.04.2015 से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड लागू थे)

ख) रिजर्व बैंक का 11.04.2017 का पत्र प्राप्त होने के बाद कंपनी ने शेष ऋणों (उपरोक्त 14(क)(1)(2)(i) में वर्णित ऋणों से भिन्न) के मामले में रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड अपनाए हैं। 31.03.2015 से पहले मंजूर किए गए उत्पादन ऋणों और ऐसे ऋणों, जिनका पुनर्गठन 01.04.2015 के बाद से किया गया है, के मामले मे रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार परवर्ती प्रावधान के साथं परिसंपत्ति वर्गीकरण 31.03.2017 को किया गया है।

ख. ऋण संकेंद्रण मानदंड

ऋण संकेंद्रण मानदंड के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16.06.2016 के पत्र के तहत केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के लिए छूट की सीमा 31.03.2022 तक बढ़ा दी है। इस प्रकार कंपनी ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के मामले में विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऋण संकेंद्रण मानदंडों का अनुपालन जारी रखा है।

15. **वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड के अनुपालन में (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड से भिन्न) राज्य क्षेत्र के ऋणों के संदर्भ में, नियमित ब्याज अदायगी की दृष्टि से 31.03.2017 को कोई अतिदेय राशि नहीं है :**

क) कंपनी ने पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के रूप में 35,994.70 करोड़ रुपए की राशि मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की है। ऐसे ऋणों पर प्रावधान 0.35 प्रतिशत से बढ़कर 4.25 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹1,403.79 करोड़ की कमी आई है।

ख) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹ 8,284.47 करोड़ मूल्य की 2 ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्होंने मूल डीसीसीओ (मानदंड के अंतर्गत अनुमत) से 2/3/4 वर्ष बाद 31.03.2017 को या उससे पहले डीसीसीओ हासिल किया है। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर वसूल न की गई ₹ 163.71 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई है और ऐसे ऋणों पर ₹799.45 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 963.16 करोड़ की कमी आई है।

ग) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹ 4157.28 करोड़ मूल्य की 3 ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जो 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मूल डीसीसीओ (मानदंड के अंतर्गत अनुमत) से 2/3/4 वर्ष के बाद भी लक्षित तारीख तक वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं कर पाईं। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर वसूल न की गई ₹ 103.04 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई है और ऐसे ऋणों पर ₹ 401.18 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 504.22 करोड़ की कमी आई है।

घ) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹ 5793.83 करोड़ मूल्य की 1 ऋण परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका डीसीसीओ हासिल करने के बाद पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान इस ऋण पर वसूल न की गई ₹ 142.02 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई है और इस ऋण पर ₹ 333.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त ऋणकर्तावार परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार, समान ऋणकर्ता के अन्य ऋणों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। अतः वर्ष के दौरान ऐसे ऋणों पर वसूल न की गई ₹118.59 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई और 31.03.2017 को ऐसे ऋणों की बकाया राशि, ₹5073.73 करोड़ के लिए ₹489.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 1083.38 करोड़ की कमी आई।

उपरोक्त पैरा 'क' से 'घ' के कारण वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में कुल ₹ 3954.55 करोड़ की कमी दर्ज हुई।

16. ऋण परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		बकाया मूलधन	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान	बकाया मूलधन	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान
(क)	ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उन पर प्रावधान						
(i)	मानक परिसंपत्तियां	159,382.44	-39.57	557.84	199,138.19	110-85	597.41
(ii)	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां[1]	55,440-62	1,227.03	2,356.23	32,262.98	564.77	1,129.20
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	23,751.56[2]	1,887.40	2,375.16	4,877.61	366.83	487.76
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	6,677.81	1,986.27	2,708.25	2,393.15	327.47	721.98
(v)	ऋण परिसंपत्तियां	272.84	24.56	272.84	248.28	239.36	248.28
(ख)	अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान						
(i)	अन्य परिसंपत्तियां	16.40	15.39	16.40	1.17	0.04	1.01
	कुल योग	245,541.67	5,101.08	8,286.72	238,921.38	1,609.32	3,185.64

[1]31.03.2017 को बकाया आर/आर/आर ऋण, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान किया जाना है, ₹ 19445.92 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 35994.70 करोड़ सरकारी क्षेत्र (पिछले वर्ष ₹21479.20 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 10783.78 करोड़ सरकारी क्षेत्र), जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी भाग 'ग'-15 (क) में स्पष्ट किया गया है।

[2]इसमें सरकारी क्षेत्र से संबंधित ₹ 23,309.30 करोड़ की राशि शामिल हैं, जो रिजर्व बैंक के आरआरआर मानदंड अपनाने के कारण चालू वर्ष के दौरान एनपीए बन गई, जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी भाग 'ग'-15(ख, ग और घ) में स्पष्ट किया गया है।

17. ऋण परिसंपत्तियों के सुरक्षित/असुरक्षित वर्गीकरण का आधार :

क) ऐसे मामलों में, जहां कंपनी प्रमुख अथवा एकमात्र ऋणदाता है, वह ऋण आस्ति को सुरक्षित समझेगी, बशर्ते चल परियोजना परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक करने की औपचारिकता पूरी की गई हो और ऋण परिसंपत्तियों के लिए परियोजना भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक रेहन रखा गया हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन अपेक्षित हो, वहां मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा स्थिति अद्यतन की गई हो।

ख) अन्य सभी मामलों में प्रमुख ऋणदाता से प्राप्त सुरक्षित स्थिति विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों का सुरक्षित/असुरक्षित वर्गीकरण किया जाता है।

18. पुनर्गठित खातों का ब्यौरा, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान लागू है, और उनके लिए किए गए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	01 अप्रैल, 2016 को पुनर्गठित लेखे	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					15	3	4	-	**22**	15	3	4	-	**22**
		बकाया राशि						32,262.98	3,111.05	1,414.67	-	**36,788.70**	32,262.98	3,111.05	1,414.67	-	**36,788.70**
		(पुनर्गठित सुविधा)						-	-	232.11	-	**232.11**	-	-	232.11	-	**232.11**
		बकाया राशि						1,129.20	311.11	520.57	-	**1,960.88**	1,129.20	311.11	520.57	-	**1,960.88**
2	प्रारंभिक शेष में प्रदर्शित खाते की शेष संबंधी गतिविधियां	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					2	-	2	-	**4**	2	-	2	-	**4**
		बकाया राशि						(1,867.82)	-	(63.58)	-	**(1,931.40)**	(1,867.82)	-	(63.58)	-	**(1,931.40)**
		(पुनर्गठित सुविधा)								73.99		**73.99**	-	-	73.99	-	**73.99**
		बकाया राशि						(65.37)		362.53	-	**297.15**	(65.37)	-	362.53	-	**297.15**
3	वर्ष के दौरान पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	ऋणकर्ताओं की संख्या	शkwन्य					11	-	-	-	11	11	-	-	-	11
		बकाया राशि						**36,445.60**	-	-	-	36,445.60	36,445.60	-	-	-	**36,445.60**
		(पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि						1,548.94	-	-	-	**1,548.94**	1,548.94	-	-	-	**1,548.94**
4	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		द्धपुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान/ या अतिरिक्त जोखिम भार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					(2)	-	-	-	**(2)**	(2)	-	-	-	**(2)**
		बकाया राशि						(2,857.41)	-	-	-	**(2,857.41)**	(2,857.41)	-	-	-	**(2,857.41)**
		(पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि						(100.01)	-	-	-	**(100.01)**	(100.01)	-	-	-	**(100.01)**

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का दर्जा कम करना	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					(1)	(2)	3	-	**-**	(1)	(2)	3	-	**-**
		बकाया राशि						(8,542.74)	4,779.09	3,111.05	-	**-**	(8,542.74)	4,779.09	3,111.05	-	**-**
		(पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		बकाया राशि						(299.00)	477.91	745.56	-	**989.73**	(299.00)	477.91	745.56	-	**989.73**
7	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्गठित खाते	(अन्य सुविधा)	शून्य					-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
8	31 मार्च, 2017 को पुनर्गठित खाते	छवण वि इवततवूमते	शून्य					21	1	7	-	**29**	21	1	7	-	**29**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						55,440.62	7,890.14	4,462.14	-	**68,445.49**	55,440.62	7,890.14	4,462.14	-	**68,445.49**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						-	-	306.10	-	**306.10**	-	-	306.10	-	**306.10**
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों						2,356.23	789.02	1,662.61	-	**4,873.12**	2,356.23	789.02	1,662.61	-	**4,873.12**

19. **कंपनी द्वारा 15.04.2015 को अव–मानक घोषित एक पुनर्गठित ऋण आस्ति के मामले में, ऋणकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के दिनांक 17.06.2015 के आदेश के तहत आगे सुनवाई से अंतरिम रोक हासिल कर ली है।**

कंपनी ने इस परिसंपत्ति के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में कानूनी राय मांगी थी, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अव-मानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया है, और वर्ष के दौरान लेखों में किए गए ₹ 339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

यह मामला न्यायालयाधीन है, और इस पर अंतरिम रोक जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त की गई परवर्ती कानूनी राय के आधार पर, कंपनी ने 31.03.2016 को इस परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में किया और चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना में प्रगति के बीच समान वर्गीकरण जारी रखा।

30.06.2016 को कंपनी ने अंतरिम रोक के आदेश को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की। यह याचिका सुनवाई के लिए लंबित है। पिछले वर्ष उक्त खाते के पुन:वर्गीकरण के बाद,

(i) ₹413.03 करोड़ ब्याज/आय प्रोदभूत हुई और 31.03.2017 को वसूल न की जा सकी, जिसे व्युतर्कमित किया गया;

(ii) पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर लागू अनुसार प्रावधान किया गया, जो 31.03.2017 को ₹163.17 करोड़ था (331.03.2016 को ₹148.82 करोड़)

(iii) 31.03.2017 को बकाया ऋण राशि ₹4893.39 करोड़ (31.03.2016 को ₹4251.91 करोड़) को देखते हुए इस खाते को संदिग्ध समझा गया और उपरोक्त (ii) पर वर्णित प्रावधान पर विचार करने के बाद ₹ 815.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 276.37 करोड़) का प्रावधान किया गया।

20. **लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रकटीकरण :–**

क. भविष्यनिधि :

कंपनी निर्धारित दर पर अंशदान का भुगतान एक पृथक न्यास में करती है जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि में निधि में अंशदान को व्यय माना गया है और लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार कंपनी का दायित्व निर्धारित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिलाभ की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है। प्रतिलाभ की निर्दिष्ट दर के अनुसार, सदस्यों को ब्याज के भुगतान में कोई कमी होने पर उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसीलिए कोई और प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की परिभाषित ग्रेच्युटी स्कीम है और उसका प्रबंध पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उसके लिए प्रावधान कार्मिकों द्वारा दी गई सेवा के कुल वर्षों की संख्या के आधार पर बीमांकन मूल्य निर्धारण के अनुसार परंतु अधिकतम ₹10 लाख की राशि तक किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)के दिशा-निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोष में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक बहिरंग रोगी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह स्कीम एक पृथक ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। ट्रस्ट ने पीएफसी सुपरएनुएशन मेडिकल फंड के नाम से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीकरण कराया और वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रचालन प्रारंभ किया। 31.03.2016 को इस मद में ₹ 17.83 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो 11.07.2016 को कंपनी द्वारा ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके लिए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना है कि सेवा निवृत्त कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय की भरपाई के लिए समुचित धन उपलब्ध हो। किंतु, इसमें कोई कमी होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाएगी। कंपनी का अनुमान है कि इस बारे में निकट भविष्य में कोई देयता पैदा नहीं होगी, अत: इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ङ सेवांत लाभ

सेवांत लाभ में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. अवकाश

कंपनी अपने कार्मिकों को अर्जित अवकाश सुविधा और अर्धवेतन अवकाश की सुविधा प्रदान करती है जो छमाही आधार पर क्रमशः 15 दिन एवं 10 दिन के हिसाब से अर्जित होती है। सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन की छुट्टी या उसका नकद भुगतान किया जाता है। सेवा के दौरान अर्द्धवेतन अवकाश जमा करने की कोई सीमा नहीं है। सेवा काल के दौरान किसी भी समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। किंतु, सेवा काल के दौरान या 10 वर्ष से पहले कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्जित अवकाश + अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन तक कराया जा सकता है। परंतु, सेवा से विलग होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए वर्षों की संख्या की कोई शर्त नहीं है।

छ. उपर्युक्त स्कीमें (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ज. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता और तुलन–पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित सुविधाओं की स्थिति का सार इस प्रकार है :- (कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं) :

झ. लाभ एवं हानि खाता

i) लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	1.82 (1.55)	0.78 (0.62)	2.93 (2.34)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.66 (1.55)	1.43 (1.17)	2.15 (1.87)
नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	.1.84 (.1.72)	.1.01 (0.00)	0.00 (0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	.0.23 (.1.11)	2.84 (2.36)	2.41 (2.18)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च	1.41 (0.27)	4.04 (4.15)	7.49 (6.39)

*वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि में क्रमश ₹0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़), ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़) और ₹ 0.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.44 करोड़) शामिल हैं।

ii) तुलन-पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2017 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	22.95 (20-74)	21.82 (17.83)	30-68 (26.89)
31.03.2017 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्य (ii)	21.74 (20-47)	18.15 (0.00)	0.00 (0.00)
अंतर (ii) – (i)	-1.21 (-0-27)	-3.67 (-17.83)	-30-68 (-26.89)
तुलन-पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)	.1.21 (.0.27)	.3.67 (.17.83)	.30.68 (.26.89)

iii) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य	20.74 (19.36)	17.83 (14.58)	26.89 (23.42)
ब्याज लागत	1.66 (1.55)	1.43 (1.17)	2.15 (1.87)
वर्तमान सेवा लागत	1.82 (1.55)	0.78 (0.62)	2.93 (2.34)
लाभों का भुगतान	.0.98 (.0.63)	.1.09 (.0.90)	.3.70 (.2.93)
देयता पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	.0.29 (.1.09)	2.87 (2.36)	2.41 (2.18)
31.03.2017 को मान्य देयता लाभ का वर्तमान मूल्य	22.95 (20-74)	21.82 (17.83)	30.68 (26.89)

iv) नियोजित परिसंपत्ति के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
1.04.2016 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	20-47 (19.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.84 (1.72)	1.01 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोक्ता द्वारा योगदान	0.47 (0.21)	17.93 (0.00)	0.00 (0.00)
लाभों का भुगतान	-0.98 (-0.63)	-0.83 (0.00)	0.00 (0.00)
बीमांकित लाभ/(हानि)	-0.06 (0.02)	0.04 (0.00)	0.00 (0.00)
31.03.2017 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	21.74 (20.47)	18.15 (0.00)	0.00 (0.00)

v) पीआरएमएस चिकित्सा सुविधा लागत की देयता पर मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्न प्रकार से होगा

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीआरएमएस	सेवा और ब्याज लागत
लागत में 1 प्रतिशत वृद्धि	3.53	0.36
लागत में 1 प्रतिशत कमी	3.44	0.44

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए ₹1.41 करोड़, पीआरएमएस के लिए ₹ 4.04 करोड़, अवकाश पर ₹ 7.49 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में ₹0.27 करोड़, पीआरएमएस में 4.15 करोड़, अवकाश के लिए ₹6.396 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए) की देयता का प्रावधान किया। उपर्युक्त राशि में सहायक कंपनियों को ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.03 करोड़), ₹0439 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़), और ₹ 0.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.44 करोड़) की राशि शामिल है।

छ. अन्य कार्मिक हितलाभ :

वर्ष के दौरान कार्मिक आर्थिक पुनर्वास स्कीम के लिए ₹ 0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.33 करोड़) का प्रावधान और कार्मिक दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.48 करोड़) का प्रावधान वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित/क्रेडिट किया गया है।

ज. नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :- ग्रेच्युटी

31.03.2017 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	12.95	11.75
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र[1]	7.86	8.07
iii)	मियादी जमा	0.31	0.15
	कुल	21.12	19.97

[1]दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के रुपए शून्य के बॉण्ड्स (पिछले वर्ष शून्य) पीएफसी लिमिटेड पीआरएमएस ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं :

पद्धति प्रयुक्त	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति
डिस्काउंट रेट	7.50%
ग्रेच्युटी-परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर	7.50%
भावी वेतनवृद्धि'	6.00%

*महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबद्ध घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

(II) नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :- पीआरएमएस

31.03.2017 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	8.07	0.00
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र[1]	8.54	0.00
iii)	मियादी जमा	0.97	0.00
	कुल	17.58	0.00

[1]दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के रुपए शून्य के बॉण्ड्स (पिछले वर्ष शून्य) पीएफसी लिमिटेड पीआरएमएस ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं

प्रयोग किया गया विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
छूट की दर	7.50%
परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर–पीआरएमएस	8.39%
भावी वेतन वृद्धि	6.00%

*महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधी घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

झ. पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर कार्यरत कंपनी के कार्मिको के संदर्भ में कार्मिक लाभ (जैसे ग्रेच्युटी, पीआरएमएस, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कार्मिक लाभ) कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

ञ. अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ग्रेच्युटी'	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	22.95	20.74	19.36	17.98	16.16
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21.74	20.47	19.14	17.12	14.67
अधिशेष/(घाटा)	(1.21)	(0.27)	(0.21)	(0.86)	(1.48)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.38	1.09	1.10	0. 31	0.31
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(0.06)	0.02	0.09	0.26	0.02

*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ग्रेच्युटी मद में अंशदान रुपए1.16 करोड़ (पिछले वर्ष 0.74 करोड़ रुपए) है। 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ रुपए 1.79 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 1.74 करोड़) रहा है। इसके अतिरिक्त नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ का निर्धारण कई प्रयोज्य घटकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित नियोजित परिसंपत्तियों का संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और नियोजित परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

पीआरएमएस'	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	21.82	17.83	14.58	11.75	9.50
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18.15	-	-	-	-
अधिशेष/(घाटा)	(3.67)	(17.83)	(14.58)	(11.75)	(9.50)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(1.34)	(2.36)	(2.11)	(1.54)	(0-16)
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.03	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रति कंपनी का सबसे बेहतर अनुमान ₹ 4.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.73) है। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्नस ₹ 1.04 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है। इसके अलावा योजना की परिसंपत्ति पर रिटर्न उम्मीदवार को कई लागू कारको, मुख्यतः आयोजित योजना परिसंपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का आकलन जोखिम और योजना परिसंपत्ति सं. ऐतिहासिक वापसी पर विचार के से के लिए निर्धारित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

अवकाश	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	30-68	26.89	23.42	20-66	20-39
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(1.04)	(2.18)	(1.18)	(2.63)	(1.50)

(₹ करोड़ में)

एलएसए	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	4.99	4.74	4.49	4.04	3.71
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.18	1.10	0.67	0.46	0.80

(₹ करोड़ में)

ईआरएस	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	1.63	1.50	1.24	1.24	1.31
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.52	0.02	0-38	0-46	0-43

(₹ करोड़ में)

सामान भत्ता	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01

21. लेखांकन मानक–29 में यथापेक्षित प्रावधान का विवरण, (कोष्ठकों ( ) में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति को प्रकट करते हैं), इस प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

निम्नांकित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान सवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	प्रत्यावर्तित (4)	अंतिम शेष 5 = (1+2-3-4)
सेवा-निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	17.83 (14.58)	4.04 (4.15)	18.09 (0-90)	0.00 (-)	3.78 (17.83)
वेतन संशोधन	- (-)	9.94 (-)	- (-)	- (-)	9.94 (-)
उपदान	0-13 (0.08)	1.41 (0-27)	0-33 (0-22)	- (-)	1.21 (0-13)
अधिवर्षिता लाभ के लिए प्रावधान(पेंशन)	0.07 (0.07)	- (-)	- (-)	- (-)	0.07 (0.07)
अवकाश नकदीकरण	26.89 (23.42)	7.49 (6.40)	3.70 (2.93)	- (-)	30-68 (26.89)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम	1.50 (1.24)	0-21 (0-33)	0.08 (0.07)	0.00 (-)	1.63 (1.50)
बोनस/प्रोत्साहन	9.87 (10-90)	4.83 (9.22)	9.19 (8.89)	-0.07 (-1.36)	5.58 (9.87)
सामान भत्ता	0-11 (0-10)	0.02 (0.01)	0.00 (0.00)	0.00 (-)	0-13 (0-11)
सेवा पुरस्कार	4.74 (4.49)	0.59 (0-48)	0-34 (0-23)	0.00 (-)	4.99 (4.74)
ऋण परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान(1)	3,185.64 (1,576.32)	5,101.08 (1,609.32)	- (0.00)	- (-)	8,286.72 (3,185.64)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	97.32 (1.06)	86.59 (96.26)	0.00 (0.00)	94.10 (-)	89.81 (97.32)
सीएसआर	102.16 (114.30)	166.15 (145.79)	168.11 (157.93)	- (-)	100-20 (102.16)
आय कर	7,513.58 (6,211.19)	3,075.08 (2,822.26)	2,050.04 (1,519.87)	- (-)	8,538.62 (7,513.58)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20 (79.20)	0.00 (79.20)	79.20 (79.20)	0.00 (-)	0.00 (79.20)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12 (16.12)	0.00 (16.12)	16.12 (16.12)	0.00 (-)	0.00 (16.12)
अंतरिम लाभांश	- (-)	1,320.04 (1,755.66)	- (1,755.66)	- (-)	1,320.04 (-)
	- (-)	268.73 (356.74)	201.55 (356.74)	- (-)	67.18 (-)

(1)इसका ब्यौरा टिप्पणी भाग-ग 16 में दिया गया है।

22. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल अपेक्षित राशि का ब्यौरा

(₹ करोड में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16
तीन तात्कालिक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित निवल कर-पूर्व लाभ के औसत 2 प्रतिशत की दर से किया गया सीएसआर प्रावधान	166.15	145.79
पिछले वर्ष से अग्रसारित	102.16	114.30
खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	268.31	260.09

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान निम्नांकित पर खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016.17			वित्तीय वर्ष 2015–16		
		अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल	अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(ii क)	सफाई/कचरा प्रबंधन/पेयजल	112.52	0.20	112.72	133.85	-	133.85
(ii ख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	30.32	-	30.32	16.06	-	16.06
(ii ग)	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वृक्षारोपण/ ऊर्जा सक्षम एलईडी लाइटिंग)	20.93	0.76	21.69	4.10	0.50	4.60
(ii घ)	खेल	0.10	-	0.10	-	-	-
(ii ड)	अन्य	1.02	-	1.02	-	-	-
(ii च)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक व्यय। सीएसआर पर खर्च की जाने वाली कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित	2.02	0.24	2.26	3.16	0.26	3.42
	कुल (ii)	166.91	1.20	168.11	157.17	0.76	157.93
	कुल योग (i) और (ii)			168.11			157.93

ग) लेखांकन मानक (एएस)-18, के अनुसार संबंधित पक्ष का ब्यौरा, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण-शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

घ) लेखांकन मानक (एएस)-29, के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधान के अंतर्गत उपरोक्त टिप्पणी संख्या 20 में अलग से दर्शायी गई गतिविधियां

ङ) 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹119.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹192.13 करोड़) संवितरित किए गए।

23. 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भाग–ख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निम्नांकित संशोधन किए गए :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव [(+) वृद्धि / (–) कमी]
	संख्या	शीर्षक		
1.	1	वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार	भारतीय रिजर्व बैंक मानदंड का संदर्भ। शामिल करने के लिए संशोधित की गई, ताकि उसमें अधिक स्पष्टता लाई जा सके और उसका विस्तार किया जा सके।	शून्य
2.	2.1.1	आय को मान्यता देना	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत मानदंड। की प्रयोज्यता दर्शाने के लिए संशोधित की गई।	शून्य
3.	2.1.3	लाभांश से आय	पूर्ववर्ती नीति संख्या 2.5 के स्थान पर नई धारा शामिल की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड। के अनुसार लाभांश को मान्यता दी जा सके।	शून्य
4.	2.5	बॉण्ड और डिबेंचरों से आय	परिवर्तित की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड। के अनुरूप बॉण्ड आदि से आय को मान्यता दी जा सके।	शून्य
5.	2.7	पूर्व अवधि व्यय/आय	पूर्व अवधि व्यय/आय से संबंधित हिस्से को हटाया गया ताकि मौजूदा पद्धति को वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होने वाली भारतीय लेखांकन मानक व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके।	शून्य
6.	5.1	उद्धृत वर्तमान निवेश	संशोधित किया गया ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड। के अनुरूप बनाया जा सके, जिनमें पूर्ववर्ती स्क्रिप-वार मूल्यांकन के स्थान पर उद्धृत वर्तमान निवेश के श्रेणीवार मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।	92.06
7.	5.2	अनुद्धृत वर्तमान निवेश	परिवर्तित की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत मानदंड[1] के अनुरूप ऋण में परिवर्तित किए गए इक्विटी शेयरों से संबंधित नीति शामिल की जा सके।	(46.27)
8.	5.3	दीर्घावधि निवेश	पूर्ववर्ती नीति संख्या 5.2 का क्रमांक बदला गया	शून्य
9.	6.1 और 6.4	परिसंपत्ति वर्गीकरण	6.1.2 (i) संशोधित की गई, ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड। के अनुरूप बनाया जा सके।	शून्य
			6.1.2 (ii) - 6.4 संशोधित की गई, ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड/दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके।	(2,550.76)
10.	6.2	मानक ऋणों और गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड। के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित की गई ताकि निम्नांकित को शामिल किया जा सके -	
			i) मानक परिसंपत्तियों के बारे में अतिरिक्त यथानुपात प्रावधान	(79.69)
			ii) 3 वर्ष से अधिक संदिग्ध परिसंपत्ति रहने पर प्रावधान की दर 100 प्रतिशत से बदल कर 50 प्रतिशत करना	707.80
11.	6.3	पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान	उप-अनुच्छेदों को पुनः क्रमित करने के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड/दिशा निर्देशो के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित की गई नतीजतन पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त/यथानुपात प्रावधान किया गया, जिसमें रुपए 1403.79 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे टिप्पणी भाग-ग-15(क)3में स्पष्ट किया गया है।	(1549.64)
12.	8	डेरिव्हेटिव लेन–देन	डेरिव्हेटिव अनुबंधों के लिए 01.04.20162 से लागू करने हेतु आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी गाइडेंस नोट के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संवर्धित की गई।	178.15
कुल				**(3,248.34)**

[1] ।आरबीआई मानदंड अपनाना (टिप्पणी भाग ग-14 देखें

[2] प्रारंभिक आरक्षित पर प्रभाव के लिए टिप्पणी भाग-ग-5(ङ) देखी जा सकती है।

[3] टिप्पणी भाग-ग-15 देखी जा सकती है।

24. परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। तत्संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी जीवन वर्षों में	मूल लागत के % के रूप में शेष मूल्य
I.	भवन	60	5%
2	ईडीपी उपकरण		
2A	सर्वर्स एंड नेटवर्क्स	6	5%
2B	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस यानी डेस्कटाप्स, लैप्टाप्स आदि	3	5%
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	5	5%
3A	सेल फोन	2	5%
4.	फर्नीचर और फिक्सचर्स	I0	5%
5.	वाहन (कार)	8	5%
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0%

ऊपर वर्णित सभी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे-पंक्ति आधार पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त सेलफोन के लिए उपयोगी जीवन संबंधी कंपनी के अनुमान कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित जीवन की तुलना में कम हैं और अन्य सभी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की दूसरी सूची के अनुरूप तय किया गया है।

25. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई देयता नहीं है।

26. पट्टे पर धारित भूमि को संशोधित नहीं किया जाता है।

27. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के लिए ₹4.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.21 करोड़) देय हुए और इस निधि में अंतरित किए गए। परंतु, दावेदारों द्वारा अंतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण रुपए 2.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.56 करोड़) अप्रदत्त के रूप में बकाया रहे।

28. वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋणकर्ताओं को 31.12.2016 को बकाया ऋण राशि की पुष्टि करने के लिए उन्हें पत्र भेजे। उक्त बकाया ऋणों के 99.38 प्रतिशत राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है और ₹ 1482.46 करोड़ की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

29. खाताधारक मानक 22 ''आय पर करों के लिए लेखा'' के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देनदारियों की स्थिति निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(क) आस्थगित कर देयता (+)		
(i) ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं हैं	17.30	18.29
(ख) आस्थगित कर देयता (-)		
(i) मूल्यह्रास	0.19	(0.07)
(ii) पट्टा आय	(66.00)	(68.73)
(iii) परिशोधन	(0.24)	(0.47)
(iv) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(100.76)	(251.08)
(v) डेरिव्हेटिव के प्रति बैंक से प्राप्य निवल एमटीएम'	(101.00)	-
निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/परिसंपत्तियां (+)	(250.51)	(302.06)

30. वर्ष के दौरान भारत सरकार ने डीआईपीएएम (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के तहत सीपीएसई ईटीएफ म्युचुअल फंड स्कीम के फर्दर फंड ऑफर (एफएफओ) के सिलसिले में कंपनी में रखे गए 3,82,17,338 इक्विटी शेयर सीपीएसई ईटीएफ (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडिड फंड) खाते में अंतरित किए। इससे कंपनी में भारत सरकार की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारिता 67.80 प्रतिशत से घट कर 66.35 प्रतिशत रह गई।

31. शेयरधारकों ने 19 अगस्त, 2016 को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में निम्नांकित का अनुमोदन किया :

(क) ₹10/- मूल्य के 2,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित कंपनी की ₹ 2000 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ा कर ₹ 10/- मूल्य के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 10,000 करोड़ पर पहुंचाना, और

(ख) प्रतिभूति प्रीमियम खाते के पूंजीकरण के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करना।

नतीजन, 1 सितंबर, 2016 को कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में 132,00,40,704 बोनस इक्विटी शेयरों का आबंटन (1:1 के अनुपात में) 29.08.2016 (रिकॉर्ड तारीख) को वर्तमान शेयरधारकों को करने का अनुमोदन किया। परिणाम स्वरूप कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 1320.04 करोड़ रुपए (₹10/- अंकित मूल्य के 132,00,40,704 इक्विटी शेयर) से बढ़ कर ₹2640.08 करोड़ (₹ 10/- अंकित मूल्य के 264,00,81,408 इक्विटी शेयर) हो गई।

32. **लेखांकन मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी और तनुकृत) नीचे दी गई है :–**

विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
गणक के रूप में प्रयुक्त निवल कर उपरांत (₹ करोड़ में)	2,126.39	6,113.48
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	264,00,81,408	132,00,40,704
बकाया स्टॉक विकल्पों का तनुकृत प्रभाव	-	-
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (तनुकृत)	264,00,81,408	132,00,40,704
अंकित मूल्य ₹ 10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (बुनियादी) (₹)[1]	8.05	23.16
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (₹)	-	-
अंकित मूल्य ₹ 10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (तनुकृत) (₹)	8.05	23.16

[1]वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रति शेयर अर्जित (बुनियादी और तनुकृत) राशि बोनस शेयरों के खाते में समायोजित की गई।

33. क) 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकित मूल्य ₹10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर प्रदत्त एवं प्रस्तावित लाभांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष			31.03.2016 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी%	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	शेयर पूंजी%	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	प्रति इक्विटी शेयर (₹)
प्रथम अंतरिम लाभांश	50%[1]	5.00	1,320.04	88%	8.80	1,161.64
द्वितीय अंतरिम लाभांश	-	-	-	45%	4.50	594.02
अंतिम लाभांश	-	-	-	6%	0.60	79.20[2]
कुल लाभांश	**50%**	**5.00**	**1,320.04**	**139%**	**13.90**	**1,834.86**

[1] निदेशक मंडल द्वारा 24.03.2017 को हुई निदेशक मंडल की 359वीं बैठक में घोषित और 07.04.2017 को अदा किया गया।
[2]01.09.2016 को अदा किया गया।

(ख) अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में कोई रकम प्रेषित नहीं की है और कंपनी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अनिवासी शेयरधारकों द्वारा/की ओर से लाभांशों के रूप में कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा में रकम प्रेषित की गई, यदि कोई की गई हो। अनिवासी शेयरधारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा की गई/देय लाभांश राशियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
वर्ष जिससे लाभांश संबद्ध है	2016&17	2015-16	2016&17	2015-16	2016&17	2015-16
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	3,343	2,507	लागू नही	2,654	लागू नही	2,740
उनके द्वारा धारित ₹ 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले शेयरों की संख्या	41,32,25,284	17,37,41,847	लागू नही	17,00,05,752	लागू नही	17,55,45,216
@लाभांश की सकल राशि (करोड़ ₹ में)	206.61	152.88	लागू नही	76.50	लागू नही	10.52

34. अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड:

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
ऋण इक्विटी अनुपात	5.55	5.61
निवल मालियत (करोड़ रुपए में)	36ए470.21	35ए766.03

35. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां और पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नलिखित हैं–

	मद	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	पूंजी निधि - क. टियर-I (करोड़ रुपए में)	33,454.83	33,217.38
	- ख. टियर-2 (करोड़ रुपए में)	6,369.90	6,224.90
(ii)	तुलन–पत्रक मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां(करोड़ रुपए में)	206,567.92	1,94,558.46
(iii)	सीआरएआर	19.28%	20-27%
(iv)	सीआरएआर-टियर-I पूंजी	16.20%	17.07%
(v)	सीआरएआर-टियर-2 पूंजी	3.08%	3.20%
		31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान
(vi)	टियर-2 पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि (करोड़ ₹ में)	-	-
(vii)	सतत ऋण लिखतों के इश्यू से उगाही गई राशि (करोड़ ₹ में)	-	-

36. कंपनी भौतिक रोकड़ में कोई लेन–देन नहीं करती है। तदनुरूप, 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि में कंपनी ने निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) नहीं रखे या कोई लेन–देन नहीं किया गया।

37. (I) **भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण**

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणी भाग-ख के संदर्भ में

ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए टिप्पणी भाग ग-35 के संदर्भ में

ग) निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण			31.03.2017 को	31.03.2016 को
I	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में	3,680-94	2,774.79
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	89.81	97.32
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	3,591.13	2,677.47
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
2	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों संबंधी जानकारी ण				
	(i)	प्रारंभिक शेष		97.32	1.06
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		86.59	96.26
	(iii)	घटाएं रू : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए/पश्चलिखित प्रावधान		94.10	-
	(iv)	अंतिम शेष		89.81	97.32

घ) डेरिवेटिव्स

I. ऋण देयताओं के संदर्भ में वायदा दर समझौता/ब्याज दर विनिमय (स्वैप):

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	स्वैप समझौतों का धारणात्मक सिद्धांत	6,813.10	7,164.60
(ii)	समझौतों के अंतर्गत प्रति-पक्षियों द्वारा दायित्व पूरे करने में विफल रहने पर होने वाली हानियां	299.87	121.72
(iii)	एनबीएफसी द्वारा स्वैप्स में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कलैटरल	-	-
(iv)	स्वैप्स जनित ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
(v)	स्वैप्स बही का उचित मूल्य	299.87	121.72

II कंपनी की कोई विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

III डेरिवेटिव्स में जोखिम उजागर होने के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति अपनाई है ताकि विदेशी मुद्रा में ऋण लेने से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन और बचाव किया जा सके। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए ढांचा और संगठन निर्धारित करती है।

ख. कंपनी रुपए और विदेशी मुद्रा देयताओं में ब्याज/विनिमय दर जोखिम के बचाव के लिए केवल मूलधन स्वैप्स, ब्याज दर स्वैप्स और वायदा अनुबंधों से संबंधित डेरिवेटिव्स कारोबार करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं और जो विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के जरिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों पर निगरानी रखती है।

ग. ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव प्रयोजन के लिए किए जाते हैं और व्यापार या सट्टेबाजी के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं। इन्हें बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लेखांकन नीति के अनुसार बाजार पर चिन्हित नहीं किया जाता है। उल्लिखित बाजार पर चिन्हित स्थितियां वे हैं, जो प्रति-पक्षियों द्वारा सूचित की गई हैं।

घ. डेरिवेटिव लेन–देन के बारे में संबद्ध लेखांकन नीति के लिए उल्लेख टिप्पणी भाग ख-8 में किया गया है।

IV. ऋण देयताओं के संदर्भ में डेरिवेटिव्स में प्रकट जोखिम के बारे में मात्रात्मक जानकारी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (धारणात्मक मूलधन राशि)				
	बचाव के लिए(1)	2,107.63	6,813.10	939.65	7,164.60
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिन्हित (एमटीएम)				
	क) परिसम्पत्तियां (एमटीएम)	0.00	299.87	6.54	125.42
	ख) देयता (एमटीएम)	68.41	0.00	181.39	3.70
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	-	-	-	-
(iv)	बचाव न किए गए प्रकटीकरण (2)	6,405.68	6,296.24	10,070-22	8,587.86

(1)ब्याज दर डेरिवेटिव्स में ₹ 6,164 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7,164 करोड़)

(2)इसमें एक चरण के लिए किए गए वायदा दर अनुबंध (अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया) के जरिए आंशिक रूप से बचाव की गई ₹ 291.83 करोड़ की जापानी येन ऋण देयता (पिछले वर्ष अमरीकी डॉलर/जेपीवाई ₹701.09 करोड़)

(ङ) प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटीकरण

I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया और 31.03.2017 को प्रतिभूतिकरण के कारण कोई प्रकटीकरण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

II. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं बेचीं (पिछले वर्ष शून्य)।

III. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य)।

IV. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किन्ही गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद-फरोख्त नहीं की (पिछले वर्ष शून्य)।

(च) परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों से संबंधित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति :

(₹ करोड़ में)

विवरण	30 दिन तक	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम[1]	3,655.60	614.22	615.82	8,240-92	19,525.29	39,071.21	38,282.20	1,35,259.88	245,265.14
निवेश[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.53	0.00	0.00	2,265.60	3,591.13
उधारियां[3]	5,890-79	3,820.00	1,036.40	7,101.00	9,131.58	58,350-85	48,153.21	60,930-73	194,414.56
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.09	260.12
विदेशी मुद्रा देयताएं	4.64	0.00	5.08	1,167.30	9.73	1,660-15	4,645.72	951.26	8,443.88

[1]रुपए ऋण परिसंपत्तियां
[2]प्रावधान का निवल
[3]रुपए देयताएं

(छ) प्रकटीकरण

I. कंपनी भू संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं करती है।

II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को राशि	31.03.2016 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जो कॉर्पोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेशित न हों (पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित);	1,874.79	869.64
(ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओज़/ईएसपीओज़ सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और इक्विटी-ओरिएंटिड म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्पष्ट आधार पर निवेश करने के लिए दिए गए अग्रिम;	शून्य	शून्य
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं;	शून्य	शून्य
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों की कलैटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, यानी जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनी डिबेंचरों/इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों से अग्रिमों की राशि पूरी तरह कवर न होती हो (ऐसे ऋणों को छोड़कर, जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	शून्य	शून्य
(v)	शेयर दलालों को दिए गए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां ;	शून्य	शून्य
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, जो शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों, अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोन्नतकर्ता का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,772.39	1,744.13
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लोज़/इश्यूज़ के प्रति कंपनियों को दिए गए ब्रिज ऋण;	शून्य	शून्य
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी जोखिम	6.15	6.15
पूंजी बाजार में कुल भागीदारी		4,653.33	2,619.92

III. मूल कंपनी उत्पादों के वित्त–पोषण का ब्यौरा

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अपनी एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता संबंधी विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिर्कमण नहीं किया है।

V. असुरक्षित अग्रिम

31.03.2017 (पिछले वर्ष शून्य) को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि शून्य रही है, जिनके लिए राइट्स, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार सृजित किया गया हो।

(ज) अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

शून्य

(झ) रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा दी गई सजाओं का ब्यौरा

31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को रिजर्व बैंक और अन्य नियामों द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया।

(ञ) क्रेडिट रेटिंग

क वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग और रेटिंग दरों का माइग्रेशन :

क्र सं	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रेसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए आईसीआरए 1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ।

ख 31.03.2017 को कंपनी को प्रदत्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग:

क्र स	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी.	स्टेबल (स्थिर)
2.	स्टेंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी)	बीबीबी-	स्टेबल (स्थिर)
3.	मूडीज्	बीएए3	सकारात्मक

(ट) अवधि, पूर्व अवधि मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के बारे में लेखों संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत क्रमशः भाग क-18 और ग-23 को देखा जा सकता है।

(ठ) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई।

शून्य

(ड) कंपनी लेखांकन मानक 21 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। इस बारे में लेखा संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत भाग ग-7 (क) को देखा जा सकता है।

(ढ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए टिप्पणी भाग ग-21 को देखा जा सकता है।

(ण) आरक्षित निधियों से ड्रा डाउन

शून्य (पिछले वर्ष टिप्पणी भाग ग-31 और भाग क-2 देखें)

(त) जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

क. जमा राशियों का संकेंद्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज् के लिए) - कंपनी एक जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,53,506.95	1,49,625.35
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	62.60%	62.63%

ग ऋण जोखिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कंपनी के 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के मामले में कुल ऋण जोखिम	2,40,892.19	2,10,983.79
कंपनी के कुल ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत	56.23%	56.43%

घ गैर-निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
चार प्रमुख गैर-निष्पादक खातों में कुल बकाया राशि	22,667.83	4,461.48

ङ गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां क्षेत्रवार

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है। 31.03.2017 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत 12.50 था। (पिछले वर्ष 3.15 प्रतिशत)

(थ) ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण		31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (%)		10.55	2.55
(ii)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	7,519.04	2,533.31
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	24,573.14	8,385.58
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1,389.97	3,399.85
	(घ)	अंतिम शेष	30,702.21	7,519.04
(iii)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (निवल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	6,061.02	2,008.96
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	20,536.65	7,111.93
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1,251.70	3,059.87
	(घ)	अंतिम शेष	24,345.97	6,061.02
(iv)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का मूवमेंट (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1458.02	524.35
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	4,036.50	1,273.66
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	138.27	339.99
	(घ)	अंतिम शेष	5,356.25	1,458.02

(द) संयुक्त उद्यमों अथवा अनुषंगियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवीज़) के तुलनपत्रक की सूची के लिए लेखों संबंधी टिप्पणियों का भाग ग–7 (क)(ख) देखें।

(न) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य

38. भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख निर्देश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैरा 18 के अनुरूप प्रयोज्य प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2017 को राशि		31.03.2016 को राशि	
देयता पक्ष			बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
1	कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, प्रोदभूत लेकिन अदा न किए गए ब्याज सहित					
	(क)	डिबेंचर : प्रतिभूत	20,109.87	0.00	21,786.66	0.00
		: अप्रतिभूत	170,800.80	0.00	150,552.50	0.00
	(ख)	(i) रुपया सावधि ऋण	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	7,276.58	0.00	9,573.71	0.00
	(ग)	वाणिज्यिक पेपर	0.00	0.00	5,286.37	0.00
	(घ)	अल्पावधि ऋण	2,400.79	0 .00	2,285.20	0.00
परिसंपत्ति पक्ष			31.03.2017 को बकाया मूलधन राशि		31.03.2016 को बकाया मूलधन राशि	
2	प्राप्य बिलों सहित ऋण और अग्रिमों का विवरण					
	(क)	प्रतिभूत	168,251.79		147,738.28	
	(ख)	अप्रतिभूत	72,039.40		89,783.11	
3	पट्टा परिसंपत्तियों और किराए पर सामान तथा अन्य परिसंपत्तियों का विवरण, एएफसी गतिविधियों की गणना करते हुए (प्रावधानों का निवल)					
	(i)	विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत लीज किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :				
		(क) वित्तीय लीज	194.32		204.09	
4	निवेशों का विवरण (प्रावधानों का निवल)					
	वर्तमान निवेश					
	1.	उद्धृत				
	(i)	शेयर				
		(क) इक्विटी	1,071.02		410.74	
	2.	अनुद्धृत				
	(i)	शेयर				
		(क) इक्विटी	254.51		0.00	
	दीर्घावधि निवेश					
	1.	उद्धृत				
	(i)	शेयर				
		(क) इक्विटी	12.00		12.00	
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	1,800.00		1ए800.00	
	2.	अनुद्धृत				
	(i)	शेयर				
		(क) इक्विटी'	247.45		149.58	
		(ख) अधिमानी	200.00		200.00	
	(ii)	एसआईबी फंड की यूनिटें	6.15		6.15	

5	उपरोक्त (2) और (3) में वित्त पोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण : (प्रयोज्य प्रावधान मानदंड के अनुसार)						
श्रेणी		प्रावधानों की निवल राशि (31.03.2017 को)			प्रावधानों की निवल राशि (31.03.2016 को)		
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
I.	संबंधित पक्ष						
	(क) सहायक कंपनियां	0.00	496.18	496.18	0.00	202.04	202.04
	(ख) अन्य संबंधित पक्ष	0.04	0.46	0.50	0.03	0.36	0.39
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न	168,446.07	71,542.76	239,988.83	147,942.34	89,580.71	237,523.05
	कुल	**168,446.11**	**72,039.40**	**240,485.51**	**147,942.37**	**89,783.11**	**237,725.48**

6	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घावधि) का निवेशकर्ता समूहवार वर्गीकरण				
श्रेणी		31.03.2017 को		31.03.2016 को	
		बाजार मूल्य/ब्रेकअप+ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)	बाजार मूल्य/ब्रेक अप+ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)
I.	**संबंधित पक्ष**				
	(क) सहायक कंपनियां	437.91	300.95	348.86	300.95
	(ख) समान ग्रुप में कंपनियां'	183.86	146.50	61.01	48.63
2.	**संबंधित पक्ष से भिन्न**				
	(i) उद्धृत	3,170.10	2,883.02	2,292.10	2,222.74
	(ii) अनुद्धृत	331.47	260.66	6.30	6.15
	कुल	**4,123.34**	**3,591.13**	**2,708.26**	**2,578.47**

7	अन्य जानकारी		
विवरण		राशि 31.03.2017 को	राशि (31.03.2016 को)
(i)	सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां		
	(क) अन्य संबंधित पक्ष	30,718.61	7,520.19
(ii)	निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां		
	(क) अन्य संबंधित पक्ष	25,345.95	6,061.17
(iii)	ऋण की संतुष्टि में अपेक्षित परिसंपत्तियां	341.10	0.00

*31.03.2016 को बही मूल्य, जिसमें ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के 10/-रुपए अंकित मूल्य वाले 9,90,00,000 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 99.00 करोड़ रुपए का निवेश शामिल नहीं है।

*31.03.2016 को बही मूल्य, जिसमें ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के 10/-रुपए अंकित मूल्य वाले 9,90,00,000 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 99.00 करोड़ रुपए का निवेश शामिल नहीं है।

39. फंसी हुई परिसंपत्तियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक की योजनाओं से अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. कार्यनीतिक ऋण संबंधी प्रकटीकरण

पुनर्गठन स्कीम (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथास्थिति अवधि के अंतर्गत हैं)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

खातों की संख्या, जिनमें एसडीआर लागू किया गया	31.03.2017 को बकाया राशि		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है।		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो चुका है	
	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत
1	928.06 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	928.06 (-)	- (-)

ख. एसडीआर स्कीम के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(₹करोड़ में)

उन खातों की संख्या, जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय कर लिया है	31.03.2017 को बकाया राशि		उन खातों के संदर्भ में 31.03.2017 को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण/इक्विटी शेयरों को बंधक रखने का कार्य लंबित है		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण/इक्विटी शेयरों को बंधक रखने का कार्य पूरा हो चुका है		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करके अथवा प्रोमोटरों की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन किया गया है	
	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत
1	- (-)	924.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	924.48 (-)	- (-)	- (-)

40. व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे के बारे में अपनाई गई आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यापार विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त–पोषण करना है, जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यापार अनुभाग समझा गया है। अतः खंडात्मक रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

41. आंकड़ों को निकटतम करोड़ रुपए के दशमलव के दो स्थानों तक राउंडऑफ किया गया है।

42. पिछली अवधियों के लिए आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे जहां बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''ग्रुप'' कहा जाएगा) और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे यहां बाद में ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) का सारांश शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे यहां बाद में ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो ग्रुप की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समेकित रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। ग्रुप में शामिल कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं से बचाने के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखने के प्रति जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना(तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल उपरोक्त अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा, समेकित विवरण तैयार करने में लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक होल्डिंग कंपनी की तैयारी और संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि समेकित वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए, और अन्य लेखापरीक्षकों को नीचे 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ के उप-पैरा (क) में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी समेकित लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

हमारी राय :

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की स्थिति और उनके समेकित लाभ तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए के समेकित नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय

हम वित्तीय विवरणों के अंतर्गत टिप्पणियों में निम्नांकित विषयों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं :

(क) भाग-ग अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 15 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी पुनर्संरचना के बारे में विद्युत मंत्रालय के मानदंड के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण (प्रूडेंशल) मानदंड के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य क्षेत्र के ऋणों के संदर्भ में ₹ 3427.18 करोड़ का अधिक प्रावधान किया गया और ₹ 527.37 करोड़ की आय व्युत्क्रमित (परिवर्तित) की गई।

(ख) भाग-ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 19, यह टिप्पणी एक पुनर्संरचित ऋण आस्ति के मामले में, प्राप्त न की जा सकी ₹ 413.03 करोड़ की आय के व्युत्क्रमण से संबंधित है, जिसे ऋणकर्ता द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से अंतरिम स्टे प्राप्त करने को देखते हुए 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

(ग) भाग-ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 5 (ङ), यह टिप्पणी डेरिवेटिव अनुबंधों के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन के कारण वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई ₹ 178.15 करोड़ की आय से संबंधित है।

हमारी राय उपरोक्त मामलों में संशोधित (माडिफाइड) नहीं है।

अन्य मामले :

(क) हमने 4 सहायक कंपनियों और एक संयुक्त नियंत्रित संस्था के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2017 को कुल परिसंपत्तियां ₹928.47 करोड़, कुल राजस्व ₹187.63 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹39.47 करोड़ उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी थी और समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संदर्भ में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अंतर्गत उक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में हमारी राय पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों पर भी विचार किया है, जिसकी वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2017 को कुल परिसंपत्तियां ₹ 847.09 करोड़, कुल राजस्व ₹ 408.43 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹ -26.73 करोड़ उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। ये वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा हमें सौंपे गए थे और इस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरण में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में जहां तक हमारी राय का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में उक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह हमें सौंपे गए बिना लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, और अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं के बारे में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, इनके बारे में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन द्वारा दी गई रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए रखी गई संबद्ध लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनियां (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

ङ) 31 मार्च, 2017 को होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना भारत में इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सांविधिक लेखापरीक्षकों/प्रबंधन की रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में ग्रुप कंपनियों का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2017 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) ग्रुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन सक्षमता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक 'क'** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनियां (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) समेकित वित्तीय विवरण लंबित अदालती मामलों के ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को प्रकट करता है - समेकित वित्तीय विवरणों में भाग-ग की टिप्पणी संख्या 3(ख) और टिप्पणी संख्या 4, 'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें;

ii) तुलन–पत्र की तारीख को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसके लिए प्रयोज्य कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों के लिए प्रावधान अपेक्षित हो;

iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और भारत में अधिनिगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने कोई देरी नहीं की है।

iv) कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि में निर्दिष्ट बैंक नोटों में कोई होल्डिंग या डीलिंग नहीं की। कृपया एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी भाग-ग 36 देखें।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -01411एन

सीए एम. के. अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 014956

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या -000862एन

सी ए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य संख्या-087354

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा), उसकी सहायक कंपनियों और उक्त तिथि को भारत में कंपनियों के रूप में अधिनियमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व :

होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, के संबंधी निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उसे बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यापार के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और निवारण, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'गाइडेंस नोट' (''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार की है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और उन्हें बनाए रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में ऐसे नियंत्रण संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में ऐसी निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी विद्यमान महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन तैयार करना और उसकी प्रचालनगत सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए और अन्य लेखापरीक्षकों को नीचे 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित की सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों

से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं की स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को कारगर ढंग से प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, 4 सहायक कंपनियों, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनगत सक्षमता के बारे में हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, भारत में अधिनियमित कंपनियों और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की समनुरूप रिपोर्टों पर आधारित है। ऐसी संस्थाओं की आईएफसी रिपोर्टों के अभाव में हम होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर रहे हैं। हमारी राय में ग्रुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण के लिए आईएफसी रिपोर्टों को महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं.: 01411एन

हस्ता/–

सीए एम.के. अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं.:014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं.: 000862एन

हस्ता/–

सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्य सं.: 087354

दिनांक : 29.05.2017
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6) बी के अधीन भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय ब्यौरों के बारे में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के आधार पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29 मई, 2017 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पूरा किया गया।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के औपचारिक दस्तावेज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके लिए सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी करना अपेक्षित हो।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक और उनकी ओर से।

हस्ता/–
(रीतिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पूर्व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III,नई दिल्ली

पूस्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 अगस्त 2017

अनुलग्नक

सहायक, असोशिएट कंपनी और संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाएं, जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई है :

क. भारत में अधिनिगमित सहायक कंपनियां :

1. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
2. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड
3. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाजर्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. भारत में अधिनिगमित संयुक्त उद्यम

1. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
2. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण			टिप्पणी भाग	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
क.	**इक्विटी और देयताएं**						
	(1)	**शेयरधारकों की निधि**					
		(क) शेयर पूंजी	क-1	2,640.08		1,320.04	
		(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	क-2	34,204.83	36,844.91	34,708.27	36,028.31
	(2)	**गैर–वर्तमान देयताएं**					
		(क) दीर्घावधि ऋण	क-3				
		प्रतिभूत		20,106.17		19,869.75	
		अप्रतिभूत		1,54,997.19	1,75,103.36	1,52,744.82	1,72,614.57
		(ख) स्थगित कर देयताएं (निवल)	ग-29		247.55		301.96
		(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	क-4		6,143.07		548.85
		(घ) दीर्घावधि प्रावधान	क-5		2,549.29		1,230.59
	(3)	**वर्तमान देयताएं**					
		(क) अल्पावधि ऋण	क-3				
		प्रतिभूत		2,543.48		0.00	
		अप्रतिभूत		0.00		7,571.57	
		(ख) व्यापार देयताएं					
		(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		0.00		0.00	
		(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं का कुल बकाया देय		120.55		69.65	
		(ग) अन्य वर्तमान देयताएं					
		i) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिवक्वता	क-3				
		प्रतिभूत		3.70		1,916.91	
		अप्रतिभूत		25,342.20		18,557.09	
		ii) अन्य अल्पावधि देयताएं	क-4	8,592.95		7,564.86	
		(घ) अल्पावधि प्रावधान	क-5	1,928.55	38,531.43	815.39	36,495.47
		कुल			**2,59,419.61**		**2,47,219.75**
ख.	**परिसंपत्तियां**						
	(I)	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
		(क) अचल परिसंपत्तियां	क-6				
		(i) मूर्त परिसंपत्तियां		393.03		256.20	
		घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		97.87	295.16	59.18	197.02
		(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		9.62		8.90	
		घटाएं : संचित परिशोधन		8.40	1.22	7.44	1.46
		(iii) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां			105.44		46.63
		(ख) गैर-वर्तमान निवेश	क-7				
		व्यापार		19.64		19.23	
		अन्य		1,800.00	1,819.64	1,800.00	1,819.23
		(ग) दीर्घावधि ऋण	क-8				
		प्रतिभूत		1,38,911.54		1,34,986.71	
		अप्रतिभूत		62,026.71	2,00,938.25	65,394.00	2,00,380.71
		घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	क-9				
		(i) अनुसूचित बैंकों के साथ मियादी जमा (मूल परिपक्वता अवधि 12 वर्ष से अधिक नहीं)		145.18		57.37	
		(ii) अन्य		5,457.19	5,602.37	318.14	375.51
	(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियों**					
		(क) वर्तमान निवेश	क-10	1,325.53		410.74	
		(ख) व्यापार प्राप्य	क-19				
		छह महीने से अधिक		166.03		49.16	
		अन्य		113.53		62.05	

विवरण			टिप्पणी भाग	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
		(ग) नकदी एवं बैंक शेष	A-11	3,799.82		301.55	
		(घ) अल्पावधि ऋण	क-8				
		प्रतिभूत		1,490.49		1,080.93	
		अप्रतिभूत		4,412.41		2,711.45	
		(ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
		(i) दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-8				
		प्रतिभूत		28,659.49		12,203.39	
		अप्रतिभूत		5,045.28		21,431.03	
		(ii) अन्य	क-9	5,644.95	50,657.53	6,148.89	44,399.19
		कुल			**2,59,419.61**		**2,47,219.75**
		महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**भाग ख**				
		अन्य लेखा टिप्पणियां	**भाग ग**				
		भाग क I से 20, भाग ख और भाग ग के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय लेखों का अभिन्न अंग हैं।					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं: - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य सं:- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं: - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य सं:- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	ब्याज	क-12	26,333.11		27,099.83	
	परामर्शी/सलाहकार सेवाएं	क-12	181.44		262.52	
	अन्य प्रचालन आय	क-12	457.21		136.21	
	अन्य वित्तीय सेवाएं	क-12	318.10	27,289.86		27,780.21
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	क-13		321.43		105.56
III.	**कुल आय** (I+II)			**27,611.29**		**27,885.77**
IV.	**व्यय**					
	वित्त लागत	क-14		16,767.64		16,645.38
	बॉण्ड इश्यू व्यय	क-15		26.58		33.44
	कार्मिक लाभ व्यय	क-16		133.24		106.63
	प्रावधान	सी-16		5,112.33		1,610.16
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	सी-21		(7.41)		96.26
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	क-6		40.82		20.08
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	ग-22(क)		167.64		146.81
	अन्य व्यय	क-17		105.29		61.97
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	क-18		1.47		(2.06)
	कुल व्यय			**22,347.60**		**18,718.67**
V.	**विशिष्ट और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ** (III- IV)			**5,263.69**		**9,167.10**
VI.	**विशिष्ट मदें**			0.00		0.00
VII.	**असाधारण मद और कर पूर्व लाभ** (V-VI)			**5,263.69**		**9,167.10**
VIII.	**विशिष्ट मदें**			0.00		0.00
IX.	**असाधारण मदें**			**5,263.69**		**9,167.10**
X.	**कर पूर्व लाभ** (VII- VIII)					
	कर व्यय					
	वर्तमान कर		3,121.71		2,857.89	
	वर्तमान वर्ष		(0.47)	3,121.24	12.11	2,870.00
	पिछले वर्ष **अस्थिगत कर देताएं (+)/परिसंपत्ति (–)**			**(93.65)**		**113.10**
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि)** (IX- X)			**2,236.10**		**6,184.00**
XII.	**₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय**	**सी-32**				
	बुनियादी (₹)			8.47		23.43
	तनुकृत (₹)			8.47		23.43
	समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**भाग ख**				
	समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां	**भाग ग**				
	भाग क I से 20, भाग ख और भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
I	**प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**					
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**5,263.69**		**9,167.10**	
	जोड़ें : निम्नांकित के लिए समायोजन					
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)		0.16		0.14	
	निवेश की बिक्री पर लाभ	क-13	(0.50)		(0.49)	
	मूल्य ह्रास/परिशोधन (पूर्व अवधि मूल्य ह्रास सहित)	क-6	41.04		20.08	
	जीरो कूपन बॉण्डों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन		99.49		(11.55)	
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि		221.48		306.16	
	डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल बदलाव	क-14	(178.15)		0.00	
	निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान		(7.41)		96.26	
	प्रावधान		5,112.33		1,610.17	
	लाभांश/निवेश पर ब्याज	क-13	(287.02)		(70.66)	
	सीएसआर व्यय		166.15		145.79	
	ब्याज सब्सिडी निधि		2.22		(3.88)	
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान		0.69		0.00	
	अधिशेष देयताएं पश्चलिखित	क-13	(0.12)		(0.30)	
	सेवा निवृत्ति लाभों/अन्य कल्याण व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान		19.03		20.97	
	प्राप्त ब्याज		(22.54)		(15.43)	
	प्रदत्त ब्याज		15.79		3.58	
	स्थगित किराया व्यय		0.23		0.05	
	कार्यशील पूंजी बदलाव से पूर्व प्रचालनगत लाभ		**10,446.56**		**11,267.99**	
	बढ़ोतरी/कमी:					
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)		(7,377.60)		(21,508.66)	
	अन्य परिसंपत्तियां		(4,689.47)		(615.07)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	क-2(ग)(v)	84.46		(359.18)	
	देयताएं और प्रावधान		6,473.59		972.04	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		**4,937.54**		**(10,242.88)**	
	असाधारण मदें		0.00		0.00	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी अंतर प्रवाह/बाह्य प्रवाह		**4,937.54**		**(10,242.88)**	
	प्रदत्त आयकर		(3,370.01)		(3,092.64)	
	रिफंड आयकर		68.61		37.82	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**1,636.14**		**(13,297.70)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन		0.10		0.15	
	मूर्त/अमूर्त्त परिसंपत्तियों की खरीद	क-6	(124.36)		(111.46)	
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	क-6	(57.01)		(44.23)	
	सहायक कंपनियों में निवेश		(0.64)		(0.33)	
	प्राप्त ब्याज		22.28		15.38	
	लाभांश/निवेश पर ब्याज		256.69		70.66	
	अन्य निवेशों की खरीद/बिक्री		(597.67)		(1,900.34)	
	पूंजी अग्रिम		(0.17)		(3.13)	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी			**(500.78)**		**(1,973.30)**

विवरण		टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	इक्विटी शेयरों का निर्गम		31.39		21.59	
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)		18,570.20		11,711.11	
	दीर्घावधि ऋणों की उगाही (निवल)		(8,781.10)		(3,434.58)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)		(2,559.98)		732.75	
	प्रदत्त ब्याज		(15.73)		(3.58)	
	कमर्शियल पेपर (निवल)		(5,350.00)		3,195.00	
	नियतकालिक जमा राशियों के प्रति ऋण/कार्य शील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)		356.70		368.62	
	अदावित बॉण्ड (निवल)		(3.32)		(0.13)	
	अदावित लाभांश (निवल)		(0.29)		0.40	
	पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान		(79.20)		(79.20)	
	चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान		0.00		(1,755.66)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान		(218.35)		(372.86)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**1,950.32**		**10,383.46**
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल बढ़ोतरी/कमी			**3,085.68**		**(4,887.54)**
	जोड़ें : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य			145.65		5,033.20
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य#			**3,231.33**		**145.65**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यों का ब्यौरा		**क-II**				
i)	चालू खाते में शेष					
क.	भारतीय रिज़र्व बैंक		0.02		0.05	
ख.	अनुसूचित बैंकों में		151.18	151.20	141.87	141.92
ii)	हस्तगत चेक			0.00		0.00
iii)	डाक प्राधिकारियों के साथ अग्रदाय			0.00		0.00
iv)	अनुसूचित बैंकों में नियतकालिक जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)			3080.13		3.73
	उप–जोड़ (1)			**3231.33**		**145.65**
वर्ष के अंत में निर्धारित रोकड़ और बैंक शेष का ब्यौरा		**क-II**				
i)	निर्धारित शेष					
a)	बॉण्डों, लाभांश आदि पर ब्याज भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		458.41		6.41	
b)	आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी					
	अनुसूचित बैंकों में चालू खाते में शेष		0.00		13.01	
	बैंकों में नियतकालिक जमा राशि - डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिक्वता अवधि 3 महीने)		0.00	458.41	30.97	50.39
ii)	अनुसूचित बैंकों में नियतकालिक जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक से लेकर 12 महीने तक)			110.08		105.51
	उप-जोड़ (2)			**568.49**		**155.90**
	वर्ष के अंत में कुल नकदी और बैंक शेष (I+II)			**3799.82**		**301.55**
	# इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के शेयर के रूप में ₹113.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.03 करोड़) शामिल हैं।					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

टिप्पणी – भाग क–I

समेकित शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
क	अधिकृत :		
	₹ 10/- प्रति शेयर मूल्य के 10,00,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)	10,000.00	2,000.00
	कुल	10,000.00	2,000.00
ख	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :		
	₹ 10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर (पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर)	1,320.04	1,320.04
	जोड़ें : ₹ 10/- मूल्य के पूर्ण चुकता 1,32,00,40,704 इक्विटी शेयर* (पिछले वर्ष शून्य)	1,320.04	0.00
	कुल	2,640.08	1,320.04
	*(भाग ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 31 देखें)		

टिप्पणियां :-

1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए और कोई शेयर वापस नहीं खरीदा।

2 कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसमें प्रति शेयर मूल्य ₹10/- है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

3 वर्ष के दौरान विमोचन योग्य अधिमानी शेयरों की संख्या 31.03.2017 को शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

4 वर्ष के दौरान, ईएसओपी स्कीम के अंतर्गत कोई शेयर आबंटित नहीं किया गया।

5 समानधान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या:

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
प्रारंभिक शेष	1,320,040,704	1,320,040,704
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,320,040,704	शून्य
अंतिम शेष	2,640,081,408	1,320,040,704

6. कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के बारे में जानकारी:-

शेयर धारकों के नाम :		31.03.2017 को	31.03.2016 को
भारत के राष्ट्रपति (भाग–ग का संदर्भ नोट सं. 30 लेखाओं के समेकित अन्य टिप्पणियां)	शेयर धारण प्रतिशत	66.35	67.80
	धारित शेयरों की संख्या	1,751,631,394	894,924,366
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	8.65	9.08
	धारित शेयरों की संख्या	228,252,101	119,830,788

7. वर्ष के दौरान, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने ₹10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 3,82,17,388 इक्विटी शेयरों का विनिवेश करते हुए ये शेयर सीपीएसई ईटीएफ में अंतरित किए गए।

8. तुलन–पत्र की तारीख से तत्काल पिछले 5 वर्ष की अवधि में बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए गए पूर्ण चुकता शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी संबंधी जानकारी :

विवरण	जारी किए गए शेयरों की संख्या	जारी करने का वर्ष
₹10/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर का राइट्स इश्यू, जो वर्तमान इक्विटी शेयरों 1:1 के अनुपात में जारी किए गए।	1,320,040,704	2016-17

टिप्पणी – भाग क–2

समेकित आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
(क)	**प्रतिभूत प्रीमियम खाता**				
	प्रारंभिक शेष	4,096.58		4,096.37	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	0.00		0-21	
	घटाएं : बोनस निर्गम के लिए उपयोग	1,320.04	2,776.54	0.00	4,096.58
(ख)	**डिबेंचर मोचन आरक्षित** (भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 5(क) देखें)				
	प्रारंभिक शेष	1,172.56		856.28	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	312.55		316.27	
(ग	**अन्य**	36.40	1,448.71	0.00	1,172.55
(i)	**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) (ग) के अंतर्गत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	2,547.14		2,117.93	
(ii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष आरक्षित**	467.55	3,014.69	429.21	2,547.14
(iii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित**		599.85		599.85
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	12,512.36		10,541.45	
	घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित	1,812.97		2,008.37	
	घटाएं : अधिशेष से अंतरित*	0.00		66.22	
(iv)	**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ग के तहत सांविधिक आरक्षित**	0.03	14,325.30	(28.76)	12,512.36
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	10-95		6.43	
(v)	**सामान्य आरक्षित**	6.03	16.98	4.52	10-95
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	5,364.34		4,197.11	
	जोड़ें : लाभ - डेरिव्हेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन (भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 6 (ङ) देखें)	0.00		1,101.00	
	जोड़ें : विशेष आरक्षित से अंतरित	74.35		0.00	
(vi)	**विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 6 (ग)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)**	0.00	5,438.69	66.22	5,364.33
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(739.74)		(380.56)	
(घ)	**अधिशेष**	92.18	(647.56)	(359.18)	(739.74)
	प्रारंभिक शेष				
	जोड़ें : वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ	9,144.25		9,056.45	
	घटाएं : आरक्षित को अंतरित	2,236.10		6,184.00	
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii क) (ग) के अंतर्गत खराब और संदिग्ध ऋणो के लिए आरक्षित में अंतरित	467.55		429.21	

	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और प्रबंधित विशेष आरक्षित को अंतरित	1,812.97		2,008.37	
	डिबेंचर विमोचन आरक्षित	6.03		4.52	
	सामान्य आरक्षित	312.55		316.27	
	सामान्य आरक्षित	0.00		1,101.00	
	घटाएं : लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर				
	अंतरिम लाभांश (भाग ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 33(क) देखें)	1,320.04		1,755.66	
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	0.00		79.20	
	अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	268.73		356.74	
	प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	0.00		16.12	
	वर्ष के दौरान समायोजन				
	जोड़ें : डिबेंचर विमोचन आरक्षित से अंतरित	36.40		0.00	
	जोड़े : चालू वर्ष के दौरान समायोजन**	2.72		(0-35)	
	जोड़ें : आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विशेष आरक्षित को/से अंतरण*	0.03	7,231.63	(28.76)	9,144.25
	कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)#		**34,204.83**		**34,708.27**

* मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए आय कर विवरणी के अनुसार दावाकृत कटौती के समान अंतरित राशि।

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹41.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.34 करोड़) शामिल हैं।

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के निवल ब्लॉक में ईईएसएल के संदर्भ में पिछले वर्ष गैर-लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि विवरण पर लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि विवरण के समायोजन के संदर्भ में समेकन के लिए प्रयुक्त ₹ 1.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.38 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी –भाग क–3

समेकित ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2017 को			31.03.2016 को		
				वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल
क.	**दीर्घावधि ऋण**								
	I.	**प्रतिभूत**							
			बॉण्ड्स						
			इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या I)	3.70	281.06	284.76	316.91	44.64	361.55
			कर मुक्त बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या II)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	12,275.11	12,275.11
			अन्य बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या iii)	0.00	7,550.00	7,550.00	1,600.00	7,550.00	9,150.00
			उप जोड़ (I)	**3.70**	**20,106.17**	**20,109.87**	**1,916.91**	**19,869.75**	**21,786.66**
	II.	**अप्रतिभूत**							
	क.	**बॉण्ड्स**							
			अन्य बॉण्ड्स / डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या IV और V)	24,155.40	1,41,836.65	1,65,992.05	15,868.00	1,29,682.64	1,45,550-64
			सबोर्डिनेटिड बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या VI)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
			विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या VII)	1,167.30	0.00	1,167.30	0.00	1,201.86	1,201.86
				25,322.70	**1,45,636.65**	**1,70,959.35**	**15,868.00**	**1,34,684.50**	**1,50,552.50**
	ख.	**विदेशी मुद्रा ऋण**							
			विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या VIII)	19.50	288.19	307.69	20-68	282.05	302.73
			बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या IX)	0.00	7,072.35	7,072.35	2,057.58	7,278.27	9,335.85
				19.50	**7,360.54**	**7,380.04**	**2,078.26**	**7,560.32**	**9,638.58**
	ग.	**रुपया सावधि ऋण**							
			रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (देखें, टिप्पणी संख्या X)	0.00	2,000.00	2,000.00	610-83	10,500.00	11,110-83
				0.00	2,000.00	2,000.00	610-83	10,500.00	11,110-83
			उप जोड़ (II)	**25,342.20**	**1,54,997.19**	**1,80,339.39**	**18,557.09**	**1,52,744.82**	**1,71,301.91**
ख.	**अल्पावधि ऋण**								
	I.	**प्रतिभूत**							
			एफडी के प्रति ऋण (टिप्पणी संख्या XI देखें)	2,400-79	0.00	2,400-79	0.00	0.00	0.00
			रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (टिप्पणी संख्या X देखें)	142.69	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00
			उप जोड़ (I)	2,543.48	0.00	2,543.48	0.00	0.00	0.00
	II.	**अप्रतिभूत**							
			वाणिज्यिक पेपर	0.00	0.00	0.00	5,286.37	0.00	5,286.37
			बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	2,285.20
			उप जोड़ (II)	0.00	0.00	0.00	7,571.57	0.00	7,571.57
			कुल (क)+(ख)#	**27,889.38**	**1,75,103.36**	**2,02,992.74**	**28,045.57**	**1,72,614.57**	**2,00,660.14**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹404.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 175.69 करोड़) शामिल हैं।

समेकित टिप्पणियां :–

1. 31.03.2017 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूत का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86-ए शृंखला	30 मार्च 2012	8.43%	7.39	30 मार्च 22	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित	100%
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86-बी शृंखला	30 मार्च 2012	8.43%	15.48	30 मार्च 22	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृत्ति संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-I	21 नवंबर 11	8.50%	21.85	21 नवंबर 21	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-II	21 नवंबर 11	8.50%	36.34	21 नवंबर 21	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य		
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-I	31 मार्च 11	8.30%	49.95	31 मार्च 21	आबंटन की तारीख 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2012 को कंपनी के ₹3090.80 करोड़ के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित।	100%
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-II	31 मार्च 11	8.30%	109.11	31 मार्च 21	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृत्ति संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स शृंखला III (2011-12)	21 नवंबर 11	8.75%	3.23	22 नवंबर 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स शृंखला IV (2011-12)	21 नवंबर 11	8.75%	8.83	22 नवंबर 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स शृंखला III (2010-11)	31 मार्च 11	8.50%	6.13	01 अप्रैल 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2012 को कंपनी के ₹3090.80 करोड़ के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित।	100%
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स शृंखला IV (2010-11)	31 मार्च 11	8.50%	22.75	01 अप्रैल 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86-सी शृंखला	30 मार्च 12	8.72%	0.95	31 मार्च 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित	100%
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86-डी शृंखला	30 मार्च 12	8.72%	2.75	31 मार्च 18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृत्ति वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
		कुल		284.76				

II. 31.03.2017 को बकाया कर–मुक्त बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
13	कर-मुक्त बॉण्ड (2015-16)- शृंखला-3ए	17 अक्तूबर-15	7.35%	213.57	17 अक्तूबर-35	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
14	कर-मुक्त बॉण्ड (2015-16)- शृंखला-3बी	17 अक्तूबर-15	7.60%	155.48	17 अक्तूबर-35		
15	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14)- शृंखला-3ए	16 नवंबर-13	8.67%	1,067.38	16 नवंबर-33	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
16	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14)- शृंखला-3 बी	16 नवंबर-13	8.92%	861.96	16 नवंबर-33		
17	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला- शृंखला-2ए	17 अक्तूबर-15	7.27%	131.33	17 अक्तूबर-30	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
18	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला- शृंखला-2बी	17 अक्तूबर-15	7.52%	45.18	17 अक्तूबर-30		
19	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-2ए	16 नवंबर 13	8.54%	932.70	16 नवंबर-28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
20	कर-मुक्त बॉण्ड (2013-14)	16 नवंबर 13	8.79%	353.32	16 नवंबर-28		
21	कर-मुक्त बॉण्ड	30 अगस्त-13	8.46%	1,011.10	30 अगस्त-28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
22	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-II	28 मार्च-13	7.04%	6.06	28 मार्च-28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
23	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-II	28 मार्च-13	7.54%	63.15	28 मार्च-28		
24	कर-मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे- I-शृंखला-II	4 जनवरी-13	7.36%	150.14	4 जनवरी-28	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
25	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- I- शृंखला-II	4 जनवरी-13	7.86%	206.86	4 जनवरी-28		
26	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 95बी	29 नवंबर-12	7.38%	100.00	29 नवंबर-27	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित सुरक्षित, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
27	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 94बी	29 नवंबर-12	7.38%	25.00	22 नवंबर-27		
28	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2011-12) ट्रांचे- I- शृंखला-II	1 फरवरी-12	8.30%	1,280.58	1 फरवरी-27	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
29	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-80बी	25 नवंबर-11	8.16%	209.34	25 नवंबर-26	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
30	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-79बी	15 अक्तूबर-11	7.75%	217.99	15 अक्तूबर-26		
31	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-1ए	17 अक्तूबर-15	7.11%	75.09	17 अक्तूबर-25	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
32	कर-मुक्त बॉण्ड 2015-16 शृंखला-1बी	17 अक्तूबर-15	7.36%	79.35	17 अक्तूबर-25		
33	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 136	17 जुलाई-15	7.16%	300.00	17 अक्तूबर-25	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
34	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2013-14) शृंखला-Iए	16 नवंबर-13	8.18%	325.07	16 नवंबर-23	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
35	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2013-14) शृंखला-Iबी	16 नवंबर-13	8.43%	335.47	16 नवंबर-23		
36	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला-107ए	30 अगस्त-13	8.01%	113.00	30 अगस्त-23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
37	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- II - शृंखला-I	28 मार्च-13	6.88%	50.14	28 मार्च-23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
38	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- II- शृंखला-I	28 मार्च-13	7.38%	46.01	28 मार्च-23		
39	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- I - शृंखला-I	4 जनवरी-13	7.19%	185.90	4 जनवरी-23	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
40	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012-13) ट्रांचे- I - शृंखला-I	4 जनवरी-13	7.69%	156.85	4 जनवरी-23		
41	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 95 ए	29 नवंबर-12	7.22%	30.00	29 नवंबर-22	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित सुरक्षित, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
42	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 94 ए	29 नवंबर-12	7.21%	255.00	22 नवंबर-22		
43	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला (2011-12)	1 दिसंबर-12	8.20%	2,752.55	1 फरवरी-22	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
44	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 80ए	25 नवंबर-11	8.09%	334.31	15 अक्तूबर-21	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित।	100%
45	कर-मुक्त बॉण्ड शृंखला 79ए	15 अक्तूबर-11	7.51%	205.23	15 अक्तूबर-21		
		कुल		12,275.11			

III. 31.03.2016 को बकाया कर-योग्य बॉण्ड्स (सुरक्षित) का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
46	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112सी	31 जनवरी-11	9.70%	270.00	31 जनवरी-21	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
47	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112बी	31 जनवरी-14	9.70%	270.00	31 जनवरी-20		
48	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 113	3 मार्च-14	9.69%	2,240.00	3 मार्च-19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
49	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 112ए	31 जनवरी-14	9.70%	270.00	31 जनवरी-19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
50	कर-योग्य बॉण्ड शृंखला 109	7 अक्तूबर-13	9.81%	4,500.00	7 अक्तूबर-18	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
		कुल		7,550.00			

IV. 2022–XIX शृंखला के अंतर्गत ₹479.60 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹443.74 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को ₹ 750.00 करोड़ के अंकित मूल्य ₹270.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 306.26 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ, पर विमोचन योग्य हैं।

V. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	शृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-30	192.70
2	शृंखला 66-सी	8.85%	15-जून-30	633.00
3	शृंखला 118-बी-III	9.39%	27-अगस्त-29	460.00
4	शृंखला 103	8.94%	25-मार्च-28	2,807.00
5	शृंखला 102-ए (III)	8.90%	18 मार्च-28	403.00
6	शृंखला 101-बी	9.00%	11-मार्च-28	1,370.00
7	शृंखला 155	7.23%	5 जनवरी-27	2,635.00
8	शृंखला 152	7.55%	25-सितंबर-26	4,000.00
9	शृंखला 151बी	7.56%	16-सितंबर-26	210.00
10	शृंखला 77-बी	9.45%	1-सितंबर-26	2,568.00
11	शृंखला 150-बी	7.63%	14-अगस्त-26	1,675.00
12	शृंखला 76 बी	9.46%	1 अगस्त-26	1,105.00
13	शृंखला 147	8.03%	2-मई-26	1,000.00
14	शृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-25	192.70
15	शृंखला 141-बी	8.40%	18-सितंबर-25	1,000.00
16	शृंखला 66-बी	8.75%	15-जून-25	1,532.00
17	शृंखला 65	8.70%	24-मई-25	1,337.50
18	शृंखला 130-सी	8.39%	19-अप्रैल-25	925.00
19	शृंखला 64-III	8.95%	30-मार्च-25	492.00
20	शृंखला 131-सी	8.41%	27-मार्च-25	5,000.00
21	शृंखला-63-III	8.90%	15-मार्च-25	184.00
22	शृंखला 128	8.20%	10-मार्च-25	1,600.00
23	शृंखला 62-बी	8.80%	15-जनवरी-25	1,172.60
24	शृंखला 126	8.65%	4-जनवरी-25	5,000.00
25	शृंखला 125	8.65%	28-दिसंबर-24	2,826.00
26	शृंखला 61	8.50%	15-दिसंबर-24	351.00
27	शृंखला 124-सी	8.48%	9-दिसंबर-24	1,000.00
28	शृंखला 120-ए	8.98%	8-अक्तूबर-24	961.00
29	शृंखला 120-बी	8.98%	8-अक्तूबर-24	950.00
30	शृंखला 118-बी -II	9.39%	27-अगस्त-24	460.00
31	शृंखला 117-बी	9.37%	19-अगस्त-24	855.00
32	शृंखला 57-सी	8.60%	7-अगस्त-24	866.50
33	एसटीआरपीपीसी (₹ 20,00,000/- प्रत्येक की 1250 यूनिटें) आईएसआईएन नं. : INE688V07033	8.07%	20-सितंबर-23	79.27
34	शृंखला 85-डी	9.26%	15-अप्रैल-23	736.00
35	शृंखला 102-ए (II)	8.90%	18-मार्च-23	403.00
36	शृंखला 102-बी	8.87%	18-मार्च-23	70.00
37	शृंखला 100-बी	8.84%	4-मार्च-23	1,310.00
38	शृंखला 92-सी	9.29%	21-अगस्त-22	640.00
39	शृंखला 91-बी	9.39%	29-जून-22	2,695.20
40	शृंखला 88-सी	9.48%	15-अप्रैल-22	184.70
41	शृंखला 154	7.27%	22-दिसंबर-21	1,101.00
42	शृंखला 124-बी	8.55%	9-दिसंबर-21	1,200.00
43	शृंखला 123-सी	8.66%	27-नवंबर-21	200.00
44	शृंखला 153	7.40%	30-सितंबर-21	1,830.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
45	एसटीआरपीपीसी (₹ 10,00,000/- प्रत्येक की 1250 यूनिटें) आईएसआईएन नं. : INE688V07033	8.07%	20-सितंबर-21	39.64
46	शृंखला 78-बी	9.44%	23-सितंबर-21	1,180.00
47	शृंखला 151-ए	7.47%	16-सितंबर-21	2,260.00
48	शृंखला 150-ए	7.50%	16-अगस्त-21	2,660.00
49	शृंखला 76-ए	9.36%	1-अगस्त-21	2,589.40
50	शृंखला 115-III	9.20%	7-जुलाई-21	700.00
51	शृंखला 75-सी	9.61%	29-जून-21	2,084.70
52	शृंखला 74	9.70%	9-जून-21	1,693.20
53	शृंखला 28	8.85%	31-मई-21	600.00
54	शृंखला 146	8.05%	27-अप्रैल-21	300.00
55	शृंखला 73	9.18%	15-अप्रैल-21	1,000.00
56	शृंखला 72-बी	8.99%	15-जनवरी-21	1,219.00
57	शृंखला 71	9.05%	15-दिसंबर-20	192.70
58	शृंखला 70	8.78%	15-नवंबर-20	1,549.00
59	शृंखला 141-ए	8.46%	18-सितंबर-20	1,000.00
60	शृंखला 163	7.50%	17-सितंबर-20	2,435.00
61	शृंखला 140-बी	8.36%	4-सितंबर-20	1,250.00
62	शृंखला 138	8.45%	10-अगस्त-20	1,000.00
63	शृंखला 137	8.53%	24-जुलाई-20	2,700.00
64	शृंखला 68-बी	8.70%	15-जुलाई-20	1,424.00
65	शृंखला 165	7.42%	26-जून-20	3,605.00
66	शृंखला 66-ए	8.65%	15-जून-20	500.00
67	शृंखला 149	8.04%	30-मई-20	100.00
68	शृंखला 159	7.05%	15-मई-20	2,551.00
69	शृंखला 65	8.70%	14-मई-20	1,337.50
70	शृंखला 131-बी	8.38%	27-अप्रैल-20	1,350.00
71	शृंखला 130-बी	8.42%	18-अप्रैल-20	200.00
72	शृंखला 85-सी	9.30%	15-अप्रैल-20	79.50
73	शृंखला 157	6.83%	15-अप्रैल-20	2,000.00
74	शृंखला 64-II	8.95%	30-मार्च-20	492.00
75	शृंखला 87-डी	9.42%	20-मार्च-20	650-80
76	एसटीआरपीपीसी (₹ 20,00,000/- प्रत्येक की 1250 यूनिटें) आईएसआईएन नं. : INE688V07033	8.07%	20-मार्च-20	39.64
77	शृंखला 63-II	8.90%	15-मार्च-20	184.00
78	शृंखला 100-ए	8.86%	4-मार्च-20	54.30
79	शृंखला 127	8.36%	26-फरवरी-20	4,440.00
80	शृंखला 99-बी	8.82%	20-फरवरी-20	733.00
81	शृंखला 62-ए	8.70%	15-जनवरी-20	845.40
82	शृंखला 61	8.50%	15-दिसंबर-19	351.00
83	शृंखला 124-ए	8.52%	9-दिसंबर-19	1,220.00
84	शृंखला 123-बी	8.65%	28-नवंबर-19	836.00
85	शृंखला 60-बी	1YINCMTBMK+179 बीपीएस (फ्लोटिंग रेट)	20-नवंबर-19	925.00
86	शृंखला 122	8.76%	7-नवंबर-19	1,000.00
87	शृंखला 121-बी	8.96%	21-अक्तूबर-19	1,100.00
88	शृंखला 59-बी	8.80%	15-अक्तूबर-19	1,216.60
89	शृंखला 119-बी	9.32%	17-सितंबर-19	1,591.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
90	शृंखला 118-बी-I	9.39%	27-अगस्त-19	460.00
91	शृंखला 57-बी	8.60%	7-अगस्त-19	866.50
92	शृंखला 115-II	9.15%	7-जुलाई-19	100.00
93	शृंखला 135-बी	8.50%	29-जून-19	1,500.00
94	शृंखला 90-बी	9.41%	1-जून-19	391.00
95	शृंखला 140	7.95%	13-मार्च-19	1,915.00
96	शृंखला 145	7.85%	15-अप्रैल-19	2,928.00
97	शृंखला 143	8.12%	28-फरवरी-19	700.00
98	शृंखला 98-III	8.72%	8-फरवरी-19	324.00
99	शृंखला 82-सी	9.70%	15-दिसंबर-18	2,060.00
100	शृंखला 52-सी	11.25%	28-नवंबर-18	1,950-60
101	शृंखला 142-बी	8.00%	22-अक्तूबर-18	1,000.00
102	शृंखला 51-सी	11.00%	15-सितंबर-18	3,024.40
103	शृंखला 140-ए	8.28%	4-सितंबर-18	1,930.00
104	शृंखला 139-सी	8.17%	18-अगस्त-18	800.00
105	शृंखला 49-बी	10-85%	11-अगस्त-18	428.60
106	शृंखला 161	6.90%	16-जुलाई-18	1,850.00
107	शृंखला 162	6.90%	16-जुलाई-18	1,060.00
108	शृंखला 48-सी	10.55%	15-जुलाई-18	259.70
109	शृंखला 135-ए	8.40%	29-जून-18	1,210.00
110	शृंखला 130-ए	8.40%	13-जून-18	1,175.00
111	शृंखला 129-ए	8.29%	13-जून-18	980.00
112	शृंखला 129-बी	8.29%	9-जून-18	100.00
113	शृंखला 47-सी	9.68%	28-मई-18	780-70
114	शृंखला 134-बी	8.39%	26-मई-18	1,500.00
115	शृंखला 132-बी	8.09%	16-मई-18	200.00
116	शृंखला 131-ए	8.34%	27-अगस्त-18	100.00
117	शृंखला 132-ए	8.03%	9-अप्रैल-18	272.00
118	शृंखला 102-ए (i)	8.90%	18-मार्च-18	403.00
119	शृंखला 101-ए	8.95%	11-मार्च-18	3,201.00
120	शृंखला 99-ए	8.77%	20-फरवरी-18	2.00
121	शृंखला 98-II	8.72%	8-फरवरी-18	324.00
122	शृंखला 72-ए	8.97%	15-जनवरी-18	144.00
123	शृंखला 40-सी	9.28%	28-दिसंबर-17	650.00
124	शृंखला 123-ए	8.50%	28-नवंबर-17	1,075.00
125	शृंखला 18	7.87%	13-नवंबर-17	25.00
126	शृंखला 121-ए	8.90%	21-अक्तूबर-17	1,500.00
127	शृंखला 142-ए	7.88%	21-अक्तूबर-17	800.00
128	शृंखला 93-बी	8.91%	15-अक्तूबर-17	950.00
129	शृंखला 17	8.21%	3-अक्तूबर-17	25.00
130	शृंखला 118-ए	9.30%	27-अगस्त-17	2,160.00
131	शृंखला 92-ए	9.01%	21-अगस्त-17	50.00
132	शृंखला 92-बी	9.27%	21-अगस्त-17	1,930.00
133	शृंखला 117-ए	9.32%	19-अगस्त-17	1,311.00
134	शृंखला 115-I	9.11%	7-जुलाई-17	1,650.00
135	शृंखला 91-ए	9.40%	29-जून-17	107.50
136	शृंखला 90-ए	9.61%	1-जून-17	537.90
137	शृंखला 134-ए	8.35%	27-मई-17	1,500.00
138	शृंखला 13	9.60%	24-मई-17	65.00

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
139	श्रृंखला 139-बी	8.12%	22-मई-17	1,435.00
140	श्रृंखला 35	9.96%	18-मई-17	530.00
141	श्रृंखला 13	9.60%	16-मई-17	125.00
142	श्रृंखला 89-ए	9.52%	2-मई-17	165.00
143	श्रृंखला 133-बी	8.00%	24-अप्रैल-17	605.00
144	श्रृंखला 144	7.98%	21-अप्रैल-17	1,775.00
145	श्रृंखला 139-ए	8.12%	17-अप्रैल-17	565.00
146	श्रृंखला 133-ए	8.00%	3-अप्रैल-17	545.00
			कुल	1,65,512.45

*31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹5.60 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹6.10 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लायज़ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट और ₹0.60 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹ 0.50 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लायज़ ग्रेचुइटी ट्रस्ट ने धारण किए हैं।

VI. **31.03.2017 को अप्रतिभूत गौण बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :**

क्र स	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	मोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	सबोर्डिनेटिड टिअर-II डेब्ट बॉण्ड	9.70%	21-फरवरी-24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर-II डेब्ट बॉण्ड	9.65%	13-जनवरी 24	1,000.00
3.	सबोर्डिनेटिड टिअर-II डेब्ट बॉण्ड	8.19%	14-जून 23	800.00
			कुल	3,800.00

VII. **6.61 प्रतिशत की दर पर ₹11.67.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1201.86 करोड़) मूल्य के विदेशी मुद्रा सीनियर नोट्स (यूएसपीपी–I), 5.9.2017 को विमोचन योग्य हैं।**

VIII. **विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2017 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–**

क्र. सं.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.14	30-जून-2035
2	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2034
3	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-जून-2034
4	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2033
5	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2033
6	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2032
7	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2032
8	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2031
9	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-जून-2031
10	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2030
11	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2030
12	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2029
13	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2029
14	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2028
15	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	0.27	15-अक्तूबर-2028
16	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.03	30-जून-2028

क्र. सं.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
17	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2028
18	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	1.88	15-अप्रैल-2028
19	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.03	31-दिसंबर-2027
20	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2027
21	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	2.23	15-अक्तूबर-2027
22	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0.06	30-जून-2027
23	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2027
24	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	2.36	15-अप्रैल-2027
25	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0-36	31-दिसंबर-2026
26	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2026
27	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	2.59	15-अक्तूबर-2026
28	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0-36	30-जून-2026
29	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2026
30	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अप्रैल-2026
31	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0-43	31-दिसंबर-2025
32	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2025
33	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अक्तूबर-2025
34	केएफडब्ल्यू I	1.96%	4.87	30-जून-2025
35	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	0-92	30-जून-2025
36	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2025
37	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अप्रैल-25
38	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	2.52	31-दिसंबर-2024
39	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-दिसंबर-2024
40	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2024
41	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.32	15-अक्तूबर-2024
42	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2024
43	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.05	30-जून-2024
44	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2024
45	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2025
46	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.08	31-दिसंबर-2023
47	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-दिसंबर-2023
48	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2023
49	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2023
50	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2023
51	केएफडब्ल्यू (प्रथम (नया ऋण)	2.00%	3.78	30-जून-2023
52	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2023
53	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2023
54	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-2022
55	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-दिसंबर-2022
56	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2022
57	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2022
58	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2022
59	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2022

क्र. सं.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
60	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2022
61	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2022
62	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-2021
63	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.45	30-दिसंबर-2021
64	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2021
65	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2021
66	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2021
67	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2021
68	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2021
69	एएफडी	1.87%	2.68	30-अप्रैल-2021
70	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2021
71	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-2020
72	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-दिसंबर-2020
73	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2020
74	एएफडी	1.87%	5.49	31-अक्तूबर-2020
75	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2020
76	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2020
77	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2020
78	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2020
79	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2020
80	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31 दिसंबर-2019
81	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	31-दिसंबर-2019
82	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2019
83	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	19-अक्तूबर-2019
84	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2019
85	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2019
86	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2019
87	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर+ 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2019
88	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.0%	3.78	31-दिसंबर-2018
89	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.45	30-दिसंबर-2018
90	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-दिसंबर-2018
91	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2018
92	केएफडब्ल्यू I	1.96%	6.46	30-जून-2018
93	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2018
94	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-जून-2018
95	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2018
96	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	31-दिसंबर-2017
97	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.30	30-दिसंबर-2017
98	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अक्तूबर-2017
99	क्रेडिट नेशनल फ्रांस	2.00%	3.78	30-जून-2017
100	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.31	30-जून-2017
101	एडीबी (नया ऋण)	6 एम यूएसडी लाइबोर + 0.60%	4.64	15-अप्रैल-2017
		कुल	307.69	

नोट : एडीबी (नया ऋण) के मामले में रिसेट के समय एडीबी द्वारा परिवर्तित रेट प्रदान की जाती है।

IX विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2017 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन-XVIII	6 एम जेयीबाई लाइबोर + 0-75%	844.28	4-नवंबर -22
2	एसएलएन-XVIII	6 एम जेयीबाई लाइबोर + 0-75%	844.29	8-नवंबर -21
3	एसएलएन- XVII-(III)	6 एम जेयीबाई लाइबोर +1.28%	972.75	24-सितंबर-21
4	एसएलएन- XVII-(II)	6 एम जेयीबाई लाइबोर +1.28%	972.75	26-मार्च -21
5	एसएलएन-XVIII	6 एम जेयीबाई लाइबोर + 0-75%	844.28	6-नवंबर -20
6	एसएलएन- XVII-(I)	6 एम जेयीबाई लाइबोर +1.28%	972.75	28-सितंबर-20
7	एसएलएन-XVI	6 एम जेयीबाई लाइबोर +1.55%	1621.25	4-दिसंबर-19
			7,072.35	

X. 31.03.2017 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	आईसीआईसीआई बैंक	7.90%	1,500.00	30-अप्रैल-2018
2	जे एंड के बैंक	8.10%	500.00	30-अप्रैल-2018
3	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे X	8.20%	7.53	29-मार्च-2018
4	एचडीएफसी बैंक ट्रांचे-III	8.15%	1.59	29-मार्च-2018
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - ट्रांचे II	8.20%	38.05	29-मार्च-2018
6	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे IX	8.20%	15.85	16-मार्च-2018
7	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे VIII	8.20%	3.33	12-मार्च-2018
8	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे VII	8.20%	2.64	9-मार्च-2018
9	एचडीएफसी बैंक ट्रांचे-II	8.15%	6.34	6-मार्च-2018
10	एचडीएफसी बैंक ट्रांचे-I	8.15%	4.76	27-फरवरी-2018
11	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे VI	8.20%	10-43	26-जनवरी-2018
12	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे V	8.20%	3.96	12-जनवरी-2018
13	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.25%	8.24	01-जनवरी-2018
14	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-ट्रांचे-I	9.10%	3.17	31-दिसंबर-2017
15	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे IV	8.90%	5.30	27-दिसंबर-2017
16	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे III	8.90%	1.43	13-दिसंबर-2017
17	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे II	8.90%	2.64	12-दिसंबर-2017
18	आईसीआईसीआई बैंक-ट्रांचे I	8.90%	3.96	05-दिसंबर-2017
19	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.25%	8.03	1-अक्तूबर-2017
20	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.25%	7.82	1-जुलाई-2017
21	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.25%	7.62	1-अप्रैल-2017
		कुल	2,142.69	

XI. 31.03.2017 को एफडी (बैंकों से) के प्रति ऋणों की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2017 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	7.25%	177.15	03 अप्रैल-2017
2	विजया बैंक	6.50%	1,800.00	03 अप्रैल-2017
3	जे एंड के बैंक	5.50%	100.00	03 अप्रैल-2017
4	इलाहाबाद बैंक	4.50%	323.64	03 अप्रैल-2017
			2,400.79	

टिप्पणी :– भाग–क–4

समेकित अन्य दीर्घावधि एवं वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को		कुल	31.03.2016 को		कुल
	अल्पावधि	दीर्घावधि		अल्पावधि	दीर्घावधि	
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12क(ii)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	3.59	106.10	109.69	6.88	100.59	107.47
ब्याज अंतर-निधि-केएफडब्ल्यू (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 10- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.00	63.88	63.88	0.00	60-71	60-71
प्राप्त अग्रिम/अनुषंगियों को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(ii)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	192.28	249.04	441.32	182.33	198.79	381.12
आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
अन्य बॉण्ड्स (राशि देय-भारत सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड)' (भाग-ग- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 13 देखें)						
क) मूल धन.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ख) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं :	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
उप–जोड़	234.08	5,419.02	5,653.10	202.21	360.09	562.30
बॉण्डों पर ब्याज प्रोदभूत लेकिन देय नहीं						
बॉण्डों पर	7,226.02	288.23	7,514.25	6,841.49	188.50	7,029.99
ऋण पर	32.42	0.00	32.42	58.78	0.00	58.78
उप–जोड़	7,258.44	288.23	7,546.67	6,900.27	188.50	7,088.77
अदा न किया गया/दावा न किया गया :						
बॉण्ड	0.52	0.00	0.52	3.84	0.00	3.84
बॉण्डों पर ब्याज	14.17	0.00	14.17	8.33	0.00	8.33
लाभांश	1.43	0.00	1.43	1.72	0.00	1.72
उप–जोड़	16.12	0.00	16.12	13.89	0.00	13.89
अन्य	1,084.31	435.82	1,520-13	448.49	0-26	448.75
उप–जोड़	1,084.31	435.82	1,520.13	448.49	0.26	448.75
कुल #	8,592.95	6,143.07	14,736.02	7,564.86	548.85	8,113.71

* 31.03.2017 को अन्य असुरक्षित कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	बॉण्ड सीरीज	आबंटन की तारीख	कूपन रेट	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1.	पीएफसी बॉण्ड सीरीज 164-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	22-मार्च-17	7.75%	22-मार्च-27	2,000.00
2.	पीएफसी बॉण्ड सीरीज 160-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	20-फरवरी-2017	7.60%	20-फरवरी-27	1,465.00
3.	पीएफसी बॉण्ड सीरीज 158-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	20-जनवरी-17	7.18%	20-जनवरी-27	1,335.00
4.	पीएफसी बॉण्ड सीरीज 156-भारत सरकार पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड	11-जनवरी-17	7.10%	11-जनवरी-27	200.00
कुल					5,000.00

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 62.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.53 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी :– भाग–क–5

समेकित प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को		कुल	31.03.2016 को		कुल
	अल्पावधि	दीर्घावधि		अल्पावधि	दीर्घावधि	
कार्मिक लाभ*						
कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	0-17	1.46	1.63	0-21	1.29	1.50
अवकाश नकदीकरण	1.81	29.42	31.23	2.37	24.72	27.09
कार्मिक कल्याण व्यय (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 20 और 21 देखें)	3.98	4.92	8.90	1.07	21.61	22.68
ग्रेज्युइटी/सेवानिवृत्ति निधि	1.29	0-19	1.48	0-20	0.08	0.28
प्रस्तावित वेतन संशोधन	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
बोनस/प्रोत्साहन	6.63	0.00	6.63	11.14	0.00	11.14
उप–जोड़	23.82	35.99	59.81	14.99	47.70	62.69
अन्य						
आयकर (निवल)	0-24	12.57	12.81	6.76	49.49	56.25
सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग-ग- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 21)	100-22	0.00	100.22	102.98	0.00	102.98
मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 16(क)(i)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	100.05	459.88	559.93	103.48	495.00	598.48
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 16(क) (ii)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	317.00	2,040-85	2,357.85	490-80	638.40	1,129.20
अंतरिम लाभांश* (देखें, भाग-ग की टिप्पणी संख्या 33(क) (ii)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	1,320.04	0.00	1,320.04	0.00	0.00	0.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	79.20
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	0.00	0.00	0.00	16.12	0.00	16.12
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06
उप–जोड़	1,904.73	2,513.30	4,418.03	800.40	1,182.89	1,983.29
कुल योग	1,928.55	2,549.29	4,477.84	815.39	1,230.59	2,045.98

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 0.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.04 करोड़) शामिल हैं।

*(देखें भाग-ग की टिप्पणी संख्या 21- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी :– भाग–क–6

समेकित अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास						निवल ब्लॉक	
		1.4.2016 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.3.2017 को अंतिम शेष	1.4.2016 को प्रारंभिक शेष	1.4.2016 से 31.3.2017 की अवधि के लिए	समायोजन	पूर्व अवधि समायोजन	बेची गई/ बहियों से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	31.3.2017 को अंतिम शेष	31.3.2017 को **	31.03.2016 को
I.	मूर्त परिसंपत्तियां' :												
	स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
	भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
	भूमि (लीज होल्ड)***	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
	भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	9.69	0.74	0.00	0.00	0.00	10.43	14.49	15.23
	ईडीपी उपकरण	17.52	2.84	2.59	17.77	14.40	2.38	0.04	0.00	2.42	14.40	3.37	3.12
	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	163.03	132.04	0.55	294.52	27.88	36.05	1.57	0.20	0.49	65.21	229.31	135.15
	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	8.80	1.13	0.15	9.78	7.06	0.42	0.01	0.02	0.12	7.39	2.39	1.74
	वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	0.09
	लीज होल्ड सुधार	0.48	4.11	0.00	4.59	0.04	0.26	0.00	0.00	0.00	0.30	4.29	0.44
	कुल#	256.20	140.12	3.29	393.03	59.18	39.88	1.62	0.22	3.03	97.87	295.16	197.02
	पिछले वर्ष	148.23	111.51	3.54	256.20	43.17	19.19	0.07	0.00	3.25	59.18	197.02	
II.	अमूर्त परिसंपत्तियां*:												
	खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन-5 वर्ष)	8.90	0.72	0.00	9.62	7.44	0.94	0.01	0.01	0.00	8.40	1.22	1.46
	पिछले वर्ष	8.34	0.55	0.00	8.90	6.55	0.89	0.00	0.00	0.00	7.44	1.46	
III.	**अन्य**												
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.16	0.03	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	पूंजी कार्य प्रगति पर	46.47	216.71	157.74	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44	46.47
		46.63	216.74	157.92	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44	46.63
	पिछले वर्ष	2.78	170.67	126.82	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.63	

* (कृपया भाग-ग की टिप्पणी संख्या 24-'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें)।

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के निवल ब्लॉक में ईईएसएल के संदर्भ में पिछले वर्ष गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के समायोजन के संदर्भ में समेकन के लिए प्रयुक्त ₹ (1.67) करोड़ शामिल हैं।

***(कृपया भाग-ग की टिप्पणी संख्या 26-'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें)।

निवल ब्लाक में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹335.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 180.55 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी :– भाग–क–7

समेकित गैर वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
(क)	व्यापार निवेश (₹ 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर-जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)						
I.	इक्विटी निवेश (उद्धृत)-लागत पर मूल्यांकित						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000		12.00	1,20,00,000		12.00
II.	इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)* -लागत पर मूल्यांकित (घटाएं मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, अस्थायी को छोड़कर)						
	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	3.22		32,20,000	3.22	
	घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		3.22	0.00		3.22	0.00
	दीर्घावधि निवेश			0.60			0.00
	सहायक कंपनियां (भाग ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 2.1 देखें)		0.99				1.08
	घटाएं - मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान		0.10	0.89			
III.	**अन्य (अनुद्धृत)***						
	केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटें	61,52,200		6.15	61,52,200		6.15
	उप-जोड़			19.64			19.23
(ख)	अन्य निवेश -बॉण्ड (अनुद्धृत) (₹ 10,00,000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता बॉण्ड-जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)						
	देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैक के 8000 बॉण्ड (भाग ग-अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9 देखें)	18,000		1,800.00	18,000		1800.00
	उप जोड़			1,800.00			1,800.00
	कुल			1819.64			1819.23

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
समग्र उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	1812.00	1812.00
बाज़ार मूल्य***	1912.08	1876.80
समग्र अनुद्धृत निवेश		
बही मूल्य	7.04	7.23
मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	3.32	3.22

* अनुद्धृत निवेश होने के कारण, बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

**31 मार्च, 2017 को एनएवी ₹10.24 प्रति शेयर (31 मार्च, 2016 को 10.24 प्रति शेयर)। एनएवी में उतार-चढ़ाव अस्थायी समझा गया है।

*** देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैक के 8000 बॉण्ड एनएससी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए गए हैं, परंतु 31.03.2017 को एनएससी प्लेटफॉर्म पर उनका बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं था और 31.03.2017 बॉण्डों की ट्रेडिंग नहीं हुई। तदनुरूप बॉण्ड के अंकित मूल्य को उसका बाज़ार मूल्य समझा गया है।

#संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के ₹0.60 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–8

समेकित ऋण*

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2017 को				कुल		31.03.2016 को				कुल	
			वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू				वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू			
क		**दीर्घावधि ऋण**												
	I	**प्रतिभूति ऋण**												
	क)	**शोध्य समझे गए**												
		राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	18,725.71		91,918.09		**1,10,643.80**		8,886.36		1,10,419.53		**1,19,305.89**	
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	6,648.19		23,034.61		**29,682.80**		1,881.53		18,665.66		**20,547.19**	
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	5.03		0.00		**5.03**		20.58		5.14		**25.72**	
		क्रेता ऋण सुविधा	67.48		1,376.96		**1,444.44**		318.44		764.04		**1,082.48**	
		ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा**	8.62		185.70		**194.32**		7.89		196.20		**204.09**	
		उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	18.95	25,473.98	870.05	1,17,385.41	**889.00**	**1,42,859.39**	18.95	11,133.75	842.35	1,30,892.92	**861.30**	**1,42,026.67**
	ख)	**अन्य**												
		राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) -एनपीए	2,323.18		21,064.92		**23,388.10**		374.35		347.61		**721.96**	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	328.58	1,994.60	2,134.66	18,930.26	**2,463.24**	**20,924.86**	74.87	299.48	69.51	278.10	**144.38**	**577.58**
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल -एनपीए	1,689.43		3,237.05		**4,926.48**		947.64		4,251.81		**5,199.45**	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	527.87	1,161.56	708.42	2,528.63	**1,236.29**	**3,690.19**	202.61	745.03	577.38	3,674.43	**779.99**	**4,419.46**
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल -एनपीए	58.70		134.48		**193.18**		35.90		201.79		**237.69**	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	29.35	29.35	67.24	67.24	**96.59**	**96.59**	10.77	25.13	60.53	141.26	**71.30**	**166.39**
		उप जोड़ (I)		**28659.49**		**1,38,911.54**		**1,67,571.03**		**12,203.39**		**1,34,986.71**		**1,47,190.10**
	II.	**अप्रतिभूत ऋण**												
	क)	**शोध्य समझे गए**												
		राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)#	3,602.66		57,954.91		**61,557.57**		19,378.04		56,435.04		**75,813.08**	
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,127.87		3,413.96		**4,541.83**		1,836.77		7,705.09		**9,541.86**	
		राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	0.00		0.00		**0.00**		14.16		0.00		**14.16**	
		क्रेता ऋण सुविधा	72.35	4,802.88	70.17	61,439.04	**142.52**	**66,241.92**	202.06	21,431.03	99.07	64,239.20	**301.13**	**85,670.23**
	ख)	**अन्य**												
		राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) -एनपीए#	269.33		373.83		**643.16**		0.00		0.00		**0.00**	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	26.93	242.40	127.20	246.63	**154.13**	**489.03**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल) -एनपीए	369.85		828.95		**1,198.80**		41.56		1,064.35		**1,105.91**	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	369.85	0.00	828.95	0.00	**1,198.80**	**0.00**	41.56	0.00	329.14	735.21	**370.70**	**735.21**

		विवरण	31.03.2017 को				कुल		31.03.2016 को				कुल	
			वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू				वर्तमान परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू			
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल -एनपीए	0.00		61.91		61.91		0.00		22.04		22.04	
		घटाएं आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.00	0.00	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	0.00
		उप जोड़ (II)		5,045.28		61,685.67		66,730.95		21,431.03		64,974.41		86,405.44
		कुल (I+II)		33,704.77		2,00,597.21		2,34,301.98		33,634.42		1,99,961.12		2,33,595.54
ख.	**बॉण्ड**													
	I	**अप्रतिभूत बॉण्ड**												
		राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड/डिबेंचर		0.00		311.60		311.60		0.00		390.15		390.15
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बॉण्ड/डिबेंचर **		0.00		29.44		29.44		0.00		29.44		29.44
		जोड़ ख		0.00		341.04		341.04		0.00		419.59		419.59
ग.	**अल्पावधि ऋण**													
	I	**प्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए**												
		राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		1,467.91		0.00		1,467.91		1,080.93		0.00		1,080.93
		स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		22.58		0.00		22.58		0.00		0.00		0.00
		उप जोड़ (I)		1,490.49		0.00		1,490.49		1,080.93		0.00		1,080.93
	II	अप्रतिभूत ऋण-शोध्य समझे गए												
		राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण#		3,750.39		0.00		3,750.39		2,180.07		0.00		2,180.07
		स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		516.73		0.00		516.73		369.00		0.00		369.00
		अन्य -एनपीए	290.58		0.00		290.58		231.97		0.00		231.97	
		घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	145.29	145.29	0.00	0.00	145.29	145.29	69.59	162.38	0.00	0.00	69.59	162.38
		उप जोड़ (II)		4,412.41		0.00		4,412.41		2,711.45		0.00		2,711.45
		कुल ग (I+II)		5,902.90		0.00		5,902.90		3,792.38		0.00		3,792.38
		कुल योग$		39,607.67		2,00,938.25		2,40,545.92		37,426.80		2,00,380.71		2,37,807.51

*(देखें, भाग ग की टिप्पणी 16 (क) - समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)
**(देखें, भाग ग की टिप्पणी 11 (क) (i)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)
संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण राशि ₹ 23,353.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37,095.20 करोड़)
***इश्यू किए जा रहे बॉण्ड
$ इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–9
समेकित अन्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को				कुल		31.03.2016 को				कुल	
		वर्तमान		गैर–वर्तमान				वर्तमान		गैर–वर्तमान			
ऋण और अग्रिम													
ऋण (शोध्य समझे गए)*													
क)	कार्मिकों को (प्रतिभूत)	2.25		11.94		**14.19**		2.33		14.33		**16.66**	
ख)	कार्मिकों को (अप्रतिभूत)	9.76	12.01	48.22	60.16	**57.98**	**72.17**	8.48	10.81	46.68	61.01	**55.16**	**71.82**
अग्रिम (अप्रतिभूत शोध्य समझे गए)													
निम्नांकित से नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम :													
क)	सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8(क) (i)- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	264.82		133.59		**398.41**		199.26		117.76		**317.02**	
	घटाएं आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.86		0.00		**0.86**		0.00		0.00		**0.00**	
ख)	कार्मिकों को*	1.41		1.28		**2.69**		1.63		1.89		**3.52**	
ग)	पूर्व अदा किए गए व्यय	18.51		0.00		**18.51**		18.86		0.00		**18.86**	
घ)	अन्य	1,366.11		6.31		**1,372.42**		262.05		9.33		**271.38**	
	घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.01		0.00		**0.01**		0.00		0.00		**0.00**	
ङ)	अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	2.78		228.60		**231.38**		9.73		107.44		**117.17**	
च)	प्रतिभूत जमा राशि	0.47	1,653.23	1.91	371.69	**2.38**	**2,024.92**	3.28	494.81	0.69	237.11	**3.97**	**731.92**
भारत सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड खाते पर वसूली योग्य राशि (अप्रतिभूत) अच्छे समझे गए (भाग-ग- समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)													
क	मूलधन	0.00		5,000.00		**5,000.00**		0.00		0.00		**0.00**	
ख	ब्याज	38.21	38.21	0.00	5,000.00	**38.21**	**5,038.21**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
अन्य परिसंपत्तियां													
I	प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं												
क)	ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज	3,736.71		0.00		**3,736.71**		4,814.39		0.00		**4,814.39**	
ख)	अन्य प्रभार	0.00		0.00		**0.00**		11.92		0.00		**11.92**	
ग)	कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	0.60		22.04		**22.64**		0.50		18.87		**19.37**	
घ)	जमा राशियों पर ब्याज और प्रोत्साहन	35.61	3,772.92	3.30	25.34	**38.91**	**3,798.26**	38.13	4,864.94	1.15	20.02	**39.28**	**4,884.96**
II	प्रोद्भूत एवं देय												
	ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय आय	168.58	168.58	0.00	0.00	**168.58**	**168.58**	778.17	778.17	0.00	0.00	**778.17**	**778.17**
III	अनुसूचित बैंकों के साथ मियादी जमा (मूल परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक)	0.00	0.00	145.18	145.18	**145.18**	**145.18**	0.00	0.00	57.37	57.37	**57.37**	**57.37**
ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत-अन्य) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 16(ख) (i) देखें)													
	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीएज)	16.40		0.00		**16.40**		1.17		0.00		**1.17**	
	घटाएं : आकस्मिक व्ययों के लिए प्रावधान	16.40	0.00	0.00	0.00	**16.40**	**0.00**	1.01	0.16	0.00	0.00	**1.01**	**0.16**
	कुल#		**5,644.95**		**5,602.37**		**11,247.32**		**6,148.89**		**375.51**		**6,524.40**

वर्ष के दौरान संवर्द्धन में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के ₹118.84 करोड़ निवल (पिछले वर्ष ₹84.54 करोड़) शामिल हैं।
*जोड़कर

विवरण	31.03.2017 को शेष	31.03.2016 को शेष
निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण (केएमपीजी) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(ख) देखें)	0.51	0.47

टिप्पणी – भाग क–10
समेकित चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
क.	**इक्विटी लिखत (उद्धृत) (अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रति शेयर**						
	पूर्ण चुकता) -निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित						
	पीजीसीआईएल (₹52/- प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	4,39,349	2.28		4,89,349	2.54	
	आरईसी लिमिटेड (₹105/- प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)*	95,904	0.50		47,952	0.50	
	कोल इंडिया लिमिटेड (लागत मूल्य ₹358.58/-)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
	एनएचपीसी लिमिटेड (लागत मूल्य ₹21.78 प्रति शेयर) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9(क) (i) देखें)	26,05,42,051	567.50		0	0.00	
	घटाएं : इक्विटी लिखत पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान (उद्धृत)**		0.00	1,071.02		93.04	410.74
ख.	**इक्विटी लिखत (ऋणकर्ता कंपनियां) (अनुद्धृत) (अंकित मूल्य ₹10/– प्रति शेयर) पूर्ण प्रदत्त**						
	श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीए ऋणकर्ता) (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9(ख)(i) देखें)	13,18,46,779	66.10		0	0.00	
	घटाएं : इक्विटी लिखतों (अनुद्धृत) पर मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		66.10	0.00		0.00	0.00
	(भाग-ख-समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट का पैरा 6.2 के अनुसार मूल्यांकित)						
	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (भाग-ग समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9(ख) (ii) देखें)	27,50,00,000	275.00		0	0.00	
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर कमी के लिए प्रावधान (अनुद्धृत)		20.49	254.51		0.00	0.00
	कुल#			1325.53			410.74

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
उद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	1,071.02	410.74
बाजार मूल्य	1,258.02	415.30
अनुद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	254.51	0.00
मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	86.59	93.04

*₹105/- प्रति शेयर की लागत पर खरीदे गए शेयर। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1 : 1 के अनुपात में बोनस शेयरों के निर्गम के पश्चात, संशोधित लागत मूल्य ₹52.5 प्रति शेयर बैठता है।

**टिप्पणी भाग-ख-समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां पैरा-6.1 देखें। 31.3.2016 को प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

#इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–II

समेकित नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2017 को		31.03.2016 को	
क.		**नकदी और नकदी समतुल्य**				
	i)	निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
		भारतीय रिजर्व बैंक	0.02		0.05	
		अनुसूचित बैंकों में	151.18	151.20	141.87	141.92
	ii)	हस्तगत चैक		0.00		0.00
	iii)	डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय		0.00		0.00
	iv)	अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		3,080-13		3.73
		उप जोड़ (क)		3,231.33		145.65
ख.		**निर्धारित शेष**				
	i)	बॉण्डों पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।	458.41		6.41	
	ii)	आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी				
		अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।	0.00	458.41	13.01	19.42
	iii)	बैंकों के साथ मियादी जमा-डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक)		0.00		30-97
		उप जोड़ (ख)		458.41		50.39
ग.		**अन्य शेष**				
	i)	अनुसूचित बैंकों के साथ मियादी जमा (मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने से अधिक, परंतु 12 महीने तक)।		110.08		105.51
		उप जोड़ (ग)		110.08		105.51
		कुल (क+ख+ग)#		3,799.82		301.55

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹117.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹115.03 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–12
समेकित प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
क	ब्याज				
	ऋणों पर ब्याज	26,650.50		27,379.56	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए ऋणकर्ताओं को छूट	316.98		297.46	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए सीओडी परवर्ती छूट	22.39	26,311.13	2.56	27,079.54
	पट्टा संबंधी आय		21.98		20-29
	उप जोड़ (क)		26,333.11		27,099.83
ख.	**परामर्शी सलाहकार सेवाएं**				
	परामर्शी कार्यों से आय		179.91		259.37
	सिंडिकेशन और डिबेंचर ट्रस्टी शुल्क		1.53		3.15
	उप जोड़ (ख)		181.44		262.52
ग.	**अन्य प्रचालन आय**				
	अधिशेष निधियों से आय		117.71		112.07
	सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		12.54		12.29
	ऋणकर्ताओं के बॉण्डों की बिक्री पर लाभ		0.00		9.05
	वस्तुओं की बिक्री		326.72		0.00
	अन्य		0-24		2.80
	उप जोड़ (ग)		457.21		136.21
घ.	**अन्य वित्तीय सेवाएं**				
	ऋणों पर पूर्व अदा किया गया प्रीमियम		201.77		170-46
	ऋणों पर अग्रिम शुल्क		38.80		21.58
	प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क		48.96		49.38
	ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	5.44		5.07	
	घटाएं : ऋणों पर माफ किया गया प्रतिबद्धता शुल्क	0.27	5.17	0.01	5.06
	भारत सरकार के कार्यक्रमों के कारण शुल्क :-				
	आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क (देखे, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ख)(ii)-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	2.24		0-66	
	नोडल एजेंसी शुल्क-आईपीडीएस	21.16	23.40	34.51	35.17
	उप जोड़ (घ)		318.10		281.65
	कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ):		27,289.86		27,780.21

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹403.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 204.07 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–13
समेकित अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर-वर्तमान निवेश पर लाभांश/ब्याज आय	199.64	32.22
चालू निवेश पर लाभांश आय	87.39	38.44
अन्य	22.11	14.97
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	0.08
गैर-वर्तमान निवेश की बिक्री पर लाभ	0.00	0.05
चालू निवेश की बिक्री पर लाभ	0.50	0-44
आय कर रिफंड पर ब्याज	3.88	9.11
विविध आय	7.62	9.56
अत्यधिक देयताएं पश्च लिखित	0-26	0.55
प्रोसेसिंग शुल्क	0.00	0-14
कुल#	321.43	105.56

#इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹5.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.88 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–14
समेकित वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष		31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष	
I.	ब्याज				
	बॉण्डों पर	15,592.33		15,071.06	
	ऋणों पर	355.46		646.68	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	9.06		8.86	
	कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभार	389.72		277.43	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	(23.42)	16,323.15	1.65	16,005.68
II.	अन्य प्रभार				
	प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	0-79		0-67	
	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	3.38		2.13	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	0.01		39.32	
	बैंक/अन्य प्रभार	0.00		0.01	
	वस्तुओं की खरीद	265.68		0.00	
	परामर्शी सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष शीर्ष	35.88		167.52	
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर प्रदत्त ब्याज	6.35	312.09	5.11	214.76
III	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+)/लाभ (-)		310.55		424.94
IV	डेरीव्हेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन- हानि (+)/लाभ (-) (देखें, भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां, टिप्पणी संख्या 6(ङ)		(178.15)		0.00
	कुल (I + II + III) #		16,767.64		16,645.38

#इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹314.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹168.52 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–15
समेकित बॉण्ड निर्गम व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	0.00	11.51
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.65	4.20
अन्य निर्गम व्यय	14.04	11.23
स्टाम्प ड्यूटी फीस	7.89	6.50
कुल#	26.58	33.44

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शेयर शामिल हैं

टिप्पणी – भाग क–16
समेकित कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी और बोनस	98.02	78.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	12.11	9.91
कार्मिक कल्याण	17.01	13.30
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11 (ख) -समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	6.10	5.28
कुल#	133.24	106.63

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹7.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.16 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–17
समेकित अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
कार्यालय किराया (भाग-ग-समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां, टिप्पणी संख्या 11(ख) देखें)	4.99	1.00
बिजली और जल प्रभार	1.85	1.94
बीमा	0.27	0.15
मरम्मत और अनुरक्षण	5.96	4.02
मुद्रण और लेखन सामग्री	2.14	1.93
यात्रा एवं वाहन	12.87	10.12
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	2.41	2.08
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	3.76	4.30
विविध व्यय*	62.91	24.45
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	0.19	0.17
निवेश की बिक्री पर हानि	0.98	0.00
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक*	0.70	0.84
सेवा कर	2.60	9.34
दरें और कर	3.25	1.12
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	041	0.51
उप जोड़ (1)#	105.29	61.97

#इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के ₹ 28.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.27 करोड़) के शेयर शामिल हैं।

*नोट :-

1) **विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं –**

पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.07	0.04
विज्ञापन	8.25	6.77
सदस्यता और अंशदान	1.11	0.74
मनोरंजन	1.12	0.71
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	2.95	2.03
सुरक्षा व्यय	1.63	1.39
प्रशिक्षण	1.68	1.04
ईडीपी व्यय	3.05	2.46
व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	2.02	0.51
आयकर पर ब्याज	0.69	0.00

2) **लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–**

लेखा परीक्षक शुल्क	0.44	0.35
कर लेखा परीक्षण शुल्क	0.08	0.07
अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.19	0.39
व्यय की अदायगी	0.01	0.03

टिप्पणी – भाग क–18
समेकित पूर्व अवधि मदें (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
पूर्व अवधि व्यय :				
ब्याज और अन्य प्रभार	0-24		(0.02)	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय-अन्य	0-78		0-19	
मूल्यह्रास	0.22	1.24	0.00	0-17
घटाएं : पूर्व अवधि आय :				
ब्याज आय	(0-19)		0.00	
अन्य आय	(0.04)	(0-23)	2.23	2.23
कुल#		1.47		(2.06)

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–19

समेकित व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
ऐसे व्यापार प्राप्यों की कुल राशि, जो छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे हों, परंतु अदा न किए गए हों		
(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.00	0.00
(ख) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	166.03	49.16
(ग) संदिग्ध	7.50	0.00
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	7.50	0.00
उप–जोड़ (I)	166.03	49.16
अन्य ऋण		
(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.00	0.00
(ख) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	113.53	62.05
(ग) संदिग्ध	0-24	0.00
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0-24	0.00
उप–जोड़ (II)	113.53	62.05
कुल #	279.56	111.21

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के शेयर के रूप में ₹274.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.58 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–20

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के बारे में अतिरिक्त सूचना

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	निवल मालियत, अर्थात् कुल परिसंपत्तियां–कुल देयताएं		लाभ हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ/हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल सहायक कंपनियां				
भारतीय				
1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.67%	246.287	2.60%	58.198
2. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.23%	82.904	1.35%	30-145
3. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	0.02%	8.168	0.05%	1.057
4. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	0.001	0.00%	0.000
उप–जोड़ (क)	0.92%	337.360	4.00%	89.400
विदेशी				
लागू नहीं				
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित				
लागू नहीं				
एसोशिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
लागू नहीं				
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार समानुपातिक समेकन/निवेश)				
भारतीय				
1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.11%	41.067	1.07%	24.038
उप–जोड़ (ख)	0.11%	41.067	1.07%	24.038
विदेशी				
लागू नहीं				
कुल	1.03%	378.427	5.07%	113.438

नोट : इनके अंतर्गत एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के रूप में बनाई गई सहायक कंपनियां शामिल नहीं हैं, जिनका उल्लेख भाग–ग–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 2.1 में किया गया है।

एओसी–1 (सहायक कंपनियां–एसपीवी)

फॉर्म एओसी 1

(कंपनी अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक और साथ में पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुपालन में)

सहायक कंपनियों/ एसोसिएट कंपनियों एसोसिएट संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग ''क'' सहायक कंपनियां–एसपीवी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम/ एपीवी*	अधिग्रहण निगमन की तारीख	शेयर पूंजी	आरक्षित एवं अधिशेष	कुल परिसंपत्तियां	कुल दायित्व	निवेश	कारोबार	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के उपरान्त लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %	शेयरधरिता का %
1	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	10-फरवरी-06	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0024)	83.0332	82.9857	-	-	-	-	-	-	100
2	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	10-फरवरी-06	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0021)	5.0048	4.9569	-	-	-	-	-	-	100
3	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	1-मार्च-06	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	0.0043	64.4995	64.4452	-	-	0.0000	-	0.0000	-	100
4	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	24-अगस्त-06	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.1253)	1,101.9929	1,102.0682	-	-	0.1288	0.0383	0.0905	-	100
5	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	9-जनवरी-07	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	0.0321	205.1356	205.0535	-	-	-	-	-	-	100
6	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	21-मई-08	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0035)	30.2591	30.2126	-	-	-	-	-	-	100
7	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	22-मई-08	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0033)	24.2246	24.1780	-	-	0.0019	0.0006	0.0013	-	100
8	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	17-अप्रैल-09	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0015)	21.4791	21.4306	-	-	-	-	-	-	100
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	26-अप्रैल-12	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0039)	16.7351	16.6890	-	-	-	-	-	-	100
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	21-जनवरी-14	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0037)	0.0875	0.0411	-	-	-	-	-	-	100
11	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	23-जनवरी-14	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0046)	0.2502	0.2047	-	-	-	-	-	-	100
12	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	30-जून-15	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0034)	0.1941	0.1475	-	-	-	-	-	-	100
13	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	30-जून-15	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0034)	0.0678	0.0212	-	-	-	-	-	-	100
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	9-जुलाई-15	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0028)	43.2617	43.2146	-	-	0.0009	0.0003	0.0006	-	100
15	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	10-दिसंबर-15	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0040)	0.0737	0.0277	-	-	-	-	-	-	100

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम/ एपीवी*	अधिग्रहण निगमन की तारीख	शेयर पूंजी	आरक्षित एवं अधिशेष	कुल परिसंपत्तियां	कुल दायित्व	निवेश	कारोबार	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के उपरान्त लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %	शेयरधरिता का %
16	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेट	9-सितंबर-13	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0500)	0.0115	0.0115	-	-	(0.0471)	-	(0.0471)	-	100
17	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	9-सितंबर-13	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0029)	1.5875	1.5404	-	-	-	-	-	-	100
18	महेन्द्रगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	23-दिसंबर-14	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0500)	0.0113	0.0113	-	-	(0.0464)	-	(0.0464)	-	100
19	दक्षिण-मध्य-पूर्वी दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18-फरवरी-15	01.04.2016-31.03.2017	0.0500	(0.0487)	0.0013	-	-	-	(0.0453)	-	(0.0453)	-	100
20	फतेहगढ़-भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	30-दिसंबर-16	30.12.2016-31.03.2017	0.0100	(0.0020)	0.4066	0.3986	-	-	(0.0020)	-	(0.0020)	-	100

*लेखापरीक्षित

नोट :–

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. कारोबार को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
3. सभी एसपीवी प्रचालन-पूर्व चरण में हैं और उन्हें अभी प्रचालन शुरू करना है।
4. ओडिसा जेनेरेशन फेज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड, वरोरा-कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड, गुड़गांव-पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोहिमा-मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेदिनीपुर-जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पीएफसीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) को वर्ष के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया।
5. शोंग-टोंग कार्चम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड, बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड और गोआ-टैमनर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) की जनवरी, 2017 में स्थापना की गई। इन कंपनियों के वित्तीय ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए तैयार नहीं किए गए हैं।
6. बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, महेन्द्रगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और दक्षिण-मध्य-पूर्वी दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

एओसी–I (सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम)

फॉर्म एओसी I (जारी.....)

(अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक और साथ में पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुपालन में)

सहायक कंपनियों/संयुक्त एसोसिएट कंपनी उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग ''क'' : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क.	सहायक कंपनियां	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल)	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)	पॉवर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएफसीएपी)
1	तरीख को समाप्त वर्ष के लिए जानकारी[1]	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
2	अधिग्रहण/निगमन की तारीख	25 मार्च, 2008	30 मार्च, 2011	18 जुलाई, 2011	11 अक्तूबर, 2011
3	शेयर पूंजी	0.05	300.00	0.10	0.05
4	आरक्षित एवं अधिशेष	245.94	82.90	8.17	0.00
5	कुल परिसंपत्तियां	281.56	644.75	8.33	0.05
6	कुल देयताएं	35.58	261.85	0.06	0.00
7	निवेश	0.14	0.00	0.00	0.00
8	कारोबार[2]	103.36	64.79	1.53	0.00
9	कराधान पूर्व लाभ	88.55	43.14	1.56	0.00
10	कराधान के लिए प्रावधान	30.70	13.00	0.50	0.00
11	कराधान के बाद लाभ	57.85	30.15	1.06	0.00
12	प्रस्तावित लाभांश	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
13	शेयर धारण प्रतिशत	100%	100%	100%	100%

टिप्पणियां :

1. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्ट करने की अवधि धारक कंपनी के समान है।
2. कारोबार को प्रचालन से लाभ समझा गया है।
3. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।
4. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।

भाग ''ख'' : एसोसिएट कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के अनुपालन में एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

ख	संयुक्त उद्यम का नाम	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्रक की तारीख	31 मार्च, 2016
2	संयुक्त उद्यम अधिग्रहण करने की तारीख	10 दिसंबर, 09
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	शेयरों की संख्या	14,65,00,000
	संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि	146.50
	शेयर धारण का प्रतिशत	31.71%
4	महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में विवरण	प्रोन्नतकर्ता के नाते2
5	संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
6	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्रक के अनुसार शेयरधारण के कारण निवल मालियत	65.97
7	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
	i) समेकन में विचारित	24.04
	ii) समेकन में विचारित न की गई	लागू नहीं

टिप्पणियां :

1. नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल) (कंपनी का पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम) के निदेशक मंडल ने 20.10.2014 से स्वैच्छिक समापन की एक योजना का अनुमोदन किया था। एनपीईएल का स्वैच्छिक समापन 26.07.2016 को पूरा हो गया। कंपनी को जुलाई, 2016 में अंतिम निपटारे के रूप में एनपीईएल के समापक से ₹1.21 करोड़ प्राप्त हुए। तदनुरूप वर्ष के दौरान ₹1.06 करोड़ के संचित प्रावधान को हटाया गया और निवेश के निपटान पर हानि के अंतर्गत ₹0.98 करोड़ मान्य किए गए। तदनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एनपीईएल के वित्तीय ब्यौरे समेकित नहीं किए गए हैं।
2. ईईएसएल को पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ता/-

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

टिप्पणी–ख

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी), उसकी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी और सहयोगी कंपनी से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :-

i) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21-समेकित वित्तीय विवरण के अनुपालन मे अंत:-समूह शेष और अंत:-समूह संव्यवहार को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही-मूल्य के साथ जोड़ कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर संयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभों अथवा हानियों को अप्राप्त दिखाया गया है।

ii) संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 27-संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुपालन में अप्राप्त लाभों अथवा हानियों के यथानुपातिक शेयर को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के संबंध में पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर यथानुपातिक समेकन पद्धति को अपना कर संयोजित किए गए हैं।

iii) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान संव्यवहारों एवं अन्य घटनाओं के लिए समान लेखा नीतियां अपना कर तैयार किए गए हैं, और लेखा संबंधी टिप्पणियों में अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, यथासंभव उसी रीति से दर्शाए गए हैं, जिस रीति से कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।

iv) ऐसी सहयोगी कंपनियों, जिनमें सहायक कंपनी के माध्यम से, कंपनी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है, में कंपनी के निवेशों का लेखांकन समेकित वित्तीय विवरण में, लेखा मानक (एएस) 23-'सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन' का अनुपालन करते हुए इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके किया गया है।

ख. सहायक एवं सहयोगी कंपनियों में असमेकित निवेश का लेखांकन, लेखा मानक (एएस) 13–निवेशों का लेखांकन, के अनुसार नीति संख्या 6.3 इन्फ्रा के अनुसार किया गया है।

ग. अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. (क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत लागत के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के संबद्ध प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियामक मानदंड/दिशा-निर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफइंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक और प्रचलित पद्धतियां शामिल हैं।

(ख) अनुमानों का इस्तेमाल

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंध मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की उल्लिखित परिसंपत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), राजस्व एवं व्यय में विचारित अनुमान एवं धारणाएं बनानी होती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं और/या साकार होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय ब्यौरे तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकसम्मत और तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

2. आय/व्यय की मान्यता

2.1 आय तथा व्यय (निम्नलिखित को छोड़कर) की प्रोद्भवन आधार पर लेखाओं में प्रविष्टि की जाती है।

2.1.1 कंपनी के विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, अलाभकारी परिसंपत्तियों पर आय को उसके प्राप्ति वर्ष में दर्ज किया जाता है और ऐसी परिसम्पतियों के संदर्भ में वसूल न की गई आय उत्कृमित की जाती है।

2.1.2 कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत प्रदत्त आय को उस वर्ष की आय में माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.1.3 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड्स की यूनिटों पर लाभांश से आय की गणना रोकड़ आधार पर की जाती है। परंतु इसमें शर्त यह है कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में ऐसे लाभांश की घोषणा किए जाने के समय कॉर्पोरेट निकाय द्वारा शेयरों पर लाभांश से आय की गणना उपचय आधार पर की गई हो और भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मान्य हो गया हो।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान करने संबंधी छूट को उस वर्ष की आय माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.3 कमर्शियल पेपर्स और जीरो कूपन बॉण्डों (डीप डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की संपत्ति पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित होता है।

2.4 शेयर के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्डों और डिबेंचरों पर लाभांश से आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है। परंतु इसमें शर्त यह है कि इन विलेखों पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित हो और ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जा रही हो और तत्संबंधी कोई बकाया राशि न हो।

2.6 ऋणकर्ता लेखों में, वसूली को ऋण करारों के अनुसार प्रभाजित किया गया है।

2.7 ₹ 5000 तक के पूर्व अवधि व्यय/आय और पूर्व प्रदत्त व्यय को सामान्य लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

2.8 परामर्श सेवा से प्राप्त आय को संबंधित परामर्शी संविदाओं की शर्तों के अनुसार समग्र कार्यक्षेत्र के संबंध में यथानुपातिक किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के प्रबंधन द्वारा निर्धारण के आधार पर लेखाओं में लिया गया है।

2.9 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएनपीपीज़) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विशेष प्रयोजन वाहन)/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपीज़) के विकास के लिए सलाह एवं पेशेवर सेवाओं की फीस, सफल बोलीदाता को परियोजना स्थानांतरित करने पर ही देय होती है एवं तदनुसार इस प्रकार के स्थानांतरण के समय ही, उसे खाते में लिखा जाता है।

2.10 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए क्वालिफिकेशन हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज की बिक्री से प्राप्तियों को देय होने पर ही हिसाब में लिया गया है।

3. विविध (प्रारंभिक) व्यय

ऐसे व्यय जो लेखा मानक-26 के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं, उन्हें उसी वर्ष में पूर्णतया अपलिखित किया जाएगा, जिस वर्ष वे किए गए थे।

4. मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

4.1 मूर्त परिसंपत्ति को परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर दर्शाया गया है, जबकि सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्ति को कम अंकित मूल्य अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया गया है।

4.2 मूर्त्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

4.3 निम्नांकित मदों को छोड़कर, मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अनुसार, परिसम्पत्ति की मूल लागत में से समय समय पर अनुमानित उसके अवशेष मूल्य को घटाते हुए किया जाता है :-

परिसंपत्ति का प्रकार	परिसम्पत्ति का जीवन काल
सेलफोन (1)	2 वर्ष
ईएससीओ परियोजनाएं (2)	परियोजना अवधि
लीज होल्ड सुधार (3)	लीज़ अवधि (ईईएसएल के मामले में) लीज़ अवधि या उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो (पीएफसीसीएल के मामले में)

(1) कंपनी, पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) और ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा उपयोगी जीवन 2 वर्ष माना गया है।

(2) ईईएसएल द्वारा समझा गया उपयोगी जीवन।

(3) ईईएसएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) द्वारा समझा गया उपयोगी जीवन।

4.4 वर्ष के दौरान ₹5000/- तक की लागत वाली अर्जित स्थायी परिसंपत्ति की मद का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

4.5 पट्टे पर धारित परिसरों में संस्थापित फिक्सचर्स और अन्य अचल परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए पूंजीव्यय लागत के आधार पर मान्य किए जाते हैं और उन्हें मूर्त अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत पट्टाधारित सुधारों के रूप में दर्शाया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां/परिशोधन

5.1 सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन कम करते हुए अर्जन लागत पर दर्शाया गया है और परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की संपूर्ण जीवनी अवधि यानी 5 वर्ष तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया गया है।

6. निवेश

6.1 कंपनी पर लागू विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, उद्धृत वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण श्रेणीवार निम्नतर लागत या बाज़ार मूल्य पर किया गया है।

6.2 गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियों के रूपांतरण के कारण किसी ऋणकर्ता कंपनी में धारित अनुद्धृत इक्विटी शेयर, वर्तमान निवेश समझे जाएंगे और ऐसे इक्विटी शेयर का मूल्य एक रुपया समझा जाएगा। इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में ह्रास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी के अंतर्गत धारित किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।

6.3. दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थाई को छोड़कर कमी के लिए प्रावधान किया गया है, परतु, मूल्य में वृद्धि होने या कमी का कारण विद्यमान न रहने पर, कमी को व्युत्तर्कमित कर दिया जाता है।

7. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

7.1 ऋण और अन्य क्रेडिट तथा पट्टा परिसंपत्तियां निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं, अर्थात् :

7.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अर्थ है, ऐसी परिसंपत्ति, जो गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) नहीं है, और जिसके संबंध में मूल धन या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है तथा जिसके बारे में व्यापार से संबद्ध किसी समस्या का या सामान्य जोखिम का प्रकटीकरण नहीं हुआ है।

7.1.2 (i) निम्नांकित अनुसार बकाया रहने वाली परिसंपत्ति को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसे अव-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :-

दिनांक को	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियां)	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति उप–वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
		अव–मानक	संदिग्ध	हानि
31 मार्च, 2017 को	4 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	14 महीने से अधिक गैर-निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	14 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादक परिसंपत्ति	(क) कंपनी द्वारा या विभागीय या बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा या कंपनी के निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई परिसंपत्ति और (ख) ऐसी परिसंपत्ति जो विभिन्न कारणों से वसूल न किए जाने के खतरे से गुजर रही हो, जैसे प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति उपलब्ध न होना या ऋणकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलती करना।
31 मार्च 2018 और उसके बाद	3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	12 महीने से अधिक गैर-निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	12 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादक परिसंपत्ति	

(ii) अवमानक परिसंपत्ति के रूप में योजना ऋणों का वर्गीकरण भी संरचनाबद्ध अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार किया जाता है।

(iii) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन की किस्त और/या अन्य प्रभार देय रहे हों, परंतु 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए भुगतान न किए गए हों, को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31.03.2018 से यदि कोई कोई पट्टा परिसंपत्ति 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

7.2 मानक ऋणों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीएज) के लिए प्रावधान।

7.2.1 ऋणों और अन्य क्रेडिट के लिए प्रावधान की आवश्यकता निम्नांकित अनुसार की होगी :

संख्या	विवरण	प्रावधान की दर
1.	मानक परिसंपत्ति (पुनर्गठित मानक ऋणों के लिए प्रावधान पैरा 7.3 में वर्णित अनुसार रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा)	0.35%
2.	अवमानक परिसंपत्ति	10%

संख्या	विवरण	प्रावधान की दर
3.	**संदिग्ध परिसंपत्ति**	
	संदिग्ध परिसंपत्ति का प्रतिभूत भाग	
	एक वर्ष तक	20%
	एक वर्ष से अधिक, परंतु तीन वर्ष तक	30%
	तीन वर्ष से अधिक	50%
	संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होती, जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है।	100%
4.	हानि परिसंपत्ति, यदि बट्टे खाते न डाली गई हो।	100%

7.2.2 जहां तक रिजर्व बैंक के मानक परिसंपत्ति संबंधी प्रावधान का प्रश्न है, कंपनी को 31.03.2016 को 0.30 प्रतिशत से 31.03.2017 को 0.35 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत बढ़ोतरी चरणबद्ध रूप में करनी है।

7.2.3 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016'' के पैरा 13(2), यथा संशोधित के अनुसार किया गया है।

7.3 पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान

7.3.1 निम्नांकित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान सहित, रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा :

क) उत्पादन कंपनियों को 01.04.2015 से मंजूर किए गए नए परियोजना ऋण, जहां प्रावधान 5 प्रतिशत से किया जाएगा

ख) उपरोक्त (क) को छोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड के अनुसार पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत उत्पादन कंपनियों को सभी ऋणों के लिए प्रावधान (रिजर्व बैंक के अनुसार बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना होगा, अर्थात् 31.03.2015 से 2.75 प्रतिशत के प्रावधान से शुरू करते हुए उसे 31.03.2016 तक 3.5 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 4.25 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत) करना होगा।

7.3.2 ट्रांसमिशन और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में पन-बिजली परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के मामले में रिजर्व बैंक ने आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों के प्रयोग से कंपनी को 3 वर्ष अर्थात् 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है। तदनुरूप, जिन मामलों में ऐसी परियोजनाओं के लिए सुविधाएं आंशिक दृष्टि से सुरक्षित हैं, वहां पुनर्गठन और/या पुनः समय निर्धारण और/या ऋणों पर पुनः मोलभाव करते समय वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित प्रावधान के अतिरिक्त उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा तक प्रावधान करना होगा।

7.4 परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए संबंधी प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को मंजूर की गई सुविधाएं ऋणकर्तावार वर्गीकृत की जाएंगी, परंतु, सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग-अलग पहचान किए जाने योग्य हों और समान परियोजना पर लागू होते हों, को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के खाते के मामले में, यदि परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय खाताबंदी के समय वर्णित वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) (अथवा पुनर्गठित अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड में निर्दिष्ट स्वीकार्य समय सीमा के भीतर संशोधित डीसीसीओ) के भीतर प्रारंभ न हुआ हो, तो ऋणकर्तावार की बजाए परियोजनावार वर्गीकरण किया जाता है (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31.03.2022 तक प्रदत्त छूट के अनुसार)।

7.5 पीएफसीजीईएल के मामले में, परिसंपत्ति वर्गीकरण रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार किया जाएगा। मानक परिसंपत्तियों, गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान किया जाता है और रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंड के अनुसार बनाए रखा जा रहा है।

7.6 पीएफसीसीएल के मामले में विभिन्न घटकों के आधार पर संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जिनमें विशिष्ट देयों की वसूली-सक्षमता, जोखिम धारणा और सामान्य घटक शामिल हैं, जो देयों का समाधान करने की ग्राहक की क्षमता और कम से कम दो वर्ष से बकाया राशि की वसूली सक्षमता के प्रबंधन के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। वसूली योग्य न समझी जाने पर ऐसी राशियों को बट्टे खाते डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन देन :

8.1 लेखा मानक-11 के अनुसार निम्नलिखित लेन देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय, तथा

(ii) विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरूप ली गई तथा ऋण दी गई राशि।

8.2 लेखा मानक-11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमिय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :-

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेष में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

8.3 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में ऋण करार के अनुसार, विनिमय अंतर को ब्याज विभेदी निधि लेखा-केएफडब्ल्यू में अंतरित किया गया है।

8.4 लेखा मानक (एएस)-11 के पैराग्राफ 46ए के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

9. डेरिवेटिव लेन–देन

9.1 डेरिवेटिव लेन–देन में, तुलन-पत्रक की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प शामिल हैं।

9.2 इन डेरिवेटिव लेन–देन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है और न कि व्यापार या सट्टे के लिए।

9.3 लेखांकन मानक-11 के अनुसार जहां कहीं कंपनी ने कोई वायदा अनुबंध किया हो, अथवा कोई ऐसी लिखत, जो सार रूप में वायदा अनुबंध हो, के मामले में वायदा दर और विनिमय दर के बीच लेन–देन की तारीख पर अंतर को अनुबंध की अवधि के लिए आय अथवा व्यय समझा जाएगा।

9.4 लेखा मानक 11 के अंतर्गत कवर न किए गए और आईसीएआई द्वारा डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए जारी किए गए लेखांकन नोट या लेखांकन टिप्पणी के अंतर्गत कवर किए गए डेरिवेटिव अनुबंध उचित मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं और उनके उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

10 भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन :

10.1 कंपनी भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋणों/अनुदानों/सब्सिडियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक चेनलाइजिंग/नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसे मद में राशि प्राप्त करती है और संबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।

10.1.1 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उसे तब तक चालू देयताओ के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान लाभार्थी को जारी नहीं कर दिया जाता।

10.1.1 भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न, शुल्क आदि खाते में होने वाली आय को संबद्ध कार्यक्रम/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

11. ब्याज सब्सिडी निधियां

11.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

11.2 स्कीम में विनिर्दिष्टि दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया शेष को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

12. सहायक कंपनियों पर आय/प्राप्ति/व्यय

12.1 सहायक कंपनियां पर हुए व्यय को ''संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि'' खाते मे डेबिट किया गया है।

12.2 श्रम दिवसों (कार्मिकों) के संबंध में व्यय, सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय, अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय, संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

12.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को पीएफसी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

12.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

12.5 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

13. कार्मिक कल्याण

13.1 भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदे

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

13.2 अन्य कार्मिक हितलाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से निर्धारित की जाती है और लेखांकन मानक-15 के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

14. आयकर

14.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानक-22 के तहत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या परिसंपत्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलनपत्र में दी गयी तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गयी है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

14.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाई और चलाई जा रही विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक-3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के अंतर्गत हस्तगत रोकड़, बैंकों में जमा डिमांड, डाक अधिकारियों के पास अग्रदाय और हस्तगत चेक/ड्राफ्ट/पे-आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधि बकाया राशियों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम हो), उच्च तरल निवेश, जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझती है।

भाग–ग

समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या होल्डिंग), बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

2. कंपनी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों का समेकन प्रस्तुत करने वाला समेकित वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है:–

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम संस्था का नाम	अधिनिगमन का राष्ट्र	निम्नांकित तारीख को शेयरधारिता का अनुपात		लेखों और लेखांकन अवधि की स्थिति
		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2016 – 31.03.2017
सहायक कंपनियां:				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)[i]	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल)[ii]	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)[i]	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)[ii]	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
संयुक्त उद्यम संस्थाएं:				
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल)[iii]	भारत	-	16.66%	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)[iv]	भारत	31.71%	28.79%	गैर-लेखा परीक्षित

[i]कंपनी के निदेशक मंडल और संबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा किए गए निर्णय के पश्चात् पीएफसीसीएएस और पीएफसीसीएल के विलय का कार्य प्रगति पर है।

[ii]बोर्ड ने 9 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में पीएफसीजीईएल और पीएफसीएल के विलय की सिद्धांत रूप में अनुमति दे दी है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

[iii]पीईसीएपी के स्वैच्छिक समापन का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

[iv]नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल) ने दिनांक 28.10.2014 से स्वैच्छिक परिसमापन की एक योजना का अनुमोदन किया था। तदनुरूप, एनपीईएल के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया 26.07.2016 को पूरी हो गई। कंपनी को जुलाई, 2016 में एनपीईएल के परिसमापक से अंतिम निपटान के रूप में
₹1.21 करोड़ प्राप्त हुए। तदनुरूप, वर्ष के दौरान ₹1.06 करोड़ का प्रावधान प्रत्यावर्तित किया गया और ₹0.98 करोड़ की हानि को मान्यता
दी गई। इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एनपीईएल के वित्तीय विवरणों को समेकित नहीं किया गया है।

2.1 नीचे वर्णित सहायक कंपनियों (भारत में अधिनिगमित) के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक-21 के पैरा 11 के संदर्भ में समेकित नहीं किए गए है (जिसमें कहा गया है कि ऐसी सहायक कंपनी का समेकन नहीं किया जाना चाहिए, जिसका नियंत्रण अस्थायी आधार पर वांछित हो, क्योंकि कंपनी को अधिगृहीत किया गया और केवल इस लिए रखा गया है कि बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसे सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा:

क्र. स.	कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	निम्नांकित वर्ष के दौरान शेयरधारिता		राशि (₹करोड़ में)	
			31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	सहायक कंपनियां :					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	100%	100%	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	100%	100%	0.05	0.05
(vi)	साखीगोपाल इटिग्रेटिड पावर लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड*	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	100%	100%	0.05	0.05
(x)	चेय्यूर इंफ्रा पावर लिमिटेड	24.03.2014	100%	100%	0.05	0.05
(xi)	ओडीशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	100%	100%	0.05	0.05
(xii)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	25.08.2015	100%	100%	0.05	0.05
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	26.08.2015	100%	100%	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27.08.2015	100%	100%	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	05.02.2016	100%	100%	0.05	0.05
	कुल				**0.75**	**0.75**

*विद्युत मंत्रालय ने अपने 21 जून, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार टीएएमपीएल के समापन के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की जानकारी प्रदान की है। संबद्ध प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त कंपनियों का अधिनिगमन भारत सरकार के अधिदेश के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीव) के रूप में किया गया था, जिसके पीछे यह लक्ष्य था कि उन्हें बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए बनायी गई 8 सहायक कंपनियों (वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पीएफसीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली कुल 13 सहायक कंपनियों में से 5 को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया गया) को इस मंशा के साथ रखा जा रहा है कि उन्हें बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।

क्र. स.	कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित	निम्नांकित वर्ष के दौरान शेयरधारिता का अनुपात		(राशि ₹करोड़ में)	
				31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	सहायक कंपनियां						
1.	वरोरा-कुरनूल-ट्रांसमिशन लिमिटेड [(i)]	20.04.2015	06.07.2016	-	100%	-	0.05
2.	गुरूग्राम-पलवल-ट्रांसमिशन लिमिटेड [(i)]	26.10.2015	14.07.2016	-	100%	-	0.01
3.	कोहिमा-मारिआनी- ट्रांसमिशन लिमिटेड [(i)]	22.01.2016	31.03.2017	-	100%	-	0.01
4.	मेदनीपुर-जीरत- ट्रांसमिशन लिमिटेड [(i)]	22.01.2016	28.03.2017	-	100%	-	0.01
5.	ओडीशा जेनेरेशन फेज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड [(i)]	17.04.2015	08.04.2016	-	100%	-	0.05
6.	फतेहगढ-भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड [(ii)]	31.01.2017	-	100%	-	0.01	-
7.	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड [(ii)]	21.02.2017	-	100%	-	0.01	-
8.	शोंगटोन-करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड [(ii)]	21.02.2017	-	100%	-	0.01	-
9.	गोवा-तमनार भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड [(ii)]	21.02.2017	-	100%	-	0.01	-
10.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.10.2013	-	100%	100%	0.05	0.05
11.	बल्लभगढ-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड [(iii)]	21.10.2013	-	100%	100%	0.05	0.05
12.	मोहिन्दरगढ-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड [(iii)]	23.12.2014	-	100%	100%	0.05	0.05
13.	साउथ-सेन्ट्रल-ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड [(iii)]	18.02.2015	-	100%	100%	0.05	0.05
	कुल					0.24	0.33

[(i)]प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को सौंपी गई:
[(ii)]वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पीएफसीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिनिगमित।
[(iii)]समापन की प्रक्रिया के अधीन है।

2.2 कंपनी ने सहायक कंपनियों को प्रोन्नत किया है और अंकित मूल्य पर शेयर खरीदे हैं। इसलिए सदभाव या पूंजी आरक्षित की नौबत नहीं आती है।

3. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

3.1 आकस्मिक देयताएं

(क) गारंटी आदि

(₹ करोड़ में)

क्र.स	विवरण	31.03.2017 के अनुसार राशि	31.03.2016 के अनुसार राशि
(i)	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटियां	190.38	226.75
(ii)	कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	11.74	.
(iii)	स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' के द्वारा ऋण लेने वालों के बकाया भुगतान वायदे	1,640.56	446.22
	कुल	1,842.68	672.97

(ख) आयकर मांगें

आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए की गई कुल ₹40.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45.23 करोड़) की अतिरिक्त मांग का विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने भी कंपनी को कुल ₹165.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 121.04 करोड़) की राहत देने के अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

(ग) सेवा कर मांगें

सेवा कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल ₹ 23.51 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की मांग की गई है/के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका प्रतिरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एंड एसटी) के उस आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दाखिल की है, जिसमें ₹ 1.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.11 करोड़) की सेवा कर की मांग निरस्त कर दी थी। सेवा कर विभाग की अपील का भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

3.2 प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते के कारण निष्पादित की जाने वाली अनुबंध की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया, ₹ 195.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 84.23 करोड़) है।

4. **आयकर विभाग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि (अपील प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित राहत का निवल) और कंपनी द्वारा विरोध के अंतर्गत अदा की गई एवं प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:**

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	95.39$	78.50
2.	वर्ष के दौरान संवर्धन	23.90	17.65
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	(0.90)	(0.76)
4.	अंतिम शेष	118.39*	95..39$

*मूल्यांकन वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक से संबंधित।
$ मूल्यांकन वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक से संबंधित।

5. क. उन मामलों में जहां 11.02.2013 से पहले पब्लिक इश्यू हेतु प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिए गए थे, कंपनी बॉण्डों अथवा डिबेंचरों के लिए पब्लिक इश्यू (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6/3/2001 सी.एल.वी दिनांक 18.04.2002 के अनुसार) हेतु 50% की दर से और परवर्ती पब्लिक इश्यूज़ के लिए 25% (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार अपेक्षित) की दर से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है।

ख कंपनी अ-परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों की शृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन उगाहती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उधारी का ब्याज अदा करने में कोई चूक नहीं की है।

जहां तक रुपयों में मूल्य वाले अपरिवर्तनीय बॉण्डों का प्रश्न है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तारीख 31.03.2017 थी।

6. (क) विदेशी मुद्रा व्यय और आय :

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	255.47	250.90
(ii)	वित्तीय और अन्य प्रभार*	1.81	39.38
(iii)	यात्रा व्यय	0.67	0.30
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.29	0.26
ख	**विदेशी मुद्रा में आय**	**1.27**	.

* विदहोल्डिंग कर को छोड़कर

(ख) विदेशी मुद्रा देयताएं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा या अन्यथा सुरक्षित नहीं की गई हैं :-

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियन्स	₹करोड़ में	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियन्स	₹ करोड में
अमरीकी डॉलर	581	3,764.80	979	6,535.38
यूरो	16	108.03	17	129.28
जापानी येन*	43,668	2,532.85	57,102	3,405.56
कुल		6,405.68		10,070.22

*इसमें एक चरण के लिए किए गए (अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया) 45 मिलियन/₹291.83 करोड़ (पिछले वर्ष अमरीकी डॉलर/जेपीजी चरण 105 मिलियन अमरीकी डॉलर/₹701.09 करोड़) के वायदा दर अनुबंध के माध्यम से आंशिक रूप से सुरक्षित जापानी येन ऋण देयता शामिल है।

(ग) कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर उनकी अवधि पर विनिमय अंतर परिशोधित करती है। नतीजतन, 31.03.2017 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (एफसीएमआईटीडीए) के अंतर्गत परिशोधित न की गई डेबिट शेष राशि ₹647.56 करोड़ (पिछले वर्ष डेबिट शेष ₹ 739.74 करोड़) है।

(घ) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताएं और परिसंपत्तियां आमतौर पर नीचे वर्णित अनुसार वर्ष के अंत में एफईडीएआई स्पॉट दर पर अंतरित की जाती है:

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विनिमय दर	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	अमरीकी डॉलर/भारतीय मुद्रा	64.85	66.77
(ii)	जापानी येन/भारतीय मुद्रा	0.580025	0.5964
(iii)	यूरो/भारतीय मुद्रा	69.2925	75.78

ऋण समझौते में विशेष प्रावधान होने के मामले में, दर संबद्ध ऋण समझौते में निर्धारित अनुसार ली गई है।

ङ. 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन संबंधी नीति में संशोधन किया ताकि उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन संबंधी गाइडेंस नोट' अनुरूप बनाया जा सके, जो 1.04.2016 से लागू हो गए थे। उक्त गाइडेंस नोट में यह अपेक्षा की गई है कि डेरिवेटिव अनुबंध उचित मूल्य पर हिसाब में लिए जाए अथवा संरक्षित (हेज) लेखांकन के अनुसार हिसाब में लिए जाएं और तदनुरूप कंपनी ने उचित मूल्य पर लेखांकन का विकल्प चुना।

तदनुरूप, डेरिवेटिव अनुबंध एएस-11 में कवर नहीं किए गए, अपितु उन्हें गाइडेंस नोट के अंतर्गत कवर किया गया और उचित मूल्य पर मूल्यांकित करते हुए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ एवं हानि खाता में दर्शाया गया है। गाइडेंस नोट में उल्लिखित परिवर्तनकारी प्रावधानों के अनुसार, ₹ 74.35 करोड़ की राशि (₹39.35 करोड़ की आस्थगित कर देयता का निवल) आरक्षित निधि के प्रारंभिक शेष में समायोजित की गई है, जो 31.03.2016 तक प्रोद्भूत निवल राशि में ब्याज दर स्वैप्स (उतार-चढ़ाव) के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्राप्ति) के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। इसके बाद, ब्याज दर स्वैप्स पर अर्जित (निवल) उचित मूल्य लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया गया है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के कारण, वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में ₹ 178.15 करोड़ का इजाफा हुआ है।

7. लेखांकन मानक 18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण इस प्रकार है :–

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

विवरण	अवधि
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
श्री राजीव शर्मा, सीएमडी और सीईओ[i]	01.10.2016 से लागू
श्री एम के गोयल, सीएमडी और सीईओ[ii]	22.01.2015 से 30.09.2016 तक लागू
श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ[iii]	31.07.2009 से लागू
श्री सी गंगोपाध्याय निदेशक (परियोजनाएं)[iv]	01.01.2017 से लागू
श्री ए.के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजनाएं)[v]	13.07.2012 से 31.12.2016 तक लागू
श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्य)[vi]	16.11.2015 से लागू
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव[vii]	01.04.2014 से लागू
सहायक कंपनियां	

विवरण	अवधि
श्री सी. गंगोपाध्याय, सीईओ, पीएफसीसीएल	03.12.2013 से 05.07.2016. तक लागू
श्री पी. पी. श्रीवास्तव, सीईओ, पीएफसीसीएल	06.07.2016 से 31.08.2016. तक लागू
श्री सुबीर मूलचंदानी, सीईओ, पीएफसीसीएल	01.09.2016 से लागू
श्री दिनेश विज, सीईओ, पीएफसीजीईएल	18.05.2015 से लागू
श्री आलोक सूद, सीएफओ, पीएफसीजीईएल	18.05.2015 से लागू
श्रीमती रचना सिंह, सीएस, पीएफसीजीईएल	01.04.2014 से लागू
श्री अरणव चक्रवर्ती, निदेशक (पीईसीएपी)	11.10.2011 से 23.09.2016 तक लागू
श्री अवकाश सक्सेना, निदेशक (पीईसीएपी)	23.09.2016. से लागू
संयुक्त उद्यम संस्थाएं	
श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक, ईईएसएल	07.05.2013 से लागू
श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, ईईएसएल	21.10.2015 से 21.10.2016 तक लागू
श्री अनिल गुप्ता, निदेशक (वित्त)	5.02.2016 से 26.12.2016 तक लागू
श्री एस. एन. गायगवाड़ निदेशक (परियोजनाएं)	05.02.2016 से 03.11.2016 तक लागू

(i) 01.10.2016 से पीएफसीसीएल, पीएफसीजीईएल, और पीएफसी सीएएस में अध्यक्ष
(ii) पीएफसीसीएल, पीएफसीजीईएल, और पीएफसी सीएएस में 13.09.2013 से 30.09.2016 तक भी अध्यक्ष रहे
(iii) पीएफसीसीएल (21.10.2008 से), पीएफसीजीईएल (30.03.2011 से), और पीएफसी सीएएस (18.07.2011) में निदेशक;
(iv) पीएफसीसीएल (25.01.2017 से), पीईसीएपी (13.10.2009 से) में निदेशक, और पीएफसीसीएएस (24.01.2017 से) और पीएफसीजीईएल (25.01.2017 से) में अपर निदेशक;
(v) पीएफसीसीएल (23.09.2013 से 31.12.2016 तक), पीएफसीसीएएस (19.09.2013 से 24.01.2017 तक) और पीएफसीजीईएल (03.08.2012 से 31.12.2016 तक) में निदेशक;
(vi) पीएफसीसीएल (01.12.2015 से), पीएफसीजीईएल (01.12.2015 से), पीईसीएपी (29.03.2010 से) और पीएफसीसीएएस (30.03.2016 से) में निदेशक;
(vii) कंपनी में 11.04.2013 को कार्यभार ग्रहण किया, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 01.04.2014 से महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक।

ख) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन :

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का प्रबंधकीय पारिश्रमिक 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 3.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.44 करोड़) रहा। महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक को दिए गए ऋण और अग्रिम 31.03.2017 को 0.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.47 करोड़) के रहे।

8. क. ऋण और ऋणों के रूप में अग्रिम :

(i) संबंद्ध सहायक कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2017* को	31.03.2016* को	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	11.10	9.99	11.10	10.14
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	138.93	89.04	138.93	132.11
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	4.95	4.35	4.95	4.35
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	113.60	96.85	113.60	96.85
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	89.07	82.13	89.07	82.13
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	7.12	6.41	7.12	6.58
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	6.08	5.46	6.11	5.72
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.36	9.26	9.36	9.26
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	10.69	8.70	10.69	8.70
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.04	0.02	0.04	0.02
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.20	0.16	0.22	0.16
बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.02	0.01	0.18	0.01
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	4.28	0.95	5.73	0.95
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.15	0.01	0.15	0.01
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.03	0.00	0.03	0.00
पीएफसी सीएल की सहायक कंपनी	2.79	3.68	3.68	5.44
कुल	398.41	317.02	400.96	362.43

*यह राशि अग्रिमों के रूप में है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

(ii) बिजली दलालों और अन्य भुगतान योग्य राशि के रूप में सहायक कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्न अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	65.50	62.81	65.50	62.81
उड़ीसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड	87.66	83.06	87.66	83.06
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	78.26	73.56	78.26	73.56
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	75.70	71.00	75.70	71.00
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	26.30	25.05	26.30	25.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	24.88	23.72	24.88	23.71
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	26.36	25.73	26.36	25.73
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	42.64	16.20	42.64	16.20
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	14.02	0.00	14.02	0.00
कुल	**441.32**	**381.13**	**441.32**	**381.12**

ख. 31.03.2017 को किसी संबंधित पक्ष देनदार का कंपनी में कोई इक्विटी निवेश नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

9. क. वर्ष के दौरान प्रमुख निवेश :

i) वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार द्वारा बिक्री प्रस्ताव के अधीन एनएचपीसी लिमि. के ₹10/- अंकित मूल्य के 26,05,42,051 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर खरीदे। ये शेयर दलाली और अन्य सांविधिक प्रभारों सहित ₹21.78 प्रति शेयर की दर से खरीदे गए और इस प्रकार कुल ₹567.50 करोड़ का निवेश किया गया।

ख. ऋण का इक्विटी में रूपांतरण:

i) ऐसे ऋणकर्ता, जिसे संदिग्ध ऋण परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, कंपनी इक्विटी शेयरों को रेहन रखती है। तदनुरूप, प्रोमोटरों द्वारा रेहन रखे गए ₹10/- मूल्य के 6,57,46,779 इक्विटी शेयर 01.06.2016 को कंपनी के नाम अंतरित किए गए। इन इक्विटी शेयरों को मूल्य ₹1/- समझा गया है।

इसके अतिरिक्त, 01.06.2016 को पूर्व में दिए गए ₹66.10 करोड़ मूल्य के उप-ऋण के आंशिक रूपांतरण के रूप में ₹ 10/- मूल्य के 6,61,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए गए। इन शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पूर्व में किए गए प्रावधान सहित कुल प्रावधान ₹ 46.27 करोड़ का हो गया है। 31.03.2017 को इन इक्विटी शेयरों का अग्रसारित मूल्य ₹ 1/- है।

31.03.2017 को कंपनी के पास ऋणकर्ता कंपनी की 23.32 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी थी।

ii) अन्य ऋणकर्ता के मामले में, कंपनी ने अनुमोदित स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग (एसडीआर) पैकेज के अंतर्गत अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया और 23.02.2017 को ₹ 10/- मूल्य के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए गए। 31.03.2017 को निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान ₹81.95 करोड़ आकलित किया गया। कंपनी ने रिजर्व बैंक के एसडीआर मानदंड के अनुसार इस प्रावधान को चार तिमाहियों में संवितरित करने का विकल्प अपनाया है। तदनुरूप चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में निवेश के मूल्य में कमी के लिए ₹ 20.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 31.03.2017 को कंपनी के पास ऋणकर्ता की 4.81 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी थी।

10. **इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड (आईडीएफ)– केएफडब्ल्यू**

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के मुताबिक आईडीएफ केवल ऋणकर्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाता है और इसका उपयोग ऋण के अंतर्गत विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम की भरपाई के लिए किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। आईडीएफ फंड में बकाया राशि को एक अलग कोष के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है- इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड- केएफडब्ल्यू और इसे देनदारी के रूप में दिखाया गया है। ₹ 12.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13.48 करोड़) के विनिमय अंतर हस्तांतरण के बाद 31.03.2017 को ₹ 63.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 60.71 करोड़) की कुल राशि जमा हुई।

11. **लेखांकन मानक एएस–19 के अंतर्गत विभिन्न लीजों (पट्टों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे किया गया है:**

(क) 01.04.2001 के बाद वित्तीय लीज के तहत परिसंपत्ति :

(i) लीज परिसंपत्तियों में सकल निवेश और तुलन-पत्र की तारीख को न्यूनतम प्राप्य मौजूदा मूल्य और अन-अर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भविष्य में वसूले जा सकने वाले न्यूनतम लीज भुगतान (सकल निवेश)	335.79	364.78
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान का वर्तमान मूल्य	194.32	204.09
अन-अर्जित वित्तीय आय	141.47	160.69
भविष्य में वसूले जा सकने वाले कुल न्यूनतम लीज भुगतानों (सकल निवेश) का परिपक्वता स्वरूप:		
एक वर्ष तक अवधि विन्यास	27.11	27.11
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	107.10	107.54
पांच वर्ष के बाद	201.58	230-13
कुल	335.79	364.78
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष तक	8.62	7.89
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	43.17	39.52
पांच वर्ष के बाद	142.53	156.68
कुल	194.32	204.09

(ii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जेनरेटर (19.07.2004 को चालू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹ 88.90 करोड़ मंजूर किए। दिसंबर, 2006 में यह राशि घटाकर ₹ 88.85 करोड़ कर दी गई थी। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 0.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.33 करोड़) का रहा। लीज का किराया 15 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 19.07.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और पांच वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक समयावधि 19.07.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जेनरेटर (18.05.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹98.44 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 3.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.94 करोड़) रहा। लीज का किराया 20 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 18.05.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अगले दस वर्ष द्वितीय समयावधि के हैं। द्वितीय समयावधि 01.04.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iv) कंपनी ने वायु टर्बाइन जेनरेटर (09.06.2005 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹93.51 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 3.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.21 करोड़) रहा। 19 वर्ष 11 महीने की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 09.06.2005 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम 9 वर्ष 11 महीने द्वितीय समयावधि के हैं। द्वितीयक अवधि 01.04.2015 से प्रभावी है।

(v) वायु टर्बाइन जेनरेटर (18.05.2011 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2008 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में ₹ 228.94 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2017 को कुल निवेश ₹ 327.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 355.30 करोड़) रहा। 25 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 01.01.2012 से शुरू इस समयावधि में 18 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम सात वर्ष द्वितीय समयावधि के हैं।

(ख) कंपनी के प्रचालन पट्टों में निम्नांकित शामिल हैं :-

कार्मिकों को कार्यालय और आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों की लीज का प्रबंध किया गया है। सेवा और शर्तों पर आपसी सहमति के आधार पर इनका नवीनीकरण और निरस्तीकरण (कंपनी के एक संयुक्त उद्यम ईईएसएल और कंपनी की एक सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के मामले में गैर-निरस्तीकरणीय) किया जा सकता है। कार्मिकों के आवास के लिए की गई लीज किराये के रूप में ₹6.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.28 करोड़) का भुगतान होना है। कार्मिकों के आवासों एवं उनके हित में होने वाले व्यय के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग-क 16-कार्मिक लाभ व्यय'' के अंतर्गत आवासीय भवनों के किराए के रूप में और कार्यालय भवनों के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग-क 17 अन्य व्यय'' के अंतर्गत ₹ 4.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.00 करोड़) कार्यालय किराया भुगतान के रूप में दर्शाया गया है। इन लीज समझौतों के संदर्भ में भावी लीज भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम लीज किराया भुगतान	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष
एक वर्ष तक	8.49	3.69
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	5.31	3.11
पांच वर्ष के बाद	5.74	4.03
कुल	19.54	10.83

12. भारत सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

(क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सब्सिडी (एजी एंड एसपी):

(i) कंपनी ने भारत सरकार के पत्र अ.शा.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार वास्तविक भुगतान कार्यक्रम, अधिस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर विचार किए बिना, निर्दिष्ट ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त और ऋणकर्ता को अंतरित की जाने वाली राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखे में रखी गई है। निर्दिष्ट दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित स्कीमों की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। परंतु, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर कि वे प्रत्येक ऋण/परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एंड एसपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31.03.2017 को क्रमशः ₹ 8.67 करोड़ और ₹ 93.56 करोड़ की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 7.80 करोड़ और ₹ 87.47 करोड़) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि अलग-अलग आधार पर नहीं बल्कि समग्र आधार पर परिकलित की गई है और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे परिशोधन अवधि में, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर के पुनर्निधारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। ब्याज सब्सिडी निधि में यदि कोई अधिकता/कमी होगी तो वह संबद्ध स्कीम के पूरी हो जाने पर समायोजित/प्रभारित कर दी जाएगी।

(ii) (ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणकर्ताओं को अंतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	107.47	111.35
जोड़ें- अवधि के दौरान प्राप्ति	.	.
-अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	9.06	8.87
-परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण-ऋणकर्ताओं द्वारा वापसी	.	.
घटाएं: ऋणकर्ताओं को अंतरित की गई/विद्युत मंत्रालय को	6.84	12.74
लौटाई गई ब्याज सब्सिडी		
(क) 9वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	.	.
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	.	.
(ग) 10वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	.	.
अंतिम शेष	109.69	107.47

(ख) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)

(i) (i) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अधीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के प्रचालन एवं संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए ''नोडल एजेंसी'' है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जाती है ताकि उसका इस्तेमाल कंपनी को बिना किसी प्रकार के लाभ-हानि के साथ 'एक के बाद एक' (बैक टू बैक) व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थानों को ऋण देने के लिए किया जा सके। इस प्रकार संवितरित की गई राशि, लेकिन आर-एपीडीआरपी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि, ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर ब्याज सहित भारत सरकार को अदा की जाएगी। विवरण नीचे दिया गया है :-

विवरण निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ मे)

विवरण		ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03. 2017 को समाप्त वर्ष	31.03. 2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
क.	- आर-एपीडीआरपी के तहत भारत सरकार का ऋण (मूलधन)						
	प्रारंभिक शेष	8,230.45	7,687.84	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1,349.56	667.82	1349..56	667.82	-	-
	-वसूली धन /वापसी धन/वर्ष के दौरान बदलाव	(357.78)	(125.21)	(1349.56)	(667.82)	-	-
	अंतिम शेष (क)	**9,222.23**	**8,230.45**	-	-	-	-
ख.	प्रोद्भूत ब्याज, लेकिन देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज)			लागू नही		**-**	**-**
ग.	आर-एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज			लागू नही			
(i)	प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
	प्रारंभिक शेष	2,136.83	2,563.89				
	वर्ष के दौरान वृद्धि	852.49	650.36				
	संचयी अधिस्थगित ब्याज से/में अंतरित	(19.24)	(986.16)				
	प्रोद्भूत और देय ब्याज में अंतरित	(64.98)	(91.26)				
	अंतिम शेष (I)	2,905.10	2,136.83				
(ii)	जमा एवं देय						
	प्रारंभिक शेष	142.05	3.68				
	परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(19.25)	182.27				
	वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	(21.20)	(43.90)				
	अंतिम शेष (ii)	101.60	142.05				
	आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत ऋण पर ब्याज	**3,006.70**	**2,278.88**				
घ.	संचित अधिस्थगन ब्याज			लागू नही			
	प्रारंभिक शेष	999.68	38.85				
	परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(540.98)	994.90				
	वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	28.78	(34.07)				
	अंतिम शेष (घ)	**487.48**	**999.68**				
ङ	संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज			लागू नही			
(i)	प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
	प्रारंभिक शेष	7.26	0.15				
	परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(18.93)	34.99				
	प्रोद्भूत और देय में अंतरित (-)/ परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	13.77	(27.88)				
	अंतिम शेष (i)	2.10	7.26				
(ii)	प्रोदभूत एवं देय						
	प्रारंभिक शेष	55.22	1.18				
	परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(35.77)	71.92				
	वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	4.88	(17.88)				
	अंतिम शेष (ii)	24.33	55.22				
	संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज (ङ) त्र (प. ii)	**26.43**	**62.48**				
च.	ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' और दंड ब्याज			लागू नही			
(i)	ब्याज पर ब्याज						
	प्रारंभिक शेष	4.63	0.05				

विवरण		ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03. 2017 को समाप्त वर्ष	31.03. 2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	अवधि के दौरान वृद्धि	14.86	4.64				
	वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	(16.31)	(0.06)				
	अंतिम शेष (i)	3.18	4.63				
(ii)	''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज						
	प्रारंभिक शेष	1.80	0.02				
	परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण संवर्धन (+)/परिवर्तन (-)	(0.43)	1.80				
	वसूली एवं भारत सरकार को वापसी (-)/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन (+)	0.01	(0.02)				
	अंतिम शेष (ii)	1.38	1.80				
(iii)	दंड ब्याज						
	प्रारंभिक शेष	5.18	0.05				
	अवधि के दौरान वृद्धि	7.65	5.21				
	वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(11.03)	(0.08)				
	अंतिम शेष (iii)	1.80	5.18				
	ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज (च)=(प+i)+iii)	**6.36**	**11.61**				
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	12,749.20	11,583.10		-	-	-

(ii) आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना के लिए 1 प्रतिशत की दर से तय की गई। यह शुल्क तीन अलग-अलग चरणों में लिया जाता है-0.40 प्रतिशत परियोजना की मंजूरी पर, 0.30 प्रतिशत निधि संवितरण पर और शेष 0.30 प्रतिशत मंजूर परियोजना के पूर्ण होने पर (भाग-क के लिए) और परियोजना क्षेत्रों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों की जांच (भाग-ख के लिए) पूरी होने पर। इसके अतिरिक्त आर-एपीडीआरपी के प्रचालन के लिए किया गया वास्तविक व्यय, पीएफसी कार्मिकों पर आबंटन योग्य व्यय सहित, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अदा किया जाने योग्य है। शुल्क और व्यय की अदायगी की संचयी राशि का दावा 850 करोड़ रुपये अथवा आर-एपीडीआरपी के भाग-क और ख के अंतर्गत संभावित परिव्यय का 1.7 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2015 के पत्र के जरिए अनुमोदित और दिनांक 20.05.2015 के पत्र के जरिए जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना से कंपनी अपना दावा पीएफसी कार्मिकों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च को छोड़कर केवल वास्तविक व्यय तक सीमित रखेगी।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2015 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित और और दिनांक 20.05.2015 के पत्र के जरिए जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना से कंपनी अपना दावा पीएफसी कार्मिकों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च को छोड़कर केवल वास्तविक व्यय तक सीमित रखेगी।

31.03.2017 को नोडल एजेंसी शुल्क की कुल राशि और पीएफसी द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य खर्च की अदायगी की कुल धनराशि इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	निम्नांकित अवधि तक संचयी	
			31.03.2017	31.03.2016
नोडल एजेंसी शुल्क [(i)]	2.24	0-66	130.31	128.07
व्यय की अदायगी	22.74	22.99	150.41	127.67
कुल	24.98	23.65	280.72	255.74

[(i)] सेवा कर को छोड़कर।

(ग) समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)

विद्युत मंत्रालय ने (i) शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने, (ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांस फॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग करने और (iii) वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 03.12.2015 को आईपीडीएस कार्यक्रम शुरू किया और आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित व्यय को आईपीडीएस में विलय किया।

आईपीडीएस के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने से संबंधित हैं, जिनमें सोलर पैनलों का प्रावधान, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना शामिल है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत कंपनी को इस कार्यक्रम के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निर्दिष्ट किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका आईपीडीएस कार्यक्रम में वर्णित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार के अनुदान का वितरण शामिल है, जो आईपीडीएस दिशा-निर्देशों में वर्णित विभिन्न शर्तों के तहत वापस लिया जा सकता है/समय पूर्व बंद किया जा सकता है।

कंपनी नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत अथवा अवार्ड लागत, इनमें जो भी कम हो, का 0.5 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्र होगी, जिसका दावा/प्रोदभवन निम्नांकित अनुसार होगा :-

i) प्रथम क़िस्त : आईपीडीएस के अंतर्गत निगरानी समिति द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के वित्तीय वर्ष के दौरान नोडल एजेंसी शुल्क का 40 प्रतिशत।

ii) दूसरी क़िस्त : अनुमोदित परियोजनाओं का ठेका दिए जाने पर नोडल एजेंसी शुल्क का 30 प्रतिशत।

iii) तीसरी क़िस्त : दूसरी किश्त का दावा करने के एक वर्ष बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 20 प्रतिशत।

iv) चौथी क़िस्त : निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 10 प्रतिशत।

ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	पात्र विद्युत संस्थाओं को दी जाने वाली भारत सरकार की अनुदान राशि		आईपीडीएस अनुदान		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	358.70	.	.	50.00	.	0.01
वर्ष के दौरान संवर्धन	2,202.31	358.70	2,202.31	308.70	.	2.14
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	.	.	(2,202.31)	358.70	.	(2.15)
अंतिम शेष	2,561.01	358.70	-	.	.	.

13. भारत सरकार के पूर्ण ब्याज प्रदत्त बॉण्ड

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की भारत सरकार की वित्त–पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान असुरक्षित, विमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बांडों के जरिए कुल ₹5,000 करोड़ उगाहे। यह राशि सम-मूल्य पर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ₹ 10 लाख अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में उगाही गई। वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इन बॉण्डों पर भारत सरकार द्वारा पूरा ब्याज दिया जाएगा। तदनुरूप ऐसे बॉण्डों की राशि ब्याज सहित कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य दर्शायी गई है।

14. क. संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

i) कंपनी ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत (प्रूडेंशियल) मानदंड का अनुपालन किया, जो रिजर्व बैंक के ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016'' निम्नांकित विशिष्ट निर्देशों के साथ समय-समय पर संशोधित :

(I) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 03.10.2016 के पत्र के अनुरूप परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड :

क) 31.03.2017 को बकाया ऋण परिसंपत्तियों (पट्टा परिसंपत्ति को छोड़कर) और 4 महीने अथवा अधिक समय से अतिदेय ऋणों को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) रूप में वर्गीकृत किया गया हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण 5 महीने या अधिक समय के लिए अतिदेय होने के प्रचलित मानदंड पर आधारित है,

ii) 31.03.2017 को अधिकतम 14 महीने लेकिन 16 महीने से अधिक नहीं, की अवधि के एनपीए अवमानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण एनपीए संबंधी प्रचलित मानदंड पर आधारित है, और

iii) 31.03.2017 को अधिकतम 14 महीने लेकिन 16 महीने से अधिक की अवधि के एनपीए संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और वर्ष के दौरान वर्गीकरण एनपीए संबंधी प्रचलित मानदंड पर आधारित है।

2. पुनर्गठन मानदंड :

क) रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के पत्र के अनुरूप ट्रांसमिशन और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालय क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पन-विद्युत परियोजनाओं को भी 31.03.2017 तक विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड के अनुसार नियमित किया गया है। तदनुरूप 01.04.2017 से इन ऋणों के भविष्य में किसी भी पुनर्गठन के लिए रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने दिनांक 11.06.2014 के अपने पत्र के तहत निर्देश दिया था कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों को नए परियोजना ऋणों के लिए, 5 प्रतिशत का प्रावधान अपेक्षित होगा, तथा सभी उत्पादन कंपनियों के मामले में 31.03.2015 को ऐसे सभी बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधान 2.75 प्रतिशत से प्रारंभ होगा और यह बढ़ कर 31.03.2018 को 5 प्रतिशत हो जाएगा।

ख) जहां तक रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंडों से भिन्न) के कार्यान्वयन की बात है, विभिन्न प्रकार के पत्राचार के आदान प्रदान के आधार पर, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11.04.2017 के पत्र में निर्देश दिया कि सरकारी क्षेत्र के खाते के मामले में, यदि वित्तीय समापन के समय वर्णित डीसीसीओ (अथवा पुनर्गठित अग्रिमो के लिए रिजर्व बैंक के मानदंड में निर्दिष्ट अनुसार स्वीकार्य सीमा के भीतर संशोधित डीसीसीओ अवधि में) के भीतर परियोजना ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, तो वर्गीकरण 31.03.2022 तक परियोजनावार की बजाए ऋणकर्तावार किया जाएगा।

ii(क) कंपनी 01.04.2015 से नए उत्पादन ऋणों की मंजूरी के मामले में रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड लागू कर रही है (01.04.2015 से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड लागू थे)

ख) रिजर्व बैंक का 11.04.2017 का पत्र प्राप्त होने के बाद कंपनी ने शेष ऋणों (उपरोक्त 14(क)(1)(2)(i) में वर्णित ऋणों से भिन्न) के मामले में रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड अपनाए हैं। 31.03.2015 से पहले मंजूर किए गए उत्पादन ऋणों और ऐसे ऋणों, जिनका पुनर्गठन 01.04.2015 के बाद से किया गया है, के मामले मे रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार परवर्ती प्रावधान के साथं परिसंपत्ति वर्गीकरण 31.03.2017 को किया गया है।

ख. ऋण संकेंद्रण मानदंड

ऋण संकेंद्रण मानदंड के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16.06.2016 के पत्र के तहत केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के लिए छूट की सीमा 31.03.2022 तक बढ़ा दी है। इस प्रकार कंपनी ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के मामले में विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऋण संकेंद्रण मानदंडों का अनुपालन जारी रखा है।

15. वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड के अनुपालन में (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानदंड से भिन्न) राज्य क्षेत्र के ऋणों के संदर्भ में, नियमित ब्याज अदायगी की दृष्टि से 31.03.2017 को कोई अतिदेय राशि नहीं है :

क) कंपनी ने पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के रूप में ₹35,994.70 करोड़ की राशि मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की है। ऐसे ऋणों पर प्रावधान 0.35 प्रतिशत से बढ़ कर 4.25 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 1,403.79 करोड़ की कमी आई है।

ख) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹8,284.47 करोड़ मूल्य की 2 ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्होंने मूल डीसीसीओ (मानदंड के अंतर्गत अनुमत) से 2/3/4 वर्ष बाद 31.03.2017 को या उससे पहले डीसीसीओ हासिल किया है। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर वसूल न की गई ₹ 163.71 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई है और ऐसे ऋणों पर ₹799.45 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 963.16 करोड़ की कमी आई है।

ग) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹4157.28 करोड़ मूल्य की 3 ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जो 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मूल डीसीसीओ (मानदंड के अंतर्गत अनुमत) से 2/3/4 वर्ष के बाद भी लक्षित तारीख तक वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं कर पाईं। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर वसूल न की गई ₹103.04 करोड़ की आय वयुतर्कमित की गई है और ऐसे ऋणों पर ₹401.18 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 504.22 करोड़ की कमी आई है।

घ) कंपनी ने 31.03.2017 को बकाया ₹ 5793.83 करोड़ मूल्य की 1 ऋण परिसंपत्तिं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका डीसीसीओ हासिल करने के बाद पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान इस ऋण पर वसूल न की गई ₹ 142.02 करोड़ की आय प्रत्यावर्तित की गई है और इस ऋण पर ₹ 333.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त ऋणकर्तावार परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार, समान ऋणकर्ता के अन्य ऋणों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। अत: वर्ष के दौरान ऐसे ऋणों पर वसूल न की गई ₹ 118.59 करोड़ की आय प्रत्यावर्तित की गई और 31.03.2017 को ऐसे ऋणों की बकाया राशि, ₹ 5073.73 करोड़ के लिए ₹ 489.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

इस प्रकार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 1083.38 करोड़ की कमी आई।

उपरोक्त पैरा 'क' से 'घ' के कारण वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में कुल ₹ 3954.55 करोड़ की कमी दर्ज हुई।

16. ऋण परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
		बकाया मूलधन	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान	बकाया मूलधन	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान
(क)	ऋण **परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उन पर प्रावधान**						
(i)	मानक परिसंपत्तियां	159,726.85	(38.55)	559.93	199,483.49	111.68	598.48
(ii)	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां[1]	55,473.12	1,228.65	2,357.85	32,262.98	564.77	1,129.20
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	23,751.56[2]	1,887.40	2,375.16	4,877.61	366.83	487.76
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	6,677.81	1,986.27	2,708.26	2,393.15	327.48	721.99
(v)	ऋण परिसंपत्तियां	272.84	24.56	272.84	248.28	239.36	248.28
(ख)	**अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान**						
(i)	:अन्य परिसंपत्तियां	17.29	16.26	17.27	1.17	0.04	1.01
(ii)	व्यापार प्राप्य[3]	7.74	7.74	7.74	-	-	-
	कुल योग	2,45,927.21	5,112.33	8,299.05	2,39,266.68	1,610.16	3,186.72

[1]31.03.2017 को बकाया आर/आर/आर ऋण, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान किया जाना है, ₹ 19445.92 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 35994.70 करोड़ सरकारी क्षेत्र (पिछले वर्ष ₹ 21479.20 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 10783.78 करोड़ सरकारी क्षेत्र), जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी भाग 'ग'-15(क) में स्पष्ट किया गया है।

[2] इसमें सरकारी क्षेत्र से संबंधित ₹ 23,309.30 करोड़ की राशि शामिल हैं, जो रिजर्व बैंक के आरआरआर मानदंड अपनाने के कारण चालू वर्ष के दौरान एनपीए बन गई, जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी भाग 'ग'-15(ख, ग और घ) में स्पष्ट किया गया है।

[3] पीएफसीसीएल (कंपनी की एक सहायक) से संबंधित।

17. ऋण परिसंपत्तियों के सुरक्षित/असुरक्षित वर्गीकरण का आधार :

क) ऐसे मामलों में, जहां कंपनी प्रमुख अथवा एकमात्र ऋणदाता है, वह ऋण आस्ति को सुरक्षित समझेगी, बशर्ते चल परियोजना परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक करने की औपचारिकता पूरी की गई हो और ऋण परिसंपत्तियों के लिए परियोजना भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक रेहन रखा गया हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन अपेक्षित हो, वहां मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा स्थिति अद्यतन की गई हो।

ख) अन्य सभी मामलों में प्रमुख ऋणदाता से प्राप्त सुरक्षित स्थिति विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों का सुरक्षित/असुरक्षित वर्गीकरण किया जाता है।

18. पुनर्गठित खातों का ब्यौरा, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान लागू है, और उनके लिए किए गए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	01 अप्रैल, 2016 को पुनर्गठित लेखे	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					15	3	4	-	22	15	3	4	-	22
		बकाया राशि						32,262.98	3,111.05	1,414.67	-	36,788.70	32,262.98	3,111.05	1,414.67	-	36,788.70
		(पुनर्गठित सुविधा)						-	-	232.11	-	232.11	-	-	232.11	-	232.11
		बकाया राशि						1,129.20	311.11	520.57	-	1,960.88	1,129.20	311.11	520.57	-	1,960.88
2	प्रारंभिक शेष में प्रदर्शित खाते की शेष संबंधी गतिविधियां	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					2	-	2	-	4	2	-	2	-	4
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(1,867.82)	-	(63.58)	-	(1,931.40)	(1,867.82)	-	(63.58)	-	(1,931.40)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	73.99	-	73.99	-	-	73.99	-	73.99
		तत्संबंधी प्रावधान						(65.37)	-	362.53	-	297.15	(65.37)	-	362.53	-	297.15

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
3	वर्ष के दौरान पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					12	-	-	-	12	12	-	-	-	12
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						36,478.10	-	-	-	36,478.10	36,478.10	-	-	-	36,478.10
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तत्संबंधी प्रावधान						1,550.56	-	-	-	1,550.56	1,550.56	-	-	-	1,550.56
4	वर्ष के दौरान पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तत्संबंधी प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान/या अतिरिक्त जोखिम भार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					(2)	-	-	-	(2)	(2)	-	-	-	(2)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(2,857.41)	-	-	-	(2,857.41)	(2,857.41)	-	-	-	(2,857.41)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तत्संबंधी प्रावधान						(100.01)	-	-	-	(100.01)	(100.01)	-	-	-	(100.01)
6	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का दर्जा कम करना	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					(1)	(2)	3	-	-	(1)	(2)	3	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(8,542.74)	4,779.09	3,111.05	-	-	(8,542.74)	4,779.09	3,111.05	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तत्संबंधी प्रावधान						(299.00)	477.91	745.56	-	989.73	(299.00)	477.91	745.56	-	989.73
7	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्गठित खाते	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तत्संबंधी प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
8	31 मार्च, 2017 को पुनर्गठित खाते	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					22	1	7	-	30	22	1	7	-	30
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						55,473.11	7,890.14	4,462.14	-	68,477.99	55,473.11	7,890.14	4,462.14	-	68,477.99
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	306.10	-	306.10	-	-	306.10	-	306.10
		तत्संबंधी प्रावधान						2,357.85	789.02	1,662.61	-	4,874.74	2,357.85	789.02	1,662.61	-	4,874.74

19. कंपनी द्वारा 15.04.2015 को अव-मानक घोषित एक पुनर्गठित ऋण आस्ति के मामले में, ऋणकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के दिनांक 17.06.2015 के आदेश के तहत आगे सुनवाई से अंतरिम रोक हासिल कर ली है।

कंपनी ने इस परिसंपत्ति के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में कानूनी राय मांगी थी, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अव-मानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है, और वर्ष के दौरान लेखों मे किए गए ₹339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

यह मामला न्यायालयाधीन है, और इस पर अंतरिम रोक जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त की गई परवर्ती कानूनी राय के आधार पर, कंपनी ने 31.03.2016 को इस परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में किया और चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना में प्रगति के बीच समान वर्गीकरण जारी रखा।

30.06.2016 को कंपनी ने अंतरिम रोक के आदेश को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की। यह याचिका सुनवाई के लिए लंबित है। पिछले वर्ष उक्त खाते के पुनः वर्गीकरण के बाद,

(i) ₹413.03 करोड़ ब्याज/आय प्रोदभूत हुई और 31.03.2017 को वसूल न की जा सकी, जिसे व्युत्क्रमित किया गया;

(ii) पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर लागू अनुसार प्रावधान किया गया, जो 31.03.2017 को ₹ 163.17 करोड़ था (31.03.2016 को ₹ 148.82 करोड़;

(iii) 31.03.2017 को बकाया ऋण राशि ₹4893.39 करोड़ (31.03.2016 को ₹4251.91 करोड़) को देखते हुए इस खाते को संदिग्ध समझा गया और उपरोक्त (ii) पर वर्णित प्रावधान पर विचार करने के बाद ₹ 815.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 276.37 करोड़) का प्रावधान किया गया।

20. लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रकटीकरण :–

क. भविष्यनिधि :

कंपनी निर्धारित दर पर अंशदान का भुगतान एक पृथक न्यास में करती है जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि में निधि में अंशदान को व्यय माना गया है और लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार कंपनी का दायित्व निर्धारित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिलाभ की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है। प्रतिलाभ की निर्दिष्ट दर के अनुसार, सदस्यों को ब्याज के भुगतान में कोई कमी होने पर उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसीलिए कोई और प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की परिभाषित ग्रेच्युटी स्कीम है और उसका प्रबंध पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उसके लिए प्रावधान कार्मिकों द्वारा दी गई सेवा के कुल वर्षों की संख्या के आधार पर बीमांकन मूल्य निर्धारण के अनुसार परंतु अधिकतम ₹ 10 लाख की राशि तक किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोष में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक बहिरंग रोगी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह स्कीम एक पृथक ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। ट्रस्ट ने पीएफसी सुपरएनुएशन मेडिकल फंड के नाम से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीकरण कराया और वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रचालन प्रारंभ किया। 31.03.2016 को इस मद में ₹ 17.83 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो 11.07.2016 को कंपनी द्वारा ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके लिए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना है कि सेवा निवृत्त कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय की भरपाई के लिए समुचित धन उपलब्ध हो। किंतु, इसमें कोई कमी होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाएगी। कंपनी का अनुमान है कि इस बारे में निकट भविष्य में कोई देयता पैदा नहीं होगी, अतः इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ङ) सेवांत लाभ

सेवांत लाभ में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. अवकाश

कंपनी अपने कार्मिकों को अर्जित अवकाश सुविधा और अर्धवेतन अवकाश की सुविधा प्रदान करती है जो छमाही आधार पर क्रमशः 15 दिन एवं 10 दिन के हिसाब से अर्जित होती है। सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन की छुट्टी या उसका नकद भुगतान किया जाता है। सेवा के दौरान अर्धवेतन अवकाश जमा करने की कोई सीमा नहीं है। सेवा काल के दौरान किसी भी समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। किंतु, सेवा काल के दौरान या 10 वर्ष से पहले कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्जित अवकाश + अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन तक कराया जा सकता है। परंतु, सेवा से विलग होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए वर्षों की संख्या की कोई शर्त नहीं है।

छ. उपर्युक्त स्कीमें (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ज. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता और तुलन–पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित सुविधाओं की स्थिति का सार इस प्रकार है:– (कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं):

(i) लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :

(₹करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	1.91	0.78	3.22
	(1.55)	(0.62)	(2.34)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.67	1.43	2.17
	(1.55)	(1.17)	(1.87)
नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	-1.84	-1.01	0.00
	(-1.72)	(0.00)	(0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-0.21	2.87	2.44
	(-1.09)	(2.36)	(2.18)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च*	1.53	4.04	7.83
	(0-29)	(4.15)	(6.39)

**वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि में क्रमश ₹0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़), ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़) और ₹ 0.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.44 करोड़) शामिल हैं।

ii) तुलन-पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2017 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	23.15	21.82	31.23
	(20.83)	(17.83)	(27.11)
31.03.2017 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्य (ii)	21.74	18.15	0.00
	(20.47)	(0.00)	(0.00)
अंतर (ii) & (i)	-1.41	-3.67	-31.23
	(-0.36)	(-17.83)	(-27.11)
तुलन पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)	-1.41	-3.67	-31.23
	(-0.36)	(-17.83)	(-27.11)

(iii) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तने

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य	20.83	17.83	27.11
	(19.36)	(14.58)	(23.42)
ब्याज लागत	0.00	0.00	0.01
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
वर्तमान सेवा लागत	1.67	1.43	2.17
	(1.55)	(1.17)	(1.87)
लाभों का भुगतान	1.91	0.78	3.22
	(1.55)	(0-62)	(2.34)
देयता पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	-0.99	-1.09	-3.72
	(-0.63)	(-0-90)	(-2.93)
31.03.2017 को मान्य देयता लाभ का वर्तमान मूल्य	-0.27	2.87	2.44
	(-1.09)	(2.36)	(2.18)
01.04.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य	23.15	21.82	31.23
	(20.83)	(17.83)	(27.11)

iv) नियोजित परिसंपत्ति के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
1.04.2016 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	20.47	0.00	0.00
	(19.14)	(0.00)	(0.00)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.84	1.01	0.00
	(1.72)	(0.00)	(0.00)
नियोक्ता द्वारा योगदान	0.47	17.93	0.00
	(0.21)	(0.00)	(0.00)
लाभों का भुगतान	-0.98	.0.83	0.00
	(-0.63)	(0.00)	(0.00)
लाभों का भुगतान	-0.06	0.04	0.00
	(0.02)	(0.00)	(0.00)
बीमांकित लाभ/(हानि)	21.74	18.15	0.00
	(20.47)	(0.00)	(0.00)

v) पीआरएमएस चिकित्सा सुविधा लागत की देयता पर मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्न प्रकार से होगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीआरएमएस	सेवा और ब्याज लागत
लागत में 1 प्रतिशत वृद्धि	3.53	0.36
लागत में 1 प्रतिशत कमी	3.44	0.44

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए ₹ 1.41 करोड़, पीआरएमएस के लिए ₹ 4.04 करोड़, अवकाश पर ₹ 7.49 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में ₹ 0.27 करोड़, पीआरएमएस में ₹ 4.15 करोड़, अवकाश के लिए ₹ 6.396 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए) की देयता का प्रावधान किया। उपर्युक्त राशि में सहायक कंपनियों को ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़), ₹ 0439 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़), और ₹0.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.44 करोड़) की राशि शामिल है।

छ. अन्य कार्मिक हितलाभ :

वर्ष के दौरान कार्मिक आर्थिक पुनर्वास स्कीम के लिए ₹ 0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.33 करोड़) का प्रावधान और कार्मिक दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.48 करोड़) का प्रावधान वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित/क्रेडिट किया गया है। लाभ एवं हानि खाते में सहायक कंपनियों को आबंटित ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.06 करोड़) शामिल हैं।

ज. (I) नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :- ग्रेच्युटी

31.03.2017 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	12.95	11.75
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र[1]	7.86	8.07
iii)	मियादी जमा	0.31	0.15
	कुल	**21.12**	**19.97**

[1] दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के ₹ 0.06 करोड़ के बॉण्ड्स (पिछले ₹ 0.06 करोड़) पीएफसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं :

पद्धति प्रयुक्त	ग्रेच्युटी संबंधी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति (कंपनी के लिए)	ईईएसएल (कंपनी का संयुक्त उद्यम) के लिए ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु
डिस्काउंट रेट	7.50%	7.35%
ग्रेच्युटी-परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर	7.50%	0.00%
भावी वेतनवृद्धि*	6.00%	6.00%

*मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबद्ध घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

(II) नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी:- पीआरएमएस

31.03.2017 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	8.0	0.00
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र[1]	8.54	0.00
iii)	मियादी जमा	0.97	0.00
	कुल	**17.58**	**0.00**

[1] दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के ₹ शून्य के बॉण्ड्स (पिछले वर्ष शून्य) पीएफसी लिमिटेड पीआरएमएस ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं

पद्धति प्रयुक्त	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति
डिस्काउंट रेट	7.50%
परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर–पीआरएमएस	8.39%
भावी वेतनवृद्धि*	6.00%

*मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबद्ध घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

झ. पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर कार्यरत कंपनी के कार्मिकों के संदर्भ में कार्मिक लाभ (जैसे ग्रेज्युटी, पीआरएमएस, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कार्मिक लाभ) कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

ञ. अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ग्रेज्युटी*	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	23.15	20.74	19.36	17.98	16.16
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21.74	20.47	19.14	17.12	14.67
अधिशेष/(घाटा)	(1.41)	(0.27)	(0.21)	(0.86)	(1.48)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.38	1.09	1.10	0.31	0.31
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(0.06)	0.02	0.09	0.26	0.02

*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ग्रेज्युटी मद में अंशदान ₹ 1.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.74 करोड़) है। 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ ₹ 1.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.74 करोड़) रहा है। इसके अतिरिक्त नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ का निर्धारण कई प्रयोज्य घटकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित नियोजित परिसंपत्तियों का संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और नियोजित परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

पीआरएमएस*	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	21.82	17.83	14.58	11.75	9.50
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18.15	-	-	-	-
अधिशेष/(घाटा)	(3.67)	(17.83)	(14.58)	(11.75)	(9.50)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(1.34)	(2.36)	(2.11)	(1.54)	(0-16)
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.03	-	-	-	-

*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीआरएमएस मद में अंशदान ₹ 4.97 करोड़ (₹2.73 करोड़) है। 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ ₹ 1.04 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) रहा है। इसके अतिरिक्त नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ का निर्धारण कई प्रयोज्य घटकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित नियोजित परिसंपत्तियों का संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और नियोजित परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

अवकाश	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	31.23	26.89	23.42	20.66	20.39
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(1.04)	(2.18)	(1.18)	(2.63)	(1.50)

(₹ करोड़ में)

एलएसए	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	4.99	4.74	4.49	4.04	3.71
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.18	1.10	0.67	0.46	0.80

(₹ करोड़ में)

ईआरएस	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	1.63	1.50	1.24	1.24	1.31
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.52	0.02	0.38	0.46	0.43

(₹ करोड़ में)

सामान भत्ता	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
देयता का वर्तमान मूल्य	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01

21. लेखांकन मानक–29 में यथा अपेक्षित प्रावधान का विवरण, (कोष्ठकों ( ) में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति को प्रकट करते हैं), इस प्रकार है :–

निम्नांकित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान सवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	प्रत्यावर्तित (4)	अंतिम शेष 5 = (1+2-3-4)
सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	17.83	4.04	18.09	0.00	3.78
	(14.58)	(4.15)	(0.90)	(-)	(17.83)
वेतन संशोधन	-	9.94	-	-	9.94
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
उपदान	0.21	1.53	0.33	-	1.41
	(0.08)	(0.35)	(0.22)	(-)	(0.21)
अधिवर्षिता लाभ के लिए प्रावधान (पेंशन)	0.07	-	-	-	0.07
	(0.07)	(-)	(-)	(-)	(0.07)
अवकाश नकदीकरण	27.09	7.84	3.70	-	31.23
	(23.56)	(6.46)	(2.93)	(-)	(27.09)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम	1.50	0.21	0.08	0.00	1.63
	(1.24)	(0.33)	(0.07)	(-)	(1.50)
बोनस/प्रोत्साहन	11.14	5.91	10.49	-0.07	6.63
	(12.45)	(10.49)	(10.91)	(-0.89)	(11.14)
सामान भत्ता	0.11	0.02	0.00	0.00	0.13
	(0.10)	(0.01)	(0.00)	(-)	(0.11)
सेवा पुरस्कार	4.74	0.59	0.34	0.00	4.99
	(4.49)	(0.48)	(0.23)	(-)	(4.74)
ऋण परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान [1]	3,186.72	5,112.33	-	-	8,299.05
	(1,576.56)	(1,610.16)	(0.00)	(-)	(3,186.72)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	97.32	86.69	-	94.10	89.91
	(1.06)	(96.26)	(0.00)	(-)	(97.32)
संदिग्ध ऋण के लिय प्रावधान	0.00	8.61	0.00	0.00	8.61
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

निम्नांकित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान सवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	प्रत्यावर्तित (4)	अंतिम शेष 5 = (1+2-3-4)
सीएसआर	102.98	167.64	170-40	-	100.22
	(114.46)	(146.81)	(158.29)	(-)	(102.98)
आय कर	7,530.75	3,122.40	2,101.24	-0.03	8,551.89
	(6,222.89)	(2,857.89)	(1,550.52)	(0.49)	(7,530.75)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00
	(79.20)	(79.20)	(79.20)	(-)	(79.20)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00
	(16.12)	(16.12)	(16.12)	(-)	(16.12)
अंतरिम लाभांश	-	1,320.04	-	-	1,320.04
	(-)	(1,755.66)	(1,755.66)	(-)	(-)
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	268.73	201.55	-	67.18
	(-)	(356.74)	(356.74)	(-)	(-)

(1)इसका ब्यौरा टिप्पणी भाग-ग 16 में दिया गया है।

22. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल अपेक्षित राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16
तीन तात्कालिक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित निवल कर-पूर्व लाभ के औसत 2 प्रतिशत की दर से किया गया सीएसआर प्रावधान	167.64	146.81
पिछले वर्ष से अग्रसारित	102.98	114.46
खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	270.62	261.27

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान निम्नांकित पर खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

क्र.स	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016.17			वित्तीय वर्ष 2015–16		
		अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल	अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iii)	सफाई/कचरा प्रबंधन/पेयजल	112.52	0.20	112.72	133.85	-	133.85
(iv)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	30.32	-	30.32	16.06	-	16.06
(v)	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वृक्षारोपण/ ऊर्जा सक्षम एलईडी लाइटिंग)	20.93	0.76	21.69	4.10	0.50	4.60
(vi)	खेल	0.10	-	0.10	-	-	-
(vii)	अन्य	1.02	-	1.02	-	-	-
(viii)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक व्यय। सीएसआर पर खर्च की जाने वाली कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित	2.02	0.24	2.26	3.16	0.26	3.42
(ix)	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा खर्च की गई राशि	2.29	0.01	2.30	0.36	-	0.36
	कुल (ii)	169.20	1.21	170.41	157.53	0.76	158.29
	कुल योग (i) और (ii)			170.41			158.29

ग) लेखांकन मानक (एएस)-18, के अनुसार संबंधित पक्ष का ब्यौरा, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण-शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

घ) लेखांकन मानक (एएस)-29, के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधान के अंतर्गत उपरोक्त टिप्पणी संख्या 19 में अलग से दर्शायी गई गतिविधियां

ङ) 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 121.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 192.13 करोड़) संवितरित किए गए।

23. 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भाग–ख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निम्नांकित संशोधन किए गए :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन	पीजीटी पर प्रभाव [(+) वृद्धि / (–) कमी]
	संख्या	शीर्षक		
1.	1	वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार	भारतीय रिजर्व बैंक मानदंड का संदर्भ[1] शामिल करने के लिए संशोधित की गई, ताकि उसमें अधिक स्पष्टता लाई जा सके और उसका विस्तार किया जा सके।	शून्य
2.	2.1.1	आय को मान्यता देना	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] की प्रयोज्यता दर्शाने के लिए संशोधित की गई।	शून्य
3.	2.1.3	लाभांश से आय	पूर्ववर्ती नीति संख्या 2.5 के स्थान पर नई धारा शामिल की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] के अनुसार लाभांश को मान्यता दी जा सके।	शून्य
4.	2.5	बॉण्ड और डिबेंचरों से आय	परिवर्तित की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] के अनुरूप बॉण्ड आदि से आय को मान्यता दी जा सके।	शून्य
5.	2.7	पूर्व अवधि व्यय/आय[4]	पूर्व अवधि व्यय/आय से संबंधित हिस्से को हटाया गया ताकि मौजूदा पद्धति को वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होने वाली भारतीय लेखांकन मानक व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके।	शून्य
6.	6.1	उद्धृत वर्तमान निवेश	संशोधित किया गया ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] के अनुरूप बनाया जा सके, जिनमें पूर्ववर्ती स्क्रिप-वार मूल्यांकन के स्थान पर उद्धृत वर्तमान निवेश के श्रेणीवार मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।	92.06
7.	6.2	अनुद्धृत वर्तमान निवेश	परिवर्तित की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत मानदंड[1] के अनुरूप ऋण में परिवर्तित किए गए इक्विटी शेयरों से संबंधित नीति शामिल की जा सके।	(46.27)
8.	6.3	दीर्घावधि निवेश	पूर्ववर्ती नीति संख्या 5.2 का क्रमांक बदला गया	शून्य
9.	7.1 और 7.4	परिसंपत्ति वर्गीकरण	7.1.2 (i) संशोधित की गई, ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] के अनुरूप बनाया जा सके। 7.1.2 (ii) - 7.4 संशोधित की गई, ताकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड/दिशा निदेर्शों[3] के अनुरूप बनाया जा सके।	शून्य (2,550.76)
10.	7.2	मानक ऋणों और गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंड[1] के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित की गई ताकि निम्नांकित को शामिल किया जा सके - i) मानक परिसंपत्तियों के बारे में अतिरिक्त यथानुपात प्रावधान ii) 3 वर्ष से अधिक संदिग्ध परिसंपत्ति रहने पर प्रावधान की दर 100 प्रतिशत से बदल कर 50 प्रतिशत करना	(79.69) 707.80
11.	7.3	पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान	उप-अनुच्छेदों को पुनः क्रमित करने के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन मानदंड/दिशा निर्देशो के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित की गई नतीजतन पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त/यथानुपात प्रावधान किया गया, जिसमें ₹ 1403.79 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे टिप्पणी भाग-ग-15(क)[3] में स्पष्ट किया गया है।	(1549.64)
12.	7.6 [5]	संदिग्ध ऋणों और अग्रिम के लिए प्रावधान	प्रावधान का आधार शामिल करने के लिए संशोधित की गई	(8.61)
13.	9	डेरिव्हेटिव लेन–देन	डेरिव्हेटिव अनुबंधों के लिए 01.04.2016[2] से लागू करने हेतु आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी गाइडेंस नोट के प्रवधानों के अनुरूप बनाने के लिए संवर्धित की गई।	178.15
कुल				**(3,256.95)**

[1] कंपनी ने 01.04.2016 से आरबीआई मानदंड अपनाए हैं (टिप्पणी भाग ग-14 देखें)
[2] प्रारंभिक आरक्षित पर प्रभाव के लिए टिप्पणी भाग-ग-5(ङ) देखी जा सकती है।
[3] टिप्पणी भाग-ग-15 देखी जा सकती है।
[4] पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) द्वारा हटायी गई।
[5] पीएफसीसीएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) से संबंधित है।

उपरोक्त के अलावा, पीएफसीजीईएल ने वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार, आय को मान्यता देने, मूर्त परिसंपत्तियों/मूल्यह्रास और कार्मिक लाभ संबंधी संबंधी लेखांकन नीतियों में शाब्दिक बदलाव किया ताकि उनमें और स्पष्टता लायी जा सके, जिनका वित्तीय प्रभार शून्य रहा। इसके अलावा, पीएफसीसीएएस ने मूल्यह्रास/परिशोधन संबंधी अपनी लेखांकन नीति में संशोधन करते हुए सेल फोन का उपयोगी जीवन 5 वर्ष से कम करके 2 वर्ष किया, जिससे ₹1,768 का वित्तीय प्रभाव पड़ा।

24. क. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। तत्संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.स.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी जीवन वर्षों में	मूल लागत के % के रूप में शेष मूल्य
1.	भवन	60	5%
2	ईडीपी उपकरण		
2A	सर्वर्स एंड नेटवर्क्स	6	5%
2B	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस यानी डेस्कटॉप्स, लैप्टाप्स आदि(1)	3	5%
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण(1)	5	5%
3A	सेल फोन(2)	2	5%
4.	फर्नीचर और फिक्सचर्स(1)	10	5%
5.	वाहन (कार)	8	5%
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0%
7.	ईएससीओ परियोजनाएं(3)	परियोजना अवधि	-
8.	लीजहोल्ड सुधार(4)	पट्टा अवधि	-

(1) कंपनी और पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक) द्वारा तय किया गया उपयोगी जीवन काल।

(2) कंपनी, पीएफसीसीएल, पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक) और ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा तय किया गया उपयोगी जीवन काल।

(3) ईईएसएल द्वारा प्रकट किए गए अनुसार

(4) ईईएसएल द्वारा द्वारा तय किया गया उपयोगी जीवन काल और पीएफसीसीएल (कंपनी की एक सहायक) के मामले उपयोगी जीवन काल या पट्टा अवधि, जो भी कम हो।

ऊपर वर्णित सभी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे-पंक्ति आधार पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त सेलफोन के लिए उपयोगी जीवन संबंधी कंपनी के अनुमान कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित जीवन की तुलना में कम हैं, और अन्य सभी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी सूची के अनुरूप तय किया गया है।

ख. ईईएसएल, कंपनी का एक संयुक्त उद्यम मूल्यह्रास के संदर्भ में पृथक लेखांकन नीति का अनुपालन करता है। ईईएसएल द्वारा मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के अनुरूप प्रत्यक्ष पंक्ति पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है, जबकि पीएफसी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल पर निर्दिष्ट मूल्य पद्धति के अनुरूप मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करती है। कंपनी के लिए यह व्यवहार्य नहीं है कि वह समानुपातिक समेकन पद्धति लागू करने प्रयोजनों के लिए समायोजन करे। 31.03.2017 को ईईएसएल, जहां भिन्न लेखांकन नीति लागू की जाती है, की अचल परिसंपत्तियों का निवल अनुपात अचल परिसंपत्तियों के समेकित निवल ब्लॉक का 83.56% है (31.03.2016 को 73.66%)।

25. कंपनी की एक सहायक, पीएफसीसीएल को छोड़कर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कंपनी की कोई देयता नहीं है। पीएफसीसीएल की ओर इन उद्यमों की ₹ 0.002 करोड़ (31.03.2016 को ₹ 0.001 करोड़ की राशि बकाया है)।

26. पट्टे पर धारित भूमि को संशोधित नहीं किया जाता है।

27. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के लिए ₹ 4.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.21 करोड़) देय हुए और इस निधि में अंतरित किए गए। परंतु, दावेदारों द्वारा अंतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण ₹ 2.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.56 करोड़) अप्रदत्त के रूप में बकाया रहे।

28. वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋणकर्ताओं को 31.12.2016 को बकाया ऋण राशि की पुष्टि करने के लिए उन्हें पत्र भेजे। उक्त बकाया ऋणों के 99.38 प्रतिशत राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है और ₹1482.46 करोड़ की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

29. ''आय पर करों की गणना'' संबंधी लेखांकन मानक–22 के अनुसार कंपनी की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की स्थिति नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(क) आस्थगित कर देयता (+)		
(i) ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं हैं	20.45	18.84
(ii) प्रारंभिक खर्चे/व्यय	-	0.16
(iii) कार्मिक संबधी प्रावधान	0.45	0.13

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(ख) आस्थगित कर देयता (–)		
(i) मूल्यह्रास	(0.45)	(0.83)
(ii) पट्टा आय	(66.00)	(68.73)
(iii) परिशोधन	(0.24)	(0.47)
(iv) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(100.76)	(251.08)
(v) डेरिव्हेटिव के प्रति बैंक से प्राप्य निवल एमटीएम	(101.00)	-
निवल आस्थगित कर देयताएं (–) परिसंपत्तियां (+)	(247.55)	(301.96)

30. वर्ष के दौरान भारत सरकार ने डीआईपीएएम (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के तहत सीपीएसई ईटीएफ म्युचुअल फंड स्कीम के फर्दर फंड ऑफर (एफएफओ) के सिलसिले में कंपनी में रखे गए 3,82,17,338 इक्विटी शेयर सीपीएसई ईटीएफ (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडिड फंड) खाते में अंतरित किए। इससे कंपनी में भारत सरकार की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारिता 67.80 प्रतिशत से घट कर 66.35 प्रतिशत रह गई।

31. शेयरधारकों ने 19 अगस्त, 2016 को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में निम्नांकित का अनुमोदन किया:

(क) ₹ 10/- मूल्य के 2,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित कंपनी की ₹ 2000 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ा कर ₹ 10/- मूल्य के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹10,000 करोड़ पर पहुंचाना, और

(ख) प्रतिभूति प्रीमियम खाते के पूंजीकरण के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करना।

नजीतजन, 1 सितंबर, 2016 को कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में 132,00,40,704 बोनस इक्विटी शेयरों का आबंटन (1:1 के अनुपात में) 29.08.2016 (रिकार्ड तारीख) को वर्तमान शेयरधारकों को करने का अनुमोदन किया। परिणाम स्वरूप कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 1320.04 करोड़ (₹ 10/- अंकित मूल्य के 132,00,40,704 इक्विटी शेयर) से बढ़ कर ₹ 2640.08 करोड़ (₹ 10/-अंकित मूल्य के 264,00,81,408 इक्विटी शेयर) हो गई।

32. लेखांकन मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी और तनुकृत) नीचे दी गई है :–

विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016[1] को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
गणक के रूप में प्रयुक्त निवल कर उपरान्त (₹ करोड़ में)	2,236.10	6,184.00
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	264,00,81,408	132,00,40,704
बकाया स्टॉक विकल्पों का तनुकृत प्रभाव	-	-
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (तनुकृत)	264,00,81,408	132,00,40,704
अंकित मूल्य ₹ 10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (बुनियादी) (₹)[1]	8.47	23.43
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (₹)	-	-
अंकित मूल्य ₹ 10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (तनुकृत) (₹)[1]	8.47	23.43

[1] वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रति शेयर अर्जित (बुनियादी और तनुकृत) राशि बोनस शेयरों के खाते में समायोजित की गई।

33. क) 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकित मूल्य ₹ 10/-के प्रति इक्विटी शेयर पर प्रदत्त एवं प्रस्तावित लाभांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष			31.03.2016 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	50%[1]	5.00	1,320.04	88%	8.80	1,161.64
द्वितीय अंतरिम लाभांश	.	.	.	45%	4.50	594.02
अंतिम लाभांश	.	.	.	6%	0.60	79.20[2]
कुल लाभांश	50%	5.00	1,320.04	139%	13.90	1,834.86

[1] निदेशक मंडल द्वारा 24.03.2017 को हुई निदेशक मंडल की 359वीं बैठक में घोषित और 07.04.2017 को अदा किया गया।
[2] 01.09.2016 को अदा किया गया।

(ख) अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में कोई रकम प्रेषित नहीं की है और कंपनी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अनिवासी शेयरधारकों द्वारा/की ओर से लाभांशों के रूप में कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा में रकम प्रेषित की गई, यदि कोई की गई हो। अनिवासी शेयरधारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा की गई/देय लाभांश राशियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
वर्ष जिससे लाभांश संबद्ध है	2016–17	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17	2015–16
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	3,343	2,507	लागू नहीं	2,654	लागू नहीं	2,740
उनके द्वारा धारित ₹ 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले शेयरों की संख्या	41,32,25,284	17,37,41,847	लागू नहीं	17,00,05,752	लागू नहीं	17,55,45,216
लाभांश की सकल राशि (करोड़ ₹ में)	206.61	152.88	लागू नहीं	76.50	लागू नहीं	10.52

34. अन्य महत्त्वपूर्ण वित्तीय मानदंड:

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
ऋण इक्विटी अनुपात	5.51	5.57
निवल मालियत (करोड़ ₹ में)	36,844.93	36,028.30

35. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां और पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नलिखित हैं–

	मद	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	पूंजी निधि -क. टियर-I (₹ करोड़ मे)	33,837.70	33,569.76
	-ख. टियर-2 (₹ करोड़ में)	6,373.62	6,225.97
(ii)	तुलन–पत्र मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	207,212.06	194,945.24
(iii)	सीआरएआर	19.41%	20.41%
(iv)	सीआरएआर-टियर-I पूंजी	16.33%	17.22%
(v)	सीआरएआर-टियर-2 पूंजी	3.08%	3.19%
		31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान
(vi)	टियर-2 पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	-	-
(vii)	सतत ऋण लिखतों के इश्यू से उगाही गई राशि (₹ करोड़ में)	-	-

36. प्रबंधन की राय में सामान्य व्यापार प्रक्रिया के चलते वसूली पर, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र में वर्णित उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

37. संविदा करार के निष्पादन/अवार्ड पत्र जारी होने के अनुसार जिसके संदर्भ में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार कोई आय मान्य नहीं की गई है, और ग्राहक से कोई राशि वसूल भी नहीं की गई है, अर्थात् उपचित न की गई आय (देयता), ₹ 0.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.31 करोड़) ग्राहकों (परिसंपत्ति) से प्राप्य राशि ₹ 0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.63 करोड़) में से सेट ऑफ किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹3.13 करोड़ अप्रोद्भूत आय से और ₹3.42 करोड़ ग्राहकों (परिसंपत्तियों) से प्राप्त राशि, जो प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं के लिए अदा की जानी थी और लम्बे समय से बकाया थी, के लिए प्रावधान करते हुए समयोजन किया।

38. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण की अपेक्षा के अंतर्गत उनके लेखा–परीक्षित लेखों की सीमा तक प्रकटीकरण किया गया है, परंतु कंपनी के एक संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) के संबंध में प्रकटीकरण अपरीक्षित लेखों के अनुसार किया गया है।

39. कंपनी भौतिक रोकड़ में कोई लेन–देन नहीं करती है। तदनुरूप, 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि में कंपनी ने निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) नहीं रखे या कोई लेन–देन नहीं किया गया।

40 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत टिप्पणी भाग–ख देखी जा सकती है।

ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए टिप्पणी भाग ग-35 देखी जा सकती है।

ग) निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण			31.03.2017 को	31.03.2016 को
(I)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में	3,234.93	2,326.23
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	89.81	96.26
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	3,145.12	2,229.97
		(ख)	भारत से बाहर		-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों संबंधी जानकारी				
	(i)	प्रारंभिक शेष		96.26	-
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		86.59	96.26
	(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए/पश्चलिखित प्रावधान		93.04	-
	(iv)	अंतिम शेष		89.81	96.26

घ) डेरिवेटिव्स

I. ऋण देयताओं के संदर्भ में वायदा दर समझौता/ब्याज दर विनिमय (स्वैप) :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	स्वैप समझौतों का धारणात्मक सिद्धांत	6,813.10	7,164.60
(ii)	समझौतों के अंतर्गत प्रति-पक्षियों द्वारा दायित्व पूरे करने में विफल रहने पर होने वाली हानियां	299.87	121.72
(iii)	एनबीएफसी द्वारा स्वैप्स में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप्स जनित ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
(v)	स्वैप्स बही का उचित मूल्य	299.87	121.72

II कंपनी की कोई विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

III डेरिवेटिव्स में जोखिम उजागर होने के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति अपनाई है ताकि विदेशी मुद्रा में ऋण लेने से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन और बचाव किया जा सके। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए ढांचा और संगठन निर्धारित करती है।

ख. कंपनी रुपये और विदेशी मुद्रा देयताओं में ब्याज/विनिमय दर जोखिम के बचाव के लिए केवल मूलधन स्वैप्स, ब्याज दर स्वैप्स और वायदा अनुबंधों से संबंधित डेरिवेटिव्स कारोबार करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं और जो विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के जरिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों पर निगरानी रखती है।

ग. ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव प्रयोजन के लिए किए जाते हैं और व्यापार या सट्टेबाजी के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं। इन्हें बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लेखांकन नीति के अनुसार बाजार पर चिन्हित नहीं किया जाता है। उल्लिखित बाजार पर चिन्हित स्थितियां वे हैं, जो प्रति-पक्षियों द्वारा सूचित की गई हैं।

घ. डेरिवेटिव लेन–देन के बारे में संबद्ध लेखांकन नीति के लिए उल्लेख टिप्पणी भाग ख-8 में किया गया है।

IV. ऋण देयताओं के संदर्भ में डेरिवेटिव्स में प्रकट जोखिम के बारे में मात्रात्मक जानकारी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (धारणात्मक मूलधन राशि)				
	बचाव के लिए[1]	2,107.63	6,813.10	939.65	7,164.60
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिन्हित (एमटीएम)				
	क) परिसम्पत्तियां (+एमटीएम)	0.00	299.87	6.54	125.42
	ख) देयता (–एमटीएम)	68.41	0.00	181.39	3.70
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	-	-	-	-
(iv)	बचाव न किए गए प्रकटीकरण [2]	6,405.68	6,296.24	10,070-22	8,587.86

[1]ब्याज दर डेरिवेटिव्स में ₹6,164 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,164 करोड़)

[2]इसमें एक चरण के लिए किए गए वायदा दर अनुबंध (अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया) के जरिए आंशिक रूप से बचाव की गई ₹ 291.83 करोड़ की जापानी येन ऋण देयता (पिछले वर्ष अमरीकी डॉलर/जेपीवाई ₹ 701.09 करोड़)

(ङ) प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटीकरण

I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया और 31.03.2017 को प्रतिभूतिकरण के कारण कोई प्रकटीकरण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

II. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं बेचीं (पिछले वर्ष शून्य)।

III. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य)।

IV. कंपनी ने 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किन्ही गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद-फरोख्त नहीं की (पिछले वर्ष शून्य)।

(च) परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों से संबंधित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति :

(₹ करोड़ में)

विवरण	30 दिन तक	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम[1]	3,659.65	614.22	615.82	8,245.75	19,288.09	39,150.62	38,370.57	135,697.34	245,642.05
निवेश[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.53	0.00	0.00	1,819.64	3,145.17
उधारिया[3]	5,890.79	3,820.00	1,036.40	7,101.00	9,131.58	58,350.85	48,153.21	60,930.73	194,414.56
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.09	260.12
विदेशी मुद्रा देयताएं	4.64	0.00	5.08	1,167.30	9.73	1,660.15	4,645.72	951.26	8,443.89

[1]रुपया ऋण परिसंपत्तियां
[2]प्रावधान का निवल
[3]रुपया देयताएं

(छ) प्रकटीकरण

I. कंपनी भू–संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं करती है।

II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31.03.2017 को राशि	31.03.2016 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जो कॉर्पोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेशित न हों (पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित)	1,428.78	519
(ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओज/ईएसपीओज सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और इक्विटी-ओरिएंटिड म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्पष्ट आधार पर निवेश करने के लिए दिए गए अग्रिम;	शून्य	शून्य
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं;	शून्य	शून्य
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों की कलैटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनी डिबेंचरों/इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड्स की यूनिटों से अग्रिमों की राशि पूरी तरह कवर न होती हो (ऐसे ऋणों को छोड़कर, जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	शून्य	शून्य
(v)	शेयर दलालों को दिए गए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	शून्य	शून्य
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, जो शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों, अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोन्नतकर्ता का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,772.39	1,744.13
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लोज़/इश्यूज़ के प्रति कंपनियों को दिए गए ब्रिज ऋण;	शून्य	शून्य
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी जोखिम	6.15	6.15
	पूंजी बाजार में कुल भागीदारी	4,653.33	2,619.92

III मूल कंपनी उत्पादों के वित्त–पोषण का ब्यौरा:
कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा:
कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अपनी एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता संबंधी विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिर्कमण नहीं किया है।

V असुरक्षित अग्रिम:
31.03.2017 (पिछले वर्ष शून्य) को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि शून्य रही है, जिनके लिए राइट्स, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार सृजित किया गया हो।

(ज) अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण :

शून्य

(झ) रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा दी गई सजाओं का ब्यौरा:

31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को रिजर्व बैंक और अन्य नियामों द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया।

(ञ) क्रेडिट रेटिंग

क वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग और रेटिंग दरों का माइग्रेशन :

क्र सं	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+
4.	एसएमईआरए (पीएफसीजीईएल के लिए)	एसएमईआरए एएए (स्टेबल आउटलुक)	

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ।

ख 31.03.2017 को कंपनी को प्रदत्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग:

क्र स	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-	स्टेबल (स्थिर)
2.	स्टेंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी)	बीबीबी-	स्टेबल (स्थिर)
3.	मूडीज़	बीएए3	सकारात्मक

(ट) अवधि, पूर्व अवधि मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के बारे में लेखों संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत क्रमशः भाग क-18 और ग-23 को देखा जा सकता है।

(ठ) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई।

शून्य

(ड) कंपनी लेखांकन मानक 21 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। इस बारे में लेखा संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत भाग ग–2 और भाग ग 2.1 को देखा जा सकता है।

(ढ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए टिप्पणी भाग ग-21 को देखा जा सकता है।

(ण) आरक्षित निधियों से ड्रा डाउन

शून्य (पिछले वर्ष टिप्पणी भाग ग-31 और भाग क-2 देखें)

(त) जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

क जमा राशियों का संकेंद्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज़ के लिए) - कंपनी एक जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

ख अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,53,506.95	1,49,625.35
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	62.44%	62.60%

ग) ऋण जोखिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कंपनी के 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के मामले में कुल ऋण जोखिम	2,40,892.19	2,10,983.79
कंपनी के कुल ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत	56.13%	56.20%

घ गैर–निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
चार प्रमुख गैर-निष्पादक खातों में कुल बकाया राशि	22,667.83	4,461.48

ङ गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां क्षेत्रवार

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है। 31.03.2017 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत 12.50 था। (पिछले वर्ष 3.15 प्रतिशत)

(थ) ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण		31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (%)		10.55	2.54
(ii)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	7,519.04	2,533.31
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	24,573.14	8,385.58
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1,389.97	3,399.85
	(घ)	अंतिम शेष	30,702.21	7,519.04
(iii)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (निवल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	6,061.02	2,008.96
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	20,536.65	7,111.93
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1,251.70	3,059.87
	(घ)	अंतिम शेष	24,345.97	6,061.02
(iv)	गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का मूवमेंट (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1458.02	524.35
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	4,036.50	1,273.66
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	138.27	339.99
	(घ)	अंतिम शेष	5,356.25	1,458.02

(द) संयुक्त उद्यमों अथवा अनुषंगियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवीज़) के तुलन–पत्रक की सूची के लिए लेखों संबंधी टिप्पणियों का भाग ग–7- 2.1 देखें।

(न) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

क्र सं	विवरण	शिकयतों की संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य

41. भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख निर्देश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैरा 18 के अनुरूप प्रयोज्य प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2017 को राशि		31.03.2016 को राशि	
देयता पक्ष			बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1)	**कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, प्रोदभूत लेकिन अदा न किए गए ब्याज सहित**					
	(क)	डिबेंचर : प्रतिभूत	20,109.87	0.00	21,786.66	0.00
		: अप्रतिभूत	170,800.80	0.00	150,552.50	0.00
	(ख)	(i) रुपया सावधि ऋण	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	7,276.58	0.00	9,573.71	0.00
	(ग)	वाणिज्यिक पेपर	0.00	0.00	5,286.37	0.00
	(घ)	अल्पावधि ऋण	2,400.79	0.00	2,285.20	0.00

परिसंपत्ति पक्ष			31.03.2017 को बकाया मूलधन राशि	31.03.2016 को बकाया मूलधन राशि
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋण और अग्रिमों का विवरण			
	(क)	प्रतिभूत	168,881.39	148,095.16
	(ख)	अप्रतिभूत	71,786.70	89,771.53
(3)	पट्टा परिसंपत्तियों और किराए पर सामान तथा अन्य परिसंपत्तियों का विवरण, एएफसी गतिविधियों की गणना करते हुए (प्रावधानों का निवल)			
	(i)	विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत लीज किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :		
		(क) वित्तीय लीज	194.32	204.09
(4)	निवेशों का विवरण (प्रावधानों का निवल)			
	वर्तमान निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i) शेयर		
		(क) इक्विटी	1,071.02	410.74
	2.	अनुद्धृत		
		(i) शेयर		
		(क) इक्विटी	254.51	0.00
	दीर्घावधि निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i) शेयर		
		(क) इक्विटी	12.00	12.00
		(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	1,800.00	1,800.00
	2.	अनुद्धृत		
		(i) शेयर		
		(क) इक्विटी	0.75	0.75
		(ख) अधिमानी	-	-
		(ii) एसआईबी फंड की यूनिटें	6.15	6.15

(5) उपरोक्त (2) और (3) में वित्त पोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण : (प्रयोज्य प्रावधान मानदंड के अनुसार)

श्रेणी			प्रावधानों की निवल राशि (31.03.2017 को)			प्रावधानों की निवल राशि (31.03.2016 को)		
			प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.	संबंधित पक्ष							
	(क)	सहायक कंपनियां	0.00	243.49	243.49	0.00	190.46	190.46
	(ख)	अन्य संबंधित पक्ष	0.04	0.46	0.50	0.03	0.36	0.39
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न		169,075.67	71,542.75	240,618.42	148,299.22	89,580.71	237,879.93
कुल			**169,075.71**	**71,786.70**	**240,862.41**	**148,299.25**	**89,771.53**	**238,070.78**

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घावधि) का निवेशकर्ता समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी			31.03.2017 को		31.03.2016 को	
			बाज़ार मूल्य/ब्रेक अप[$] या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)	बाज़ार मूल्य/ब्रेक अप[$] या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)
1.	संबंधित पक्ष					
	(क)	सहायक कंपनियां	0.70	0.75	0.70	0.75
	(ख)	समान ग्रुप में कंपनियां	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	संबंधित पक्ष से भिन्न					
	(i)	उद्धृत	3,170.10	2,883.02	2,292.10	2,222.74
	(ii)	अनुद्धृत	331.47	707.36	6.30	6.15
		कुल	**3,502.27**	**3,591.13**	**2,299.10**	**2,229.64**

(7)	अन्य जानकारी		
	विवरण	राशि 31.03.2017 को	राशि (31.03.2016 को)
	(i) सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां		
	(क) अन्य संबंधित पक्ष	30,718.61	7,520.19
	(ii) निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां		
	(ख) अन्य संबधित पक्ष	25,345.95	6,061.17
	(iii) ऋण की संतुष्टि में अपेक्षित परिसंपत्तियां	341.10	0.00

*31.03.2016 को बही मूल्य, जिसमें ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के ₹10/- अंकित मूल्य वाले 9,90,00,000 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए ₹99.00 करोड़ का निवेश शामिल नहीं है।
$नकारात्मक विवरण के मामले में शून्य मूल्य पर विचार किया गया है।

42. फंसी हुई परिसंपत्तियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक की योजनाओं से अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. कार्यनीतिक ऋण संबंधी प्रकटीकरण पुनर्गठन स्कीम (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथास्थिति अवधि के अंतर्गत हैं)
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या, जिनमें एसडीआर लागू किया गया	31.03.2017 को बकाया राशि		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है।		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो चुका है	
	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत
1	928.06 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	928.06 (-)	- (-)

ख. एसडीआर स्कीम के बाहर स्वामित्व मे परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या, जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय कर लिया है	31.03.2017 को बकाया राशि		उन खातों के संदर्भ में 31.03.2017 को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण/इक्विटी शेयरों को बंधक रखने का कार्य लंबित है		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण/इक्विटी शेयरों को बंधक रखने का कार्य पूरा हो चुका है		31.03.2017 को उन खातों के संदर्भ में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करके अथवा प्रोमोटरों की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन किया गया है	
	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत
1	- (-)	924.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	924.48 (-)	- (-)	- (-)

43. व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे के बारे में अपनाई गई आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यापार विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त–पोषण करना है, जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यापार अनुभाग समझा गया है। अतः खंडात्मक रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

44. आंकड़ों को निकटतम करोड़ रुपये के दशमलव के दो स्थानों तक राउंडऑफ किया गया है।

45. पिछली अवधियों के लिए आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-00701892

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. संख्या - 01411एन
हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य संख्या- 014956

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या - 00862एन
हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्य संख्या- 087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजी. कार्यालय : ''उर्जानिधि'', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

दूरभाष सं.: 011-23456000, फैक्स : 011-23412545, वेबसाईट : www.pfcindia.com

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

हम से जुड़े : @pfclindia